राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] **बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का तृतीय दिवस** **[संख्या : 3**

गुरुवार

02 मार्च, 2006

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : आपकी अनुकम्पा बनी रहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी की अनुकम्पा बनी रहनी चाहिए ताकि काम ठीक हो सके। श्री जीतराम।

मोबाइल सर्जिकल यूनिट हेतु निर्धारित लक्ष्य

20. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में मोबाइल सर्जिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस यूनिट द्वारा गत दो वर्षों में कहां-कहां कैम्प लगाये गये एवं इसकी क्या उपलब्धियां रहीं तथा इनका वार्षिक लक्ष्य क्या है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : 1. जी हां। राज्य में तीन इकाइयां क्रमशः जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में संचालित हैं।

2. कैम्पों की सूची संलग्न है।

3. वार्षिक लक्ष्य प्रत्येक इकाई को 22 से 24 शिविर आयोजित करने का है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

4. उपलब्धियों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जीतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सुविधा, आपरेशन की जटिलताओं को दूर करने के लिए कैम्प के रूप में प्रदान की जाती है ? दूसरा, टोंक जिले के मालपुरा निर्वाचन क्षेत्र में दो वर्षों में कोई कैम्प नहीं लगाये क्या ? क्या सरकार निकट भविष्य में कोई कैम्प लगाना चाहती है ?

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी मोबाइल सर्जिकल यूनिट के कैम्प तो राजस्थान के दूर-दराज के इलाकों में लगते रहते हैं। टोंक में अगर दो वर्ष में कोई कैम्प नहीं लगा तो बहुत ही नजदीकी समय में आपके यहां एक कैम्प आयोजित करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रशेखर।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोबाइल सर्जिकल यूनिट जिन उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी और जो इसके एम्स और आब्जेक्टिव रखे गये थे वो ये रखे गये थे कि दूर-दराज के इलाकों में, माननीय मुख्य मंत्रीजी कहती हैं कि हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा भू-भाग है तो दूर दराज के इलाके के अन्दर यह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल सर्जिकल यूनिट का गठन किया गया था। पापुलेशन बढ़ गई दो साल के अन्दर, बीमारियां बढ़ गईं, लोगों की डिमांड बढ़ गई पर आपके मोबाइल सर्जिकल का बजट जितना पहले था, उतना ही अब है। न आपके व्हीकल्स चेंज हुए, एम्बुलेंस ऐसी है कि न तो उसके अन्दर उपकरण हैं और एक जगह से दूसरी जगह मरीज को ले जाने में तीन बार रुकती है तो क्या आप इसके बजट पर पुनर्विचार करके इस बजट को बढ़ायेंगे ? और दूर-दराज के इलाकों में इस तरह के ज्यादा कैम्प लगाने की आपकी कोई योजना है ? दूसरा, इसकी प्लानिंग इतनी डिफेक्टिव है कि आपने जो सूची दी है उस सूची के अन्दर जो मोतियाबिन्द के आपरेशन हैं, हजारों की संख्या में आपने मोतियाबिंद के आपरेशन किये और सरकार का पैसा खर्च किया। आपको मोतियाबिंद के आपरेशन मोबाइल सर्जिकल कैम्प से करने की जरूरत क्या है जब नेशनल ब्लाइंडनैस कंट्रोल प्रोग्राम है जिसमें केन्द्र सरकार शत-प्रतिशत

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

पैसा आपको देती है तो आप इसमें से पैसा उठाकर के क्यों करना चाहते हैं और यदि मोबाइल सर्जिकल कैम्प से उसका आपरेशन करते हैं तो वह धन आप केन्द्र सरकार से क्यों नहीं मांगते ? दूसरा, बजट निरन्तर गिरता जा रहा है, कर्मचारियों की संख्या निरन्तर गिरती जा रही है, कैम्प की संख्या गिरती जा रही है और आपरेशन की लिस्ट देखें तो ऐसे छोटे-छोटे आपरेशन हैं जिनको वहां करने की जरूरत ही नहीं है। कोई बड़े आपरेशन गरीब के झौपड़े में जाकर करें तब तो फायदा हो और इतनी एड आ रही है, वर्ल्ड बैंक की एड आ रही है, एशियन डवलपमेंट बैंक की एड आ रही है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें, भाषण नहीं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : उस एड से पिछले दो साल में एक भी पैसा मोबाइल सर्जिकल कैम्प में नहीं बढ़ाया गया।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कि मोबाइल सर्जिकल यूनिट जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, यह बात सही है कि इसका उद्देश्य दूर-दराज के गांवों में जहां पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं वहां पर इंटिरियर में जाकर के कैम्प आर्गेनाइज करना और वहां उस क्षेत्र की जनता को लाभ देने का ही है और उसी उद्देश्य से राजस्थान के कोने-कोने में ये सर्जिकल यूनिट कैम्प्स आर्गेनाइज कर रही हैं। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने तो इनके अलावा संजीवनी कैम्प्स के माध्यम से ग्रामीण जनता को पूरी सर्जिकल प्राब्लम्स से राहत दी है। इनके अलावा 150 से ज्यादा हमने संजीवनी कैम्प्स भी लगाये हैं जिसमें हमने ग्रामीण जनता को सीधा-सीधा इसका लाभ दिया है। इसमें बजट प्रावधान को निश्चित रूप से इस बार जो हमारी सर्जिकल यूनिट्स हैं इनको इम्प्रूव करने का सरकार का मानस है और निश्चित रूप से मोबाइल सर्जिकल यूनिट के जहां-जहां भी कैम्प आर्गेनाइज होते हैं, आप कहते हो कि बहुत छोटे-छोटे आपरेशन किये गये, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो मेरे खयाल से बहुत मैजर आपरेशन इस मोबाइल सर्जिकल यूनिट द्वारा किये जा रहे हैं, वो छोटे आपरेशन नहीं हैं जो गरीब जनता के लिए बहुत हितकारी रहते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : एक पिछली बार यह घोषणा की गई थी बजट के अन्दर की टेली-मेडिसन योजना से भी इसको जोड़ा जाएगा। प्रतिवेदन में भी यह लिखा है कि टेली-मेडिसन से जोड़ा जाएगा। इसरो ने पूरी सुविधा प्रदान

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जब रूरल हैल्थ प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो क्यों नहीं इस मोबाइल सर्जिकल कैम्प को टेलिमेडिसन से जोड़ा जाता, जिससे दूर-दराज के गरीब आदमी को टेलिमेडिसन से बड़े-बड़े विशेषज्ञ जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं उनका लाभ प्राप्त हो सके।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, टेलिमेडिसन परियोजना में भी हमारी मोबाइल यूनिट्स हम तैयार कर रहे हैं मोबाइल वैन्स जो इससे सुसज्जित होंगी, वो भी उसमें हैं। टेलिमेडिसन परियोजना का भी शुभारम्भ किया गया है, पूरे जिले इक्यूप्ड होने हैं, इस महीने में सारे जिलों में इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी तो मोबाइल सर्जिकल यूनिट को भी हम उससे कनेक्टेड रखेंगे, इसको अलग नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक्सपर्ट ने पूछ लिये सब प्रश्न, अब आप क्या पूछेंगे ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मैं साधारण पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी जिक्र किया कि संजीवनी और दूसरी अनेक योजनाओं से आप दूर-दराज में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम करते हैं। आप 19 तारीख को सिरोही जिले के सरूपगंज के आदिवासी क्षेत्र में गये थे और वहां लोग आपसे मिले। एक आदिवासी के बच्चे का दिल बाहर निकला हुआ था और वह सरूपगंज के अस्पताल में भर्ती था और लोगों ने कहा कि आप उसका इलाज करवाइये और आपने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप 19 तारीख की रात को वहां से रवाना हो गये और 20 को वह बच्चा मर गया। क्या इलाज उपलब्ध कराते हो आप ?

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत इल्जाम है।

श्री संयम लोढ़ा : पाकिस्तान के बच्चे को बंगलौर में लाकर के उसके दिल का आपरेशन कराया था और आपके सामने लाकर लोगों ने खड़ा कर दिया और आप उसका इलाज नहीं करा पाये।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै मिनिस्टर होने के अलावा एक डाक्टर भी हूं और मैं किसी भी पेशेंट के लिए यह बात कह नहीं

(डा. दिगम्बर सिंह)

सकता कि मरीज को मैं देखने नहीं जा रहा... (व्यवधान) .... यह बिलकुल बेकार बात है।

श्री संयम लोढ़ा : आप बताइये कि 19 तारीख को आप सरूपगंज के दासा इलाके में हास्पिटल का उदघाटन करने गये थे या नहीं गये थे ?

डा. दिगम्बर सिंह : मैं गया था।

श्री संयम लोढ़ा : आपने दो समारोह में उदघाटन किया पर उस गरीब के बच्चे के लिए आपके मन में कोई पीड़ा नहीं हुई और आपके जाने के बाद 20 तारीख को उसी हास्पिटल में उसने दम तोड़ दिया.... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : .....यह बिलकुल गलत आरोप है... (व्यवधान) इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : ....उस गरीब आदमी के बच्चे को दम तोड़ना पड़ा और आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया उसके लिए .... (व्यवधान) आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया उस बच्चे के लिए... (व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) : वहां का स्थानीय विधायक मैं हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। (व्यवधान) आप क्या जानें... (व्यवधान) बिना तथ्यों के आधार पर ऐसे आरोप.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट आप मंत्रीजी का जवाब तो सुनें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप जवाब तो सुनिये उनका। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी संवेदनहीनता क्या... (व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया : मंत्री महोदय ने यह कभी नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : गरीब के बच्चे की जान बचाने के लिए कहा जाए और वह कह दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया : आपने आज दिन तक गरीब को कभी पूछा भी है ? हमारी सरकार ने पूरे अस्पताल की व्यवस्था की। सही प्रकार से अच्छी व्यवस्था चल रही है और डाक्टरों की जाकरूकता में कहीं कमी नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं 19 तारीख को सिरोही जिले के इलाके में गया था यह बात सही है। वहां पर एक सब सैण्टर की एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी तो उसका उदघाटन मैंने किया था। यह बात सही है। पिछली बार एक पी. एच. सी. नई खोली थी उसका उदघाटन मैंने किया था, यह बात सही है और वहां की ग्रामीण जनता ने जिस कदर स्वागत सत्कार किया उससे जलकर, भुनकर यह बात यहां पर की जा रही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो वह क्षेत्र भी नहीं पड़ता है और आपके स्वागत से हम ईर्ष्या करने वाले नहीं हैं, आपके फर्ज की याद दिला रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बच्चे को लाकर के बंगलौर में आपरेशन करवाया था, आप बहुत अच्छे होते, आप कहते कि इस बच्चे को मेरे साथ गाड़ी में भेजिये, मैं मुख्य मंत्रीजी से कहकर इसका जयपुर में इलाज कराऊंगा। इससे बड़ी लानत नहीं है और राजस्थान पत्रिका ने आपके उद्गारों को लिखा है, छापा है उसके अन्दर। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : यह बिलकुल बेबुनियाद आरोप हैं, राजनैतिक आरोप हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : 20 तारीख को नहीं मरा है मंत्रीजी, यह आप बता दें, सदन में कह दें आप, या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दे देना। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : इस्तीफा तो आपको झूठ बोलने के लिए देना ही पड़ेगा। झूठ बोलने के लिए इस्तीफा तो आपको देना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : मेरे से कोई भी व्यक्ति नहीं मिला और वहां मैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री समाराम गरासिया : अस्पताल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई और प्रशासन की कोई भी लापरवाही से आज दिन तक कोई भी बच्चा नहीं मरा हमारे अस्पताल में। अंधविश्वासों को लेकर चलते हैं लोग, इस तरीके से यह मौतें हुई हैं। अखबारों में जो लीपापोती हुई है, वह बिलकुल सरासर गलत है। यह माननीय विधायकजी, जो पूर्व की सरकार में बैठे हुए थे तो इस तरह की जानकारी और दु:ख को व्यक्त नहीं किया और ये भावी सोम शर्मा की तरह एम.पी. के चुनाव की बाजी लेते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह किशनाराम भैराराम गरासिया का बच्चा, रूपना सरकारी खेड़ा का बच्चा स्वरूपगंज के अस्पताल में भर्ती था, उसका दिल बाहर निकला हुआ था। 19 तारीख को मंत्रीजी वहां थे और 20 तारीख को वह बच्चा मरा है, अस्पताल के अन्दर मरा है। (व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सरासर गलत है और बिलकुल गलत है, ऐसी कहीं भी अस्पताल में मौत नहीं हुई और यह 19 तारीख की है या 20 तारीख की है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से माननीय विधायक कह रहे हैं, यह सरासर गलत है और ये कह रहे हैं, मैं चैलेंज देता हूं तो आप इस्तीफा लिखकर दो या मैं लिखकर देता हूं कि इस तरह की मौत हुई है अस्पताल के अन्दर, क्या बात करते हो आप ? हां, मैं बैठा हूं।

श्री ओम बिरला : वहां के हमारे माननीय विधायक कह रहे हैं, या तो आप इस्तीफा दो और नहीं तो ये दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : अभी लिखकर देता हूं, चलो आप भी दो। (व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया : ...आपके क्षेत्र की जनता रो रही है, मर रही है। आपने कभी उनको देखा है, उनका दु:ख है क्या आपको ? (व्यवधान) आप जब पूर्व की सरकार में बैठे हुए थे तो जनता रो रही थी, अखबारों के अन्दर लीपापोती कर रहे थे तब...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से इस्तीफा देने लग गये तो सरकार पर अनावश्यक रूप से चुनाव का खर्चा बढ़ जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा : लो, मैं लिखकर देता हूं इस्तीफा। (व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया : लोग रोज मर रहे हैं शिवगंज में, कभी उनके दु:ख दर्द को नहीं देखा और यहां कह रहे हैं कि हम पूरे क्षेत्र में घूम लिये और पूरे जिले को कवर कर लिया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को इस बात का निर्देश दें कि वह संवेदनशीलता दिखायें, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जोगाराम पटेल : ...या तो आप इस्तीफा दो। आपने सदन में कहा

(श्री जोगाराम पटेल)

है, वह आप पहले इस्तीफा दो, पहले इस्तीफा दो, बाद में बात करो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : इस्तीफा दो, बोलो, अभी तैयार हो जायेगी। आप इस्तीफा दो, इस्तीफा लिखकर दो। (व्यवधान) खाली कागज नहीं, खाली कागज नहीं, इस्तीफा लिखकर दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया : कागज पर इस्तीफा नहीं माना जाता है अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य इस्तीफा देना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, हमारा दल इससे सहमत नहीं है इस्तीफे से।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, आप बिराजिये। मैं आपको मौका दूंगी, आप बैठो तो सही। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : फैसला करो। प्रश्नकाल में आरोप लगाना छोड़ो।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, मुझे कहने दीजिये ना। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से मुझे यह कहना है कि आपके मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने में और यह कोई कायदा नहीं है कि जब कोई एलीगेशन लगाये और उसके बाद आप बीच में खड़े होकर सवाल जवाब करने लग जायें, यह तरीका बिलकुल गलत है लेकिन सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य से मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि दिल जब बाहर था तो वह पैदा ही दिल बाहर लेकर हुआ होगा और ऐसे छोटे बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता है। वह डाक्टर अपनी डाक्टरी कर भी लेता तो भी बहुत मुश्किल था इसलिए आप इस बात का आक्षेप नहीं लगायें कि वह खतम हो गया लेकिन मंत्रीजी ने नहीं देखा या नहीं बात सुनी तो वह अलग बात है। बाकी यह आक्षेप लगाना क्योंकि जो एबनोर्मल इस तरीके से पैदा हुआ उसको तो बचाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन आप लोग बीच में उत्तेजित होकर बीच में बोलें, टोकने लग जाते हैं तो यह उचित नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य की आदत में आ गया है, गलत आरोप लगाना, मिथ्या बातें करना और मैं खुद कहता हूं कि मंत्री के अलावा एक डाक्टर का दिल भी मेरे अन्दर है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

मेरे ऐसे कोई पेशेंट को छोड़कर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। मैं वहां गया था सिरोही में, मेरे खुद बहुत जल्दी के अन्य कार्यक्रम थे परन्तु यह बात सही है कि वहां के आदिवासी इलाके के लोगों ने जितना स्वागत-सत्कार किया, ऐतिहासिक कार्यक्रम था क्योंकि हमने, इस सरकार ने वहां के इंटीरियर्स में जाकर नये अस्पताल खोले जिसकी बहुत ज्यादा खुशी उन लोगों के अन्दर थी और मेरे से कोई भी प्रतिनिधि मण्डल, कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर नहीं मिला कि इस तरह का कोई बच्चा एडमिट है। मैं जानता हूं कि यह कंजेनिटल एनोमली है, कोई इसका इलाज हो नहीं सकता था। अगर मुझे यह सूचना मिलती तो हो सकता है मैं वहां से उसको जयपुर शिफ्ट कराने की या कोई व्यवस्था करता परन्तु मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। यह बिलकुल निराधार बात आप करते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप एक जांच समिति गठित कर दीजिये। आप एक जांच समिति गठित कर दीजिये। वह जांच समिति बीजेपी या दूसरे लोगों की गठित कर दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने जो आरोप लगाया है, सदन में जो घोषणा की है वह...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : वह अपने आप जांच करके बता देंगे कि मंत्रीजी ने कहा कि नहीं कहा और आप कहें तो मैं अभी फैक्स मंगवाता हूं राजस्थान पत्रिका में क्या छपा है, अभी मंगवाता हूं, एक घंटे के अन्दर मंगवाता हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : यह बिलकुल गलत बात है, यह तो गलत तरीका है आपका।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वहां के विधायक हैं। अगर आप पहले से जानते थे तो आपको पहले बात करनी चाहिए थी। (व्यवधान) और मैं नहीं करता तो यह मेरी जिम्मेदारी थी। आप केवल अखबारों के आधार पर बात कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं सिरोही का विधायक हूं, पिंडवाड़ा का नहीं हूं मैं और यह पिंडवाड़ा एरिये की बात है।

श्री समाराम गरासिया : हां हां, मैं वहां का विधायक हूं, मुझे जानकारी है, कमेटी गठित करो मैं सहमत हूं। क्या बात करते हो ? आप अपने क्षेत्र का ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलें।

डा. दिगम्बर सिंह : आपने वहां का जन-प्रतिनिधि होने के नाते कुछ भी काम नहीं किया है, आपने वहां किया क्या? उस गरीब मरीज के लिए बता दीजिये ना कि आपने क्या किया?

श्री संयम लोढ़ा : उस बच्चे का फोटो छपा है, दिल निकला हुआ फोटो छपा है।

डा. सी.पी. जोशी : उस पी.एच.सी. का उदघाटन करने गये अध्यक्ष महोदय, तो उस पी.एच.सी. के डाक्टर का कर्तव्य होता कि अच्छा था कि मंत्री के नोटिस में यह लाते कि इस तरह का पेशेंट भरती है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : यह वहां के विधायक के नोटिस में लाये क्या....

डा. सी.पी. जोशी : विधायक वहां के नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मेरा एरिया नहीं पड़ता है, मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता है।

श्री वासुदेव देवनानी : मानवता के नाते नोटिस में लाते....

श्री संयम लोढ़ा : मुझे तो जब बच्चा मरा तब मालूम पडा और मंत्रीजी....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह वहां के विधायक नहीं हैं, आप कहां बोल रहे हैं। आप वहां के विधायक नहीं हैं। क्या मतलब है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं हैं तो क्या हो गया।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब है। यह कोई तरीका थोड़े ही है। अध्यक्ष महोदय, आज मंत्रीजी वहां पर गये....

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह वहां के विधायक नहीं हैं। यह वहां के विधायक हैं जिनको पूरी स्थिति मालूम है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह तो खुद ही आपके साथ फीते काटते घूम रहे थे। (व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया : मैं वहां का विधायक हूं, आपको वहां की चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिवगंज में क्या हो रहा है, इनको ध्यान ही नहीं है।

श्री समाराम गरासिया : हां, वह तो फोटो छपा है, वह तो आपके हैं वहां फोटो छापने वाले, इस तरह की झूठी फोटो छापने वाले खूब हैं हमारे वहां। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और आप क्या स्वागत की बात करते हो ? 37 पोस्टें सिरोही जिले में खाली पड़ी हैं, क्या स्वागत की बात करते हो आप ? 81 में से 37 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, डाक्टर नहीं है वहां पर।

डा. दिगम्बर सिंह : केवल विधान सभा में हंगामा करने का काम किया। आपने क्या कार्यवाही की उसकी मदद करने के लिए, वह बता दीजिये।

श्री संयम लोढ़ा : और तीन-तीन पी.ए.सी. तो ऐसी हैं नांडिया, पहाड़ी और तवरी, जिसमें एक भी डाक्टर नहीं है, क्या आप बात कर रहे हो ? तीन पी.ए.सी. में तो एक भी डाक्टर नहीं है। कह दो, हो तो बता दो आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको उस बच्चे को बचाना चाहिए, उस पेशेंट को देखते हुए आप उसको जयपुर में शिफ्ट नहीं कर सकते थे, मंत्रीजी से प्रार्थना नहीं कर सकते थे, वहां के सी.एम.एच.ओ. को नहीं कह सकते थे, वहां पर देखते रहे, बच्चे को भगवान भरोसे छोड़ दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता है, मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता है लेकिन मंत्रीजी का पड़ता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी का भी क्षेत्र पड़ता है।

डा. दिगम्बर सिंह : यह तो विधान सभा में हंगामा करने के लिए, हल्ला मचाने के लिए बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अगर सच्चाई राजस्थान की जनता के सामने लानी है तो मैं आवसे निवेदन करना चाहता हूं, आप एक जांच

(श्री संयम लोढ़ा)

समिति बैठा दीजिये जिसमें मालूम पड़ जाय कि मंत्रीजी कितने संवदेनहीन हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आप राजनीति तो पूरे राजस्थान में करते हो, पट्टा थोड़े ही है बीजेपी का। इलाज करवाते ठीक ढंग से। आप उसकी मदद करते। इस तरह से असत्य आरोप नहीं लगाते। अगर इतना ही दर्द था तो इसको लाते, यहां इलाज करवाते। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह इस सरकार की पराकाष्ठा है संवदेनहीनता की, मैं आपसे आग्रह करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक समिति का गठन कीजिये, जांच समिति का गठन कीजिये, जिसमें यह मालूम पड़ सके कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी की भूमिका क्या रही है ? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हृदय जिन जिनके बाहर हैं...

डा. दिगम्बर सिंह : या तो सदन में इसकी जांच करा लीजिये आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य हैं....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : नहीं अध्यक्ष महोदय, जांच करा लें, क्या दिक्कत है। मुझे बड़ा अफसोस है, पड़ा है, तकलीफ है कि आप जैसे डाक्टर व्यक्ति ने इस तरह की हिमाकत की है, एक गरीब को भगवान भरोसे छोड़कर निकल गये आप, मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : आपने केवल विधान सभा में हल्ला मचाने का ठेका ले रखा है।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की जनता की पीड़ा को मैं देखता हूं, उसको उठाता हूं मैं, आपकी मेहरबानी से यहां पर नहीं आया हूं।

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उस क्षेत्र से एम.एल.ए. नहीं थे तो आप कुछ कर सकते थे, आपने क्या किया अपने स्तर

(श्री हीरालाल)

पर ? आपने क्यों नहीं किया ? जब आपका क्षेत्र नहीं था तो आपने क्या किया ? आप भी वहां के माननीय सदस्य हैं, आपको भी अपने स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए थी, आपने क्या कार्यवाही की अपने स्तर पर ? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, यहां पर काफी गम्भीर चर्चा हो रही है। एक तरफ तो दिल बाहर रखकर और स्वागत करने की बात हो रही है और एक दिल बाहर रखे हुए हैं, एम.एल.ए. साहब को सूचना नहीं दी। इसमें समिति की बात नहीं है, इसमें गम्भीरता से लेना चाहिए लेकिन आगे भी हाउस चले, मेरे ख्याल से आप लोग सहमत होंगे इसमें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है, इस तरह के मामलों में सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस तरह की संवेदनशीलता जो मंत्री स्तर के व्यक्ति ने की है, आप जांच कराइये उसकी, अगर जो भी नतीजा आएगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन केवल इतना ही है...

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इतना गम्भीर मामला था और आरोप आप मंत्री पर लगा रहे हैं तो इसको इस सप्लीमेंट्री में नहीं पूछना चाहिए था, किसी और नियम से आते और इस पर गम्भीर चर्चा करवाते और इसका जवाब लेते।

श्री संयम लोढ़ा : आप व्यवस्था दे दीजिये अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने प्रश्न इसी में पूछा है। प्रश्न कुछ और है, आप बीच में खड़े हो गये और आपने इतना गम्भीर आरोप लगा दिया।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने दूर-दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की बात की, तब मैंने यह प्रश्न खड़ा किया। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : आप व्यवस्था दें दीजिये अध्यक्ष महोदय। सदन आपके कहने से नहीं चलती माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य काफी समझदार व्यक्ति हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो क्षमा याचना कीजिये राजस्थान की जनता से, ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जिसके लिए आपका दिल भी कभी माफ नहीं करेगा। (व्यवधान) यह जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह लिखकर लेना भी आवश्यक है इस प्रकार से। (व्यवधान) यदि मंत्रीजी ने लापरवाही की है....(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : आप पहले ऐसे व्यक्ति हो, गलत आरोप लगाने के लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी और आगे परिणाम सामने देख लेना। ऐसे झूठे आरोप बेबुनियाद आरोप लगाते हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जैसा माननीय सदस्य ने कहा है लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं कि गलत आरोप लगा रहे हैं तो यह सदन में कहें, आप प्रस्ताव तो मंजूर करें। इसके लिए इन्होंने घोषणा की है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी दण्ड देगी यदि गलत हुआ तो, जो भी सजा होगी तो मैं भुगतूंगा। आज इस सदन में कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जो भी दण्ड देगी, मैं भुगतूंगा, मैं कह रहा हूं, पूरी निष्ठा से कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप लिखकर देओ, खाली कागज रखकर गये हैं। खाली कागज रखकर गये हैं। आप लिखकर देओ जो घोषणा की है, मदगानी की घोषणा है तो आप लिखकर देओ। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी वहां गये, स्वागत हुआ, मंत्रीजी अच्छा काम कर रहे हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य के मन में जो पीड़ा है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : काहे की पीड़ा है, कोई पीड़ा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में मत बोलो। माननीय सदस्यगण। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, आप हर बार उत्तेजित हो जाते हैं और बेवजह खड़े हो जाते हैं और कुछ-कुछ कहने लग जाते हैं, उचित नहीं है। उचित नहीं है यह। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि एक साथ इतने लोग खड़े होकर के, माननीय सदस्य बोलने लग जाते हैं, न रिपोर्टर्स को सुनाई देता है, कौन क्या कह रहा है, न मुझे सुनाई देता है, इस तरह से सदन कैसे चलेगा। एक जो माननीय सदस्य खड़े हों, उनकी बात को शांतिपूर्वक सुनकर पूरा मौका आपके पास, जवाब दें आप, क्या दिक्कत है इसमें, मेरी समझ में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो कुछ लिखकर देना है, दे दीजिये और उस पर माननीय मंत्रीजी, आपको जवाब उस पर दे देंगे, दे चुके हैं, और दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हेमराज मीणा।

किशनगंज (बारां) विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

21. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में पेयजल हेतु विगत 2 वर्षों में पेयजल हेतु कहां-कहां पर नवीन योजनाएं स्वीकृत की गयी व इस हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किशनगंज शाहबाद में पेयजल हेतु नवीन योजनाएं प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर व नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र के पेयजल आवश्यकता वाले गांवों में वर्तमान आवश्यकता अनुरूप सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है- नये हैण्ड पम्प का निर्माण- किशनगंज-5, शाहबाद-5 । कुएं किराये पर लेना- किशनगंज-16 । उपरोक्त के अतिरिक्त किशनगंज तहसील के 5 व शाहबाद तहसील के 12 गांवों में आवश्यकता होने पर पेयजल परिवहन भी प्रस्तावित है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर योजनाओं के प्रस्ताव बनाने पर विचार किया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हेमराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि शायद मंत्रीजी को विभाग ने बहुत गुमराह किया है। मेरे क्षेत्र की कम से कम तीन योजनाएं स्वीकृति के लिए प्रस्तावित है। विभाग ने इनको शायद सही जानकारी नहीं दी। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भंवरगढ़ की 98 लाख की पेयजल योजना आपके यहां B.F.C. की मीटिंग के अन्दर प्रस्तावित है। एक वर्ष उसको हो गया, वहां पर पानी का बहुत जबरदस्त क्राइसेस है और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब केलवाणा पधारी थीं, उन्होंने भी उस योजना के लिए कहा था लेकिन अभी तक आपके यहां वह प्रस्ताव ही नहीं आये। सबसे बड़ी खेदजनक बात यह है कि आपका कैसा गैर जिम्मेदाराना जवाब है कि प्रस्ताव भी आपके यहां विचाराधीन नहीं है। दूसरा मैं निवेदन करूंगा आपको, इसी तरह किशनगंज के रानी बड़ौद की एक स्वीकृतशुदा स्कीम जिसके अभी भी एक वर्ष होने के बाद भी टेंडर नहीं हुए, बार-बार टेंडर उसके कैंसिल हो रहे हैं और उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि स्वीकृति के लिए प्रस्तावित नहीं है, आपके यहां योजना। पराणा की योजना दो वर्ष पहले से मंजूर है लेकिन उसका कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि तीनों योजनाएं जो आपके यहां प्रस्तावित हैं, क्या आप इनको स्वीकृत करने का विचार रखते हैं या नहीं, और हां, तो कब तक ?

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य, विभाग ने जो जवाब दिया, बिलकुल ठीक दिया। आपने जो पूछा वह तो पढ़ लो आप खण्ड दो।

श्री हेमराज मीणा : पढ़ लिया मैंने।

श्री सांवर लाल : आपने कहा कि क्या यह सही है कि किशनगंज-शाहबाद में पेयजल हेतु नई योजनाएं प्रस्तावित हैं। किशनगंज विधान सभा क्षेत्र नहीं लिखा आपने। दो कस्बों के नाम लिखे हैं तब मैं क्या जवाब देता, आप बताइये। अब जहां तक आपके भंवरगढ़ की योजना है, भंवरगढ़ की योजना 87 लाख की हमारे पास विचाराधीन है और होली पर आप जाओगे तब आपको स्वीकृति का आदेश दे देंगे, जो दो योजनाएं आपने बताई हैं, उनमें जो भी विलम्ब होगा, मैं जानकारी करके तत्काल कार्यवाही करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हो गया, और क्या चाहिए, धन्यवाद दे दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिशोर मीणा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अजमेर का आप अलग से पूछो ना, थोड़ी-बहुत तकलीफ तो करो, अब आप दूसरे प्रश्न पूछते हैं और आप उसमें बीच में शरीक होना चाहते हैं।

सिकराय विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय की स्थापना

22. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने उपखण्ड ऐसे हैं जहां महाविद्यालय नहीं है ? क्या सरकार जिन उपखण्डों में महाविद्यालय नहीं है वहां महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विधान सभा क्षेत्र सिकराय में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी) : (1) राज्य में 15 उपखण्ड ऐसे हैं जहां महाविद्यालय नहीं है। वर्तमान में जारी सत्र 2006-07 की महाविद्यालय खोलने की नीति के तहत इन उपखण्डों में निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला जाना फिलहाल प्रस्तावित नहीं है। यदि महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से स्ववित्तपोषित योजना में सिकराय में महाविद्यालय प्रारम्भ करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो राज्य सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत नम्बर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यह निजी महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार की जो नीति है उसमें क्या छूट प्रदान की गई है। दूसरा है, महाविद्यालय खोलने के लिए क्या निर्धारित मापदण्ड हैं। तीसरा, क्या सरकार ने यह सर्वे करवाया है कि सीनियर सैकण्डरी स्कूल तक के अध्ययन के पश्चात् कितनी छात्राएं आगे कालेज की शिक्षा लेने से वंचित रह जाती हैं, इस प्रकार का क्या कोई सरकार ने सर्वे करवाया है ?

श्री वासुदेव देवनानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पिछले वर्ष कुल 52 उपखण्ड ऐसे थे जहां महाविद्यालय नहीं थे। राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक उपखण्ड पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, इसलिए हमने इस क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने के लिए छूट दी जिसमें पहली छूट थी कि एफडीआर में 75 प्रतिशत की हमने छूट दी है और आवेदन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी। साथ ही तीसरी छूट यह है कि इन क्षेत्रों में आवेदन करने वाली संस्थाओं को तीन वर्ष के किराये के भवन में महाविद्यालय संचालन करने की भी अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत गत वर्ष 38 उपखण्डों में महाविद्यालय खोले गये हैं। इस बार 15 उपखण्ड शेष थे, अभी नये आवेदन हमको कुल 120 प्राप्त हुए हैं जिन 120 में से 13 आवेदन पिछड़े क्षेत्र के हैं जिनमें 6 उपखण्ड कवर हो रहे हैं, 9 उपखण्डों में से अभी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, सरकार का प्रयास है कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र के भी हमको आवेदन प्राप्त हो और प्रत्येक उपखण्ड पर उच्च शिक्षा उपलब्ध हो, यह हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र के ज्यादातर, जो माडा क्षेत्र है या आदिवासी इलाके हैं वहां पर प्राइवेट स्कूल या स्ववित्तपोषित विद्यालय चलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि न तो कोई इतना पैसा लगाने की स्थिति में है और ज्यादातर उनकी शिक्षा छूट देने की वजह से, उनकी फीस नहीं ली जाती, इसके कारण से वह आगे महाविद्यालय लेवल पर वह फीस देने की स्थिति में नहीं होते और इसके कारण से इन क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्र में स्ववित्तपोषित विद्यालय चलने की स्थिति में नहीं होते, क्या सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस क्षेत्र में विशेष तौर से राजकीय महाविद्यालय खोलने का कोई इरादा रखती है और विशेष तौर से महिला महाविद्यालय। क्योंकि मैंने जो एक सर्वे करवाया माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में सीनियर सैकण्डरी करने के बाद में छात्राएं 90 प्रतिशत कालेज में जाना चाहती हैं, उनके अभिभावक पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वह पड़ौस में महाविद्यालय नहीं होने से आगे की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, वह आगे अध्ययन नहीं कर पातीं और वहां पर इस प्रकार की संस्थाएं भी नहीं हैं जो नोमिनल चार्जेज लेकर के महाविद्यालय चला सकें, क्या सरकार का इस प्रकार का विचार है।

श्री वासुदेव देवनानी : सरकार ने महिला महाविद्यालयों के लिए जो प्रयत्न किये, गत दो वर्षों में 75 गर्ल्स कालेजेज खुले हैं, साथ ही इनका जो

(श्री वासुदेव देवनानी)

सिकराय है उसके निकट दो महिला महाविद्यालय हैं। एक सिकराय से 42 किलोमीटर दूर राजकीय महिला महाविद्यालय, दौसा है जहां 784 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसी तरह सिकराय से 23 किलोमीटर दूर स्ववित्तपोषित महिला महाविद्यालय, बांदीकुई में है जहां 189 छात्राएं इस समय अध्ययनरत हैं। इसके अलावा दौसा जिले में इस समय कुल 24 महाविद्यालय हैं जिनमें लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, जिनमें 4 गवर्नमेंट के हैं, 20 यह हैं। जहां तक पिछड़े क्षेत्र की बात है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार की नीति के अनुकूल जिन 38 उपखण्डों में, उसमें सिकराय भी है, जहां पर महाविद्यालय खुल गये हैं और बाकी भी, मसूदा, परबतसर, ऐसे स्थानों पर खुल चुके हैं और इस वर्ष भी बाड़मेर के गुढामालानी जैसे स्थान के लिए भी छह आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं, इसलिए निजी महाविद्यालय आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस नीति के अन्तर्गत हम प्रत्येक उपखण्ड पर महाविद्यालय उपलब्ध करा देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 9 स्थान ऐसे बचे हैं जिन पर कोई आवेदन नहीं है तो मेहरबानी करके राज्य सरकार क्या इस बात पर विचार करेगी जब 9 ही स्थानों पर अगर वियालय सब डिवीजनल हैड क्वार्टर पर खोलना है तो अपने संसाधनों को उपलब्ध करा करके महाविद्यालय खोल दें।

चौ. विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह तो सब डिवीजन की बात है, कुछ जिले ऐसे हैं, जो बाद में बने हैं, वहां जिला हैडक्वार्टर पर महाविद्यालय नहीं है। इस तरह से एक हनुमानगढ़ है यह कृषि प्रधान इलाका है। और यहां एग्रीकल्चर कालेज खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है क्या ? और मैं यह समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, कम से कम जिला हैडक्वार्टर पर तो कालेज की जरूर व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो और हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद या हायर सैकेण्डरी करने के बाद बहुत दूरदराज जाना पड़ता है तो कम से कम जिला हैडक्वार्टर पर जरूर खुलवाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब कस्बे के लोग भवन बना करके जमीन देकर के आपको कालेज की पूरी बिल्डिंग नियमानुसार

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

जितना होता है बनाकर देते हैं तो उसके पश्चात् क्या महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं ?

श्री वासुदेव देवनानी : सरकारी की नीति के अनुसार ऐसे 5 जिला मुख्यालय हैं जहां पर राजकीय गर्ल्स कालेजज नहीं हैं चूरू, धौलपुर, राजसमन्द, हनुमानगढ़ और सीकर इन महाविद्यालयों के लिए सरकार ने एक नीति लागू की है कि राज्य सरकार एक टोकन लीज पर भूमि उपलब्ध करायेगी, भवन निर्माण करा के देगी और वहां कोई स्वयंसेवी संस्था यदि उसे चलाना चाहेगी तो सरकार उसमें सहायक बनेगी ऐसे पांचों जिलों के प्रस्ताव सरकार के पास आ गये हैं और विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है। मैं समझता हूं कि इस वर्ष यदि इन्होंने शुरू किया तो पांचों जिलों में ये कालेजज स्थापित हो जायेंगे।

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय मंत्री महोदय, मैंने निवेदन किया था कि आपको जब हम भवन बना कर के दे रहे हैं, भूमि दे रहे हैं आपके नियमानुसार, उसके बावजूद आपको खोलने में क्या परेशानी है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अब तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उलटा काम यह कर रहे हैं कि हम भवन बनाकर दे रहे हैं, हम भूमि दे रहे हैं आप चलाओ। एक मैं सूचना देना चाहूंगा कि यह जो नीति बदली उससे कल माननीय जोशीजी ने कहा था, उसमें इतना परिवर्तन हुआ है कि राजस्थान में कुल 23 लाख 27 हजार 284 कालेज स्टूडेंट्स हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट के परसेंटेज के हिसाब से 48 हजार होने चाहिए और आज के दिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 47,726 शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थी भर्ती हो गये हैं और 36,710 शिड्यूल्ड ट्राइव के हैं और पहली बार राजस्थान में यह कालेज की शिक्षा नीति बदलने से सब उपखण्डों पर खोलने से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइव के बच्चे सब के बराबर आ गये हैं और राजस्थान पहला राज्य है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमने कालेज के लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद। इन कालेजों को खोलने से एस.सी./एस.टी. का एक भी बच्चा साइंस और कामर्स नहीं ले पा रहा है। आप यह बताइये आपने जो नीति बनायी है जिस नीति के अन्तर्गत आप प्राइवेट कालेज खोल रहे हैं उसमें कामर्स और साइंस फैकल्टी नहीं है तो

(डा. सी.पी. जोशी)

यह एस.सी./एस.टी. के बच्चों के साथ न्याय है या अन्याय है ? सरकार को आगे करना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये कामर्स की और साइंस की फैकल्टी भी शामिल है आर्ट्स की भी शामिल है।

डा. सी.पी. जोशी : मैं फिर आपको निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी, आप पिछली बार भी कह गये जोश में कि राजसमंद में गर्ल्स कालेज खोलेंगे आप चैक कर लें। आप बहुत अति उत्साह में जवाब देते हैं। रिकार्ड में है पिछली बार भी राजसमंद में आपका, आपको बताया मैंने आपके बजट भाषण में लिखा हुआ है कि राजसमंद में कालेज खोलेंगे और आज दिन तक राजसमंद में गर्ल्स कालेज नहीं है। सरकारी कालेज कह दिया आपने। आज ये आंकड़े हैं आर्ट्स के हैं साइंस और कामर्स के विद्यार्थी एस.सी/एस.टी. के नहीं बढ़े हैं जब 12वीं में लड़के नहीं है तो फर्स्ट ईयर में कहां से आ रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये आंकड़े केवल आर्ट्स के नहीं हैं इन आंकड़ों में आर्ट्स साइंस, कामर्स सब के हैं और आपको इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लड़के भी आपके बराबर पढ़ने के लिए आ गये हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मुझे तकलीफ नहीं हो रही है तकलीफ आपको हो रही है आपको तकलीफ हो रही है ...(व्यवधान) साइंस और कामर्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं तकलीफ तो आपको हो रही है।

श्री वासुदेव देवनानी : राजसमन्द जिला मुख्यालय पर गर्ल्स कालेज स्वीकृत हो गया है।

डा. सी.पी. जोशी : आप बता दीजिये साइंस और आर्ट्स के फीगर। आप खड़े होकर बताइये। आपके सेकेट्री बैठे हैं बताइये साइंस और आर्ट्स के फर्स्ट ईयर में कितने लड़के हैं एस.सी./एस.टी. के ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं। सभी सरकारी कालेजों में आर्ट्स और साइंस जो है उनमें सब में एस.सी./एस.टी. के लड़कों का आरक्षण है और उसी अनुपात में उनकी भर्ती भी हुई है।

डा. सी.पी. जोशी : संख्या बताइये संख्या भाषण नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां बता रहा हूं जोशीजी मैं।

डा. सी.पी. जोशी : आपके राज में आने के बाद आपने जो नीति

(डा. सी.पी. जोशी)

बनायी है उससे राजस्थान में एक भी साइंस और कामर्स की फैकल्टी नहीं खुली है और इसमें एस.सी./एस.टी. के लड़के भर्ती नहीं हुए हैं। खाली भाषण दे रहे हैं कि हमने नीति बना दी है। आप फिगर बताइये मंत्रीजी, फीगर बताइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने पांच कालेज खोले थे पांच वर्ष में और एक में भी आपने साइंस नहीं खोली।

डा. सी.पी. जोशी : आपके राज में आने के बाद फर्स्ट ईयर में साइंस और कामर्स के कितने लड़के हैं बताइये आप ?

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, पांच साल में पांच नहीं हमारी सरकार ने पहले साल में 13 कालेज खोले थे फर्स्ट ईयर में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांच वर्ष में सिर्फ पांच कालेज खोले थे और दो वर्ष में हमने 344 कालेज खोले हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपने पांच सौ खोले होंगे साइंस और आर्ट्स के फीगर बताइये। भाषण दे रहे हैं। साइंस और कामर्स का एक भी कालेज आपने नहीं खोला है एस.सी./एस.टी. का लड़का आर्ट्स पढ़े, इनकंपीटेंट आदमी से पढ़े, साइंस, कामर्स नहीं पढ़ सके। यह आपके ऊपर आरोप है। आप खड़े होकर बताइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आरोप है कि पांच वर्ष में आपने पांच कालेज खोले उनमें एक भी साइंस का नहीं खोला हमने जो कालेज खोले हैं उनमें सबमें साइंस के स्टूडेंट्स हैं।

डा. सी.पी. जोशी : एक भी कालेज नहीं खोला है आपने एक भी साइंस की फैकल्टी नहीं खोली है। माननीय मंत्रीजी, एक भी साइंस और कामर्स की फैकल्टी नहीं खोली है। लड़के ही नहीं है हजार लड़के साइंस और कामर्स में। भाषण दिये जा रहे हैं हमने यह कर दिया वो कर दिया। (व्यवधान) फीगर बताइये आप फीगर। 44 एम.एल.ए. एस.सी./एस.टी. के बैठे हुए हैं फीगर बताइये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां बता रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : खाली मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं अपनी परफार्मेंस बता रहे हैं। आप फीगर बताइये आपके सेकेट्री बैठे हुए हैं फीगर बताइये

(डा. सी.पी. जोशी)

आप। बताइये एस.सी./एस.टी. के लड़के कितने साइंस और कामर्स में भर्ती हुए हैं बताइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां फिगर हैं। एस.सी./एस.टी. के सारे लड़के आपने पढ़ाना बन्द कर दिये थे हमने चालू कर दिया।

डा. सी.पी. जोशी : हमने तो ताला लगा दिया था गिनती बनायी थी आप बताइये। हमने तो ताला लगाया है हमने तो गिनती बनाई है इसलिए बैठे हैं यहां पर। आपकी नीति से एक भी लड़का साइंस और कामर्स में एस.सी. और एस.टी. का भर्ती नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने पांच कालेज खोले हैं पांच में एक भी साइंस और कामर्स नहीं खोली है और आपने कालेज खोलना बन्द कर दिया था।

डा. सी.पी. जोशी : आप एस.सी./एस.टी. के साथ अन्याय कर रहे हो राज कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, 44 आदमी बैठे हुए हैं, एक भी आदमी के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। बताइये फीगर बताइये भाषण देने से काम नहीं चलेगा फीगर बताइये आप।

श्री वासुदेव देवनानी : माननीय विधायक महोदय, हमारी सरकार ने ...

श्री सांवर लाल : माननीय जोशीजी, लड़के विषय अपने हिसाब से अपनी इच्छा के हिसाब से सलेक्ट करते हैं और मेरी बात सुनिये आप।

डा. सी.पी. जोशी : डा. साहब एग्रीड। आपके प्राइवेट कालेज में फैकल्टी नहीं है कहां से आएंगे लड़के? आप बताइये जितने कालेज खोले हैं प्राइवेट में उनमें एक में भी साइंस फैकल्टी नहीं है, खोली हो तो बताइये आप?

श्री सांवर लाल : जब मैं कामर्स कालेज में गया तो उस समय 60% का नम्बर नहीं आता था आज वहां 45% वाले भी एडमिशन नहीं लेते हैं ट्रेंड देखिये आप। लड़के अपनी इच्छा के हिसाब से फैकल्टी का चयन करते हैं .. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : डा.साहब एक भी प्राइवेट कालेज में फैकल्टी खोली हो तो बताइये आप।

श्री सांवर लाल : जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं उनमें आट्र्स वाले भी पीछे नहीं रहते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मान्यवर, आप तो एक भी फैकल्टी खोली हो वो बताइये प्राइवेट कालेज में साइंस और कामर्स की?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, अभी तीन खोले हैं थानागाजी, खैरवाड़ा और झुंझुनूं तीनों सरकारी कालेजों में साइंस फैकल्टी है। आपने पांच खोले पांचों में एक में भी नहीं खोला है।

डा. सी.पी. जोशी : मान्यवर, प्राइवेट की पूछ रहा हूं मैं। हल्ला करने से नहीं होता है प्राइवेट के सवा सौ कालेज खोले हैं उनमें एक में भी साइंस, कामर्स नहीं है। तीन का नाम ले रहे हैं आपने सवा सौ प्राइवेट कालेज खोले हैं एक में भी साइंस और कामर्स नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीनों में है झुंझुनूं, खैरवाड़ा, थानागाजी तीनों में साइंस की फैकल्टी है।

डा. सी.पी. जोशी : श्रीमान् 125 प्राइवेट कालेज का बोलिये आप भाषण दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकारी में भी हमने खोली है आपने तो नहीं खोली।

डा. सी.पी. जोशी : आप बताइये लड़के इन तीन कालेजों में भी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता रहा हूं आप विराजिये। जब तारीफ हो रही थी गजरे के फूलों की तो खामोश बैठे रहे,...

डा. सी.पी. जोशी : ये सब सुनाइये पार्टी मीटिंग में यहां तो फीगर दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां दे रहा हूं। ... और जब जख्में जिगर हमने दिखाया तो बुरा मान गई।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं हम तो नहीं मान रहे हैं वो जख्मे जिगर तो आप मुख्य मंत्री को बताइये हमें मत बताइये।

श्री संयम लोढ़ा : ये जख्म बगल वालों को दिखाओ बगल वालों को।

डा. सी.पी. जोशी : आप बताइये लड़के बोलिये। लड़के बताइये।

श्री संयम लोढ़ा : ये जख्म उधर दिखाओ।

डा. सी.पी. जोशी : साइंस फैकल्टी में लड़के बताओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जितने लड़के थे सब भर्ती हो गये।

डा. सी.पी. जोशी : सब भर्ती हो गये आर.एस.एस. का कार्यालय थोड़े

(डा. सी.पी. जोशी)

ही है। एक भी साइंस और कामर्स का लड़का मेरा आरोप है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार पर आरोप है कि सरकार ने प्राइवेट कालेज के नाम पर एस.सी./एस.टी. के साथ अन्याय किया है साइंस और कामर्स फैकल्टी नहीं खोली है लड़के आगे नहीं पढ़ सके। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आर.एस.एस. कहां से आ गया? हर मुद्दे पर आर.एस.एस. और कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास और कोई मुद्दा हो तो बताइये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : बार-बार आर.एस.एस. पर आरोप लगाया जा रहा है आपके पास आर.एस.एस. के सिवाय और कोई मुद्दा है कि नहीं ? आर.एस.एस. की वजह से आप जीवित हो वरना आज तक चले गये होते आप लोग।

डा. सी.पी. जोशी : हम आरती उतार रहे थे आपकी।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य दो दिन तो आप चुप रहे और आज फिर लग गये।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं, मैं माफी मांग लूंगा। वह बताये दो साल में इस सरकार ने प्राइवेट कालेज खोले 125, वह उपखण्ड हैं जहां एसटी, एससी, के लोग ज्यादा रहते हैं एक में भी इन्होंने साइंस की फैकल्टी नहीं खोली है। आप भाषण देना चाह रहे हैं, हम बता रहे हैं। दो साल में आपने गरीब आदमी के साथ अन्याय किया है और खाली भाषण दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप सरासर गलत है। सरकार ने तीन कालेज खोले तीनों में साइंस की फैकल्टी खोली और तीनों में उनकी संख्या को हमने पूरा किया।

डा. सी.पी. जोशी : लडके बताइए आप लडके, भाषण दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी। भाषण की बात नहीं है, लड़के बता रहा हूं आप सुनिये, सुनने का माद्दा रखिये।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत ज्यादा माद्दा है। 750 लैक्चरर भर्ती कर देंगे बजट में लिखा है, एक भी भर्ती नहीं किया । भाषण दिये जा रहे हो बराबर।

(डा. सी.पी. जोशी)

2004-05 में 750 लैक्चरर भर्ती कर देंगे एक आदमी को भर्ती नहीं किया और भाषण दिये जा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बडी तकलीफ यह है कि अभी कल ही इन्होंने आंकडा दिया था उसमें कांग्रेस पार्टी के समय में एससी, एसटी की संख्या कम थी और चूंकि राजस्थान में इतने कालेज खोलने से एससी, एसटी की 17 परसेंट और 12 परसेंट संख्या बराबर भर्ती हो गई है इसलिए इनको तकलीफ हो रही है।

डा. सी.पी. जोशी : साइंस और कामर्स के लडके बताइए भाषण दिये जा रहे हैं। अपनी गलती तो मान नहीं रहे हैं और भाषण दिये जा रहे हैं। यह आप अपने लोगों को खुश कर रहे हो । (व्यवधान) आप फीगर बताइये, भाषण दिये जा रहे हैं, फीगर आपके पास है नहीं। खाली कहे जा रहे हैं हमने यह कर दिया, वह कर दिया।

श्री सांवर लाल : आप किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं जोशीजी।

डा. सी.पी. जोशी : जिस सब्जेक्ट में आप हैं उसमें नहीं हूं।

श्री सांवर लाल : आप यहां पर आट्र्स को डिमोरलाइज करना चाहते हो। जो बच्चा जो पढ़ना चाहेगा वही पढ़ेगा आप जबरदस्ती भर्ती कराना चाहते हो।

डा. सी.पी. जोशी : जी, हां साहब। जिस सरकार का धर्म है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सारी सुविधाएं राजस्थान में है (व्यवधान) राजस्थान में हर प्रकार की शिक्षा की सुविधा है...(व्यवधान) जबरदस्ती अपनी मर्जी से भर्ती कराओगे क्या।

डा. सी.पी. जोशी : यह राज का धर्म बनता है कि एससी, एसटी के साथ हम न्याय करें।

श्री सांवर लाल : लडका जो पढ़ना चाहता है वही पढ़ेगा।

डा.सी.पी.जोशी : कहां से पढ़ेगा आपके घर आकर पढ़ेगा क्या वहां साइंस फैकेल्टी ही नहीं है।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं आपने किस प्रकार प्राइवेट कालेज खोले थे। प्राइवेट कालेज में जो प्राइवेट संस्थाएं हैं ..(व्यवधान) उसी सब्जेक्ट का वहां महाविद्यालय खोला जाता है। (व्यवधान)

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं आप बताये आपने प्राइवेट कालेज किस प्रकार से खोले थे। प्राइवेट कालेज किस प्रकार से खोले थे।

डा. सी.पी. जोशी : यहां बैठने के लिये खोले थे।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : निजी महाविद्यालय जिस प्रकार से आवेदन करते हैं उसको परमिशन दी जाती है, आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं आपने किस प्रकार खोले थे आप बताइये।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल कितना महत्वपूर्ण है आये दिन शोर-शराबे में प्रश्नकाल समाप्त कर दिया जाता है इससे हमारा दल तो बिलकुल ही सहमत नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 32 जिलों में मात्र 4 जिला हैडक्वाटर ऐसे हैं जहां आज तक भी गर्ल्स गवर्नमेंट कालेज नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है और उनका तो गृह जिला भी जहां बड़ी शिक्षा के प्रसार की बात कर रहे हैं और राजस्थान में मात्र 4 जिला हैडक्वाटर ऐसे हैं ? क्या मंत्री महोदय उन 4 जिला हैडक्वाटर पर सरकारी कालेज खोलने का इरादा रखते हैं। जिससे कम से कम राजस्थान में एकरूपता आये। कम से कम सीकर जिसमें आप पढ़कर आये हैं और उसमें गर्ल्स गवर्नमेंट कालेज नहीं है तो 4 जिला हैडक्वार्टर पर सरकारी गर्ल्स कालेज खोलकर राजस्थान में जहां महिला मुख्य मंत्री, महिला राज्यपाल, महिला विधान सभा अध्यक्ष हैं और कम से कम महिलाओं के लिये इतनी मेहरबानी तो आप कीजिए कि 4 जिला हैडक्वार्टर पर सरकारी कालेज की इस बजट में मुख्य मंत्रीजी से घोषणा कराने का प्रयास करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों के यह ध्यान में लाना चाहता हूं अब की बार हमने जितने भी विद्यालयों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई गई है उनके साथ यह शर्त लगाई है कि जितना भी एससी, एसटी का आरक्षण है उतने बच्चे भर्ती होने चाहिये और आधी फीस पर भर्ती होने चाहिये। यह निर्णय लिया हमने और निर्णय लेकर उन सबको अलाटमेंट की शर्त के साथ बांधा है कि भविष्य में आपके विद्यालय में जो आरक्षण कोटा है एससी, एसटी का उतने बच्चे भर्ती होंगे, जो आपकी कोमन फीस होगी महीने की मान लो 400 है तो इन बच्चों से आपको 200 रुपये ही लेनी पड़ेगी तभी आपको जमीन उपलब्ध होगी।

श्री मुरारी लाल मीणा : लोकसभा में बीजेपी ने बहिष्कार कर दिया शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का।

श्री वासुदेव देवनानी : अध्यक्ष महोदय, हमने एससी, एसटी के जो क्षेत्र हैं उनके लिये एफ डी आर ..(व्यवधान) इसके अन्तर्गत आते हैं 32 एस सी, 24 एस टी..(व्यवधान) जो विधान सभा क्षेत्र के हैं उनको छूट दी है आपने तो कभी दी नहीं हमने छूट दी है तो आपको तकलीफ हो रही है।

श्री मुरारी लाल मीणा : मंत्री महोदय इतने ही हमदर्द हो रहे हो तो कर्मचारियों का कोटा पूरा कर दो। (व्यवधान)

आप इतना ही श्रेय लेना चाहते हो तो...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय शिक्षा मंत्रीजी आप जो प्राइवेट कालेज खुलवा रहे हो सरकारी जमीन देकर उससे कोई सरकार को फायदा होने वाला नहीं है। जहां जंगलों में पशु चरते थे लोग उसको काम में ले रहे थे आप लोग उस पर कब्जा करवा कर कालेज खुलवा रहे हो, मैं समझता हूं यह नीति के खिलाफ है और इस तरह का जो काम कर रहे हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर बहुत चर्चा हो चुकी है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पुकारो।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो दूसरे का नाम पुकार लिया श्री भरत सिंह लेकिन कुछ माननीय सदस्य मानते ही नहीं है बोलते चले जाते हैं। मैं पूर्व में भी कह चुकी हूं कि जो कोई माननीय सदस्य बिना आसन की अनुमति के बोलेगा उसे अंकित नहीं किया जायेगा फिर भी माननीय सदस्य ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय भरत सिंहजी।

निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को कुक्कुट शालाओं की स्थापना हेतु प्रशिक्षण

23. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गत 5 वर्षों में कुल कितने निम्न आय वर्ग के परिवारों को कुक्कुट शाला लगाने हेतु सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिलेवार नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश की जनसंख्या 5.5 करोड़ के मुकाबले राज्य में अण्डों का उत्पादन 16 से 18 लाख प्रतिदिन के बीच है एवं अन्य

(श्री भरत सिंह)

प्रदेशों से अण्डे मंगवाकर मांग की पूर्ति की जा रही है यदि हां, तो प्रदेश में अण्डों की प्रतिदिन कुल खपत क्या है? तथा क्या सरकार इस मांग को प्रदेश की कुक्कुट शालाओं से ही पूरी करने हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है। यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों।

(पशुपालन मंत्री) श्री प्रभुलाल सैनी : (1) राज्य में गत 5 वर्षों में कुल 1354 व्यक्तियों को कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण दिया गया। जिलेवार नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रदेश में 2004-05 में 6932 लाख अंडों का उत्पादन हुआ जो औसतन प्रतिदिन 18.99 लाख है। प्रदेश में अंडों की मांग उत्पादन के मुकाबले कम होने के कारण अन्य प्रदेशों से अंडों की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पशु पालन मंत्रीजी के साथ मुख्य मंत्रीजी का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश में बढती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये कुक्कुट व्यवसाय में जो सम्भावना है उसकी तुलना में पिछले 5 साल में 1354 व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी। इसका मतलब कि औसतन 300 व्यक्तियों से कम ट्रेनिंग प्रतिवर्ष लोगों को दी गई। मैं मंत्रीजी से एक चीज तो यह जानना चाहूंगा कि जो ट्रेंडशुदा व्यक्ति हैं इनमें से कितने लोगों ने इस व्यवसाय को अपनाया और सरकार ने उनकी क्या मदद की। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो देश में अभी बर्ड फ्लू आया उससे प्रदेश में क्या कोई घटना रिपोर्ट हुई है और इसके दुष्प्रभाव से जो पोल्ट्री व्यवसाय प्रभावित हुआ है उनमें उन लोगों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और जो लोग इस व्यवसाय में लगे हैं उनके संरक्षण के लिये विभाग ने क्या पहल की और तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि हमारी जो साढ़े पांच करोड से अधिक जनसंख्या है उस दृष्टि से जो अंडो की और बायलर का उत्पादन हमारे राजस्थान में है वह अत्यन्त कम है और दूसरे प्रदेशों के पोल्ट्री फार्मर्स बायलर की सप्लाई करते हैं। अंडों के बारे में आपने उल्लेख किया कि अंडे बाहर से मंगाये नहीं जा रहे हैं मगर जब आवश्यकता पड़ती है मंगाये जाते हैं, पर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें रोजगार की सम्भावना बहुत कम है।

(श्री भरत सिंह)

आदिवासी क्षेत्र में पोल्ट्री की स्थापना करके और मिड-डे-मिल के रूप में जो आदिवासी क्षेत्र हैं...

श्री अध्यक्ष : अब आप प्रश्न पूछे भाषण नहीं दें।

श्री भरत सिंह : मैं भूमिका बाधूंगा तभी तो।

श्री अध्यक्ष : नहीं, प्रश्न में भूमिका नहीं बांधी जाती है, प्रश्न तो सीधा पूछा जाता है।

श्री भरत सिंह : मैं यह कह रहा हूं, आप जो आदिवासी लोगों को घूघरी खिलाते हैं अगर उनको इस व्यवस्था से जोड़ दे, उनके अंडे की खपत, आदिवासी में मिड-डे-मिल के अन्दर अंडे की उनकी देने की व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री बंशीलाल खटीक : हम विरोध करते हैं।

श्री भरत सिंह : अध्यक्षजी, यह इनको करना है अगर यह सुनने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेरोजगारी से जुड़ा प्रश्न है। मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी यहां पर हैं। मैं इस प्रश्न को इसलिये उठा रहा हूं कि आन्ध्र प्रदेश (व्यवधान) अंडे से ही है क्योंकि जब आप बजट पेश करेंगी तो रोजगार, आज प्रदेश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, उस प्रोब्लम को एडजेस्ट करना है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अंडे नहीं यह डण्डे मंगवा सकते हैं डण्डे।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो मीट खाते हैं, नंदलाल बंशीवाल जो खड़े हैं यह रोज मुर्गा खाते हैं। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल (दौसा) : आप खड़े होते हैं बार-बार, मैं खड़ा हो गया तो कोई अपराध कर दिया क्या?

श्री अध्यक्ष : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : मैं इस चीज का विरोध करता हूं। अंडे देने का विरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : आपसे पूछकर आये हैं क्या ?

श्री बंशीलाल खटीक : मिड-डे-मिल में अंडे नहीं दिये जाये, सभी शाकाहारियों को मांसाहारी बनाने की कवायद चल रही है। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : नगर जाना, आपको देखूंगा ही देखूंगा दौसा में, नगर जाना दौसा में देखूंगा

श्री बंशीलाल खटीक : सब शाकाहारियों को मांसाहारी बनाने की कवायद आपकी नहीं चलेगी, हम विरोध करते हैं इस बारे में, मिड-डे-मिल में अंडे देने की, विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह : मैं तो शाकाहारी अंडे की बात कर रहा हूं।

श्री नंदलाल बंशीवाल : आप तो अवैध शिकार करके खाते हो और अंडे और मुर्गियों की बात करते हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मदन राठौड़जी तो मुर्गियों के दाने की फैक्ट्री चलाते हैं। यह तो शाकाहारी है यह मुर्गे से थोड़े हो रहे है....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अंडा शाकाहारी नहीं है, उसमें से तो जीव पैदा होता है अंडे में से।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : यह आजाद साहब ने गलत आरोप लगाया है, मेरी कोई मुर्गियों के अंडे की फैक्ट्री नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे कोई मुर्गियों के अंडे की फैक्ट्री नहीं है। यह असत्य बोलते हैं आजाद साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय नगर से आने वाले, माननीय सदस्य आपस में सवाल जवाब नहीं करें, मंत्रीजी का जवाब आने दे आप प्रश्न के हिसाब से पूछिये, आप तो भाषण देने लग गये।

श्री भरत सिंह : भूमिका तो बांधनी ही पड़ेगी नहीं तो समझ में नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के लिये कोई भूमिका नहीं बांधी जाती।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, एक शाकाहारी मंत्री को इस प्रकार का प्रश्न समझने में भी देर लगेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री केसर देव बाबर।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : मंत्री महोदय जवाब.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अंडे और मुर्गियों का ज्ञान संयम लोढ़ाजी को ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : केसर देव बाबर।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़, सीकर) : प्रश्न संख्या 24. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : न तो मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आया न इसमें एक भी पूरक प्रश्न हुआ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, आप भी विराजें, आप इनको स्थान ग्रहण करने दें।

श्री केसर देव बाबर : प्रश्न संख्या 24.

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री अशोक बैरवा : x x x

श्रीमती ममता शर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न का जवाब आयेगा वह तो भूमिका बांध रहे हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : भूमिका बांध रहे हैं, नो नौ।

श्रीमती ममता शर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : I have called the next question.

श्री नंदलाल बंशीवाल : x x x (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, दौसा से आने वाले माननीय बंशीलाल स्थान ग्रहण करें।

श्री भरत सिंह : x x x

श्री अध्यक्ष : आप मांसाहारी बनाने की बात कर रहे हैं सबको। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह : x x x

श्रीमती ममता शर्मा : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भरत सिंहजी ने जो प्रश्न किया यह हमारा, आज का स्टार स्पीकर है, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है एक सप्लीमेंट्री का तो उत्तर दिलवाइये। एक का भी उत्तर नहीं दिया, एक का तो दिलवाइये, यह तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : उसको जवाब के लायक नहीं समझा इसलिये नहीं दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : हम एक सप्लीमेंट्री का उत्तर सरकार से मांग रहे हैं वह भी आप नहीं दिलवाते हो।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है, आप दूसरे नियम से आइये, मैंने पुकार लिया है दूसरा प्रश्न।

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधान सभा क्षेत्र के भूमिहीन अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों को भू-आबंटन

24. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़, सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने भूमिहीन परिवार हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में काफी मात्रा में सिवाय चक, गैर मुमकिन एवं चारागाह भूमि है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में एवं कितनी-कितनी तथा क्या उक्त भूमि को सरकार भूमिहीन परिवारों को आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : (1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में अनुसूचित जाति के 168 तथा अनुसूचित जनजाति के 02 (कुल 170) भूमिहीन परिवार हैं जिनकी ग्रामवार सूची ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सिवायचक, गैरमुमकिन एवं चरागाह भूमि उपलब्ध है। ग्रामवार सूची ''ब'' संलग्न है।

जी नहीं। क्योंकि उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित भूमि होने तथा कृषि योग्य न होने से आबंटन किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती ममता शर्मा : x x x

श्री अशोक बैरवा : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्रीमती ममता शर्मा : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री नंदलाल बंशीवाल : x x x

श्री भरत सिंह : x x x

श्रीमती ममता शर्मा : x x x

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, टाइम बरबाद हो रहा है, हम आपको कोपरेट कर रहे हैं इधर से। आप एक सप्लीमेंट्री का उत्तर दिलवा दें आसन की तरफ से। यह हमारे साथ ज्यादती है, हम कापरेट कर रहे हैं, संचालन में आपका सहयोग कर रहे हैं और सत्ता पक्ष को आप यह नहीं कह सकती कि इसका जवाब दे दीजिये। यह कोई बात थोड़े ही हुई। आपने फरमा दिया कि मैंने दूसरा काल कर लिया है (व्यवधान) हंगामें में प्रश्न रूकवा दिया।

श्री नंदलाल बंशीवाल : x x x

श्री रामनारायण चौधरी : फायदा क्या होगा अध्यक्ष महोदय, यह कायदा रहा है, परम्परा भी रही है प्रश्न पुकार लिया है उसके बाद भी उसके महत्व को देखते हुये, कौन उठा रहा है उसके महत्व को देखते हुये प्रतिपक्ष यह मांग कर रहा है उसके महत्व को देखते हुये, आप इस तरह से इग्नोर कर रही है जैसे कोई सिर में से जूं निकालकर बाहर फैकता है, ऐसा व्यवहार तो मत करिये। दृष्टान्त है कि दूसरा प्रश्न पुकार लिया उसके बाद भी टाइम दिया है, आप दिला दीजिये, आपसे कोई कन्फ्रेटेशन नहीं चाहते हैं न हम सरकार से चाहते हैं। एक सप्लीमेंट्री का सवाल है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्लियर बोलता है आज उनका नाम बोलने वालो में हैं, यह तो कोई बात नहीं हुई साहब। नाम पुकार लिया क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष वह घूघरी में अंडे खिला रहे थे और सरकार घूघरी में अंडे खिलाना नहीं चाहती है (व्यवधान) भूमिका बना रहे थे, क्या करती मैं, वह तो भूमिका बना रहे थे।

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री कनकमल कटारा : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

(प्रश्नकाल समाप्त)

(श्री अध्यक्ष)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री राकेश मेघवाल : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री जोगेश्वर गर्ग : x x x

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी छोटी सी बात को ठुकरा दिया।

अनुपस्थिति-अनुमति

नारायण सिंह श्री, सदस्य को सत्रांत तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा ने .....(व्यवधान) ....

श्री रामनारायण चौधरी : और हमें आपसे सख्त नाराजगी है, हम आज इस आपकी व्यवस्था में भाग नहीं लेंगे और हमारा विरोध आपको दर्ज करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 28 फरवरी, 2006 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बर्हिगमन)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस मुद्दे पर आपका वाक आउट उचित नहीं है। (व्यवधान) आप बहुत पुराने सदस्य हैं, आप इन बच्चों के कहने में आ रहे हैं। (व्यवधान) अब तो आप भ्रमित हो रहे हैं।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री नारायण सिंह सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 28 फरवरी, 2006 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री संयम लोढ़ा एवं 23 अन्य सदस्यों की ओर से नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के मामले में सहायता राशि में कथित भेदभाव के सम्बन्ध में।
2. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से जिला अलवर की असाध्य विधवा महिलाओं को अपनी बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त दोनों ही प्रस्तावों में हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं है, अतः स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य सदन में अन्य माध्यम से इन विषयों को उठा सकते हैं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बैराठ के ग्राम रामपुरा में वन क्षेत्र में नीलामी में बरती गई गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में।
2. श्री भरतसिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा थर्मल प्लान्ट हेतु अधिगृहित भूमि का उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में।
3. श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से विनोदिनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खेतड़ी की विशेष आडिट के सम्बन्ध में।
4. प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से वैशाली नगर एरिया में आवागमन की पर्याप्त एवं माकूल व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।
5. श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से सिकराय विधान सभा क्षेत्र में 25 एम.वी.ए. के दो ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
6. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना की राजकीय पाठशालाओं में रिक्त पदों के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

7. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से राज्य में एच.आई.वी. की समुचित जांच प्रणाली विकसित करने एवं एड्स के मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।
8. श्री हरीसिंह रावत, सदस्य की ओर से जिला पूल के वाहनों की स्थिति अत्यन्त खराब होने के सम्बन्ध में।
9. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी के गांव हमीनपुर में अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्यवाही करने के समबन्ध में।
10. श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर में अकाल राहत कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में।
11. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से कृषि विद्युत कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।
12. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से निवाई उप खण्ड मुख्यालय पर ट्रोमा हास्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रामपुरा (बैराठ) ग्राम में वन क्षेत्र में नीलामी में बरती गयी गम्भीर अनियमितता

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 2002 में बैराठ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रामपुरा के वन क्षेत्र में सूखे पेड़ों के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा हरे पेड़ों की अवैध नीलामी में गम्भीर अनियमितताएं बरती गयी थीं। इस प्रकरण में मेरे द्वारा विधान सभा में विभिन्न माध्यमों यथा- तारांकित प्रश्न, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान दिलाये जाने के बावजूद भी आज तक दोषियों से न तो राजस्व हानि की वसूली की गयी है और न ही अभी तक किसी को सज़ा दी गयी है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, चतुर्थ, जयपुर उप वन संरक्षक (मध्य) एवं कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जांच करने के उपरान्त पंचायत विभाग एवं वन विभाग, दोनों ही विभागों की जांच रिपोर्ट में इन अनियमितताओं का सत्यापन हो गया है। लेकिन इस सत्यापन के उपरान्त भी आज तक न तो इन दोषी पाये गये व्यक्तियों से राजस्व हानि को नहीं वसूला गया है और न ही इन्हें दण्डित किया गया है।

इतना ही नहीं, जिस नर्सरी को नष्ट कर दिया गया था, न तो उसके स्थान पर दुबारा पेड़ लगाने की कोई कार्यवाही आज तक की गयी है और न ही जिस पर्यावरण की चर्चा हम सदन में करते हैं उस पर्यावरण संतुलन के नियमों को ही ध्यान में रखा गया।

अतः मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण में लिप्त दोषी व्यक्तियों से राजस्व की हानि वसूल की जाकर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम, धोद।

विनोदिनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी की विशेष आडिट

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री, माननीय लोकायुक्त एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार निदेशालय कालेज शिक्षा द्वारा विनोदिनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी में 27-28 जनवरी, 2003 को भेजी गयी जांच समिति के प्रतिवेदन (रिपोर्ट), निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा की गयी विशिष्ट अंकेक्षण जांच व महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, भारत सरकार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम राजस्थान, जयपुर द्वारा की गयी आडिट के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

श्री अध्यक्ष : आपका तो विषय ही बहुत बड़ा हो गया।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, विनोदिनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी के प्रबन्धन द्वारा किये गये सरकारी अनुदान (सरकारी धन) का दुरुपयोग, घोर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, अभिभावकों, विद्यार्थियों व शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों का शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण

(श्री अमराराम (धोद))

के खिलाफ माननीय मुख्य मंत्री, माननीय लोकायुक्त एवं राज्य मानवाधिकार के निर्देश पर कालेज शिक्षा निदेशालय ने संयुक्त निदेशक, सहायक लेखाधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दिनांक 27 व 28 जनवरी, 2003 को जांच करायी गयी थी।

उक्त समिति द्वारा वित्तीय अनुदान में भारी अनियमिततायें एवं सरकारी धन के दुरुपयोग व गलत तथा फर्जी नामों से अनुदान उठाये जाने का मामला प्रकाश में लाया गया है। इस जांच समिति की अनुशंषा पर तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय के आदेशानुसार निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा विशिष्ट अंकेक्षण जांच की गई, इसमें भी भारी अनियमितताएं उजागर हुई। इसके साथ ही महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, भारत सरकार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, राजस्थान, जयपुर द्वारा भी विनोदिनी महाविद्यालय के खातों की आडिट में आर्थिक व प्रशासनिक अनियमितताएं, सरकारी धन का दुरुपयोग एवं गबन पाया गया। इन सभी जांच रिपोर्टों को सदन की पटल पर रखा जावे, साथ ही सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम, 1989 के तहत क्या प्रबन्धन के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने के प्रावधान हैं ? यदि हां, तो इन जांचों के आधार पर प्रबन्धन को बर्खास्त कर, क्यों नहीं प्रशासक नियुक्त किया जावे। सही तो यह होगा कि जब विनोदिनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी को सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है तथा विद्यार्थियों से प्रति वर्ष लाखों रुपये फीस वसूली की जा रही है तो क्यों न सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए इसे अधिग्रहण कर खेतड़ी में ही स्थित (संचालित) राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी में ही विलय कर दिया जावे, जिससे राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी के भवन की समस्या भी खतम हो जायेगी और प्रबन्ध द्वारा करोड़ों रुपये का जो अनुदान हड़प लिया गया है उससे भी भविष्य में निजात मिल सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, ज्ञात हो कि पिछले मुख्य मंत्री द्वारा कालेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर खेतड़ी विकास समिति, खेतड़ी के वर्ष 1995-96 से 2002-03 तक के सभी खातों की विशिष्ट अंकेक्षण जांच के आदेश दिये गये थे, लेकिन खेतड़ी विकास समिति के प्रबन्धन (श्री बी.एल. मेहरड़ा के पारिवारिक सदस्य) द्वारा संचालित (1) विनोदिनी

महाविद्यालय (2) एम.के.एम. महिला विद्यालय, खेतड़ी (3) संजीवनी कालेज आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, राजोता (खेतड़ी) संस्थाओं में किये गये फर्जीवाड़े को विशिष्ट अंकेक्षण से बचाने के लिए षड्यंत्रपूर्वक एक और फर्जीवाड़ा करके 3 अप्रैल, 2003 को खेतड़ी विकास समिति, खेतड़ी से एम.के.एम. महिला विद्यालय, खेतड़ी व संजीवनी कालेज आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, राजोता (खेतड़ी) को खेतड़ी विकास समिति से हटा दिया गया और इस समिति में मात्र विनोदिनी महाविद्यालय ही छोड़ा गया तथा एम.के.एम. महिला महाविद्यालय, खेतड़ी व संजीवनी कालेज आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, राजोता (खेतड़ी) को विवेकानन्द शोध संस्थान समिति में स्थानान्तरित कर दिया।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री से संबंधित मामला है, आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री अमराराम (धोद) : इस समिति का प्रबन्धन भी अधिकांशतः वही है जो खेतड़ी विकास समिति, खेतड़ी का है। यह ही कुछ लोग एक अन्य एम. के.एम.एच.आर.डी. सोसायटी के अन्तर्गत एम.के.एम. इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मेनेजमैंट सीतापुरा, जयपुर संचालित कर रहे हैं साथ ही साथ कागजों में संचालित कामकाजी महिला छात्रावास, खेतड़ी एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण केन्द्र विनोदिनी महाविद्यालय, खेतड़ी आदि। इन संस्थाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संचालित कर रहे हैं। तथा इन्हीं का संरक्षण प्राप्त है। इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से विनोदिनी महाविद्यालय, खेतड़ी खोल रखा है जो राज्य सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान प्राप्त है और स्थापना से लेकर सत्र 2002-03 तक सरकारी भवन में ही चलता रहा है। साथ ही एम.के.एम. महिला महाविद्यालय अपनी मां के नाम से व संजीवनी फार्मास्यूटिकल साइंसेज, राजोता, खेतड़ी पुत्री के नाम से तथा एम.के.एम. इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मेनेजमैंट, सीतापुरा, जयपुर माता व पिता के नाम पर और स्वयं के नाम पर बी.एल.एम. मेमोरियल रिसर्च एण्ड हास्पिटल, चाकसू (जयपुर) संचालित कर रहे हैं। इसलिए इनकी सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जांच करवायी जाए तथा साथ ही सम्पत्तियों का ब्यौरा मांगा जाए।

श्री अमराराम (धोद) : 90 परसेंट राजस्थान की जनता का मेहनता का पैसा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब तो आपने पढ़ लिया। 295 में इतना ही प्रावधान है। 295 में इतना ही प्रावधान है।

वैशालीनगर एरिया में आवागमन की पर्याप्त एवं माकूल व्यवस्था कराने बाबत

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार एवं यातायात मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की आवासीय कालोनियों यथा- नेमीसागर कालोनी, हनुमान नगर, वीर विहार आदि के वाशिंदों को परिवहन के साधनों के अभाव में हो रही भारी परेशानियों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि वैशाली नगर क्षेत्र में वैशाली मार्ग होते हुए किसी भी प्रकार का आवागमन का साधन उपलब्ध नहीं होने से आस-पास रहने वाले नागरिकों को रोजमर्रा के जीवन-यापन में दुविधा का सामना करना पड़ता है। स्कूल-कालेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को पैदल चलकर वैशाली सर्किल तक आकर बस पकड़नी पड़ती है। साथ ही वृद्धजनों एवं नौकरीपेशा व्यक्तियों को भी भारी परेशानी भुगतनी पड़ती है जबकि इस मार्ग पर एक गुरूद्वारा एवं जैन मंदिर भी अवस्थित है तथा वैशाली मार्ग के बाहर प्रसिद्ध झारखण्ड महादेव का भी मंदिर है जहां पर सैंकड़ों की तादाद में दर्शनार्थी रोज दर्शन-पूजन करने हेतु आते हैं। इन दर्शनार्थियों को भी आवागमन की माकूल व्यवस्था नहीं होने से पैदल चलकर ही जाना-आना पड़ रहा है जिससे नागरिकों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक ही है। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय नागरिकों एवं संस्थाओं ने माननीय परिवहन मंत्रीजी को ज्ञापन भी प्रेषित किये हैं परन्तु मुझे खेद के साथ यह निवेदन करना पड़ रहा है कि इसके बावजूद आज तक कोई आवागमन का साधन राज्य सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराया गया है।

श्री अध्यक्ष : ऊर्जा मंत्रीजी के पास कौन माननीय सदस्य खड़े हैं ? यह कोई तरीका नहीं है इस तरह, आपको बैठकर बात करनी चाहिए कोई करे तो।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : अतएव मेरा राज्य एवं माननीय परिवहन मंत्रीजी से अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित वैशाली नगर एरिया में आवागमन के साधनों की पर्याप्त एवं माकूल व्यवस्था की जावे ताकि आम जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तीन दिन से कांग्रेस के पार्षद भूख हड़ताल पर हैं। वहां के बी.जे.पी. बोर्ड ने बिना बहुमत के प्रस्ताव पास कर लिये और मीटिंग साफ कर दी और तीन दिन से..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में कोई पाइंट आफ इन्फोर्मेशन नहीं होता है। और हमेशा ही यह..... (व्यवधान) आप विराजिये और थोड़ी देर बाद अपना पाइंट आफ इन्फोर्मेशन करिएगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : तीन दिन से वे भूख हड़ताल पर हैं और वे मर भी सकते हैं और मेरा निवेदन यह है कि सरकार उनसे बात करे और उसको निपटाये।

श्री अध्यक्ष : इण्टरप्ट नहीं करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : यह बहुत गम्भीर स्थिति है, वहां पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठी हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

मैंने कहा कि पाइंट आफ आर्डर और पाइंट आफ इन्फोर्मेशन जीरो ओवर में नहीं होता। उसके बाद में आप कोई पाइंट आफ इन्फोर्मेशन हो तो दीजिएगा।

आपने कम्प्लीट कर लिया बीरूसिंहजी ? कर लिया। श्री रामकिशोर मीणा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : ठीक है।

सिकराय विधान सभा क्षेत्र में 25 MVA के 2 ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने बाबत

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 एम. वी.ए. के दो ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने हेतु नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि सिकराय विधान सभा क्षेत्र में निहालपुरा (सिकन्दरा) 132 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन निर्माणाधीन है। सिकराय क्षेत्र में सर्वाधिक 33 के.वी.ए. के 12 सब स्टेशन हैं, जिनका कुल विद्युत भार 45 से 50 एम.वी.ए. बैठता है। इस आधार पर इस 132 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन के लिए 25 एम.वी.ए. के दो ट्रांसफार्मर आवश्यक है।

(श्री रामकिशोर मीणा)

मुझे ज्ञात हुआ है कि निगम द्वारा 12.5 एम.वी.ए. का पुराना ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। यदि पुराने 12.5 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर को लगा दिया गया तो वह 45 से 50 एम.वी.ए. का लोड झेल नहीं पायेगा तथा जल जायेगा जिससे वर्तमान स्थिति से भी ज्यादा दयनीय स्थिति हो जायेगी। निगम के अधिकारी 12.5 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाने पर उतारू हैं। यदि पुराना 12.5 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाया गया तो क्षेत्र के काश्तकार भड़क सकते हैं।

अतः इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि 25 एम.वी.ए. के दो नये ट्रांसफार्मर लगाये जावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र की राजकीय पाठशालाओं में रिक्त पद

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना की राजकीय पाठशालाओं में लम्बे समय से पड़े रिक्त पदों के बारे में शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना की विभिन्न स्तर की पाठशालाओं में पिछले चार-पांच वर्षों से लगातार प्राचार्य, प्रधानाध्यापक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, शारीरिक शिक्षक एवं अन्य अध्यापकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त चले आ रहे हैं जिससे छात्र-छात्राओं के अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा परीक्षा परिणाम का प्रतिशत निरन्तर गिरता जा रहा है जो एक चिन्ता का विषय है। जिला नागौर में वर्तमान में प्राचार्यों के 28 पद, प्रधानाध्यापकों के 20 पद, व्याख्याताओं के 335 पद, वरिष्ठ अध्यापकों के 336 पद तथा अन्य अध्यापकों के 202 पद रिक्त पड़े हैं। पिछले चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र डेगाना में काफी शालाएं क्रमोन्नत की गयी हैं जिनमें बुटाटी, देहला, मेवड़ा, बनवाड़ा, बछवारी, राजलौता, जालसूखुर्द, जालसुकला, निम्बोला, विश्वा, पिपलिया, किला, खारोलबास, सुरपुरा, चकढाणी, निम्बडी, चांदावता, ढाढरिया कला, निम्डी कोठारिया, सुखबासनी, रावलियाबास, रलियावता, ढाणीपुरा, ईग्यासनी, चोलीयास, कोड, भादवासी आदि हैं परन्तु खेद का विषय है कि इन सभी क्रमोन्नत विद्यालयों में अनेकों अध्यापकों के पद नवसृजित नहीं करने से रिक्त

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

पड़े हैं तथा छात्र-छात्राएं भगवान भरोसे अध्ययन कर रहे हैं। इस संबंध में अनेकों बार लिखित में तथा दूरभाष पर संबंधित अधिकारियों से निवेदन किया जा चुका है परन्तु यह समस्या अभी जस की तस है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

राज्य में HIV की समुचित जांच प्रणाली विकसित करने एवं मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने बाबत

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान में एच.आई.वी. की समुचित जांच प्रणाली विकसित करने एवं एड्स के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाने बाबत्।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री का ध्यान राजस्थान में एड्स के मरीजों की उचित जांच एवं निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। एच.आई.वी./एड्स की समस्या अब गम्भीर रूप ले रही है। देश में संक्रमण की संख्या 45 लाख के करीब है तथा एड्स के मरीज 1 लाख से अधिक हैं। राजस्थान में यह संख्या 60000 के करीब बतायी जा रही है तथा एड्स के मरीज करीब 1366 और इससे भी अधिक हो सकते हैं।

राजस्थान में जोखिम की श्रेणी के लोगों में संक्रमण का प्रतिशत 5 से अधिक हो रहा है। इस कारण राजस्थान में संक्रमण क्षेत्र में द्वितीय स्थान दिया गया है, जबकि यह पहले नहीं था।

इसका मुख्य कारण यहां से गांवों में 20 प्रतिशत से अधिक लोग नौकरी/रोजगार के लिये बड़े शहरों (बम्बई, सूरत, कलकत्ता, अहमदाबाद इत्यादि) में जा रहे हैं। वहां पर वे अकेले रहते हैं तथा एच.आई.वी. संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। यही लोग यह संक्रमण अपनी औरतों को दे रहे हैं और उनके होने वाले बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। इस कारण राजस्थान में यह स्थिति वर्तमान में किये गये आंकलन से अधिक हो सकती है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भारत सरकार ने मार्च में घोषित बजट में 500 करोड़ का प्रावधान केवल 6 राज्यों में एड्स के मरीजों के चिकित्सा और प्रचार-प्रसार के लिये रखा है, यह उचित नहीं है। राजस्थान के एड्स के मरीज क्या अन्य मरीजों से भिन्न हैं और ऐसा नहीं है तो फिर यह खुल्लम-खुल्ला मानव अधिकारों का हनन क्यों और राज्य से ऐसी मानवीय समस्या के लिये भेदभाव क्यों ? मैं सदन के माध्यम से इस समस्या की ओर ध्यान दिला रही हूं। राज्य सरकार इस भेदभाव वाली नीति का विरोध करे और राजस्थान के सभी एड्स मरीजों के निःशुल्क इलाज मुहैया कराने की तुरन्त व्यवस्था करे।

साथ ही मैं राज्य सरकार का ध्यान राजस्थान में एच.आई.वी. की समुचित जांच प्रणाली विकसित करने की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा मेडिकल कालेज और डिस्ट्रिक अस्पताल के स्तर पर तो एच.आई.वी. संक्रमण की जांच की सुविधा तथा उसके साथ परामर्श केन्द्रों की स्थापना स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से की गई है।

उपरोक्त संस्थानों में जांच NACO (नेशनल एड्स कन्ट्रोल ओरगलेट) के नियमों के अनुसार तीन अलग-अलग विधि से जांच कर संक्रमण प्रमाणित किया जाता है और जांच पूर्व एवं पश्चात् परामर्शदाता द्वारा इस संबंध में परामर्श दिया जाता है जो NACO के द्वारा बनायी गयी पालिसी के अन्तर्गत है। परन्तु इस पॉलिसी का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन प्राइवेट अस्पतालों एवं निजी जांच प्रयोगशालाओं में बगैर परामर्श और केवल एक विधि के द्वारा जांच कर परिणाम सीधा मरीज या उनके परिजनों को थमा दिया जाता है। यह बिलकुल नियमों के विरुद्ध है और इसके परिणाम गम्भीर हो सकते हैं जैसे–

1. संक्रमित व्यक्ति इसे अपने स्तर पर गोपनीय रख लेता है जिससे दूसरों में संक्रमण फैलने का खतरा होता है तथा अगर संक्रमित व्यक्ति को यह लगे कि अब तो मेरी मौत निश्चित है तो वह आत्महत्या कर सकता है या मानसिक तौर पर विचलित हो सकता है।
2. जांच के पूर्व किसी प्रकार का स्वीकृति पत्र भी नहीं लिया जाता है। यह भी कानून के विरुद्ध है।
3. प्राइवेट अस्पतालों या लेबोरेट्री वाले इसकी सूचना राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी को भी नहीं देते जिससे संक्रमण के आंकड़ों का पता लग सके।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

4. सभी अनुज्ञा पत्र प्राप्त रक्त कोषों में अगर रक्त HIV/ Hepatits B, C or VDRL तथा मलेरिया की जांच अगर + ve आती है तो भी उस व्यक्ति का रक्त नालियों में बहा दिया जाता है परन्तु संक्रमित व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता और इन स्थानों पर किसी प्रकार का परामर्श केन्द्र भी नहीं है। अतः रक्त कोषों में परामर्श केन्द्र की स्थापना की जाये तथा संक्रमित व्यक्ति की फिर विधिवत् जांच हेतु सम्बन्ध स्थापित किया जाय। यह उक्त संक्रमण को रोकने में एक कारगर कदम होगा।

अतः सदन के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि तुरन्त इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए कार्यवाही करें अन्यथा एड्स नियन्त्रण में प्रतिकूल गम्भीर परिणाम होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह रावत।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ कहें तो सही। इतना बड़ा गम्भीर मामला है, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : 295 का जवाब आपको भेजा जाता है, आपको जवाब भेज दिया जायेगा।

श्री हरिसिंह रावत।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 पढ़ देते हैं परन्तु उसका जवाब आता ही नहीं है।

जिला पूल के वाहनों की स्थिति अत्यन्त खराब होने बाबत

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राज. पूल विभाग से यह जानना चाहता हूं कि राज पूल विभाग द्वारा सभी 31 जिला पूलों में कितनी जीपें एवं कारें कार्यरत हैं एवं उनकी क्या स्थिति है ? महोदय, आज का युग एक आधुनिक है एवं हम इक्कीसवीं सदी की बात करते हैं एवं जिला पूलों में गाड़ियों की स्थिति देखें तो बाबा आदम के युग का जमाना याद आता है, जहां एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिये महीनों गुजर जाते थे। वैसे ही आज हमारे जिला पूलों की गाड़ियों की स्थिति है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता

(श्री हरिसिंह रावत)

हूं कि सभी जिलों की जिला पूलों की गाड़ियों की स्थिति सही नहीं है, वहां नई गाड़ियां स्वीकृत कराई जाये। मेरे जिला राजसमन्द में जब हमारा नया जिला बना था तो उदयपुर जिले में जितनी भी पुरानी गाड़ियां थीं वो सभी गाड़ियां राजसमन्द जिले को भिजवा दी गयी थी। उन पुरानी गाड़ियों की वजह से कोई भी अधिकारी समय से नहीं पहुंच सकते हैं एवं रख रखाव में इतना मंहगा पड़ता है कि एक साल का हिसाब जोड़ा जाये तो नई गाड़ी खरीदी जा सकती है। पुरानी गाड़ियां सभी पेट्रोल गाड़ियां हैं जिनका ऐवरेज 8 से 9 कि.मी. प्रति लीटर का खर्चा आता है जो कि सरकार के लिये पुरानी गाड़ियां रखना एक सफेद हाथी को पालने जैसा प्रतीत होता है।

महोदय, मेरा एक दूसरा सुझाव है कि अभी तक हिन्दुस्तान मोटर्स की ऐम्बेसडर कार खरीदी जाती है तो रखरखाव काफी मंहगा पड़ता है। आज हमारे देश में एक से एक नई तकनीक की गाड़ियां आ चुकी हैं, अतः हमें उस ओर भी ध्यान देना चाहिये। हिन्दुस्तान मोटर्स की गाड़ियों में हमेशा पेट्रोल की बदबू आ रही है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिला राजसमन्द की पुरानी गाड़ियों को अविलम्ब राज. जिला पूल में जमा कराकर नई गाड़ियां वितरण कराने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

हमीरपुर (पिलानी) में अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्राम हमीरपुर में आज के दो महीने पहले....

श्री अध्यक्ष : पढ़ें-पढ़ें, नो-नो, आप पढ़िये। 295 पढ़ने का है।

श्री श्रवण कुमार : पढ़ रहे हैं। मुझे याद है। मैं जबानी कह दूंगा। इसमें आपको क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : पढ़िये।

श्री श्रवण कुमार : पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़ने का है।

श्री श्रवण कुमार : 295 पढ़ रहा हूं। आपको मेरे पढ़ने पर एतराज, खड़े होने पर एतराज वाट कैन आई डू ?

श्री अध्यक्ष : इस आसन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकते।

श्री श्रवण कुमार : मैं कह रहा हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : आपका जो लिखा हुआ है वह मेरे सामने रखा है।

श्री श्रवण कुमार : अतिक्रमणों के प्रति उदासीनता को गति देने व अवरूद्ध रास्तों को खुलवाने की प्रक्रिया 295 के तहत उठाने बाबत्।

श्री अध्यक्ष : उदासीनता को गति देने। आपने लिख रखा है अतिक्रमणों के प्रति उदासीनता को गति देने।

श्री श्रवण कुमार : तो गति दे रहा हूं ना, उसी को तो पढ़ रहा हूं। आगे पढ़ूंगा ना, यही तो कह रहा हूं। श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र हमीनपुर गांव में किसानों ने 40-40 बीघा जोहड़ में अतिक्रमण कर रखा है।....

श्री अध्यक्ष : जमीन में जुताई कर रखी है, यह लिखा है आपने।

श्री श्रवण कुमार : वह एक ही बात है जोहड़ मान लिया उनको।

श्री अध्यक्ष : जोहड़ और अतिक्रमण एक है क्या ?

श्री श्रवण कुमार : आप यह बताओ यह प्रश्न इतना जटिल क्यों होता जा रहा है, इसका मैं उत्तर दे नहीं सकता पर मुझे पीड़ा है, खेद है कि इसमें कुछ न कुछ दाल में काला है।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये ना, क्या कर रहे हैं ?

श्री श्रवण कुमार : जिला कलेक्टर महोदय से गांव के लोग मिले, शिकायत की और कलेक्टर महोदय ने एस.डी.एम. साहब को आदेश दिया। एस.डी.एम. ने नायब तहसीलदार को आदेश दिया। तहसीलदार सूरजगढ़ ने उस पर तत्काल कार्यवाही की और उन अतिक्रमियों के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : यह बिलकुल नहीं लिखा। आपने जो लिखा है वह पढ़िये। गलत बात मत करिये आप। यह गलत बात है आपकी।

श्री श्रवण कुमार : मैं वही पढ़ रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आप आसन की बार-बार अवहेलना कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : यह नहीं लिखा है क्या इसके अन्दर ?

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ते क्यों नहीं हो, आप तमाशा क्यों बना रहे हो ? क्या तरीका है ? जो आपने लिखा है वही पढ़िये आप। 295 का मतलब है पढ़ना। आपने जो लिखा है उसे पढ़िये आप।

श्री श्रवण कुमार : मुख्य सचेतक महोदय, मैं न तो अवहेलना कर रहा हूं, न ...

श्री अध्यक्ष : आप इधर सम्बोधन करिये।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना गम्भीर क्यों हो रहे हो ? मामला आपको मालूम है। आपको इस बात का मालूम है कि अतिक्रमण हुआ है और मामला बड़ा संजीदा है। आपको सारी बात का मालूम है।

श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र हमीनपुर गांव में किसानों ने 40-40 बीघा जमीन में जुताई कर रखी है। गांव के लोगों ने श्रीमान् जिला कलेक्टर से शिकायत की और जिला कलेक्टर ने एस.डी.एम. को आदेश दिया। उपखण्ड कार्यालय से शिकायत नायब तहसीलदार सूरजगढ़ को लिखा और उन्होंने वस्तुस्थिति व मौके की जांच कर अतिक्रमण को हटाने का फैसला किया और प्रशासन से पुलिस की मांग की गई और बाद में केवल वाद-विवाद ही होकर उस फाइल को ठण्डे बस्ते में रख दी गई। मुझे खेद है कि इस प्रकार के अन्याय को अनदेखा करना समाज में अतिक्रमणियों को बढ़ावा देना, यह गरीब जनता के साथ खिलवाड़ है। वो बड़े लोग गरीब के पशु भी नहीं जाने देते। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के फैसलों की पालना करवाई जावे और अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्यवाही तत्काल की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी। आर्डर प्लीज।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है उसके बाद जिला कलेक्टर ने आदेश दिया और फैसला होने के उपरान्त मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को शह दी गयी।

श्री अध्यक्ष : आई विल नोट अलाउ यू। नेता प्रतिपक्ष, इनको रोकें आप।

श्री श्रवण कुमार : और उसके बाद में न तो उस अतिक्रमण को हटाया गया...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार : * * *

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार : * * *

एक माननीय सदस्य : * * *

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समय नष्ट कर रहे हैं सदन का, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार : * * *

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : * * *

श्री अध्यक्ष : आप दोनों ही एक से हो।

श्री श्रवण कुमार : * * *

श्री बंशीलाल खटीक : * * *

श्री महीपाल यादव (बानसूर) : * * *

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह +++ कहते हैं कभी, कभी +++ कहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य को +++ बता रहे हैं, चुन कर आये हैं, जनता ने चुन कर भेजा है, उनको +++ बता रहे हैं ...(व्यवधान)... इनको +++ नजर आते हैं माननीय सदस्य ? (भारी व्यवधान)...

श्री धर्मपाल चौधरी : एक माननीय सदस्य को +++ बता रहे हैं यह, इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए और यह माफी मांगें।

डा. एन.एस. गुर्जर : +++ एक्सपंज करवाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस रिकार्ड को दुरुस्त करो, अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से निकालो। माननीय सदस्य को +++ कहा है ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (धोद) : यह कहा है...(व्यवधान)... +++ है, उनको कंट्रोल करो।

श्री धर्मपाल चौधरी : इनको माफी मांगनी पड़ेगी।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अमराराम (धोद) : जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को इस प्रकार से +++ बता रहे हैं इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

श्री श्रवण कुमार : X X X ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। माननीय मुख्य सचेतक महोदय।

पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, थोड़ी अपनी भाषा पर कंट्रोल करें, +++ कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि यहां अंकित नहीं हो रहा था लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप यहां पर चाहे जो बात बोलें। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : इन्होंने नहीं कहा +++।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने।

श्री श्रवण कुमार : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने +++ और बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा +++ यह गलत बात है आपकी। यद्यपि अंकित नहीं हो रहा था फिर भी ऐसी भाषा का प्रयोग करना न सदन की गरिमा है... (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो भी निन्दा करनी चाहिए इनकी, माफी मांगनी चाहिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माफी मांगें, साहब, माफी मांगनी पड़ेगी। ...(व्यवधान)...

डा. एन.एस. गुर्जर : विधान सभा में बैठे हो। ग्राम पंचायत में बैठे हो कहां बैठे हो ? अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत की मीटिंग्स में ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं। विधान सभा में बैठे हो, ग्राम पंचायत में बैठे हो ?

श्री श्रवण कुमार : X X X

श्री बंशीलाल खटीक : मेरे हृदय को जोरदार आघात लगा है, यह लोग माफी मांगें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...(व्यवधान)... गुर्जर में ज्ञान नहीं, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अभी इन्होंने कहा, +++। यह असंसदीय भाषा का प्रयोग है, यह निन्दनीय है, इनको माफी मांगनी चाहिए और आप इनको बाध्य करें, माफी नहीं मांगें तो बाहर निकालें इनको।

श्री बंशीलाल खटीक : इनको सदन से बाहर निकलना चाहिए। जो सदन की गरिमा में नहीं रहते, सदन की गरिमाओं की रक्षा नहीं करते उनको बाहर निकालना चाहिए ...(व्यवधान)... इनको, ऐसे को बाहर भेजना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे कैसे चलेगा यह ?

एक माननीय सदस्य : यह तो कल किसी और को भी +++ कह देंगे, इनसे माफी मंगवाओ।

श्री बंशीलाल खटीक : सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को सदन से बाहर निकालना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए। इनसे माफी मंगवायी जाए।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपसे कोई कम पड़ते हैं क्या बंशीलालजी ? आप जैसे निपटना चाहते हो वैसे निपट लो।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह +++ किसको कह रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मर्जी आये जो बोलते हैं, आप आसन के आदेश की पालना नहीं करते।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : आपकी हर बात का जवाब देने में मंत्रीमण्डल सक्षम है मगर असंसदीय भाषा का प्रयोग आप इस सदन के अन्दर नहीं कर सकते। आप किसी को +++ या किसी को +++ आप बहुत बड़े सदस्य हैं इस हाउस के, हाउस की गरिमा रही है, यह हाउस परम्परा के आधार पर चलता है।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : इस सदन में बैठने का ऐसे सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण डूडी : नहीं, यह नहीं चलने दिया जायेगा।

श्री बंशीलाल खटीक : ऐसे सदस्यों को इस सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार इनका समाप्त हो गया है। सदन की गरिमाओं में यहां बैठते हैं।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री रामनारायण डूडी : मंत्री का जवाब मंत्री देगा आपको।

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, न तो नियमों की पालना करते हैं न आप अपनी भाषा पर संयम और संयत रखते हैं।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाहर निकालो, आसन पैरों पर।

श्री अध्यक्ष : क्या नहीं रखते, पहली बात तो यह है, सुनिये-सुनिये आप। आप बैठें, स्थान ग्रहण कर लें, अहारी साहब, प्लीज। सुनिये-सुनिये।

राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य को आपने +++ कह कर उत्तेजित किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इससे भी आगे +++ कहा।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, आप नहीं बोलें बीच में।

एक माननीय सदस्य : वह आपकी इजाजत से थोड़ी खड़े हुए थे।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष मेहरबानी करके थोड़ा संयम रखे।

मैं निवेदन कर रही थी कि पहले पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने उन्हें +++ कहा, उससे उत्तेजित हुए। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने अग्नि के अन्दर घी का काम किया और +++ कह दिया, तो उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक था।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह वो-वो क्या होता है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या होता है, माननीय सदस्य, वो वो? वो वो करते हो, यहां माननीय सदस्य होते हैं सब। आपने ठेका ले रखा है?

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कोई कमजोर समझते हो क्या उनको? खड़े होते हैं, खड़े होते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने आपकी बात का ही उल्लंघन किया, 295 पढ़ना चाहिए था इनको, यह 295 नहीं पढ़ कर और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। शुरूआत से ही इन्होंने तो उल्लंघन करना शुरू कर दिया था।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप क्या बोल रहे हो, वो वो क्या होता है ? ऐसे बोला जाता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। ...(व्यवधान)...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ऐसे क्या बोलते हो वो वो ? नहीं, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल नहीं, इन्होंने ऐसे कैसे बोला, वो ?

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : +++ यह बोलें, +++ यह बोलें, वो यह बोलें, क्या मतलब है यह ? इनकी दादागिरी चलेगी क्या ? नहीं चलेगी आपकी दादागिरी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : आसन को ऐसे कैसे बोल सकते हो आप ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बैठ जाओ। हम किसी भी सदस्य का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति क्यों आई ? हर सदस्य के बीच में व्यवधान डालते हैं।

श्री अध्यक्ष : दोनों माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : तमीज से बोलें पहले आप।

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करिए (व्यवधान) राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य आप बार-बार यही दोहरा रहे थे कि आप नियमों के विपरीत बोल रहे हैं। 295 में केवल पढ़ा जाता है आप बिना पढ़े बोल रहे थे तो वह यही टोक रहे थे कि आप अपना पढ़िये। उस पर आप बहुत उद्वेलित होकर के कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दें तो उचित नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ कह दिया।

श्री श्रवण कुमार : आप बोल सकते हो ना।

श्री हेमाराम चौधरी : व्यवस्था आप दे सकते हो वह नहीं दे सकते (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था यहां सब दे देते हैं। आसन की व्यवस्था को तो कई बार..(व्यवधान) कर देते हैं आप। माननीय सदस्य खुद ही व्यवस्था देने लग जाते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : ये कर लेते हैं इनको आप कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। अब इस बात को खतम करिए। श्री नाथूराम अहारी। अंकित ही नहीं किया गया था। आइन्दा के लिए ध्यान रखिए। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, कभी आप गुर्जर कभी माली और कभी इनको कहते हैं। आइन्दा से उचित बात नहीं होगी। कभी तो आप बाली को कहते हैं पहलवान नहीं होता, कभी कहते हैं कि गुर्जर विद्वान नहीं होता और कभी कहते हैं तुम्हारे +++ हैं, उचित बात नहीं है आपकी यह।

श्री श्रवण कुमार : व्यवस्था के विपरीत नहीं, आप बोल सकते हैं हमें कुछ भी हम आसन की इज्जत करते हैं वह हमें नहीं टोक सकते, आप जो भी कहेंगे मानने के लिए तैयार हैं। यह क्या तरीका है, आसन बोले ना।

श्री अध्यक्ष : आसन की व्यवस्था के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है।

श्री श्रवण कुमार : आसन बोल सकता है, आसन जो भी कहता है, मान्य है।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, यह सदन में क्या हो रहा है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन के पास जो है सारा सदन ही है जब आसन की नहीं मानें तो सदन को कंट्रोल करना..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : बीच के आदमी का प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन में अगर समय बर्बाद होगा तो राजस्थान की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई यहां खर्च हो रही है और इस तरह से समय बर्बाद हो रहा है इससे मेरा दल तो कतई सहमत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में बरसात कम ज्यादा होने से फसल बिलकुल नष्ट हो गई है, अर्थात अन्य वर्षो के बनिस्पत इस वर्ष बिलकुल अनाज नहीं पका है। जनता भूख व घास के अभाव में परेशान हो रही है, अकाल राहत के कार्य शुरू नहीं हुए हैं। लोग पलायन करने लगे हैं। जनता में भय पैदा हो गया है। स्वरोजगार योजना चालू होने जा रही है लेकिन

(श्री नाथूराम अहारी)

पर्याप्त नहीं है। अतः डूंगरपुर में अकाल राहत कार्य अति शीघ्र खोलने की कार्यवाही करने की आवश्यकता है। साथ ही घास की भी काफी आवश्यकता है। घास की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अतः अति शीघ्र घास की भी व्यवस्था करने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल शर्मा।

कृषि विद्युत कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने बाबत

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में नर्सरी एवं विशेष योजना के अन्तर्गत कृषि कनेक्शनों का सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने के संदर्भ में निवेदन है कि राज्य सरकार ने आदेश पारित कर विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन किसानों ने नर्सरी, विशेष तथा फार्म हाउस श्रेणी में कृषि कनेक्शन ले रखा है तथा जिनकी अवधि दो वर्ष पूरी हो चुकी है एवं जिनको चौबीस घंटे विद्युत सप्लाई की जाती है उन्हें सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जावे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जिन किसानों को चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती उन्हें तो सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किया जा रहा है। लेकिन जिस किसानों ने नगरपालिका क्षेत्र में कृषि कनेक्शन ले रखा है तथा जिन्हें ग्रामीण फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है उसके बावजूद भी उनके कृषि कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे कृषि कनेक्शनों को जिनको चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती तथा जिन्होंने दो वर्ष पूरे कर लिए उनको तत्काल सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कराने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल।

निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर ट्रोमा हास्पिटल खोले जाने बाबत

श्री हीरालाल (निवाई) : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत बनास से ट्रकों द्वारा बजरी का परिवहन किया जाता है। बजरी चालकों द्वारा अधिकतर ट्रकों द्वारा बजरी का ठेका नहीं जाता है। जिससे छोटे वाहनों पर गिरने से उनके शीशे खराब हो

(श्री हीरालाल)

जाते हैं साथ ही बजरी उड़कर दुपहिया वाहनों के चालकों के आंखों में गिरने से वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। यहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं जारी हैं। जनवरी एवं फरवरी में 16 दिवसों में 16 मौतें हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण है कि ट्रक चालक अकुशल या बिना लाइसैंस के चलाते हैं जिनकी चैकिंग की व्यवस्था ना तो पुलिस विभाग और ना ही परिवहन विभाग द्वारा माकूल व्यवस्था की जाती है। अक्सर वाहन दुर्घटनाएं बनास पुलिया से सांगानेर तक असावधानी एवं अधिक बार चक्कर ले जाने के कारण हो रही हैं। मेरा अनुरोध है कि बजरी के ट्रक चालकों के लाइसेंसों की चैकिंग चुंगी नाके या टोल टैक्स पर ही परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा टीम गठित कर की जावे ताकि अमूल्य मानव जीवन को बचाया जा सके। साथ ही टीम में चिकित्सक को भी रखा जावे ताकि वाहन चालक नशे में हो तो मेडिकल कराकर तुरन्त कार्यवाही की जावे। मेरा अनुरोध है कि बजरी के ट्रक सड़क पर बेतरतीब खड़े कर छोटे वाहनों का रास्ता रोक देते हैं इससे भी दुर्घटनाएं होने की सम्भावना बनी रहती है।

मेरा अनुरोध है कि निवाई छिलाय बाई पास पर बेतरतीब ट्रक दोनों तरफ खड़े रहते हैं इससे भी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। सोतेता डिग्गी रोड पर रात्रि को रास्ता अवरूद्ध कर खड़े हो जाते हैं इससे भी दुर्घटना घटित हो रही है।

अतः मानव जीवन को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं चिकित्सा अधिकारी को शामिल कर चैकिंग की व्यवस्था हेतु दल गठित कर मुस्तैदी से कार्यवाही की जावे। वाहन चालकों का लाइसैंस कागज एवं चालक नशे में तो नहीं है बजरी टोल टैकस पर ही चैकिंग की जावे तथा सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे। तथा निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर ट्रोमा हास्पिटल खोला जावे ताकि दुर्घटना घटित होने पर मानव जाने बचाई जा सके। चूंकि दुर्घटनाएं विधान सभा क्षेत्र के बनास नदी एवं सांगानेर के बीच ही हो रही हैं। अतः निवाई में ट्रोमा हास्पिटल खोला जाना न्यायोचित है।

श्री अध्यक्ष : श्री भरत सिंह।

छबड़ा थर्मल प्लाण्ट हेतु अधिगृहीत भूमि का उचित मुआवजा देने बाबत

श्री भरत सिंह (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत

(श्री भरत सिंह)

छबड़ा थर्मल प्लांट हेतु अधिगृहित भूमि का उचित मुआवजा प्रभावित परिवार के एक सदस्य को थर्मल में नौकरी एवं पड़त पड़ी भूमि का आबंटन प्रभावित किसानों को करने बाबत निवेदन है कि छबड़ा जिला बारां में थर्मल प्लांट के निर्माण हेतु किसानों की भूमि अधिगृहित की गई है। डी.एल.सी. द्वारा जो भूमि की दर मुआवजा हेतु निर्धारित की गई है वह बहुत कम है। सिंचित क्षेत्र में यह राशि 35000 प्रति बीघा है तथा असिंचित क्षेत्र में यह राशि 22000 प्रति बीघा तय की गई है। यह राशि अत्यन्त कम है। वर्तमान में वहां की भूमि का बाजार दर एक लाख रुपए प्रति बीघा है। जिन किसानों की भूमि अधिगृहित की जा रही है उनके सामने अंधेरा छा गया है व जीवन यापन करने हेतु उन्हें कृषि के अतिरिक्त कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। 504 किसानों की कुल 1600 बीघा जमीन अधिगृहित होगी व 600 बीघा चरागाह भूमि अधिगृहित होगी, इस प्रकार कुल 2200 बीघा भूमि अधिगृहित होगी। थर्मल प्लांट की कुल लागत 1750 करोड़ रुपए है। इस पृष्ठभूमि में किसानों को यदि एक लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से भुगतान किया जाता है तो पूरे भुगतान की कुल राशि 16 करोड़ होगी जो पूरी लागत के सामने नाम मात्र है। इस राशि से 100 गुना अधिक राशि तो बतौर कमीशन ही इस कार्य को संचालन करने वाले डकार जायेंगे। 504 किसान परिवार को एक लाख रुपए की दर से भुगतान किया जावे ताकि प्रभावित किसान परिवार को अपनी भूमि से बेदखल होने की पीड़ा कम महसूस हो।

यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां छबडा में प्रति बीघा 22000 से 35000 रुपए प्रति बीघा भूमि के मुआवजे का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है वहीं कोटा जिले के ग्राम ब्रजेशपुरा में भारत पैट्रोलियम का टमिर्नल पाइंट बनाने हेतु 13 हैक्टेयर कृषि भूमि हाल ही में अधिगृहित की गई है। इस भूमि का भुगतान तीन लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से किया जा रहा है। कोटा में डी.एल.सी. की दर तीन लाख रुपए प्रति बीघा नहीं है मगर सरकार के हस्तक्षेप से किसानों को तीन लाख रुपए प्रति बीघा का भुगतान किया जा रहा है। लाडपुरा में यदि किसान को तीन लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से भुगतान किया जा सकता है तो छबड़ा के किसानों को क्योंकर 22000 से 35000 राशि प्रति बीघा के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। छबडा के 504 किसान परिवारों को एक लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता है। प्रदेश में एक ही संभाग के दो जिलों में

(श्री भरत सिंह)

मुआवजे का मापदण्ड इतना भिन्न क्यों है। छबडा के किसानों को भूमि अवाप्ति का उचित मुआवजा प्रदान किया जाना सरकार का दायित्व है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, छबडा में जिन किसानों की अभी माननीय सदस्य ने बात की, छबडा में उन किसानों का एक-एक पेड़ का, सारा छप्पर का जो भी होता है सबका मुआवजा दिया जा रहा है और किसान खुद एस.डी.ओ. आफिस में आकर चैक ले जा रहे हैं और मात्र राजनैतिक रूप से यह सवाल उठाया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की राजनीति इस पवित्र सदन में नहीं होनी चाहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपका कौनसा विभाग है ? आप क्या जवाब दे रहे हो ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरा क्षेत्र है, ध्यान कैसे नहीं है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : विभाग नहीं है। ऐसे नहीं दे सकते आप। विभाग हो तो आप, यह कोई बात हुई ? आपका नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : जोइंट रेसपांसिबिलिटी है।

श्री अध्यक्ष : जोइंट रेसपांसिबिलिटी है।

श्री अशोक बैरवा : बहुत अच्छा बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कल तो हकला रहे थे, आज अच्छा बोल रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बैठ जाओ आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको पता होना चाहिये मंत्री कभी भी बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नवनीत लाल नीनामा, पर्ची पर बोलेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : निर्विवाद मंत्री हैं क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, निर्विवाद।

श्री हेमाराम चौधरी : बस ठीक ठाक चल रहा है यहां तो कुछ कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, यह क्या बात हुई ? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर हम यहां यूं ही आए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है क्या बात कर रहे हो आप ? पैसा नहीं मिल रहा है जब ही तो बात कर रहे है अगर पैसा मिल जाये तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है तो आप तो यूं ही, आपको लगा कि मैं ले लूं वाह वाही।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के मामले में...

श्री अध्यक्ष : अब उसको ऐसा है आप तो चले गये थे बहिर्गमन करके और उसके बारे में मेरी व्यवस्था यह है...

श्री संयम लोढ़ा : आपने प्रस्ताव रिजेक्ट किया है पर इतना संवेदनशील मामला है...

श्री अध्यक्ष : तो आप सुनना नहीं चाहते हैं, अध्यक्ष की व्यवस्था को नहीं सुनना चाहते हैं। महत्वपूर्ण मामला है इसीलिये मैंने सदन में निवेदन किया है कि उस पर आप अन्य नियम में आएं ताकि इसकी विस्तृत चर्चा की जा सके, पर चूंकि आपने पर्टिक्यूलर इंस्टांस नहीं दिया था; यदि आप कोई पर्टिक्यूलर इंस्टांस मुझे देते या रिसेंट आकरेंस का होता तो मैं उसे मंजूर भी कर लेती। सुनिये अब आप इतनी जल्दी भी न किया करें। मुझे पूरा तो बोलने दीजिये इसलिये मैंने कहा आप अन्य नियम में आएं, 127 में आएं, 131 में आएं ताकि उस बारे में आप पूरी चर्चा कर सकें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे मसले से आपको अवगत कराया था। आपकी आज्ञा लेने के बाद मैंने नियम 50 के अन्तर्गत यह स्थगन प्रस्ताव दिया है इसलिये कृपा करके...

श्री अध्यक्ष : 50 is not accepted. नियम 50 कब एक्सेप्ट होता है, मुझे आप यह तो बतायें जरा। पूरे राजस्थान विधान सभा के इतिहास में केवल चार बार 50 एक्सेप्ट हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा : आप बोलने की तो आज्ञा दें। आप मुझे सदन को अवगत कराने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष : तो बोलने के लिये आप थे कहां ? You were not here.

आप थे कहां यहां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल निवेदन करना चाह रहा हूं बाकी तो आसन जैसी व्यवस्था देगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। यही प्रश्न पिछले सत्र में माननीय सदस्य ने पूछा जिसका मैंने पूरा डिटेल जवाब दिया। अभी अंतः सत्र में भी यह प्रश्न पूछा उसका भी मैंने पूरा जवाब दिया। मतलब इसमें कोई चीज नहीं, किसको दिया...

श्री अध्यक्ष : एक ही बात को दुबारा उठा ही नहीं सकते कायदे से आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किसको दिया, कितना पैसा दिया, किस फण्ड से दिया, उसके बाद भी अगर आप किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं...

श्री संयम लोढ़ा : हम तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बलात्कार से 4 बच्चियां मर गयीं उनको तो आपने फूटी कौड़ी दी नहीं तो उसका जवाब पूछने का हमको हक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो आपने प्रश्न में पूछ लिया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह उसमें जिक्र होना चाहिये और एक प्रश्न वह आ चुका है विधान सभा में उस प्रश्न को बार-बार यहां नहीं लाया जा सकता है, नियमों में व्यवस्था है यह।

श्री संयम लोढ़ा : मामला डिसकस नहीं हुआ है यहां विधान सभा के अन्दर।

श्री अशोक बैरवा : घटनाएं तो बार-बार घट रही हैं, पूरे प्रदेश में रोजाना घट रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हैं अब ? आप क्यों खड़े हैं।

श्री अशोक बैरवा : आप कह रहे हो कि जवाब नहीं देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्यों नहीं दिया, वह खड़े हैं ना।

श्री अशोक बैरवा : घटनाएं रोज घट रही हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका यह प्रश्न 514 पिछली बार सत्र में था, मैंने इसका आपके एक एक बिंदु का जवाब दिया ना, जो आपके पास है। मैंने कोई चीज इसमें छिपायी क्या ? अगर इसमें कोई चीज मैंने गलत तथ्य दिये हों अगर उसके बारे में आपको कुछ कहना है तो आप नियम से आओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर मेरे से फैक्ट देने में कोई गलती रह गयी, कमी रह गयी तो मैं समझ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, नियम में आइये।

श्री संयम लोढ़ा : आपका जवाब देना माननीय गृह मंत्रीजी, पर्याप्त नहीं है। सरकार की व्यवस्था किस तरह की है उस पर चर्चा करने का हमारा अधिकार है। 442 बलात्कार हुए..

श्री अध्यक्ष : तो नियम में आओ, कौन मना कर रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : यह कोई तरीका नहीं है राजशाही का कि आप मर्जी आये जिसको पांच लाख रुपये दे दो और बाकी पीड़ित बच्चियों को जिनकी मौत तक हो चुकी है उनको आप फूटी कौड़ी नहीं दो, यह पूछने का अधिकार हमारा नहीं है ? और जब विधान सभा के अध्यक्ष पद पर..

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह वेग आरोप लगा रहे हैं। वेग आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : मेरे पास रिकार्ड है पूरा एक-एक चीज का..

श्री महावीर प्रसाद जैन : बाकायदा एक सूचना के आधार पर आपको बात करने का अधिकार है लेकिन वेग आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी कोई नियमों में व्यवस्था नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, दो महीने के शासन में 441 नाबालिग लड़कियों के बलात्कार हुये...

श्री महावीर प्रसाद जैन : सुबह से शाम तक एक ही बात करते हैं, ऐसा कोई केस लाकर बतायें तो समझ में आता है।

श्री संयम लोढ़ा : बहुत गम्भीर मामला है..

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे कहा रिसेंट आकरेंस का कोई भी उदाहरण यदि आप देते तो मैं उस पर आपको चर्चा करने का मौका देती...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई गम्भीर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप तो बहिर्गमन करके चले गये थे। आप थे ही नहीं मौजूद, मैं किसको बोलने का मौका देती ?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का अगर फैसला है तो प्रतिप्रक्ष का सदस्य होने के नाते उनके आदेश की पालना करना मेरा कर्तव्य है और मैं आपसे प्रोटक्शन चाहता हूं, यह कोई साधारण सवाल नहीं है, पूरे राजस्थान के अन्दर नाबालिग बच्चियों से बलात्कार का मामला है और उसको सहायता देने में भेदभाव किया गया है और वह भी तब जब राज्यपाल के पद पर एक महिला आसीन है, मुख्यमंत्री पद पर महिला आसीन है। आप किसी एक लड़की को तो पांच लाख रुपये दे दो और दूसरी को पांच हजार रुपये भी नहीं दो, यह कौनसा तरीका है सरकार का ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपने परमीशन दे दी क्या वेग आरोप लगाने की ?

श्री अध्यक्ष : मैंने परमीशन नहीं दी है, यह अननेसेसरी...

श्री संयम लोढ़ा : मैं वेग आरोप नहीं लगा रहा हूं। इस सरकार का रिकार्ड है मेरे पास में। मैं कोई वेग आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, न कोई नाम है, न कोई गांव है, न कोई इसमें भेदभाव हुआ है, न कोई बात है और मैं समझता हूं यह पवित्र सदन का दुरुपयोग है।

श्री अशोक बैरवा : आपको इस समय कुछ नहीं दिख रहा है। पूरे एक साल में सैकड़ों बलात्कार हुए हैं, आप मदांध हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको मौका देती मैंने जैसा कि कहा अगर कोई रिसेंट आकरेंस का मुझे..(व्यवधान) बैठिये, पहले स्थान ग्रहण कर लें। यदि रिसेंट आकरेंस का मुझे कोई आप इस तरह का उदाहरण देते कि उसको तो इतना पैसा दिया, इसको इतना कम दिया तो मैं आपको मौका देती लेकिन आप तो थे ही नहीं यहां पर, मौका किसको देती मैं और अब मैं मौका दूंगी नहीं। अब मैं सदन का समय आपको नहीं लेने दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप पूरी उदारता के साथ...(व्यवधान) बाहर निकाल दो, मुझे ऐतराज नहीं है। मैं नाबालिग बच्चियों की, आपकी भी बच्ची हो सकती है, यह क्या बात हुई ? (व्यवधान) हां मेरी होगी, चलिये वह सारी बच्चियां मेरी हैं। मेरी बच्ची हैं इसलिये बोल रहा हूं मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको तो वह जे.डी.ए. में जो महिला है ना वह याद करती है आपको तो, बात करते हो।

श्री संयम लोढ़ा : क्या बातें कर रहे हो आप ? एक तो सरकार को आगे बढ़कर बोलना चाहिये कि हमसे गलती हुई है, यह सारी बच्चियों को सहायता देनी है, आपको सदन में आकर घोषणा करनी चाहिये। वह तो आप करना नहीं चाहते और मुझे बाहर निकालना चाहते हो। मुझे बाहर निकालने से आपके पाप धुल नहीं जायेंगे।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत संवेदनशील है, महिलाओं का है इसमें आपको व्यवस्था देनी चाहिये और यह बात बहुत सही है भेदभाव किया गया है। किसी महिला को पांच लाख, किसी को दो लाख, किसी को पांच हजार, इस पर आपको व्यवस्था देनी चाहिये। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं इनको बोलने की इजाजत देनी चाहिये। इस पर चर्चा होनी चाहिये, चर्चा के लिये रखा जाना चाहिये इस विषय को।

श्री संयम लोढ़ा : मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है और आपको आगे बढ़कर सरकार को निर्देश देने चाहिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : क्या व्यवस्था देनी चाहिये और कौन से नियम में बोल रहे हैं आप ? ममताजी, किस नियम में बोल रही हैं आप ? क्या व्यवस्था देनी चाहिये अध्यक्षजी को ? अध्यक्षजी व्यवस्था दे चुकी हैं। अध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी है।

श्रीमती ममता शर्मा : आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष : जब आपकी ओर से ममता शर्मा खड़ी हो गयी हैं आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्रीमती ममता शर्मा : क्या कह रहे हैं आप ? आप माननीय अध्यक्ष की तरफ मुखातिब होकर बात करिये। मेरे से नहीं कर सकते आप। मैं बिलकुल ठीक कह रही हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप क्या व्यवस्था चाहती हैं ? किस नियम में बोल रही हैं आप।

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रही हूं, हम आपके मोहताज नहीं हैं, हम आपके ऊपर नहीं हैं, हमारा अधिकार है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप किस नियम में आये हो ?

श्रीमती ममता शर्मा : बिलकुल हम व्यवस्था मांगेंगे। हमारा अधिकार है मांगने का व्यवस्था, जिसे हम मांग रहे हैं और महिलाओं का सवाल है। जब सरकार के सामने महिलाओं का सवाल आता है, आपने क्राइम रेट देखी है, कितनी बढ़ी हुई है ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपका अधिकार है, नियम में तो आओ। उधर बात करो।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात तो जब सुनूं ना जब यह सब लोग बैठें। माननीय सदस्य बैठें।

श्रीमती ममता शर्मा : जो अनुशासन में रहता है उनको मौका नहीं मिलता, जो अनुशासन में नहीं रहता अपने आप बोलता है, आप मौका देती हैं उनको।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, किस नियम में आयी हैं यह ?

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हैं ? क्यों खड़े हैं आप ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : आप बताइये आप किस नियम में खड़े हैं। माननीय सदस्य किस नियम में खड़े हैं, मैं भी पूछ सकती हूं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका सबसे लम्बा अनुभव है और आप इस पीड़ा को भली भांति समझती हैं और अनुभव करती हैं। यह सवाल, अगर पांच मिनट का आप वक्त दे देंगी और सरकार से जवाब दिलवा देंगी कितनी बच्चियों का भला होगा और आगे के लिये इस शासन व्यवस्था को एक निर्देश मिलेगा कि इस मामले में सरकार को काम करना चाहिये। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : इतना महत्वपूर्ण मसला है इसीलिये मैंने कहा है किसी अन्य नियम में आइये ताकि उस पर विस्तृत चर्चा की जा सके। इसीलिये मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, अब आप बैठ जाएं। अन्य नियम में आ जाएं, क्या दिक्कत है ?

श्री नवनीत लाल नीनामा, पर्ची पर बोलेंगे।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

घाटोल तहसील में माही डेम से भूंगड़ा कैनाल के अन्तिम छोर पर पानी न पहुंचना एवं 15 पटवार क्षेत्र में नयी नहर बनाये जाने की मांग

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, निवेदन इस प्रकार है कि अभी राजस्थान सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए सिंचाई की और नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। मैं मेरे तहसील घाटोल क्षेत्र में माही डेम की दायीं मुख्य नहर जो निकाली गयी है और उसी से माही डेम से ही भूंगड़ा नाम की एक केनाल निकाली गयी है, दोनों नहरें निकल चुकी हैं।

आपके विभागीय अधिकारियों द्वारा सर्वे की गयी। वह सर्वे इस प्रकार से की गयी जो समतल भूमि थी वह भी छूट गयी और इन दोनों में जहां पानी जाना चाहिए था वहां आज दिन तक पानी बराबर पहुंच नहीं रहा है और वह भूमि कमांड एरिये में हैं। 15 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, पंचायत मण्डल भी हैं जिसमें 76 गांव आते हैं और इसकी 227319 बीघा जमीन है। इसी तरह से कमांड एरिया होने के बावजूद पानी नहीं जा रहा है और जहां अभी राज्य से भूमि अलाटमेंट हो रही है उसका प्रीमियम वसूल किया जा रहा है। वहां का किसान पानी लेने को तैयार है। पानी पीने योग्य जमीन भी है लेकिन नहरें वहां पहुंची नहीं हैं। इसलिए मेरा आग्रह है इसमें कि दुबारा सर्वे कराया जाये। यह ग्राम पंचायतें देवदा, भगौरों का खेड़ा, कण्ठाव, खेरवा, सवनिया, खमेरा, रूपजी का खेड़ा, बस्सी हाड़ा, देवलिया, देलवाड़ा, लोकिया, गनौड़ा, मोटा गांव, जगपुरा, भुआसा, बोरदा और रूणिया इस तरह से 15 पटवार मण्डल हैं। वह जमीन पानी पिलाने योग्य है, कमांड भी है लेकिन नहरों के अभाव में वहां का किसान पास में पानी होने के बावजूद पानी नहीं पिला पा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि दुबारा से कमांड भूमि को पानी दिलाया जाये। अगर वह पानी नहीं देने योग्य है, अगर पानी जाने योग्य है तो उसका सर्वे कराकर पानी सप्लाई कराया जाये और जो पानी नहीं पहुंच रहा है तो उस भूमि को कमांड से बाहर किया जाये ताकि वहां का किसान नाजायज दंड-पैनल्टी से बच जाये। वहां पर सर्वे कराने के लिए मैंने पूर्व में भी मांग की है लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुई है। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि दुबारा मौके पर सर्वे

(श्री नवनीत नीनामा)

कराया जाये। विभागीय अधिकारियों को जहां-जहां सर्वे योग्य भूमि है उस भूमि को जांच कर इंजीनियर, ओवरसियर को आदेश दिया जाये ताकि वहां का किसान जो नाजायज रूप से अकाल का मुकाबला कर रहा है, उससे वह लड़ाई लड़ सके और अनाज पैदा कर सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदय को आप ओदश दें और घोषणा करायें कि वहां पर इस तरह की जो अव्यवस्था है उसको पूरी तरह से व्यवस्था करायी जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद। श्री रघुवीर मीणा।

श्री सांवरलाल जाट (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उससे मैं सहमत हूं। पहले मेरी एक बार जयपुर में बैठक हुई थी उसमें भी माननीय सदस्य ने इस संबंध में काफी चर्चा की और मैंने बाद में मेरे विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो बीच का एरिया जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि भूखड़ा की आर.डी. 28 किलोमीटर से एक उच्चस्तरीय नहर बनाकर नरवाली वितरिका और भूखड़ा के मध्य अवस्थित घाटोल तहसील के खैरवा, खमेरा, गोलियावाड़ा, झरकणिया, नेगरडा, भगोरा का पाड़ा, रूपजी का खेड़ा आदि गांवों में लगभग चार हजार हेक्टेयर भूमि को इर्रिगेट करने के लिए टेंडर फलोट कर दिये गये हैं और जल्दी ही इस संबंध में कार्यवाही हो जायेगी और भी जो आपने बातें उठायी हैं अगर कोई कमांड एरिया है और पानी नहीं पहुंचा है आज तक और पहुंचने की सम्भावना भी नहीं होगी तो उसके संबंध में डी-कमांड करने की कार्यवाही अतिशीघ्र प्रारम्भ करवा देंगे जिससे किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं हो। इसके लिए जो डूब क्षेत्र. वहां से भी एक उच्चस्तरीय नहर का सर्वे कराया जा रहा है जिससे पीपलखूंट क्षेत्र की लगभग 4 हजार हेक्टेयर भूमि से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो तो इस तरह से भी विभाग में काम करना प्रारम्भ कर दिया।

श्री जीतमल खांट : दानपुर क्षेत्र भी आ रहा है।

श्री सांवरलाल जाट : आपका भी आयेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरदेव बाबर।

श्री रघुवीर मीणा : मैं हूं ना अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बीच में खड़े हो गये थे।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बीच में खड़ें हो गये तो आप बैठ गये। आप पूरा करते अपना। आप क्यों बैठे।

ट्राइबल एरिया के लिए जो PMT आदि में 45 प्रतिशत आरक्षण है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाय

श्री रघुवीर मीणा : पर्ची पर ही तो बोल रहा हूं ना। पर्ची पर ही तो है मेरा। आप खड़े हो गये थे इसलिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ क्यों गये।

श्री रघुवीर मीणा : वह बोल रहे थे। अब सदन की परम्परा नहीं निभायेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह क्या बात हुई। आपको अपनी बात पूरी कहनी चाहिये थी...(व्यवधान)

श्री रघुवीर मीणा : वह बीच में खड़े हो गये थे ना, शुरू ही नहीं किया उससे पहले ही खड़े हो गये...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संवेदनशील विषय की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें सरकार पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कोई न कोई हल निकालेगी।

अध्यक्ष महोदय, जनजाति विकास विभाग का 1975 में गठन हुआ और राजस्थान में इसको चार भागों में बांटकर जनजातियों का विकास होता है। मैं सभी क्षेत्रों पर प्रकाश नहीं डालकर विषय पर ही आ जाता हूं। अनुसूचित जनजाति का अनुसूचित क्षेत्र जहां राजस्थान का दक्षिणी इलाका आता है जिसमें बांसवाड़ा पूरा जिला, डूंगरपुर पूरा जिला, उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही के कुछ लघु खण्ड के 23 पंचायत समितियों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र बना है। वहां जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत के संविधान की अधिसूचना संख्या एफ 19(2)/80/एल-1 दिनांक 12.2.1981 द्वारा डूंगरपुर व बांसवाड़ा के संपूर्ण जिला, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही जिलों के जनजाति खण्डों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है। यह घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(ए) के अधीन पांचवी अनुसूची के पैरा 6 के उप पैरा एक के अन्तर्गत की गयी है। मेरा निवेदन इसके बारे में यह है कि यह अनुसूचित क्षेत्र संविधान की धारा 244(ए) तहत घोषित है और अनुसूचित क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, वह भी संविधान के सम्मत हैं। इसके पीछे मंशा यह है कि

(श्री रघुवीर मीणा)

अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जनजाति लोग जो वहां की जनसंख्या के 68.52 प्रतिशत हैं। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र 45 लाख 44 हजार लोगों में से 30 लाख 93 हजार लोग जनजाति के हैं। वहां की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से पूरा सदन वाकिफ है। सब जानते हैं। सब सरकारें भी जानती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में 54 आर.ए.एस. आफिसर हैं उसमें से उस क्षेत्र से मात्र एक आर.ए.एस. है और एक निर्मलाजी थी व अजमेर की हो गयी हैं इसलिए वह इधर में आ गयी हैं। एक आर.ए.एस. ऑफिसर हैं राजस्थान का एस.टी. में 74 आर.ए.एस. में से। आजादी के बाद 50 साल में आज तक 20 डाक्टर बने होंगे और जिस विषय पर मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाह रहा हूं 2002-03 में मेडिकल और आर.पी.एम.टी., आर.पी.वी.टी. में स्पेशल रिजर्वेशन इस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लागू हुआ उसके बाद तीन साल में लगातार करीब 75 छात्र मेडिकल कालेज में डाक्टरों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं आपसे सहानुभूतिपूर्वक निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि अभी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार वह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एस.सी. की अनुसूचित जाति के 57 जातियों को चार केटेगरी में बांट रखा है, ए, बी, सी, डी और इनमें अलग-अलग केटेगरी का अलग-अलग प्रतिशत है रिजर्वेशन का, एक प्रतिशत, सात प्रतिशत, छः प्रतिशत, एक प्रतिशत। वहां रैली कम्युनिटी है। उसकी 2.67 प्रतिशत पापुलेशन है और रिजर्वेशन एक प्रतिशत है। डी केटेगरी में आदि आंध्रा कम्युनिटी एस.सी. उसमें 8.96 प्रतिशत कास्ट है और रिजर्वेशन एक प्रतिशत है। इस असंतुलन के कारण वह लोग सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 को आधार बनाकर के एक फैसला दिया जो एस.सी. कम्युनिटी के संबंध में था। आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में था। एस टी आर्टिकल 342 में कवर होती है, 342 में न इसके बारे में जिक्र था न एस टी के बारे में जिक्र था, शिड्यूल्ड एरिया के बारे में जिक्र था। मेरा आपसे निवेदन है कि इस एरिया के बारे में विशेष प्रावधान हैं जिसके तहत केन्द्र सरकार से सहायता मिलती है। धारा 275(1) के तहत अलग से फाइनेन्शल एड मिलती है और सेण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स से विकास के काम होते हैं, स्टेट गवर्नमेण्ट की तरफ से भी होते हैं। महाराष्ट्र पैटर्न की तरफ से होते हैं, यह सारे प्रावधान हैं जिसके तहत मंशा यह है कि वहां के लोगों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से ऊपर उठाया जाए और आज अगर राज्य सरकार ने इस फैसले का इण्टरप्रिटेशन गलत

(श्री रघुवीर मीणा)

करके एस टी पर लागू कर दिया तो आगे आने वाली पीढियां बरबाद हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह बहुत सेन्सेटिव विषय है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : सेन्सेटिव है तो क्या हुआ, पर्ची पर आप 7 मिनट बोल लिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मैं अपना विषय तो रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी से अभी बच्चों के एडमिशन के लिए, परीक्षा के लिए फार्म निकल गए हैं। अभी मई में परीक्षा होनी है और जुलाई में काउन्सलिंग होनी है। उस क्षेत्र के आदिवासी बच्चे इतने सक्षम भी नहीं हैं, न वहां के लोगों के पास इतना पैसा है जो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील करके फैसला अपने हक में करा सकें। हमारे पास तो एक ही हथियार है कि सरकार स्वयं पहल करके सुप्रीम कोर्ट में जाए और जो आदेश आपने 31.12.2005 को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को दिया है उस आदेश को विड्रा करके अभी जो बच्चे पी.एम.टी. और पी.वी.टी. में प्रवेश करेंगे उनको सहायता दे पाएंगे इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर पुनः विचार करके अपने इस आदेश को स्वीकार करें, विड्रा करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके परिणाम बहुत गम्भीर यूं होने वाले हैं कि 1995, 1996, 1998 और 1999 में राज्यपाल महोदय की अलग-अलग अधिसूचनाओं द्वारा कैटेगरी 1 से 6, 7, और 9, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर थर्ड ग्रेड की जितनी भी सर्विसेज आती हैं उस पर आज उस क्षेत्र के लोगों के लिए रिजर्वेशन है और यह प्रभावित होगा इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो ट्राइबल सब प्लान एरिये के लिए पीएमटी, पीवीटी में 12 में से 45 प्रतिशत का जो रिजर्वेशन है उसको स्थायी रखा जाए, इसके लिए सरकार से उम्मीद करूंगा और निश्चित तौर पर आप कोई आश्वासन देंगे। इसमें किसी भी तरह से, मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि यह पार्टी विशेष का मामला है, सत्ता पक्ष के लोग भी हमारी बात से सहमत होंगे और मैं चाहूंगा कि इस बारे में सभी अपनी सहमति व्यक्त करें। (व्यवधान)

श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर सरकार अमल करके अपना वक्तव्य जारी करे और

(श्री अर्जुनलाल मीणा)

हमारी मदद करे। यह कोई आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। यह उदयपुर सम्भाग के ट्राइबल का मामला है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जिस माननीय सदस्य ने पर्ची दी है, वही बोले, यह क्या बात हुई ? स्थान ग्रहण करें।

श्री अर्जुनलाल मीणा : मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा जितना भी बैकलाग है, खाली पड़े पद थे उसको माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने भरा है और यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें।

श्री अध्यक्ष : पर्ची जिन माननीय सदस्य ने दी है केवल उसी को बोलने का अधिकार है। यदि बहुत महत्वपूर्ण मामला है तो आप अन्य नियमों में आ जाइए, इसमें क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी माननीय सदस्यों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। अभी भी पीड़ा व्यक्त की है, सदन के बहुत से माननीय सदस्य मुझसे मिले हैं, मैं अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि राज्य सरकार ने पूर्व में भी यह जो 12 प्रतिशत का आरक्षण है पीएमटी में एसटी का उसमें 45 प्रतिशत आरक्षण जो जनजाति क्षेत्र विकास एरिया है उसके लिए रखा था, वह लगातार चल रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली बार एक फैसला दिया, मैं उस फैसले की समीक्षा में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उस फैसले में दोनों सेक्शन लिखे हैं, 341 भी है, 342 भी है और उन्होंने यह भी लिखा है कि मटाण्डिस मुटाण्डी जो 341 पर फैसला होगा वह 342 पर लागू होगा और 342 पर जो फैसला होगा वह 341 पर लागू होगा। यह 5 जजों की बैंच का फैसला है। इसके बाद पिछली बार जब हम काउन्सिलिंग कर रहे थे तो सुश्री राजकुमारी मीणा ने पत्र दिया और कन्टेम्प्ट का नोटिस राज्य सरकार को दिया लेकिन चूंकि पिछली बार भी हमने इसको सर्वोच्च न्यायालय में अप्लीकेशन देकर कि यह इलाका अलग से है और हमने उसका रिजर्वेशन कायम रखा, इस पर भी नोटिस मिल गया है। इस किताब का तो आपने पढ़ा,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वह तो एक कानूनी बाध्यता है लेकिन सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई है और हम कोशिश यह कर रहे हैं 2006-07 में भी जुलाई में जो काउन्सिलिंग हो उसके पहले-पहले सर्वोच्च न्यायालय से हम इस बात की छूट ले लें और छूट लेकर आपके अधिकार को आरक्षित करें। सरकार ने इसमें निश्चित रूप से माना है इसलिए इस पर कोई भी विवाद की बात कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरदेव बाबर।

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांवों की भेड़-बकरियों में फैली अजीब बीमारी का समुचित इलाज कराने बाबत

श्री केशरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए इजाजत दी उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पशु पालन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ग्राम चारणानाऊ, बाटड़ानाऊ, राजास एवं आसपास के गांवों में भेड़ और बकरियों में अजीब बीमारी फैल गई है और यह बीमारी करीब 20-25 दिन से चल रही है। इससे करीब 150-200 जानवर मर चुके हैं और अभी भी उन जानवरों का मरना जारी है। मैंने वहां के प्रशासन से इस बारे में बात की और वहां डाक्टरों की टीम भी गई लेकिन अभी तक जो उपाय होने चाहिए थे, वह उपाय नहीं हुए हैं और वहां जो पशु पालक हैं वह भयभीत हैं और अभी भी उनके जानवर मरना जारी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां अच्छे डाक्टरों की एक टीम भिजवाई जाए और जो पशु मर रहे हैं उनका इलाज किया जाए और जिनकी भेड़, बकरियां मर चुकी हैं उन गरीब परिवारों को मुआवजा दिलाया जाए, यही मेरी सरकार से आशा है। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

पैराटीचर्स की समस्याओं के सम्बन्ध में

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का और सदन का ध्यान पैराटीचर्स की समस्याओं के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। यह सदन साक्षी है इस बात का कि पिछले बजट सत्र में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यहां खड़े होकर यह घोषणा की थी कि चाहे पैराटीचर हो, चाहे डीपीईपी के हो, चाहे मदरसा पैराटीचर्स हों, चाहे लोक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जुम्बिश के शिक्षाकर्मी हो, चाहे उर्दू शिक्षाकर्मी हो, हम बहुत जल्द इसकी समीक्षा करके इनका स्थायीकरण, इनकी वेतन वृद्धि और समान सुविधाएं देने का इरादा रखते हैं और बहुत जल्दी ही इसका फैसला कर लिया जाएगा।

लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल गुजर गया और एक साल गुजरने के बाद भी आप द्वारा की गई घोषणा पर अमल नहीं हुआ। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। आज पूरे राजस्थान के अन्दर जो भी पैरा टीचर थे 30-35 हजार उनमें से करीब 10 हजार तो आरपीएससी के माध्यम से स्थायी हो गए लेकिन बाकी जो बच गए चाहे वह आप हो या हम हो, हम चुनाव लड़ते हैं, एक बार असफलता भी मिलती है, सबको मिली तो दूसरी बार मौका फिर देते हैं, यह नहीं कि घर बैठ जाए, जो बाकी बचे उनको भी आपको अवसर देना चाहिए किसी कारणवश वह रह गए हों, आज पूरे राजस्थान में पैराटीचर्स ने आंदोलन किया 19 स्थानों पर और उदयपुर जहां से माननीय गृह मंत्रीजी आते हैं, वहां पर गोली भी चलाई गई। आज स्थिति यह है कि उन पैराटीचर्स के मन में यह भावना आ गई कि अब हम स्थाई हो नहीं सकते तो जिस रुचि से वह कार्य कर रहे थे शिक्षा के प्रचार-प्रसार में सहयोग दे रहे थे, आज उनमें भी एक उदासीनता आई है और इसलिए मेरा आपसे निवदन है कि एक बार और अवसर आप इनको दें और जो बाण्ड भरने का नया फार्मूला आप ले आए कि सारे पैराटीचर्स नोन जूडिशल स्टाम्प पर एक अनुबन्ध पत्र भर कर दे दें और इससे उनके मन में यह हो रहा है कि बस यह बॉण्ड हमने भरा, उसके बाद इस अवधि के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी। इन सारी शंकाओं के ऊपर अपना समाधान कराने के लिए पैराटीचर्स का प्रतिनिधिमण्डल माननीय शिक्षा मंत्रीजी के घर पर गया, सारे मंत्रियों के पास, विधायकों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास गया। लेकिन क्या यह सही है कि उसके बाद वो प्रतिनिधि मण्डल माननीय बी.डी. कल्लाजी के पास, रामलालजी के पास और हमारे पास भी आया और उसने जो पीड़ा व्यक्त की, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि जिसको वजीरे तालीम कहा जाए या शिक्षा मंत्री कहा जाए वो इस तरह की भाषा का उपयोग भी कर सकता है क्या ? उन पैराटीचर्स को, प्रतिनिधि मण्डल को माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, तुम तो कांग्रेस की नाजायज औलाद हो। क्या इस तरीके की भाषा के प्रयोग की अपेक्षा शिक्षा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मंत्रीजी से की जा सकती है ? शिक्षा मंत्रीजी, अगर यह बात आपने कही है तो आपको निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से पैराटीचर्स से माफी मांगनी चाहिए और नहीं कही है तो सदन के माध्यम से आज इस बात का खुलासा किया जाना चाहिए कि यह गलत बात है इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी खुद विद्वान आदमी हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस के शासन में लगे, आज आप भी लगा रहे हैं, चाहे आप साथिनें लगा रहे हैं, चाहे और दूसरे विभाग में लगा रहे हैं, हुकम कभी नहीं बदलता है, हाकिम बदल जाता है। इसलिए चाहे कांग्रेस के शासन में इनको लगाया गया हो, आज इनकी जो समस्याएं और पीड़ा है उनका समाधान करना आपका काम है। इसलिए निश्चित रूप से जो लोग वंचित रह गये हैं उनको आप पुनः अवसर दें, ताकि वो अगर उसमें अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं और उनका चयन हो सकता है तो चयन हो, तो उनके मन में भी यह रहे कि हम भी स्थायी हो सकते हैं और वे रुचि के साथ काम करें और इस तरह की भाषा का मुझे तो आशा और विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उपयोग किया है तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया हो तो आप माफी मांग लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं क्यों मांगू, पैराटीचर्स ने जो ज्ञापन दिया है उसमें लिखित में यह बात हमको कही है, हम उनसे बात करेंगे, गलत बात क्यों कह रहे हो, मैं किस बात की माफी मांगू? माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं आपके पेट में मरोड़ी क्यों उठी? यहां पर आयुर्वेद का अस्पताल भी है, एलोपैथिक का भी है, चले जाइए, मुझसे क्यों समाधान करना चाहते हो?

श्री मदन राठौड़ : आप तो यूनानी दवा काम में लें वहां ठीक रहेगा, आयुर्वेद की बात आप मत करो।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें आप मेरे सलाहकार हो क्या, अवैतनिक या वैतनिक यह तो बता दो आप।

श्री मदन राठौड़ : आपने मुझे सलाह दी है कि मैं आयुर्वेद की लूं।

(श्री मदन राठौड़)

आपने मुझे सलाह दी है तो मैंने भी आपको सलाह दे दी। जिस प्रकार से आप मुझे दे रहे हैं मैं भी उसी रूप में आपको दे रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है हम अपनी बात आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी और सदन से कह रहे हैं, ये बीच-बीच में इस तरह की बात करते हैं उससे क्या मतलब हुआ ? विषयान्तर हो जाते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यही निवेदन है कि समय रहते अभी भी इन सारे लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, उर्दू शिक्षाकर्मी, मदरसा पैराटीचर्स और राजीव गांधी पाठशालाओं के जो पैराटीचर्स हैं, इनमें किसी का 200 रुपया साल बढ़ता है, किसी का 100 रुपया बढ़ता है, किसी को कितना मिल रहा है, इनकी समान सेवा शर्तें हैं, वेतनवृद्धि है इन सबको कीजिए और इनके स्थायीकरण के लिए कृपया जो वंचित रह गये उनको एक अवसर और दीजिए और अगर आपने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है तो उसका खुलासा सदन के माध्यम से करेंगे, इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यदि शिक्षा मंत्रीजी ने वास्तव में ये शब्द कहे हैं तो आपको ये शब्द वापस लेने चाहिए, नहीं तो इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूं, मुझे इतने वर्ष हो गये, 1980 से तो मैं आपके साथ इस सदन में हूं और मेरी ऐसी संस्कृति नहीं है, मैं किसी को जायज औलाद ही नहीं बताता तो नाजायज कैसे बता सकता हूं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : वैसे आपने अपने आपको माननीय भैरोंसिंह जी का राजनैतिक पुत्र कहा था एक बार, यह मत कहिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह तो हूं मैं उनका।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो आपने कहा था, इसलिए क्या बताते हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पुत्रवत हूं, आज भी मैं कब मना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, उसी दिन मैंने बी.डी. कल्ला साहब से भी बात की थी, आपने कहा कि रामलालजी को संरक्षक बनाया है, हम बात करेंगे, लेकिन मेरे पास उसके बाद आ गये थे,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आप केवल डीपीईपी और पैराटीचर्स की बात कर रहे हैं उनकी समस्या का समाधान हो गया है।

दूसरा, जितने नाम लिए हैं उनका हो गया है। अभी राजीव गांधी पैराटीचर्स हैं उनका भी सम्मेलन मण्डफिया, सांवलियाजी में हुआ था, मैं वहां गया था उनसे भी मेरी सारी बातचीत हो चुकी है और ए.के. पाण्डेजी की हमने कमेटी बनायी हुई है उस कमेटी की इसी महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे हमने जिन समस्याओं का समाधान कर दिया है उनमें लोक जुम्बिश के 948 आदमियों का समाधान हो गया है, अब इनकी कोई समस्या नहीं है। शिक्षाकर्मी 8532 हैं उनमें 5 हजार वरिष्ठ शिक्षाकर्मी में समायोजित हो गये हैं उनको 8500 रुपये महीने का वेतन मिलने लग गया है। बाकी भी जिन-जिनको 8 वर्ष पूरे होंगे वो समायोजित हो जाएंगे, उनके लिए अलग से शिक्षाकर्मी बोर्ड गठित कर दिया है जो समाप्त हो गया था, उनकी समस्या का भी समाधान कर दिया है।

इसी प्रकार से संस्कृत विभाग में 250 थे उनका भी कर दिया है। मदरसा राजीव गांधी में 1231 थे उनका भी समाधान कर दिया है। शारीरिक पैराटीचर्स 630 थे उनका भी समाधान कर दिया है। अब कुल मिलाकर 21877 पैराटीचर्स बचे हैं, करीब 12 हजार पैराटीचर्स का राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से डाइरेक्ट सलेक्शन हो गया है, उनका नियमितीकरण हो गया है। अब जो 21800 बचे हैं उनको भी इस बार जो 7200 लोगों की नयी वैकेंसी कल निकली है, अब इन पैराटीचर्स को एक बार पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति दे देंगे ताकि इनका भी नियमितीकरण के अन्दर नाम आ जाए और इनका जो वेतन बढ़ाने की बात है वह वेतन बढ़ाने की मांग में मानदेय इनको दिया जाता है उसके लिए ए.के. पाण्डे साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है उस कमेटी की रिपोर्ट इसी महीने में आ जाएगी और मैं समझता हूं इनकी समस्याओं का हम समाधान जहां तक कर सकते हैं उतना सरकार करने की कोशिश करेगी। किसी भी प्रकार से सरकार के मन में नहीं है, किस सरकार में लगे, सरकार कौन होती है, सरकार एक कंटीन्युअस प्रोसेस है, उसमें लगे हैं, किसी को भी जो काम कर रहे हैं न तो किसी को बाहर निकालने का विचार है, न किसी को परेशान करने का विचार है। इन सब लोगों को समायोजित करके नियम, कानून, कायदे के अन्तर्गत चलेंगे और मैं समझता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हूं कि इस महीने में इस प्रकार का कोई समाधान निकलेगा जिसके बाद में शिक्षा विभाग में पैराटीचर्स की या किसी भी प्रकार के टीचर्स की समस्या का बहुत बड़ा झमेला था वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सरकार यह भी चाहती है कि इनको अच्छा वेतन मिले ताकि ये अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, यह मेरा आपके माध्यम से कहना है और ऐसी बात कहने की तो आप सपने में मत सोचना, आपके मुंह से तो मझे आशा भी नहीं थी कि आप मेरे लिए ऐसी बात बोल दोगे। खैर, मेरी भी थोड़ी इमेज कम हुई है यह बोलने से आपके बारे में। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : माननीय मंत्रीजी, इतनी अच्छी बात कही आपने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन को सूचित करना है (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : अच्छी बात कही है, पूरी जानकारी दे दी, बाण्ड वाली बता दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बाण्ड का कुछ नहीं है, बाण्ड का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया था कि आप किसी प्रकार से बैकडॉर एंट्री नहीं कर सकते, इसलिए वित्त विभाग की कुछ धारणाएं थीं कि इस प्रकार से ले लेंगे तो उनकी नियमित नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। इसलिए उनके इंट्रेस्ट में ही हमने यह काम किया है और अब वह हाईकोर्ट में है, जैसा भी फैसला होगा, कर देंगे, किसी भी प्रकार से सरकार की कोई भी जिद नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। अब आप विराजें।

श्री बंशीलाल खटीक : इसको कार्यवाही से निकालें। अब ये पढ़ रहे थे इधर से आवाज आयी आसन सो गया।

सभापति-तालिका

रामनारायण मीणा, श्री सदस्य का सभापति तालिका में मनोनयन

श्री अध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा था, क्या निकालें। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत मैं श्री रामनारायण मीणा, सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करती हूं। (व्यवधान) अब नाम तो आये नहीं किसी के। बोलने वालों के नाम नहीं आये। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन के पटल पर रखने के बाद में बात कर लें।

सूचना

ब्यावर नगर परिषद के 21 पार्षदों की भूख हड़ताल

श्री अध्यक्ष : इंफार्मेशन आप दे रहे हैं, खड़े वे हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मैं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन। ब्यावर में नगर परिषद में बी.जे.पी. के बोर्ड ने बिना बहुमत के अपनी पूरी कार्यवाही कर ली उसके विरोध में कांग्रेस के 21 पार्षद वहां धरने पर बैठे हुए हैं और चार दिन से भूख हड़ताल पर हैं। सरकार व प्रशासन बिलकुल मौन बैठा हुआ है, जिनमें से दो-तीन आदमियों की स्थिति गम्भीर है। तो मेरा आपके माध्यम सरकार से निवेदन है कि सरकार इस मामले में जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे बात करें और जो कार्यवाही अवैध हुई है, म्युनिसिपैलिटी की उसे निरस्त करके लोकतंत्र की रक्षा करें। यह मुझे आपके माध्यम से निवेदन करना है।

यह मुझे आपके माध्यम से सरकार को बताना था।

श्री अध्यक्ष : यू.डी.एच. मंत्रीजी कृपया ध्यान दें, बैठे हैं न घनश्यामजी वह बता देंगे। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री गुलाब चन्द कटारिया (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

1. अधिसूचना संख्या-एफ.9(23)गृह-5/2005 दिनांक 15.10.2005 (हिन्दी अनुवाद सहित) जिसके द्वारा कतिपय आसूचना और सुरक्षा संगठनों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या-एफ.9(23)गृह-5/2005 दिनांक 12.10.2005 एवं 14.10.2005 जिसके द्वारा राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 विरचित किये गये हैं एवं उसका हिन्दी अनुवाद जारी किया गया है।

श्री अध्यक्ष : तीन अधिसूचनाएं थी आपकी तो, दो ही रख रहे हैं क्या ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दो ही हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो तीन लिखा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं, दो ही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री युनूस खान।

परिवहन विभाग

श्री युनूस खान (प्रभारी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या-एफ.6(262)परि/कर/मु./2005 दिनांक 5.12.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.6(179) परि/कर/मु./2005 दिनांक 24.3.2005 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या-एफ.6(96)परि/कर/मु./III/2001 दिनांक 9.11.2005 जिसके द्वारा स्टेज कैरिज मार्गों पर संचालित वाहनों को वर्ष 2005-06 में देय विशेष पथकर राशि को घटाकर वर्ष 2004-05 में देय विशेष पथकर की राशि के बराबर किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या-एफ.6(262)परि/कर/मु./2005 दिनांक 3.1.2006 जिसके द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-

(श्री युनूस खान)

एफ.6(262)परि/टैक्स/एच.क्यू./2001 दिनांक 20.2.2004 अधिसूचना संख्या-एफ.6(179)परि/कर/मु./2005 दिनांक 24.3.200 (समय-समय पर यथासंशोधित) को तुरन्त प्रभाव से विखण्डित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण डूडी।

वित्त विभाग

श्री रामनारायण डूडी (श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या-प.7/1ए/वित्त-1(1)/आय-व्यय/2005 दिनांक 24.1.2006 जिसके द्वारा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2006 विरचित किये गये हैं।
2. अधिसूचना संख्या-प.2(11)वित्त/कर/03पार्ट-38 दिनांक 20.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(11) वित्त/कर/2003/110 दिनांक 14.1.2004 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-39 दिनांक 23.9.2005 जिसके द्वारा आवा-कजावा रीति से निर्मित ईंटों के (चिमनी विधि के प्रयोग करते हुए भट्टों द्वारा निर्मित ईंटों को छोडकर विक्रय को राजस्थान विक्रय कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है।
4. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-40 दिनांक 23.9.2005 जिसके द्वारा पाली, अलवर, जोधपुर व भीलवाड़ा संवर्गों में अधिसूचना में उल्लेखित सूची अनुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र/चैकपोस्टों पर उनके सम्मुख अंकित माल पर संविदा के आधार पर कर संग्रहण किये जाने हेतु आयुक्त

(श्री रामनारायण डूडी)

वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर को आदेशित किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-41 दिनांक 23.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.16(3) वित्त/कर/2004-25 दिनांक 19.5.2004 में संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-42 दिनांक 23.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.16(3) वित्त/कर/2004-13 दिनांक 9.6.2004 में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-43 दिनांक 23.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-129 दिनांक 25.11.2004 में संशोधन किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-44 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.5(40) एफडीआरटी/63-I दिनांक 2.3.1963 में संशोधन किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-45 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.5(17) एफडीसीटी/69-3 दिनांक 1.4.1969 में संशोधन किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-46 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.5(70) एफडीसीटी/70-6 दिनांक 31.5.1971 में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-47 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(8)वित्त/ग्रुप-4/75-27 दिनांक 4.12.1975 में संशोधन किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-48 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/

(श्री रामनारायण डूडी)

ग्रुप-4/76-25 दिनांक 8.9.1976 में संशोधन किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-49 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(60)वित्त/ग्रुप-4/76-36 दिनांक 14.12.1976 में संशोधन किया गया है।

14. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-50 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(21)वित्त/ग्रुप-4/78-5 दिनांक 6.3.1978 में संशोधन किया गया है।

15. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-51 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(25) वित्त/ग्रुप-4/77-36 दिनांक 27.2.1980 में संशोधन किया गया है।

16. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-52 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(5)वित्त/ग्रुप-4/85-26 दिनांक 5.7.1985 में संशोधन किया गया है।

17. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-53 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/ग्रुप-4/86-6 दिनांक 6.3.1986 में संशोधन किया गया है।

18. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-54 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(10) वित्त/ग्रुप-4/86-17 दिनांक 28.4.1986 में संशोधन किया गया है।

19. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-55 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(52) वित्त/ग्रुप-4/86-37 दिनांक 16.10.1986 में संशोधन किया गया है।

20. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-56 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(8)वित्त/ग्रुप-4/87-15 दिनांक 5.3.1987 में संशोधन किया गया है।

(श्री रामनारायण डूडी)

21. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-57 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(45)वित्त/ग्रुप-4/85-31 दिनांक 5.5.1987 में संशोधन किया गया है।
22. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-58 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(2)वित्त/ग्रुप-4/87-47 दिनांक 15.7.1987 में संशोधन किया गया है।
23. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-59 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(45) वित्त/ग्रुप-4/85-61 दिनांक 31.8.1987 में संशोधन किया गया है।
24. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-60 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(72) वित्त/ग्रुप-4/81-72 दिनांक 15.10.1988 में संशोधन किया गया है।
25. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-61 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(72)वित्त/ग्रुप-4/81-8 दिनांक 2.3.1989 में संशोधन किया गया है।
26. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-62 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(47)वित्त/ग्रुप-4/84-75 दिनांक 6.1.1990 में संशोधन किया गया है।
27. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-63 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(8)वित्त/ग्रुप-4/91-116 दिनांक 6.3.1991 में संशोधन किया गया है।
28. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-64 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(46) वित्त/ग्रुप-4/92-31 दिनांक 27.8.1992 में संशोधन किया गया है।
29. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-65 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(7)वित्त/ग्रुप-4/92-81 दिनांक 4.3.1992 में संशोधन किया गया है।

(श्री रामनारायण डूडी)

30. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-66 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(8)वित्त/ग्रुप-4/94-71 दिनांक 7.3.1994 में संशोधन किया गया है।

31. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-67 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(69) वित्त/ग्रुप-4/95-48 दिनांक 15.3.1996 में संशोधन किया गया है।

32. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-68 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(1)वित्त/ग्रुप-4/97-121 दिनांक 12.3.1997 में संशोधन किया गया है।

33. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-69 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(14) वित्त/ग्रुप-4/98-135 दिनांक 9.7.1998 में संशोधन किया गया है।

34. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-70 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(1)वित्त/ग्रुप-4/2000-284 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-71 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(1)वित्त/ग्रुप-4/2000-285 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-72 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(1)वित्त/ग्रुप-4/2000-401 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-73 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(12) वित्त/ग्रुप-4/01-28 दिनांक 29.3.2005 में संशोधन किया गया है।

(श्री रामनारायण डूडी)

38. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-74 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(18)वित्त/ ग्रुप-4/97-III-93 दिनांक 17.9.2001 में संशोधन किया गया है।

39. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/05पार्ट-75 दिनांक 27.9.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(1)वित्त/ ग्रुप-4/2000-105 दिनांक 12.11.2001 में संशोधन किया गया है।

40. अधिसूचना संख्या-प.4(75)वित्त/कर/2004-76 दिनांक 1.10.2005 जिसके द्वारा उन व्यवहारियों को जो अधिसूचना में उल्लेखित माल का व्यवहार कर रहे हैं, को राज्य में बेचे गये माल के पण्यावर्त के संबंध में सशर्त सेट-आफ क्लेम करने हेतु निर्देशित किया गया है।

41. अधिसूचना संख्या-प.4(75)वित्त/कर/2004-77 दिनांक 1.10.2005 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं के विक्रय पर देय बिक्री कर संलग्न सूची में अंकित दर के अनुसार प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यवहारी द्वारा विक्रय की सीरिज में प्रत्येक बिन्दु तुरन्त प्रभाव से कर देय होगा।

42. अधिसूचना संख्या-प.2(10)वित्त/कर/2002-78 दिनांक 3.10.2005 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है।

43. अधिसूचना संख्या-प.4(1)वित्त/कर/97-79 दिनांक 5.10.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(1)वित्त/ कर/97-112 दिनांक 12.3.1997 में संशोधन किया गया है।

44. अधिसूचना संख्या-प.2(1)वित्त/कर/2001-80 दिनांक 17.10.2005 जिसके द्वारा वर्ल्ड रिन्यूअल स्प्रीच्यूल ट्रस्ट सार्दुलगंज, बीकानेर को नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा निष्पादित दस्तावेज पर प्रभार्य शुल्क में दिनांक 16.7.2005 से छूट प्रदान की गई है।

(श्री रामनारायण डूडी)

45. अधिसूचना संख्या-प.4(75)वित्त/कर/2004-81 दिनांक 24.10.2005 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं के विक्रय पर व्यवहारी को संदेय कर से दिनांक 1.10.2005 से सशर्त छूट प्रदान की गई है।

46. अधिसूचना संख्या-प.4(75)वित्त/कर/2004-82 दिनांक 24.10.2005 जिसके द्वारा राजस्थान में निर्मित कतिपय माल के विक्रय पर निर्माता को संदेय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

47. अधिसूचना संख्या-प.4(75)वित्त/कर/2004-83 दिनांक 24.10.2005 जिसके द्वारा राज्य में निर्मित माल को भारत से बाहर निर्यात पर, अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में या राज्य में बेचने पर किसी भी पंजीकृत व्यापारी को बेचने या खरीदने पर कर में छूट प्रदान की गई है।

48. अधिसूचना संख्या-प.4(76)वित्त/कर/2005-84 दिनांक 26.10.2005 जिसके द्वारा मै. कन्फैडरेशन आफ इण्डियन इण्डस्ट्री, जयपुर से कतिपय वस्तुओं के क्रय/विक्रय पर सशर्त छूट प्रदान की गई है।

49. अधिसूचना संख्या-प.43(9)वित्त/कर/2005-85 दिनांक 14.11.2005 जिसके द्वारा फिल्म 'वीर सावरकर' को एक वर्ष के लिए मनोरंजन कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

50. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-पार्ट-86 दिनांक 14.11.2005 जिसके द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को अलवर सम्भाग में संपूर्ण राजस्व तहसील रूपवास चैक पोस्ट हेतु सैण्ड स्टोन का खण्डा पर संविदा के आधार पर कर संग्रहण किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

51. अधिसूचना संख्या-प.4(89)वित्त/कर/2004-87 दिनांक 17.11.2005 जिसके द्वारा मै. हीरो होण्डा मोटर्स लि. एवं उनकी एनसिलिएरी इकाइयों को वाहन निर्माण हेतु सभी आवक व उत्पादों (औद्योगिक ईंधन छोड़कर) पर सशर्त प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

(श्री रामनारायण डूडी)

52. अधिसूचना संख्या-प.4(89)वित्त/कर/2004-88 दिनांक 17.11.2005 जिसके द्वारा मै. हीरो होण्डा मोटर्स लि. द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य की स्थिति में मोटर साईकिल उनके पार्ट्स के विक्रय पर व्यापार का स्थान राज्य में होने पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर सशर्त 0.25 प्रतिशत से संगठित की गई है।

53. अधिसूचना संख्या-प.4(18)वित्त/कर/01-89 दिनांक 21.11.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(18) वित्त/कर/01-75 दिनांक 28.7.03 में संशोधन किया गया है।

54. अधिसूचना संख्या-प.4(10)वित्त/कर/02-पार्ट-90 दिनांक 21.11.2005 जिसके द्वारा मै. गुजरात अम्बूजा सीमेण्ट लि. द्वारा निर्माण हेतु दिनांक 1.6.2004 से प्रारम्भ होने की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की सशर्त छूट प्रदान की गई है।

55. अधिसूचना संख्या-प.12(31)वित्त/कर/2005-91 दिनांक 21.11.2005 जिसके द्वारा टैक्सटाइल सैक्टर में नए प्रोजेक्ट को अधिसूचना में अंकित सारणीनुसार राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2003 के तहत 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

56. अधिसूचना संख्या-प.12(31)वित्त/कर/2005-92 दिनांक 21.11.2005 जिसके द्वारा राज्य में टैक्सटाइल सैक्टर का नया प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने वाले डीलर को उसके निर्मित माल के टर्न ओवर के संबंध में राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्थिति में 7 वर्ष के लिए विक्रय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

57. अधिसूचना संख्या-प.12(31)वित्त/कर/2005-93 दिनांक 21.11.2005 जिसके द्वारा राज्य में टैक्सटाइल सैक्टर का नया प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने वाले डीलर को कैपीटल गुड्स के संबंध में 7 वर्ष के लिए विक्रय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

(श्री रामनारायण डूडी)

58. अधिसूचना संख्या-प.2(20)वित्त/कर/2005-94 दिनांक 22.11.2005 जिसके द्वारा मै. रीडकोर कम्पनी द्वारा मेगा हाईवे प्रोजेक्ट स्थापित करने के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले प्रत्येक ऋण इकरारनामें पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क का, के स्थान पर एकमुश्त राशि रुपये 2500/- देय होगी।

59. अधिसूचना संख्या-प.12(31)वित्त/कर/2005-95 दिनांक 23.11.2005 जिसके द्वारा टैक्सटाइल सैक्टर की नई इकाइयों के लिए कच्चे माल, अर्द्धनिर्मित माल और कैपीटल गुड्स को स्थानीय क्षेत्र में लाने पर प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

60. अधिसूचना संख्या-प.2(18)वित्त/कर/96-पार्ट-96 दिनांक 24.11.2005 जिसके द्वारा उद्योग विभाग द्वारा लवण उत्पादन क्षेत्र हेतु मुद्रांक कर की राशि निर्धारित की गई है।

61. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-97 दिनांक 2.12.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(20) वित्त/कर/2005-174 दिनांक 24.3.2005 में संशोधन किया गया है।

62. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-98 दिनांक 2.12.2005 जिसके द्वारा सीमेंट के क्रय या विक्रय की 9% से अधिक की दर को तुरन्त प्रभाव से सशर्त कर मुक्त किया गया है।

63. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट दिनांक 2.12.2005 जिसके द्वारा राजस्थान इंवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2003 में संशोधन किया गया है।

64. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-99 दिनांक 2.12.2005 जिसके द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को उदयपुर व जयपुर (द्वितीय) संभाग में कतिपय चैक पोस्टों हेतु कतिपय माल के संबंध में संविदा के आधार पर कर संग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया है।

65. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-100 दिनांक

(श्री रामनारायण डूडी)

3.12.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-14 दिनांक 9.6.2004 में संशोधन किया गया है।

66. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-101 दिनांक 3.12.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-15 दिनांक 9.6.2004 में संशोधन किया गया है।

67. अधिसूचना संख्या-प.4(75)वित्त/कर/04-102 दिनांक 13.12.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(75)वित्त/कर/2004/76-77 दिनांक 1.10.2005 को कतिपय शर्तों के अनुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित किया गया है।

68. अधिसूचना संख्या-प.4(75)वित्त/कर/04-103 दिनांक 13.12.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(75)वित्त/कर/04-81 से 83 दिनांक 24.10.2005 को दिनांक 11.11.2005 से तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित किया गया है।

69. अधिसूचना संख्या-प.2(23)वित्त/कर/04-104 दिनांक 14.12.2005 जिसके द्वारा राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन लि. द्वारा अपनी अधिकृत अंश पूंजी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने के संबंध में निष्पादित लेखपत्र पर देय मुद्रांक कर का परिहार किया गया है।

70. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/04-पार्ट-105 दिनांक 14.12.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/04-43 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

71. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-पार्ट-106 दिनांक 15.12.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-पार्ट-103 दिनांक 27.9.2004 में संशोधन किया गया है।

72. अधिसूचना संख्या-प.4(4)वित्त/कर/2001-107 दिनांक 17.12.2005 जिसके द्वारा NAFED को सरसों की खरीद पर क्रय कर, राज्य में सरसों विक्रय पर कर तथा सरसों व सरसों तेल पर अन्तराज्यीय व्यापार व वाणिज्य की स्थिति

(श्री रामनारायण डूडी)

में 1% से अधिक केन्द्रीय कर को अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के अनुसार राजस्थान विक्रय कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर में छूट प्रदान की गई है।

73. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर/2003-108 दिनांक 22.12.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर/03-पार्ट-29 दिनांक 28.4.2003 (दिनांक 18.2.2005 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

74. अधिसूचना संख्या-प.2(11)वित्त/कर/03-109 दिनांक 2.1.2006 जिसके द्वारा स्टाम्प शुल्क हेतु विशेष राहत योजना लागू की गई है।

75. अधिसूचना संख्या-प.12(66)वित्त/कर/05-110 दिनांक 3.1.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(38) वित्त/कर/03-124 दिनांक 18.11.2004 में संशोधन किया गया है।

76. अधिसूचना संख्या-प.12(66)वित्त/कर/05/111 दिनांक 16.1.2006 जिसके द्वारा भूमि भवन कर अधिकारी, कोटा के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी कोटा को प्रतिस्थापित किया गया है।

77. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-112 दिनांक 15.2.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-40 दिनांक 23.9.2005 में संशोधन किया गया है।

78. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-113 दिनांक 15.2.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-129 दिनांक 25.11.2004 में संशोधन किया गया है।

79. अधिसूचना संख्या-प.4(10)वित्त/कर/02-114 दिनांक 15.2.2006 जिसके द्वारा मै. गुजरात अम्बूजा सीमेंट लि. को उनके द्वारा क्लींकर व सीमेंट के निर्माण पर दिनांक 21.11.2005 से 5 वर्ष के लिए 50 प्रतिशत विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

(श्री रामनारायण डूडी)

80. अधिसूचना संख्या-प.4(10)वित्त/कर/02-115 दिनांक 15.2.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(10) वित्त/कर/02-90 दिनांक 21.11.2005 को विखण्डित किया गया है।

81. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/04-पार्ट-116 दिनांक 15.2.2006 जिसके द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को जोधपुर संभाग में जैसलमेर व पोकरण समूह में संविदा के आधार पर कर संग्रहण किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया, राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री पुर:स्थापित भी करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006

श्री घनश्याम तिवाड़ी (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

पुरःस्थापित भी करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 ए के अन्तर्गत राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश संख्या 3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सर्राफ, सामान्य वाद विवाद पर बोलेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश में चल रही हमारी सरकार के दो वर्षो के कार्यों का जब लेखा जोखा यहां प्रस्तुत किया, उपलब्धियों की यहां चर्चा की तो ऐसा लगा कि हमारी सरकार के दो साल के कामों में कितने विकास के काम इस प्रदेश में हुए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल के कामों से ज्यादा विकास के काम हम लोगों ने करवाये हैं। आज दो साल में हमारे द्वारा किये गये कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। चाहे गांव में रहने वाला किसान हो, चाहे शहर में व्यापार करने वाला व्यापारी हो, चाहे फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला मजदूर हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे इस प्रदेश में रहने वाली महिलाएं हों, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति हो और चाहे पिछड़ी जाति का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति हर वर्ग हमारी सरकार के दो सालों में किये गये कामों की सराहना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। हमारी सरकार ने हर वर्ग की खुशहाली का ध्यान रखा है, हर वर्ग को इन दो सालों में राहत मिली है और उसी का परिणाम है कि पिछले वर्ष में जितने चुनाव हुए, विधान सभा चुनावों के बाद, चाहे लोक सभा

(श्री कालीचरण सर्राफ)

का चुनाव हो, चाहे विधान सभा के उप-चुनाव हों, चाहे शहरी निकायों का चुनाव हो और चाहे पंचायती राज के चुनाव हों, हर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है।

(समय : 13.34 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता से पांच साल के लिए 243 वायदे किये थे, 243 घोषणाएं हमने की थी, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि पांच साल के लिए हमने 243 घोषणाओं को केवल दो साल के कार्यकाल में उसमें से हमने 115 घोषणाओं की क्रियान्विति पूरी कर दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 70 घोषणाएं इस प्रकार की हैं जिन पर काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में उनकी क्रियान्विति हो जाएगी। केवल 51 घोषणाएं ऐसी हैं जो हमारी लम्बित हैं। दो साल का पीरियड पांच साल में दो साल यानी 40 प्रतिशत कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है और हमने पांच साल के लिए जो घोषणाएं की थी उसमें से 70 प्रतिशत घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बताने की आवश्यकता नहीं कि राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हमारी सरकार ने जिस प्रकार का कुशल वित्तीय प्रबंधन पहली बार कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया है और रिजर्व बैंक में राज्य सरकार के खाते में निरन्तर सरप्लस की स्थिति रही है। इसी प्रकार से राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में भी सुधार हुआ है जहां के 2001-02 में राजस्व प्राप्तियों का 31 प्रतिशत था और 2002-03 में 30 प्रतिशत था, हमारी सरकार के आने के बाद 2004-05 में घटकर 12 प्रतिशत रह गया है। यह कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, 11वें वित्त आयोग द्वारा प्रतिपादित फिस्कल रिफार्म्स फैसिलिटी के अन्तर्गत 2001-02 और 2002-03 में राज्य सरकार के राजस्व घाटे में अपेक्षित सुधार न होने के कारण प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं कर पाई पर हमारी सरकार ने राजस्व घाटे में अपेक्षित सुधार करके न केवल 2003-04 में 59.77 करोड़ रुपये और 2004-05 में 60.62 करोड़ रुपये प्राप्त किये बल्कि पिछले वर्षों की बकाया राशि 146 करोड़ रुपये भी प्राप्त करने की हमने पात्रता अर्जित की है।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हमने पिछले दो वर्षों में करों में राहत दी। कई चीजों पर हमने कर हटाया, कई चीजों से जहां 12 प्रतिशत टैक्स था उसकी जगह 8 प्रतिशत किया, जहां 8 प्रतिशत कर था वह 4 प्रतिशत किया और जहां 4 प्रतिशत कर था वहां दो प्रतिशत किया और दो प्रतिशत जहां था वह हमने बिलकुल खतम कर दिया। उसके बाद भी हमारे कर राजस्व की वसूली में वृद्धि हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2003 से मार्च, 2004 तक जब कि गत वर्ष की इसी अवधि में इससे कम प्राप्त हुआ, इस पर हमने 26.58 प्रतिशत कर राजस्व की बढ़ोतरी की थी, इसी प्रकार 2004-05 में हमने 4797.53 करोड़ रुपये हमने कर राजस्व प्राप्त किया जो पिछले साल की तुलना में 20.38 प्रतिशत अधिक था, बताने की आवश्यकता नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जब-जब पंचवर्षीय योजना हमारी सरकार के समय में आई वार्षिक योजनाओं का आकार बढ़ा, पंचवर्षीय योजनाओं का आकार बढ़ा और जब-जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं का आकार घटा है। कांग्रेस का राज था सातवीं पंचवर्षीय योजना उस समय लागू हुई, हमारे प्रदेश की पंचवर्षीय योजना थी सात हजार करोड़ रुपये की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, आठवीं पंचवर्षीय योजना जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना सात हजार करोड़ रुपये की थी भारतीय जनता पार्टी की आठवीं योजना बनी 11500 करोड़ रुपये की।

यही नहीं 11500 करोड़ की योजना बनी और खर्चा हुआ 11998 करोड़ रुपये। इसी प्रकार से जब शेखावत साहब की सरकार थी उस समय जब नवीं पंचवर्षीय योजना बनी वह 27560 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई। उसके पहले साल में क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 3314.52 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई और खर्चा हुआ 3987 करोड़ रुपये यानी हमने 600 करोड़ रुपये ज्यादा खर्चा किया। परन्तु उसके बाद दुर्भाग्य से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई तो पंचवर्षीय योजना का क्या हश्र हुआ, वार्षिक योजनाओं का क्या हश्र हुआ वह बताने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक योजनाओं में लगातार कटौती होती गई और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो भारतीय जनता पार्टी के राज में 27560 करोड़ रुपये की बनी थी, कांग्रेस के राज में उसमें कटौती होकर वह 15448 करोड़ रुपये की रह गई। विकास की गति

(श्री कालीचरण सर्राफ)

अवरुद्ध हो गई। योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना 31831.75 करोड़ रुपये की निर्धारित की। 2002-03 में कांग्रेस का राज था, योजना का आकार 5107 करोड़ रुपये और वास्तविक व्यय हुआ केवल 4431 करोड़। 2003-04 में वार्षिक योजना का आकार था 4258 करोड़, नवम्बर 2003 तक केवल 2266 करोड़ रुपये खर्चा हुआ। राजस्थान में फिर विधान सभा के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार चली गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह विचार किया कि योजना के आकार में यदि वृद्धि नहीं की गई, अतिरिक्त संसाधन यदि नहीं जुटाये गये तो प्रदेश में जो विकास की गति अवरुद्ध हो रही है वह फिर से विकास की गति प्रवाहित नहीं हो सकती। हमने विचार किया और दसवीं पंचवर्षीय योजना का भी 9वीं पंचवर्षीय योजना जैसा हश्र नहीं हो इस बारे में हमने प्रयास किये, अतिरिक्त संसाधन जुटाये और उसी का यह परिणाम है कि वार्षिक योजना 2003-04 का आकार 4258 करोड़ रुपये था वह हमने 5504.52 करोड़ रुपये निर्धारित किया। इतना ही नहीं, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि उनके कुशल वित्तीय प्रबन्धन से 5504.52 करोड़ रु. के स्थान पर 6044.38 करोड़ रुपया हमने खर्चा किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2004-05 की योजना 6922.50 करोड़ की स्वीकृत हुई और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि 2005-06 की स्वीकृत योजना का आकार 8350 करोड़ रुपये का है। हमारी सरकार आने के बाद जहां वर्ष 2003-04 की योजना 4 हजार कुछ करोड़ की थी वह 8300 करोड़ यानी दो साल में हमने वार्षिक योजना दुगुनी कर दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1998 में जब विधान सभा के चुनाव हुए थे तो हमारे कांग्रेसी मित्रों ने जनता के सामने यह वादा किया कि राजस्थान की भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 साल कर दी और जिसके कारण बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और हम यदि सत्ता में आये तो यह सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से वापस 58 साल करेंगे। उन्होंने सत्ता में आने के बाद सेवानिवृत्ति आयु तो 60 साल से 58 साल कर दी परन्तु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक भी बेरोजगार नौजवान को कांग्रेस की सरकार जो पांच साल रही, उन्होंने एक भी बेरोजगार नौजवान को रोजगार नहीं दिया और 60 साल से 58 साल सेवानिवृत्ति की आयु करने के बाद जो पद

(श्री कालीचरण सर्राफ)

रिक्त हुए थे उनको भी इन्होंने नहीं भरा और उन्होंने क्या किया कि सरकारी नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया, पद ही समाप्त कर दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद राजस्थान में आदरणीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रचण्ड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी तो पहले बजट भाषण में जब आदरणीय वसुन्धराजी ने कहा कि हम एक लाख लोगों को प्रतिवर्ष इस प्रदेश में रोजगार देंगे तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य कांग्रेस मित्रों ने कहा कि पांच साल में हम एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पाये, एक बेरोजगार नौजवान को हम रोजगार नहीं दे पाये तो आपके पास ऐसा कौनसा अल्लादीन का चिराग है, आपके पास ऐसी कौनसी जादू की छड़ी है कि आप रोजगार दे पायेंगे। आप ये झूंठे वादे कर रहे हैं, आप एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पायेंगे। परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने की आवश्यकता नहीं है, इनकी नीयत में खोट थी, इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था, भारतीय जनता पार्टी की वसुन्धराजी की सरकार और वसुन्धराजी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत में खोट नहीं, दृढ़ इच्छाशक्ति है हमारी, हमने वह काम कर दिखाया जिसकी ये कांग्रेसी मित्र कभी कल्पना नहीं कर सकते थे।

दो साल में शिक्षा विभाग में हमने 51201 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया। इतना ही नहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग में दो वर्ष में 22912 सहयोगिनियों की नियुक्तियां की गईं और उद्योग विभाग में 83864 लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध करवाया। जब इन सबका टोटल लगाया जाए तो हमने जो वादा किया था कि एक साल में एक लाख लोगों को रोजगार देंगे, दो साल में हमने दो लाख लोगों को रोजगार देकर के बता दिया है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार की घोषणा हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की है, पांच साल में हम राजस्थान में पांच लाख लोगों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे।

श्री जुबेर खान : यह उद्योग वाले 93 हजार कहां हैं ? उनसे हम जाकर के मिलना चाहते हैं, बता देना।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपसे मैं बाद में बात कर लूंगा और मैं आपको बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के हर कोने में है, राजस्थान के शहर में हैं, राजस्थान के गांव में हैं जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है।

श्री जुबेर खान : आपने दिया है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल हमने दिया है।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा के क्षेत्र का सवाल है, पिछली कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में जिस प्रकार की अराजकता का माहौल रहा, बताने की आवश्यकता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में अंधाधुंध तरीके से लगभग 22 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दी गईं। 8वीं, 10वीं पास लोगों को पढ़ाने के लिए लगा दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 8वीं और 10वीं क्लास पास लोगों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण जनता के साथ इस प्रकार का जघन्य खिलवाड़ करने की आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ? शहर का बच्चा पब्लिक स्कूलों में पढ़े, क्वालिफाइड टीचर्स के माध्यम से पढ़े और गांव का बच्चा 8वीं और 10वीं पास व्यक्ति के माध्यम से पढ़े, आप गांव और शहर में जिस प्रकार का भेद आप लोग करना चाहते थे, आप उसमें सफल नहीं हुए। राजस्थान में विधान सभा के चुनावों के बाद सरकार परिवर्तित हुई और हमने कहा कि नहीं, राजस्थान में चाहे बच्चा शहर में रहता हो चाहे गांव में रहता हो, सब को बराबर पढ़ने का अधिकार है और मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने पांच साल में केवल 550 नये प्राथमिक स्कूल खोले थे और हमने दो साल में 3343 नये प्राथमिक स्कूल खोले। पिछली सरकार ने एक भी राजीव गांधी पाठशाला को प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया, हमने 4254 पाठशालाओं को प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत कर दिया है। यह तो सही है ?

श्री जुबेर खान : चार हजार ये अलग किये और वो अलग किये हैं ? इसका मतलब 8 हजार खोली हैं आपने ? वही 4 हजार है या 8 हजार हैं ?

श्री कालीचरण सर्राफ : बिराजें। ये आंकड़े सुनकर दिल बैठ जाएगा इसलिए आप चुपचाप बैठे रहिये, इसलिए कह रहा हूं कि बैठे रहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कुल 17746 हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : जुबेर खानजी, आप कांग्रेस की इतनी तरफदारी करते हैं, जब कांग्रेस का राज आता है तो आप हार जाते हो, बी.जे.पी. का राज आता है तो आप जीत जाते हो इसलिए हमारी प्रशंसा करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारा ही राज रहे ताकि आप वहां रहो।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, पांच साल में कांग्रेस की सरकार में 2989 प्राथमिक स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया। कितने जुबेर साहब ? 2989 स्कूलों को केवल पांच साल में और हमने दो साल में इससे डबल 4792 प्राथमिक शालाओं को सैकण्डरी में क्रमोन्नत कर दिया। इसी प्रकार पांच साल में आपने 767 सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया, सारी, मिडल में क्रमोन्नत किया गया। हां वहीं हो गया न, सारी मिडल.....

श्री जुबेर खान : तिवाड़ी साहब आपके आंकड़ों को घटाकर बता रहे हैं, इसमें कोई राज है।

श्री कालीचरण सर्राफ : राज नहीं है, इसकी चिंता मत करो आप, बिराजो। वास्तविकता वास्तविकता रहेगी जुबेर साहब। आप चाहे इसको यूं घुमाओ चाहे यूं घुमाओ, जो हमने काम किया है वह तो किया है, जनता को दिख रहा है। आपने पांच वर्ष में दो विश्वविद्यालय खोले और हमने दो साल में छह विश्वविद्यालय खोले। पिछली सरकार मिड-डे-मील के नाम से बच्चों को घूघरी खिलाती थी और हमने, मुझे यह कहते हुए फख्र है कि राजस्थान के एक करोड़ बच्चों को दोपहर का, आप केवल घूघरी का वितरण करते थे, हमने उस सिस्टम को खतम किया और आज मुझे फख्र है...

श्री राकेश मेघवाल : ... आज अंडे मिलाकर खिलाने की बात कर रहे थे यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये अंडे नहीं मिला रहे थे, आज तो बर्ड फ्लू आई हुई थी सबके स्वभाव में।

श्री कालीचरण सर्राफ : और आज हम एक करोड़ बच्चों को गरम खाना खिला रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो बता दें कि मिड-डे-मील का पैसा कहां से आ रहा है ?

श्री कालीचरण सर्राफ : आप भी लाते, आप भी लाते।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां वह तो ठीक बात है लेकिन सवाल इस बात का है, बात तो सही कहो। केन्द्र सरकार के माध्यम से आप गुलछर्रे उड़ा रहे हो, केन्द्र का पैसा नहीं हो तो आपने कुछ नहीं किया है।

श्री कालीचरण सर्राफ : केन्द्र सरकार के माध्यम से तो...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यही ट्रेनिंग दी है क्या आपने ? यही ट्रेनिंग दी है क्या आपने ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : केन्द्र सरकार का पैसा कोई दया पर मिलता है क्या? नहीं, केन्द्र सरकार का पैसा कोई दया पर मिलता है क्या ? यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसको हम लेते हैं, दया पर मिलता है क्या पैसा ?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : हम गुलछर्रे नहीं उड़ा रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। आप उड़ा रहे थे गुलछर्रे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपकी सरकार पैसा रोकती थी हमारा जायज पैसा। शिक्षा का, ऊर्जा का, चिकित्सा का, सभी का पैसा रोकती थी। हम रोकते नहीं है। हम फेडरल गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं, इसलिए बराबर पैसा देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अकाल के अन्दर 973 करोड़ रुपये इस सरकार ने दिये हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए मिड-डे-मील में यह कर दिया, आपने क्या किया ? आपने क्या किया, यह आप बतायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भूल गये, राजस्थान में अकाल पडा था, 973 करोड़ रुपये नकद और 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया और आपने हमें एक किलो गेहूं दिया हो तो बताओ, एक रुपया दिया हो तो बताओ। काहे की संवेदनशीलता की बात कर रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके पास 890 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं जून तक, आप लोग कंजूस की तरह बैठे हो, खर्च नहीं कर रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात यह नहीं है। बात यह है कि उस समय भी पैसा था, पैसा आज भी है। पहली बात तो यह है कि भारत सरकार का पैसा कोई दया पर नहीं है, यह हिन्दुस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा है और इस पर सब राज्यों का हक है और यह संवैधानिक अधिकार है, वह लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जनता का हक है, पैसा तो आम जनता का है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेकिन उस समय कमी क्या थी ? उन्होंने तो सळू के साथ भैंस काट दी। इन्होंने जो 10 प्रतिशत पैसा मिलता है ना, वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं दिया और इसके कारण से भारत सरकार का पैसा नहीं मिला, अब हमको मिल रहा है। आज 1000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं क्योंकि हमने 250 करोड़ राजस्थान के बजट से सर्वशिक्षा अभियान में दिया है, इसीलिए 1000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, इसलिए वह तो बराबर नकद देकर माल ले रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : नोन प्लान की पोस्टों को केन्द्र सरकार के पैसों से भर रहे हैं आप, यह बात आप छोड़ दो, हम सब पोल जानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अपनी-अपनी अक्ल है। अपनी-अपनी अक्ल है। आपके समय में आप भी भर लेते। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : राजस्थान की जनता का टैक्स का पैसा है, सोनिया गांधीजी ने नहीं दे दिया पैसा, यह हमारे टैक्स का पैसा है।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय कल्ला साहब स्वीकार रहे हैं कि हमारी सरकार काम्पीटेंट नहीं थी पैसा लेने में, हमारी सरकार उतनी ज्यादा काम्पीटेंट है पैसा लेने में, इसलिए दे रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारी सरकार पूरी काम्पीटेंट थी लेकिन आपके वित्त मंत्रीजी जान बूझकर पैसा रिलीज नहीं करते थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अक्ल की कमी थी अक्ल की, लेने में अक्ल चाहिए।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो आप मानते हैं कि आपने 250 करोड़ रुपये दिये, एक बात तो मानिये, अटल बिहारी वाजपेयीजी प्रधान मंत्री थे तो बच्चे घूघरी खाते थे और सरदार मनमोहन सिंहजी हैं तो अच्छे-अच्छे व्यंजन खा रहे हैं, यह बात तो माननी पड़ेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बात बिलकुल ठीक है। जब आपके अशोक गहलोत मुख्य मंत्री थे तो बच्चे घूघरी खाते थे और वसुन्धराजी हैं तो रसगुल्ले उड़ाते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपको रसगुल्ला खिला रही है तब भी बार-बार विरोध कर रहे हो, भाई ऐसे तो मत करो, रसगुल्ला खाकर भी विरोध कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : आप तो यह आत्म-विश्लेषण करो कि हमने पांच साल में यदि काम किये होते तो प्रदेश की जनता हमें सिर-आंखों पर

(श्री कालीचरण सर्राफ)

बैठाती। आपके कारनामों के कारण आज हम इधर हैं और आप उधर हो। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पांच साल में हम इतने विकास के काम करेंगे, इतने विकास के काम करेंगे कि...

श्री जुबेर खान : तिवाड़ी साहब, इनसे कहो कि यह मुझे नहीं कहें, इन्हें कहें यह बात।

श्री कालीचरण सर्राफ : पांच साल बाद पुनः हम यहीं होंगे और आप वहां होंगे और जुबेरजी, आपके लिए बढ़िया होगा, हम यहां होंगे तभी आप वहां होंगे। यदि आप लोग इधर आ गये तो आपका पता नहीं लगेगा, कहां गये आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ऐसा मत करो, नहीं तो कल्ला साहब मेरा टिकट ही काट दिया करेंगे हर बार।

श्री कालीचरण सर्राफ : कल्ला साहब, इनका ध्यान रखना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच साल और दो साल की तुलना कर रहा था। सबको शिक्षा हेतु 1.14 करोड़ बच्चों को 126.09 करोड़ की मुफ्त किताबें हमने दो साल में वितरित कीं। आप बता दो आपने की हो तो। इसी प्रकार से पिछली सरकार ने पांच साल में 12 राजकीय और 102 निजी महाविद्यालय शुरू किये और हमने दो साल में पांच नये राजकीय महाविद्यालय और 343 निजी महाविद्यालय शुरू किये। पिछली सरकार में महाविद्यालयों में केवल 7447 सीटें थीं और हमारे आने के बाद अभी इन सीटों की संख्या बढ़कर 34000 हो गई महाविद्यालयों में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने शिक्षा के मामले में बताया। अब मैं सड़कों के मामले में भी बताना चाहता हूं। पिछली सरकार ने जहां पांच साल के दौरान चार किलोमीटर बी.टी. रोड और एक गांव को प्रतिदिन सड़क से जोड़ा गया। पांच साल में केवल एक गांव को प्रतिदिन सड़क से जोड़ा गया, हमने दो वर्ष में 12 किलोमीटर बी.टी. रोड का निर्माण किया और चार गांवों को प्रतिदिन के हिसाब से हम सड़कों से जोड़ रहे हैं और यह बात केवल कागजों में नहीं है। जो चार गांवों को हमने सड़कों से जोड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया, उसकी भारत सरकार ने और वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है। मैं बधाई देना चाहूंगा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को कि हमने जिस तरीके से कीर्तिमान यह स्थापित किये सड़कों के मामले में, भारत सरकार चाहे विरोधी सरकार हो परन्तु भारत सरकार ने भी हमारी तारीफ की है और वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी तारीफ की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और उपाध्यक्ष महोदय, मैं बधाई लेना चाहूंगा। ये बधाई देना चाहते हैं तो मैं लेना चाहूंगा।

श्री जुबेर खान : पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, ये देना चाहते हैं, दे नहीं रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं दे रहा हूं, दे रहा हूं। बैठिये आप। इसी प्रकार से उद्योगों के मामले में देखिये आप। पिछली सरकार में पांच साल में 48122 लघु उद्योगों का पंजीयन हुआ हमारे प्रदेश में और हमने केवल दो साल में 22149 लघु उद्योगों का पंजीयन किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों का सम्मेलन किया, करोड़ों रुपया बरबाद किया और उसके बाद पांच साल में केवल 1123.88 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ राजस्थान में उद्योगों का और हमने केवल दो साल में 548.74 करोड़ का पूंजी का विनियोजन किया। चाहे उद्योगों का सवाल हो, चाहे सड़कों का सवाल हो और चाहे शिक्षा का सवाल हो, और मैं यदि आपको पढ़कर बताऊं, ऊर्जा के मामले में देखिये आप, पिछली सरकार ने पांच वर्ष की अवधि के दौरान बिजली के ट्रांसफार्मर्स जब खराब हो जाते थे तो एक महीने में बदले जाते थे और वही जब हमारी सरकार आई तो हमने कहा कि एक महीना नहीं, 72 घंटे में हमने ट्रांसफार्मर्स को बदलने का काम किया। पिछली सरकार ने....

डा. चन्द्रशेखर बैद : 100 प्रतिशत पावर कट चल रहा है। एक मेगावाट से ज्यादा बिजली जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनका 100 प्रतिशत पावर कट चल रहा है।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में एक भी गांव नहीं था, ऐसी एक भी कोई ढाणी नहीं थी जहां तीन घंटे से ज्यादा बिजली आई हो।

श्री लालचन्द कटारिया : तभी तो इधर आ गये। तभी तो आप उधर बैठे हो। नहीं, आप तो बिजली ही मत देओ ना, कम से कम सदन में तो मत बोलो।

श्री कालीचरण सर्राफ : और भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद आज हम फख्र के साथ यह कह सकते हैं कि एक भी ऐसा गांव नहीं, एक भी ऐसी ढाणी नहीं जहां पांच घंटे से कम बिजली आई हो। (व्यवधान)

(श्री कालीचरण सर्राफ)

इसी तरीके से पिछली सरकार ने प्रतिवर्ष 355 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया, वहीं वर्तमान सरकार ने दिसम्बर, 2003 से अब तक 368 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया यानी पांच साल में 355 और हमने दो साल में 368 मेगावाट और 2008 तक यह हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बताया है कि 2233 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम कर लेंगे, इस प्रकार की हमें आशा है।

श्री लालचन्द कटारिया : गांवों में परीक्षा के समय में भी एक घंटे बिजली नहीं मिल रही है, वहां जाकर देखो, स्कूलों में क्या हाल हो रहा है ? आज की स्थिति है, आज की स्थिति है।

श्री जुबेर खान : हम आपकी इस बात से असहमत हैं। पिछली बार 1750 मेगावाट यूनिट बनी, इसको डिनाई कर रहे हैं क्या आप। गत सरकार के पांच वर्ष में 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, इसको आप मना कर रहे हैं क्या।

क्यों, आप ढाई सौ, तीन सौ बता रहे हैं, यह गत पांच वर्ष में।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपका नम्बर आये तब बोल लेना, बिराजें आप, प्लीज।

श्री जुबेर खान : ऐसे असत्य तो मत बोलो साहब। जो आन रिकार्डेड चीज है...

श्री लालचन्द कटारिया : हां, गलत है।

श्री जुबेर खान : उसको तो मत झुठलाइये, असत्य मत बताइये।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह रिकार्ड है। बिराजो, बिराजो।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सदस्य, जो आप बात कह रहे हैं, भैरोंसिंहजी के टाइम में जो योजनाएं बनी थीं, आपके टाइम में पूरी हुई हैं, आपका उसमें कोई श्रेय नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ : सुनो, सुनो। इस प्रकार से...(व्यवधान) सुनो तो सही।

श्री लालचन्द कटारिया : आपका क्या श्रेय है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आदरणीय शांतिलाल चपलोत साहब, आपका यह

(श्री जुबेर खान)

250 बनने जा रही है, इसमें क्या श्रेय है। इस तरह से इसका तो शिलान्यास पहले हुआ है।

श्री कालीचरण सर्राफ : इसी प्रकार से पिछली सरकार ने बिजली की टेरिफ में, यह कहते हैं बिजली की रेट बढ़ा दी, यह कर दिया, वह कर दिया, अब इनकी आप कारगुजारियां सुनिये। 1998 में 15 प्रतिशत, 2001 में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, जबकि हमने 2005 में केवल 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। जुबेर साहब, यह सही कह रहा हूं न, गलत थोड़े ही कह रहा हूं? हमने दो साल में 87 हजार कुओं को नये कनेक्शन दिये हैं, आपकी सरकार में एक भी ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें 15 हजार, 16 हजार से ज्यादा कनेक्शन दिये गये हैं। मैं यदि यह लम्बी फेहरिस्त पढ़ूंगा, पेयजल, सिंचाई, सड़क विकास, यानि यह सारे, तकनीकी शिक्षा, कृषि विपणन....

श्री रामनारायण मीणा : माननीय कालीचरणजी साहब, मैं एक मिनट लूंगा आपका। क्या यह सत्य नहीं है कि आज भी किसानों को बिजली के कनेक्शन के लिए दस-दस साल इन्तजार करना, आपका और हमारा सवाल नहीं है, वह हमारे टाइम पर भी लग जाता था, क्या यह सत्य नहीं है कि आज भी किसान को दस साल और दस साल से ज्यादा इन्तजार करना पड़ता है। हम सब मिल कर उसके लिए क्या करें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : लीडर आफ अपोजीशन नहीं हैं, सुनिये । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं एक ही बात अर्ज करूं।

श्री कालीचरण सर्राफ : हमने इस प्रकार की योजना बनाई है कि दो साल बाद बिलकुल वेटिंग लिस्ट खतम हो जायेगी।

श्री रामनारायण मीणा : यह वेटिंग लिस्ट कैसे खतम होगी, उस दिन मैं सारे सदन को भोजन कराऊंगा गचागच।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपने तो यह भी कहा...

श्री लालचन्द कटारिया : रामनारायणजी, कनेक्शन चालू ही नहीं कर रखे आपने।

श्री रामनारायण मीणा : उसको छोड़ो। यह दस साल का बेकलाग कैसे पूरा हो, इसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, इधर-उधर से हम क्या...(व्यवधान) देखिये, सुनिये।

श्री लालचन्द कटारिया : जब किसानों से फाइलें ही नहीं ले रहे..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं बहस नहीं कर रहा, आप मेरी सुनिये। जो चालीस हजार करोड़ रुपये या जो भी बिजली के लिए राजीव गांधी मिशन योजना से आ रहे हैं या दूसरे आ रहे हैं, वह पैसा आपका भी है, हमारा भी है, मैं और एम.एल.एज की तरह नहीं कह रहा, क्योंकि तकलीफ होती है मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, जब तीन-तीन बीघा का किसान दस-दस साल इन्तजार करे, ट्यूब वैल में एक-एक लाख रुपये लगाये, यह एक ऐसा अहम मसला है जिस पर बैठ कर के सर्वदलीय मीटिंग करें (व्यवधान) आप सुनें तो सही, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आप तो सीनियर मंत्री हो...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपके पापों के....

श्री रामनारायण मीणा : आप तो सीनियर मंत्री हो, आप सुनो। मैं छबड़ा में नहीं जा रहा। सुमेल की बात नहीं कर रहा। माफ करना, आप बिराजो प्लीज, आपका आदर करता हूं मैं।

श्री जुबेर खान : नहीं, यह छबड़ा नहीं जायेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : यह अहम मसला है सिंघवी साहब, यह इतना अहम मसला है जिसके बारे में हम विचार करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसके बारे में आप भी ध्यान दें और माननीय सीनियर मंत्रीजी तिवाड़ी साहब, आप कुछ सोचोगे तो जरूर इसका हल निकल जायेगा, मैं आपमें इतना विश्वास व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें काफी सुधार हुआ है, इस साल भी हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा : दस साल है। आप इसके बारे में बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बता दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पिछली बार जब मैंने जवाब दिया था विद्युत का तो हमने यह समीक्षा की थी मुख्य मंत्रीजी के पास, सरकार जब बनी थी तो 1 लाख 75 हजार कुएं ऐसे थे जो डिमांड कर रहे थे आठ वर्ष से, दस वर्ष से, पांच वर्ष से, अलग-अलग जिलों में अलग-अलग प्रकार से, तो हमने तय किया कि 60 हजार कुओं को प्रतिवर्ष कनेक्शन देंगे और तीन वर्ष में इसको पूरा कर लेंगे। अब तक 87 हजार कुओं को कनेक्शन दिया जा चुका है, अब जो बचे हुए हैं, आशा है, सरकार की पूरी कि अगले साल हम इन बचे हुए को

भी पूरा कर देंगे और इस प्रकार से पांच साल से ऊपर जितनी भी वेटिंग लिस्ट थी, वह सारी वेटिंग लिस्ट अगले साल समाप्त हो जायेगी।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप तो डिनर की तैयारी करो।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं हुए हैं, चिंता इसी बात की है, आज भी दस-दस साल की वेटिंग लिस्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : बिजली की उपलब्धता है जो, बिजली की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं है अब।

श्री रामनारायण मीणा : आप रिकार्ड देखिये और रिकार्ड देखकर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप रिकार्ड देखकर के जवाब दीजिये, आज भी दस-दस साल से, मेरे इलाके में दस साल का हिसाब है, कहीं बारह होगा, कहीं नौ साल होगा, लेकिन यह नौ, आठ साल से कम कहीं नहीं है। आपने दिये तो नई फाइलें आ गईं इसलिए यह एक ऐसा मसला है माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह जो नई फाइलें आ गईं वह तो अब की वेटिंग में आ गई ना।

श्री रामनारायण मीणा : उसके पहले की बातें, जो भी है, चेक कर लीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है आपका, हां साहब।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप तो यह बताओ रामनारायणजी, आप यदि...

श्री उपाध्यक्ष : आप कालीचरणजी।

श्री कालीचरण सर्राफ : चालीस-चालीस, पचास-पचास हजार कनेक्शन यदि हर साल देते तो यह वेटिंग लिस्ट रहती ही नहीं। आपने दिये 15 हजार, 16 हजार, हमने पहली बार 87 हजार कुओं को बिजली के कनेक्शन दिये हैं और यह इसी गति से हम देते रहे तो तीन साल में पूरा बेकलाग खतम, वेटिंग लिस्ट खतम और सब को कनेक्शन मिल जायेंगे। और आप तो जो अभी कहा न, वादा किया है कि सब को खाना खिलाऊंगा उस पर कायम रहना।

श्री रामनारायण मीणा : मैं मेरे वायदे पर पूरी तरह से कायम रहूंगा।

श्री कालीचरण सर्राफ : धन्यवाद।

श्री रामनारायण मीणा : भले ही किसी का सहयोग लेना पड़े या नहीं लेना पड़े, मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूंगा और निश्चित रहिये, पूरा सदन साथ रहेगा इसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तब आप फिर रामनारायणजी की जगह आ जाओगे।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जयपुर शहर का सवाल है, मैं चूंकि जयपुर शहर से प्रतिनिधि चुनकर आया हूं इसलिए अब जयपुर की भी बात करूंगा। जयपुर में पेयजल की जितनी विकराल समस्या है, किसी से छिपी हुई नहीं है। हर साल 15-15 फीट पानी, 20-20 फीट पानी नीचे चला जा रहा है और हम भूजल के माध्यम से जयपुर शहर को अभी पानी पिला रहे हैं। पिछली बार 1996 में योजना बनी थी, 1996 में बीसलपुर की योजना, पर कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछली बार तो गहलोत साहब ने कमाल ही कर दिया, बिना कोई वित्तीय स्वीकृति, बिना कोई प्रशासनिक स्वीकृति, जाते-जाते बम्बाला के पास उदघाटन कर गये, एक शिलालेख लगा गये बीसलपुर परियोजना का उदघाटन, सब बिलकुल फर्जीवाड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राज्य की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधराजी को कि हम सब विधायक उनसे मिले और हमने कहा कि जयपुर शहर में यदि सबसे विकराल और प्रमुख समस्या कोई है तो वह पीने के पानी की समस्या है। उन्होंने उसी समय अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, प्राथमिकता के आधार पर 556 करोड़ की बीसलपुर-जयपुर परियोजना पर काम प्रारम्भ किया, टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दिया और मुझे आज खुशी है कि जिस तेजी के साथ बीसलपुर परियोजना पर काम हो रहा है, 2007 दिसम्बर तक जयपुर की जनता बीसलपुर का पानी पीने लग जायेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कई बार कहा कांग्रेस के हमारे मित्रों को जब इनकी सरकार थी कि जयपुर शहर में जिस तरीके से पापुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है, जिस तरीके से जनसंख्या का दवाब जयपुर शहर पर बढ़ रहा है, जयपुर शहर के जो आस-पास के इलाके हैं, जयपुर शहर के पास-पास के जो कस्बे हैं, जयपुर शहर के आस-पास के जो गांव हैं, उनको सेटेलाइट टाउन्स में, उपनगरीय व्यवस्था में क्रमोन्नत करिये, उनको विकसित करिये जिससे कि

(श्री कालीचरण सर्राफ)

जनसंख्या का दवाब कम हो। परन्तु जयपुर के बारे में हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कभी नहीं सोचा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय वसुंधराजी को और भाई प्रताप सिंहजी सिंघवी को, कि उन्होंने पिछले दो साल में बगरू, चौमूं, बस्सी, अचरोल, कूकस, जमुआरामगढ़, कानोता, शिवदासपुरा, रेनवाल, आमेर, इनको किस प्रकार से उप नगर में विकसित किया जाय, किस प्रकार से जयपुर शहर पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दवाब कम किया जाय, उसकी योजना बनाई और मुझे फख्र है यह कहते हुए कि जिस तेजी के साथ इन कस्बों को सेटेलाइट टाउन्स में क्रमोन्नत करने के लिए विकास की जो योजनाएं चल रही हैं उसका कुछ ही दिनों में हमें फल मिलने लगेगा। अब कल जो विपक्षी दल के हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, जेडीए ने जो लैण्ड बैंक बनाया है, उसके बारे में तरह-तरह की बातें यहां पर की जा रही थी। यह कहा जा रहा था कि यह पंचायत की जमीन है, पंचायत की जमीन को यह किस प्रकार से जेडीए ले रहा है, यह गैरकानूनी है, यह ले ही नहीं सकते। मैं बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि 1982 में जेडीए की स्थापना हुई, जेडीए के क्षेत्र में 475 गांवों को अधिसूचना द्वारा सम्मिलित किया गया, और जेडीए एक्ट की धारा 54 के अन्तर्गत सभी 475 गांवों की समस्त राजकीय और सिवाय चक जमीन जेडीए में निहित हो गई। यह सेक्शन 54 में प्रावधान है और इसी नियम के तहत इन सभी गांवों की ऐसी जमीन को एक अभियान चलाकर जेडीए ने अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाया और आपको यह जानकर खुशी होगी कि 91038 बीघा और 13 बिस्वा जमीन, यह जेडीए के नाम से अंकित करवाई गई।

अब ये जो यहां भ्रम फैला रहे हैं कि ये पंचायत की जमीन ले ली ये कर दिया वो कर दिया मैं बताना चाहूंगा कि लैंड बैंक में पंचायतों में निहित नजूल भूमि, आबादी भूमि और ऐसी भूमि जो पंचायतों के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 में पंचायतों के लिए सेट अपार्ट की जाती है वो लैंड बैंक में शामिल नहीं है। कंफ्यूजन दूर कर लीजिये 55363 बीघा भूमि चिह्नित की गयी है और वो कोई जे.डी.ए. या बी.जे.पी. की सरकार अपने साथ नहीं ले जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं फिल्मसिटी, स्पोर्ट्ससिटी, उपनगरीय आवास योजनाएं, फार्म हाउसेज, रिंग रोड,

(श्री कालीचरण सर्राफ)

सेज इन सब परियोजनाओं में इस लैंड बैंक से ही जमीन ली जाएगी और आपको यह जानकर खुशी होगी कि जे.डी.ए. ने लैण्ड बैंक से जो फार्म हाउसेज, ग्रुप हाउसिंग, कामर्शियल और रेजीडेंशियल उपयोग के लिए जो जमीनें बेची हैं जो नीलामी की हैं उससे 506.85 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है और जे.डी.ए. बनने के बाद यह पहली बार हुआ है जो जे.डी.ए. पर 84 करोड़ का कर्ज था वो चुका दिया जो 10 करोड़ रुपये कर्ज के पेटे राज्य सरकार से ले रखे थे उनको चुका दिया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इनके टाइम में 120 करोड़ का कर्जा था।

श्री कालीचरण सर्राफ : इनके टाइम में तो कर्जा ही कर्जा था ये तो यह कहते थे कि खजाना खाली है हम क्या करें। हिन्दुस्तान में इन्होंने राजस्थान की इमेज बना रखी थी कि यह भिखारी स्टेट है और 28 करोड़ रुपये नगर निगम को दे दिये और इसके बाद आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि जे.डी.ए. के इतिहास में राजस्थान की राजधानी जयपुर के इतिहास में पहली बार इस वर्ष 617 करोड़ रुपये के विकास के काम हो रहे हैं जो एक साल में पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहां सेज के बारे में भी कई बातें की गईं।

श्री लालचन्द कटारिया : वो रेलवे स्टेशन वाला पुल तो बनवा दो।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप विराजें साहब, अपने टाइम में बोल लेना। सारे काम आपने क्यों नहीं किये पांच साल में हम तो फिर भी पुलिया बनवा रहे हैं।

श्री लालचन्द कटारिया : उसकी नींव हमने ही रखी थी वो बनवा दो न आप।

श्री कालीचरण सर्राफ : हां, आप तो नींव ही रखते हो बम्बाला में बीसलपुर योजना का शिलान्यास वो पत्थर का ही पता नहीं कहां गया। वित्तीय स्वीकृति नदारद, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं और कर दिया। बताओ आपने दी थी वित्तीय स्वीकृति या प्रशासनिक स्वीकृति ?

श्री लालचन्द कटारिया : आपने जमीन भी बेच दी और जमीर भी बेच दिया हमने नहीं बेचा कुछ भी।

श्री कालीचरण सर्राफ : जमीन कोई ऊपर थोड़े ही ले जाएंगे, जमीन जनता की है जनता को क्यों नहीं बेचेंगे।

श्री लालचन्द कटारिया : यह तो जनता बतायेगी दो साल बाद में।

श्री कालीचरण सर्राफ : स्पेशल इकानामिक जोन के बारे में यहां पर माननीय विपक्षी सदस्यों ने कईयों ने शंकाएं प्रकट की। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि चाइना और अन्य कई कंट्रीज में यह स्पेशल इकानामिक जोन के निर्माण से तीव्र आर्थिक विकास हुआ है और इसको देखते हुए हमारी भारत सरकार ने जो इनकी सरकार है। यू.पी.ए. की सरकार है, उन्होंने सेज को स्पेशल इकानामिक जोन को इंडिया में भी लागू करने का निर्णय किया। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के बारे में यहां कई बातें की जा रही हैं। चैन्नई में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ने सेज के माध्यम से विकास का काम किया उससे प्रभावित होकर हमारी राजस्थान की सरकार ने भी यह निर्णय किया कि जयपुर में भी स्पेशल इकानामिक जोन की स्थापना की जाए। यह आरोप लगाया गया कि सेज को जो जमीन दी गयी है महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा वो हमने सस्ती दरों पर दे दी। कांग्रेस का राज था जी.ई. पाइप्स लिमिटेड जवाहर लाल नेहरू मार्ग जहां 35 हजार रुपये 40 हजार रुपये वर्गगज की रेट है वहां इन्होंने सात सौ रुपये वर्गगज में उसको जमीन दे दी वो सस्ती नहीं थी? एन्टरटेनमेंट पैराडाइज उसको सात सौ रुपये वर्गगज में दे दी वो सस्ती नहीं थी और हमने स्पेशल इकानामिक जोन के लिए जो डी.एल.सी. की रेट है जो सरकार तय नहीं करती कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है... सुनें साहब।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय सर्राफ साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। सरकार बैठी है ये बातें सदन में सुनते-सुनते बहरे हो गये, तो कर दिया तो करो न कुछ।

श्री कालीचरण सर्राफ : कर रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : कब करोगे ?

श्री कालीचरण सर्राफ : कर रहे हैं आप चिन्ता मत करो।

श्री रामनारायण मीणा : ईमानदारी से आप कुछ करते तो हो नहीं और करने की स्थिति में इसलिए नहीं हो कि कुछ हुआ ही नहीं।

श्री ओम बिरला : सेज से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में राजस्थान में जयपुर में इकानामिक जोन बनेगा।

श्री रामनारायण मीणा : आप तो समझदार हो समझदार नहीं होते तो कोटा से कैसे जीतते ?

श्री कालीचरण सर्राफ : रामनारायणजी, विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : एक लाइन में। यह है ये बातें सदन में करने की बजाय जब बेईमानी की है तो आप कीजिये न कुछ कार्यवाही और नहीं करते हो इसका मतलब आपको सदन में कहना बन्द कर देना चाहिए। आपके संसदीय मंत्री यहां बैठे हुए हैं।

श्री ओम बिरला : कर रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : कुछ नहीं करोगे। वो कोटा में गड़बड़ियां हुई हैं वो आदमी आपके साथ घूमते हैं आजकल बिरलाजी, इसलिए बाबा आयाराम गयाराम सब जगह है और ईमानदार बेचारा कर्म मसोस कर रह जाता है कृपा करके कुछ करिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : आदरणीय उपनेता जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो कहती है।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं-नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ईमानदारी का काम था सारा का सारा और मैं चेलेंज करता हूं आपको कुछ कर सकते हो, कर ही नहीं सकते। है ही नहीं कुछ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नैनवां से आने वाले माननीय विधायक ने कहा है कि कोटा में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं आप स्पेसिफिक बताइये मैं निश्चित रूप से उसकी जांच करवाऊंगा।

श्री रामनारायण मीणा : मैंने प्रश्न पूछा है आप प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री ओम बिरला : ये तो अपनी सरकार की गड़बड़ियां बता रहे हैं आप करें कार्यवाही यह कह रहे हैं वो तो।

श्री रामनारायण मीणा : आप कृपा करके बैठिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : बैठो आप। मेरा समय खराब हो रहा है। क्या है यह साहब ? बैठाइये इनको। प्लीज टेक योअर सीट।

श्री रामनारायण मीणा : मैंने प्रश्न पूछा है सिंघवी साहब, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप करिये कुछ नहीं तो हमसे बात करिये हम बतायेंगे आपको कहां-कहां गड़बडी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था कि टोका-टाकी बीच में नहीं चलेगी अब इन्होंने चालू कर दी फिर हम बोलेंगे तो आप हमें कहेंगे कि आप बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : आप धमकी दे रहे हो, आप तो सज्जन आदमी हो यह टोका-टाकी नहीं है। अपन दोनों बैठ जाते हैं।

डा. सी.एस. बैद : सिंघवीजी, आज तो ठीक बोल रहे हैं कल इनके क्या हो गया था धीमी गति से बोल रहे थे आज तो बिलकुल नारमल बोले ये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कल चश्मा खराब था।

श्री कालीचरण सर्राफ : तो मैं यह कह रहा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 40 हजार रुपये गज की जमीन इन्होंने सात सौ रुपये गज में दे दी तो उसमें इनको भ्रष्टाचार की बू नहीं आयी। एन्टरटेनमेंट पैराडाइज, जी.ई. पाइप्स को और हमने डी.एल.सी. रेट पर दी और ये कोई गवर्नमेंट तय नहीं करती कोई मंत्री तय नहीं करता हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बन हुई है, उसमें उस जिले के सारे जनप्रतिनिधि रहते हैं एम.एल.एज रहते हैं और वो डी.एल.सी. की रेट तय करते हैं हमने डी.एल.सी. की रेट पर उनको दे दी तो इनके पेट में मरोड़ा आ गया कि आपने इसमें भ्रष्टाचार किया है। इसमें आपने बड़े सस्ते में उनको जमीन दे दी और फिर इन्होंने जब देखा कि मामला जम नहीं रहा तो कहा कि किसान इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रथम राज्य है पूरे हिन्दुस्तान में जहां राज्य सरकार ने यह तय किया कि किसानों से जो जमीन अवाप्त की जाएगी उसमें 20% रेजीडेंशियल और 5% कामर्शियल लैण्ड उनको वापस दी जाएगी और आज उसी का यह परिणाम है कि जहां ये सोचते थे कि हम महापड़ाव करेंगे हम किसानों को भड़कायेंगे, किसान इनके चक्कर में आ ही नहीं रहे हैं। लाइन लगी हुई है जे.डी.ए. में और किसान कह रहे हैं कि 20% रेजीडेंशियल और 5% कामर्शियल में जितनी जमीन चाहें हमारी जमीन लेओ। सरेण्डर करने के लिए लाइन लगी हुई है। कहीं पर काई विरोध नहीं है और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सेज जब जयपुर में आ जाएगा स्पेशल इकानामिक जोन की स्थापना हो जाएगी तो पांच साल में लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का विनियोजन होगा और कम से कम एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अब आप तो रोजगार विरोधी हो इसलिए आपको तो कहने से कोई मतलब ही नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाने का काम है क्योंकि पांच साल में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पाये और हम एक लाख लोगों को रोजगार देंगे।

श्री महीपाल यादव : और इनके नक्शे पास करने के कितने लिये हैं ?

श्री कालीचरण सर्राफ : यह आपके राज में होता था हमारे राज में नहीं।

श्री महीपाल यादव : चार सौ करोड़।

श्री कालीचरण सर्राफ : एक बात और मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारे नगरीय विकास मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कालीचरणजी, कन्क्लूड करिये थोड़ा।

श्री कालीचरण सर्राफ : हां, बस दो मिनट। सुनिये। देखिये साहब ये कितना डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, मैं करूं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास मंत्रीजी बैठे हुए हैं एक मामला इनके ध्यान में लाना चाहूंगा। मुझे पता नहीं इनको ध्यान में है कि नहीं है पर मेरे ध्यान में आया तो मैं इनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि अजमेर रोड पर पुराने मुर्गी खाने की 8 हजार वर्गगज जमीन जो 1993 में नीलामी की गयी थी और जिसमें मात्र 15% राशि ही जिसने नीलामी में ली थी उसने जमा कराई थी। न्यायालय का उस पर स्टे आ गया जिसके कारण नीलामी निरस्त कर राशि लौटाने के आदेश प्रदान कर दिये गये थे। हमें अभी यह जानकारी मिली है कि इस भूमि का नियमन 12 साल बाद उस क्षेत्र की बाजार दरों में 50 गुणा वृद्धि हो जाने के बावजूद उसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये नियमन गैर कानूनी तरीके से पहले वाली रेट पर कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि इसकी जांच कराये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य अजमेर रोड की मुर्गीखाने की जिस जमीन की बात कर रहे हैं मैं आज ही इसकी पत्रावली मंगवा लूंगा और नियमानुसार जो भी कार्यवाही होगी वह करूंगा जरूरत पड़ी तो पूरी कार्यवाही को निरस्त करूंगा।

श्री कालीचरण सर्राफ : मंत्री महोदय करोडों रुपये का घपला है इसलिए इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं।

श्री अर्जुन लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आवेश में आकर उपाध्यक्ष महोदया सम्बोधित किया है तो थोड़ा ध्यान रखिये इतने उत्तेजित नहीं हो कार्यवाही तो करनी ही है।

श्री कालीचरण सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत समय हो गया है मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों का कार्यकाल रहा है और हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसको जनता ने पहले लोक सभा के चुनाव में, फिर नगरपालिकाओं के चुनाव में, फिर पंचायत के चुनाव में, फिर विधान सभा के उप चुनाव में सबमें हमको जनादेश देकर यह बता दिया है कि जनता हमारे कामों की प्रशंसा कर रही है, तारीफ कर रही है। (व्यवधान) आप विराजो आपका नम्बर नहीं आने वाला है, मेरा आये या नहीं आये पर आपका नहीं आयेगा निश्‍चित रूप से। हम तो यही कहना चाहेंगे कि दो साल में हमने जो कुछ किया है राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी से स्वस्थ राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। विकास के नये आयाम स्थापित करना चाहते हैं। हम तो कांग्रेसी मित्रों से सहयोग मांग रहे हैं कि आप सहयोग कीजिए और राजस्थान में जो विकास के नये आयाम स्थापित हुए हैं ......

डा. सी.एस. बैद : यह बीमारू शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है क्या आपको जानकारी है क्या कि बीमारू क्या है। बीमारू के मापदण्ड क्या है। आपको एक दिन ख्याल आ गया कि बीमारू से बाहर निकल गया तो आपने कह दिया कि बीमारू से बाहर निकल गया।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप विराजिए, जब आपका समय आये तब बोलना प्लीज। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश का समग्र विकास होगा, प्रदेश खुशहाल होगा, गरीबी मिटेगी, अधियारा छटेगा और उजियाला होगा। मैं अभिभाषण का समर्थन करता हूं धन्यवाद और कमल खिला हुआ है और आगे भी खिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल द्वारा 28.2.2006 को अभिभाषण में इस सरकार ने जो थोथी घोषणाएं की हैं और कारवाई की हैं, मैं उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जो इस सरकार ने मूव किया है, उसके खिलाफ खडा हुआ हूं। मैं कुछ ऐसी बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो तथ्यों के आधार पर हैं। अभिभाषण पर माननीय सदस्य अभी कुछ कह रहे थे जयपुर शहर में आबादी के बढते

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

घनत्व एवं दबाव से उत्पन्न हो रही समस्याओं के निदान हेतु जयपुर के मास्टर प्लान के रूप में जयपुर के चारों ओर चिन्हित उपनगरीय क्षेत्र यथा बगरू, चौमूं, बस्सी, अचरोल, कूकस, जमवारामगढ़, कानोता, शिवदासपुरा एवं रेनवाल इत्यादि का सुनियोजित विकास करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही शुरू की है। मैं यह नहीं समझता कि यह बात जो राज्यपाल द्वारा कहलाई गई है यह सही है या कल ही मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह सही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने यह पूछा था कि क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी 3 वर्षों में विकास कार्य की कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या, सरकार विवरण सदन की मेज़ पर रखें। जवाब आया है कि हमने कोई योजना नहीं बनाई। मेरे यह समझ में नहीं आता कि राज्यपाल द्वारा कहलाये गये यह शब्द सही हैं या इस सरकार द्वारा दिया गया उत्तर सही है यह सदन को विचार करने का विषय है।

मैं दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण पढ़ाया गया है उसके पाइंट नम्बर 81 में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में 55363 बीघा जमीन तलाश कर लैंड बैंक बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह तथ्य सही है या यह तथ्य सही है जो सरकार ने कल ही मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है और मैंने जो प्रश्न पूछा था मैं उसको आपको पढ़कर सुना रहा हूं क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार किया गया है। यदि हां, तो इनमें कहां कहां कौन कौनसे गांव शामिल होंगे क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या इन गांवों को शामिल करने से पहले संबंधित जनप्रतिनिधियों की राय ले ली गई है और इसका जवाब आया है, जी नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखे हुये शब्द सही हैं या इस सरकार द्वारा जो जवाब दिये गये हैं वह सही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से और इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौनसी बात सही है। मेरे विद्वान साथी श्री सी.पी. जोशी साहब ने कल बिलकुल ही ठीक कहा था कि जो 55363 बीघा का जो लैंड बैंक बनाया है वह बिना पंचायतों से परमिशन लिये हुये, पंचायतों के अधिकारों का कुठाराघात करते हुए और पंचायतीराज का मखौल उड़ाकर इस

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

सरकार ने जो कुकृत्य किया है जो 55363 बीघा जमीन का लैंड बैंक बनाया गया है उसको यूं कह दिया जाये कि यह भ्रष्टाचार का बैंक है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। साथ ही इसमें ऐसी भी जमीनें शामिल कर ली गई हैं जो चरागाह में हैं, ऐसी भी जमीनें शामिल कर ली गई हैं जिसमें सरकारी मकान वर्षों से बने हुए हैं। इसमें ऐसी भी जमीनें शामिल कर ली गई हैं जो जमीनें पंचायत के सार्वजनिक रूप से काम में आती हैं। इस सरकार ने अगर पंचायतों से पूछा होता, उस गांव के लोगों से पूछा होता, जनप्रतिनिधियों से अगर इसके बारे में राय ली होती तो शायद सरकार ऐसी गलती नहीं करती।

अभी माननीय सदस्य बहुत बड़ी बात सेज पर कर रहे थे। हम सेज के विरोध में नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि रोजगार प्रदान करने के लिये सेज जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को राजस्थान में लाकर और जयपुर शहर में लाकर एक अच्छा काम किया है। लेकिन हमारी जो तकलीफ है आपने जो एमओयू साइन किया है उसमें जो वर्णित बातें हैं उनको लेकर हमारा आपसे विरोध है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि एम एण्ड एम बहुत अच्छी कम्पनी को सेज जैसा आपने दिया है। लेकिन एम एण्ड एम ने जहां तमिलनाडू में 1300 एकड़ जमीन जो उसने खुद ने डवलप की है जो भी उसने खुद परचेज की है बाजार भाव से, आपने उसी महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा को 3000 एकड़ जमीन दी है, 3000 एकड़ में 1050 एकड़ जमीन जेडीए में निहित है वह आपने उनको बहुत सस्ती दर पर दी है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि डी.एल.सी. की रेट पर दी है, डी.एल.सी. की रेट की मीटिंग तो पिछले साल भर से जयपुर जिला कलेक्टर के यहां हुई ही नहीं है। जयपुर जिला कलेक्टर के यहां डी.एल.सी. की रेट अपनी मर्जी से बढ़ाई जाती है, जनप्रतिनिधियों का उसमें कोई सहयोग नहीं है। साथ ही साथ ऐसा प्रावधान भी इस एमओयू में किया है कि बिना प्रमाणिकता दिये हुये राजस्थान सरकार की किसी भी प्रमाणिकता दिये बिना आप सेज, महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा ऐसी पार्टी को, ऐसी कम्पनी को भी सम्मिलित कर सकेगा जिसकी राजस्थान सरकार ने कोई प्रमाणिकता दी नहीं है। यह तो तीसरी पार्टी को, तीसरे सदस्य को, तीसरी कम्पनी को बेकडोर एंट्री देकर सेज की सारी जमीन के अन्दर घोटाला करने का इरादा है।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

साथ ही मेरे समझ में नहीं आता तमिलनाडू के अन्दर जहां पर वह विकसित प्रदेश है पानी की कमी नहीं है, ऊर्जा की कमी नहीं है, एक्सेस में है और यहां राजस्थान के अन्दर जहां पानी का भी अभाव है, जयपुर में एक-एक आदमी पानी के लिए तरस रहा है, एक-एक आदमी बिजली के लिए तरस रहा है उसी महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा को पानी का स्त्रोत, पानी भी आप देंगे, बिजली भी आप देंगे।

वैसे तो किसानों को देने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली नहीं है और ऐसी महत्वाकांक्षी योजना लाकर, जयपुर के अन्दर, जयपुर के लोगों को पानी पीने के लिये नहीं होने के बावजूद ऐसी महत्वाकांक्षी योजना लाई है यह प्रावधान आपने, सरकार ने, अपने एमओयू में किया है।

इससे भी एक खतरनाक प्रावधान और किया है कि अगर सेज, महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा इसमें फैल हो जाए तीन साल के बाद वह जमीन बेचकर अपने घर जा सकती है, क्या मतलब हुआ ? करोड़ों रुपये की जमीन नहीं, हजारों करोड़ों रुपये की जमीन बेचकर जा सकता है, बहुत बड़ा आपने अच्छा काम कर दिया, यह बड़ा अच्छा काम किया है, यूं कह दीजिये कि एक तरह से जयपुर शहर को बेच दिया।

आपने उप बिन्दु पाँच में उल्लेख किया है, आपने बिन्दु पांच में उल्लेख किया है इस सेज के आने के बाद 14 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर 8 जगह ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पर भी आठों जगह मिलाकर 14 हजार करोड़ रुपये का निवेश आज तक नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी मेरे साथी जौहरी बाजार से आने वाले विधायक, यह जयपुर की पानी की समस्या के बारे में जिक्र कर रहे थे, यह सही है कि आपने अभिभाषण के बिन्दु नम्बर 84 पर जयपुर शहर को पेयजल समस्या हेतु 556 करोड़ रुपये की लागत से बीसलपुर जयपुर पेयजल योजना के संबंध में क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। माननीय सदस्य अभी बता रहे थे कि जयपुर बीसलपुर की योजना का कार्यक्रम 2007 में पूरा कर दिया जाएगा लेकिन इस अभिभाषण में कहीं भी 2007 का उल्लेख नहीं है। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

इस बारे में समयबद्ध, हम स्वागत करते हैं कि आपने जयपुर को पानी पीने के लिए बीसलपुर योजना के कार्य की शुरूआत की लेकिन यह भी बता देना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम आपने नया नहीं किया है यह कार्यक्रम पिछली गहलोत सरकार ने शुरू किया था, उसकी मंजूरी दे दी गई थी, यह तो ऐसी परिस्थितियां बनी की जिसकी वजह से सरकार बदल गई।

श्री जोगाराम पटेल : यह तो बता दें कौनसी मंजूरी....(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : आप जरा बैठ जाइये, आपका नम्बर आये तब जवाब दें।

श्री जोगाराम पटेल : यह तो बता दें कौनसी मंजूरी दे दी ?

श्री बृजकिशोर शर्मा : आप बैठ जाए, कृपा करें।

श्री जोगाराम पटेल : आप बता दें कौनसी मंजूरी दे दी थी ? (व्यवधान) मैं राजस्थान का नागरिक नहीं हूं क्या बताइये कौनसी मंजूरी दी थी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि जयपुर को 556 करोड़ का लोकेशन बीसलपुर योजना के लिये किया लेकिन अभी तक, आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक, किस समयबद्ध तरीके से जयपुर शहर को पानी दे दिया जाएगा।

इसके साथ ही साथ बहुत गम्भीर परेशानी है जयपुर शहर में, यह पुलिस की रिपोर्ट है कि अगर जयपुर शहर को पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो ला एण्ड आर्डर बिगड़ सकता है। जल संकट के स्थान पर जयपुर के अन्दर जो स्थिति है वह ग्यारहवां स्थान जयपुर का आ रहा है। जल को लेकर ही मंत्री और विधायक इन्हीं की सरकार के भिड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं जब तक बीसलपुर का पानी जयपुर को नहीं मिले और अगर 2007 की भी बात की जाए तो अभी दो साल पूरे बाकी पड़े हुए हैं। दो साल तक जयपुर को पानी पिलाने के लिए आपने क्या ठोस व्यवस्था की है, उस ठोस व्यवस्था के लिए जयपुर में पानी कैसे लाएंगे आपके टयूबवैल, हैण्ड पम्प सूख गये हैं। टयूबवैल को जहां से पानी मिलता है, टयूबवैल से जयपुर शहर को पानी दिया जाता है वहां तीन-तीन, चार-चार घंटे का आप पावर कट लगा रहे हैं, मेरे यह समझ में नहीं आता कि इस प्रकार किस तरह

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

से जयपुर शहर को पानी दिया जा सकेगा इसके बारे में सरकार अगर जयपुर वासियों को कोई निश्चित कार्यक्रम घोषित करें तो यह अच्छा होगा जिससे जयपुर के लोगों को पानी समय पर मिल सके।

स्वास्थ्य के बारे में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। स्वास्थ्य से पहले, इस सरकार ने राज्यपाल महोदय से, अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ नहीं कहा। इस सरकार ने राजस्थान के अल्पसंख्यकों के बारे में, उनके कल्याण के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के काबीना मंत्री ने ईद के शुभ अवसर पर दिल्ली बाईपास की ईदगाह पर ऐसी पवित्र जगह खड़े होकर घोषणा की थी कि राजस्थान, जयपुर शहर के अन्दर दो हज हाउस का निर्माण किया जाएगा और जो एक हज हाउस पिछली सरकार ने, गहलोत सरकार ने मंजूर किया था, शिलान्यास भी हो गया था वह मेरे पिताश्री के पूर्व विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में आता था उसके नक्शे आज तक पास नहीं हुये हैं और काबीना मंत्री महोदय ने ईदगाह की उस पवित्र दरगाह से यह घोषणा की थी कि एक महीने के अन्दर ईदगाह के कर्बला क्षेत्र में जो हज हाउस बनेगा उसके नक्शे पास कर दिये जाएंगे। न तो उसके नक्शे पास हुये न आज तक सांगानेर के जो दूसरे हज हाउस की घोषणा की थी उसके बारे में आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं साथ ही साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं हज हाउस के नक्शे तो पास किये नहीं, हज हाउस जहां कर्बला क्षेत्र में बनेगा उस कर्बला क्षेत्र में जहां पर जयपुर शहर के मोहर्रम के अवसर पर जयपुर शहर के तमाम ताजियों को दफनाया जाता है उस जगह पर खाली जमीन पर इन लोगों ने जे.डी.ए. ने पिछली 23.2.2006 को जमीन बेचने की घोषणा कर दी, इश्तहार जाहिर कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो वहां पर ऐसी कोई खाली जमीन नहीं है, अगर है भी तो साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के लिये मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसी जमीन नहीं बेची जाए, वहां पर या तो सामुदायिक केन्द्र बनाया जाए या पार्क डवलप किया जाए। इस तरीके से एक और इस सरकार ने बड़ा घपला किया है। बहुत लम्बी-लम्बी बातें, लम्बी-चौड़ी बातें की जा रही हैं। मेरे ही प्रश्न के उत्तर में नगरीय विकास मंत्री ने पिछली बार 18 लेन की रिंग रोड बनाने का जवाब दिया है और अब न मालूम किन कारणों से 12 लेन कर दी गयी है। उन 18 लेन की रोड पर जमीन अवाप्त कर दी गयी। किसानों को मुआवजे के लिये नोटिस दे दिये गये और अब न

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

मालूम डर से, किन कारणों से ऐसा किया, अब उसको घटाकर 12 लेन की कर दी। यह तो सेज 3000 एकड़ का मामला है, वहां तो जाने कितने हजार एकड़ जमीन है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट, शर्मा साहब, अभी रिंग रोड के मामले में यही तय नहीं हुआ है कि जे.डी.ए. बनायेगा या पी.डबल्यू.डी. बनायेगा, यह तो बाद की बातें हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह तो आपने जवाब दिया है मुझे। आपकी सरकार का जवाब है मेरे पास और आप चाहो तो मैं कल टेबल कर दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है। आपका जवाब मैं टेबल करने के लिये तैयार हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सेज के नक्शे में कितने....(व्यवधान)...पास किये, 40 करोड़ से ज्यादा हैं...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कौनसे, मेरे घर में, आपको जितनी तनख्वाह मिलती है, इतनी तनख्वाह के नौकर हैं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया मेरे को सुनने का कष्ट करें। सेज में तो 3000 हजार एकड़ जमीन है, इस रिंग रोड में तो हजारों एकड़ जमीन है जिसका अता-पता नहीं है और जो 6 लेन की सड़क, जो रिंग रोड कम की है उससे अंदाज लगाएं कि किसानों ने उस जमीन को औने-पौने भावों में बेच दी और कुछ प्राइवेट प्रापर्टी वाले, उनके नाम लेने से कोई फायदा नहीं, उन्होंने उस जमीन को खरीदकर नाजायज तरीके से किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य जयपुर के स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें भी, आपने अभिभाषण में भी जयपुर शहर की बढ़ती आबादी के कारण एस.एम.एस. अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार किया जाना आवश्यक है। इस हेतु नये अस्पताल ब्लाक, बाह्य रोग तथा शल्य चिकित्सा कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति में तथा मानसरोवर में नये चिकित्सालय का निर्माण किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। आप यह अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें आपको मुबारकबाद। लेकिन यह सिर्फ थ्योरी मात्र हैं। यह जब तक एस.एम.एस. पर दबाव कम नहीं होगा, जब तक जयपुर शहर के अन्दर जो आलरेडी सेटेलाइट

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

अस्पताल हैं उन अस्पतालों का आधुनिकीकरण नहीं किया जायेगा, उन अस्पतालों में वांछित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवायी जाएंगी, उन अस्पतालों में जो वांछित जांच के उपकरण हैं, जब तक आधुनिकीकरण नहीं किया जाएगा, जयपुर एस.एम.एस. पर उसका कोई दबाव कम नहीं होगा। दूसरा, एस.एम.एस. को जब तक एम्स का दर्जा नहीं मिलेगा, जिस तरीके से दिल्ली के अन्दर एम्स अस्पताल है उस अस्पताल का जब तक उसको दर्जा, उस तरीके की सुविधाएं, जब तक नहीं मिलेंगी, हम स्वास्थ्य के बारे में जो परिकल्पनायें कर रहे हैं, वह हमारी अधूरी रह जाएंगी। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जब तक एस.एम.एस. अस्पताल का दबाव और जयपुर शहर पर चिकित्सा का दबाव कम नहीं होगा, जब तक जयपुर शहर की 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी बड़े टाउंस में जब तक सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण और नहीं किया जायेगा, अच्छी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, अच्छे डाक्टर्स को नहीं लगाया जायेगा अच्छे उपकरण जब तक नहीं दिये जाएंगे, जब तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवायी जाएंगी, तब तक एस.एम.एस. अस्पताल में जो दबाव कम करने के लिये सोचा है वह सब व्यर्थ है।

श्री उपाध्यक्ष : जयपुर में तो दोनों ही विधायकों ने कवर कर लिया, शर्माजी।

श्री संयम लोढ़ा : अभी तो मशीन स्टार्ट हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, अभी मशीन तो क्या स्टार्ट हुई है, बहुत कह दिया।

श्री बृजकिशोर शर्मा : राज्यपाल के अभिभाषण में 72 पर, राज्य पुलिस की सतर्कता एवं सजगता के बारे में कहा गया है और बड़ी बढ़ाई की है। होम मिनिस्टर साहब ने बड़े लम्बे-लम्बे आंकड़े देकर अपने महकमे को बहुत ऊंचा चढ़ाया है यह तो इतने आंकड़े की बात वे ही जानें लेकिन मैं इतना जरुर कह सकता हूं कि जयपुर शहर में चाहे डकैती का मामला हो, चाहे हत्याओं का मामला हो, चाहे चोरी का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो और चाहे महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो और चाहे दिन-दहाड़े लोगों की हत्या हो उस मामले में तो इस सरकार ने जो असत्य बातें कही हैं वह बिलकुल असत्य हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है और मैं आपको, सरकार को,

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

चौकीदार को बंधक बनाकर के दुकानों के ताले तोड़े, वाहन चोरी रोकने में पुलिस नाकाम, फिर टूटी दो चैन, खाली फरवरी के माह में 11 बार चैन टूटीं और आज का अख़बार उठाकर देख लें, आज भी एक महिला की चैन टूटी है।

श्री धर्मपाल चौधरी : कांग्रेस के हैं ना।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अब कांग्रेसी हैं और बी.जे.पी. के हैं, यह तो आपको लगता है। राज्य में खुलेआम 50 हजार अपराधी घूम रहे हैं। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है। वारदातों के राज खुलने में पूरा साल निकल गया लेकिन वारदात अभी तक नहीं खुली।

श्री अमराराम चौधरी : बैंक डकैती खुली कि नहीं खुली। (व्यवधान) फिर आप उसको तो कहते ही नहीं हो, यह तो उपलब्धियां हुई हैं, वह तो बताओ।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्री महोदय, आपकी उपलब्धियां हैं कि आपके पास पावर नहीं हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या है, आप मंत्री हो, पावर नहीं है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके अभिभाषण के बिंदु संख्या 70 पर जो आपने सैनिकों की विधवाओं के लिये जो पेंशन 300 से 600 बढ़ाई है हम उसका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देना चाहते हैं। अभी मेरे साथी मंत्रीजी कह रहे थे कि जो अच्छे काम किये हैं उसकी बधाई दें। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि विधवाओं, परित्यकताओं, वृद्ध महिलाओं की पेंशन के बारे में सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की।

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस ने 2 लाख लोगों की पेंशन बन्द की थी।

श्री बृजकिशोर शर्मा : आप विराज जाएं, मैं कोई और... (व्यवधान)...मंत्री महोदय, आप विराज जाएं तो अच्छा है।

श्री मदन दिलावर : 2 लाख लोगों की पेंशन बन्द की थी, 2 लाख की पेंशन हमने चालू की है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : आपका समय आये तब बोलें तो ठीक रहेगा। मेरे को बोलने दें। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपने अच्छा काम किया उसकी। लेकिन आपको वह बात माननी पड़ेगी, आपको भी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि आपने विधवाओं,

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

परित्यकताओं, वृद्धों की पेंशन को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया, आपको यह बढ़ावा करना चाहिए, यदि आप वाकई महिलाओं के प्रति, परित्यकताओं के प्रति, विधवाओं के प्रति, अगर यह सरकार, इस सदन की नेता मुख्य मंत्री महिला हैं।

इस सदन की अध्यक्ष महिला हैं और उसके बावजूद भी अगर राजस्थान की महिलाओं के साथ इस तरीके से अनदेखी की जाए तो यह सरकार को सोचने का विषय है। ...(व्यवधान) यह अभी आये हैं या नहीं आये हैं, जब ही तो महिलाओं की संख्या कम हो रही है। आप आ गये हैं न इसलिए महिलाओं की संख्या कम हो रही है।

एक और निवेदन करना चाहता था कि अभिभाषण के पाइंट नम्बर 80 पर कनक वृन्दावन से जयगढ़ रोप-वे बनाने की मंजूरी के बारे में सरकार ने कहा है। बहुत अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन अच्छा होता कि इसमें यह जिक्र भी कर दिया जाता कि यह योजना तो गहलोत सरकार के टाइम पर ही मंजूर हो गयी थी और इस सरकार ने तो मेरे ही प्रश्न के उत्तर में इस योजना के बारे में यह कहा है कि हमारी ऐसी योजना बनाने का कोई इरादा नहीं है। न मालूम, चलो हम तो यह भी कहेंगे, मुबारकबाद देते हैं कि आखिर इनको यह तो समझ में आया कि यह कार्य जो गहलोत सरकार ने शुरू किया और हमने उनसे डिमांड की, अब वे पूरा करने जा रहे हैं। देर आये दुरुस्त आये, कोई बात नहीं।

अभिभाषण के पाइंट नम्बर-83 के अन्दर जयपुर शहर के बढ़ते हुए यातायात के बारे में कहा गया है। बड़ी अफसोस की बात है कि जहां चालीस लाख वाहन जयपुर शहर में दौड़ते हो और पार्किंग की व्यवस्था और फ्लाईओवर के लिए केवल 75 करोड़ रुपया दिया गया हो तो हम किस तरीके से जयपुर शहर के यातायात को कण्ट्रोल करेंगे ? किस तरीके से जयपुर शहर में पार्किंग सुविधा दे पाएंगे ? खाली 75 करोड़ रुपये में तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिर्फ पांच-सात फ्लाईओवर ही बन पाएंगे, इसमें फ्लाईओवर का पैसा भी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं, इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर की पार्किंग, यह नगरीय विकास मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, मैंने पिछली बार भी उनसे निवेदन किया

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

था कि जयपुर शहर की पार्किंग व्यवस्था के बारे में गम्भीरता से विचार किया जाए और आज जयपुर शहर की चारदीवारी के किसी भी बाजार में आप चले जाओ, जब तक दो-दो, तीन-तीन बार आप नहीं घूमेंगे तब तक आपको गाड़ियों के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज जयपुर शहर में किसी भी पार्किंग स्थल पर चले जाओ। दो रुपये की जगह 20 रुपये वसूल किये जाते हैं। बदतमीजी से व्यवहार किया जाता है। अगर हमारे पास अच्छी पार्किंग व्यवस्था हो, हमारे पास सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था हो तो हमारे जयपुरवासियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन) : शर्मा साहब, रामनिवास ग्राउण्ड में जो पार्किंग बन रहा है उससे काफी प्राब्लम वाल्ड सिटी की खतम हो जाएगी। हाईकोर्ट के स्टे की वजह से वह काम चालू नहीं हो पा रहा है। जैसे ही स्टे खतम हो जाएगा, हम कार्यवाही कर रहे हैं, वैसे ही काम शुरू कर देंगे।

श्री विष्णु मोदी : जयपुर शहर है 265 साल पुराना शहर है। उसमें पार्किंग की व्यवस्था की कोई स्कीम ही नहीं थी। उस वक्त इतनी आबादी की कल्पना ही नहीं की थी तो परकोटे की तो अपनी अजीब समस्या है तो उसमें कहां से पार्किंग डवलप हो ?

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य और माननीय मंत्री महोदय जिन्होंने अभी जवाब दिया कि रामनिवास बाग़ के पार्किंग का काम शुरू कर देंगे, अभी तो हाई कोर्ट का स्टे है। क्या जयपुर शहर की चारदीवारी में यह एक पार्किंग बन जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा ?

मैं मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि चाहे वह 265 साल पुराना शहर हो, क्या वहां के लोगों को जयपुर से बाहर निकाल दें ? क्या वहां पर रहने वाले लोगों को यह सरकार सुविधा नहीं देना चाहती ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह सरकार यह भी नहीं कर सकती है कि किसी के मकान को तोड़कर वहां पर पार्किंग व्यवस्था की जाए। अभी हमने आतिश मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था की है। रामनिवास बाग़ में कर रहे हैं। जहां पर जगह मिलेगी। हम जयपुर की जनता का भला करने के लिए, जयपुर

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

की जनता का ट्रैफिक कंजेशन कम, उनकी यातायात की व्यवस्था ठीक हो, उनकी पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर जयपुर का विकास कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान : पी.एचक्यू. यहां पर शिफ्ट कर दीजिए और पी.एचक्यू. में खूब पार्किंग बना लो। यहां पर शिफ्ट करा दो पी.एचक्यू., पुलिस हेडक्वार्टर्स।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं माननीय मंत्री महोदय, एक बात बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं और आप भी जवाब दे रहे हैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि कोई स्पेसिफिक टाइम आप बता दीजिए कि किस दिन तक यह पार्किंग की जो समस्या है वह खतम हो जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह असम्भव काम है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : और आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपने मुझे छेड़ दिया इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जयपुर शहर के अन्दर जितने भी कामर्शियल काम्प्लेक्स बन रहे हैं इन कामर्शियल काम्प्लेक्स में पार्किंग के बिना, वैसे नक्शे के अन्दर दी हुई है पार्किंग और उन पार्किंग की जगहों को छोड़े बिना काम्प्लेक्स बन गये हैं। आपने आज तक उनका सर्वे नहीं करवाया है और आज तक आपने यह नहीं किया है कि आम जन को वह सुविधा प्रदान की जाए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपसे यह चाहता हूं कि आप इस असेम्बली में, इस फ्लोर पर आप यह आश्वासन दें कि कब तक इस समस्या का निदान जयपुर के लिए कर दिया जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी ही कर देंगे ? शर्मा साहब, कन्क्लूड करिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं एक बात और पूछना चाहता हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट। मैं आपकी समस्या का समाधान कर रहा हूं। हाथों-हाथ ही, यहां देरी का काम नहीं है साहब। ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : सीधा सम्बोधित नहीं होगा, यह विधान सभा है, राजस्थान की विधान सभा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी हाई राइज बिल्डिंग में जो पार्किंग की व्यवस्था है और पार्किंग की जगह पर जो अवैध निर्माण कर दिये गये हैं, उनके बारे में चिन्ता यहां पर

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

व्यक्त की है। मैं निश्चित रूप से आदेश कर रहा हूं कि सभी हाई राइज बिल्डिंग की चैकिंग करें और जहां पर अनियमितताएं, किसी प्रकार का कोई निर्माण है तो उसको ध्वस्त करने की कार्यवाही भी करें। ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : कहां-कहां पर रोकेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कन्क्लूड करिये आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा : दो मिनट चाहूंगा। मंत्री महोदय, आपका यह का यह जवाब मेरे पार्किंग के क्वेश्चन पर भी साल भर पहले दिया था। लेकिन आज तक अफसोस है कि आप सिर्फ इस तरह का जवाब देना चाहते हैं। आपने क्या कार्यवाही की ? आप उसका रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। आपने यह कहा था कि मैं दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करुंगा। सालभर निकल जाने के बाद आपने आज तक, आज भी यही कह रहे हैं कि मैं दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करुंगा। बड़ी अजीब सरकार है पर यही कहे जाओ। अगर आप यही कहे जाओगे तो वह दिन दूर नहीं है जब आप उधर होंगे और हम वहां होंगे। अब सपना है या नहीं है यह तीन साल बाद पता लग जाएगा। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पाइंट नम्बर दो पर स्टाम्प शुल्क का जिक्र किया गया है। उसमें स्टाम्प शुल्क 11 से 8 परसेंट और महिलाओं का 8 से 5.5 परसेंट करने की बात की है।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप रेट तो कम कर दें और अनाप-शनाप डी.एल.सी. की रेट बढ़ा दो तो उससे क्या फायदा हुआ, उससे आम जनता को फायदा नहीं हुआ। और वह डी.एल.सी. की रेट तब बढ़ा दो जब आप जन प्रतिनिधियों से पूछें नहीं। पिछले साल के अन्दर, एक साल बीत जाने के बावजूद जयपुर शहर के अन्दर तीन बार डी.एल.सी. की रेट बढ़ा दी है और किसी भी जन प्रतिनिधि से उसकी राय नहीं ली गयी है। यह कितनी अजीब बात है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में उचित कदम उठाये जाने चाहिये।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय यहां बिराजमान हैं। सड़कों के बारे में अभिभाषण के पेज 110-113 तक बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह तो सही है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पैसा केन्द्रीय सरकार से आया है। यह

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

आप भी मानते हैं लेकिन उचित होता कि अगर इसके वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह से किया होता। आपके पत्र के जवाब में मैंने लिखा है। आपको चिट्ठी भी लिखी है कि दो साल गुजर जाने के बावजूद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पेचवर्क का काम भी शुरू नहीं किया इस सरकार ने।

एक माननीय सदस्य : यह तो ठेकेदार जिम्मेदार है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : ठेकेदार जिम्मेदार होता है या मंजूर करने वाले जिम्मेदार होते हैं।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : प्रधान मंत्री सड़क योजना में पांच साल तक जो एजेन्सी बनाती है वही रिपेयर का काम करती है। आप हर बात पर सरकार पर जाते हैं और केन्द्रीय सरकार क्या है 'इट इज यूनियन आफ इण्डिया' क्या हमारे पर मेहरबानी कर रही है, कोई प्रधान मंत्री मेहरबानी कर रहे हैं ? हमारे राइट हैं यह। राजस्थान का राइट है। राजस्थान की जनता का राइट है यह।

डा. सी.पी. जोशी : फोटो लगा रहे हो मुख्य मंत्रीजी के बड़े-बड़े, हम पर मेहरबानी कर रहे हो।

श्री विष्णु मोदी : आपको क्या तकलीफ हो रही है ? आपके वक्त भी तो कितने एडवरटाइजमेंट हुए, 'मुख्य मंत्री नम्बर वन'।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि पांच साल तक सरकार कहे ठेकेदार करेगा, हमारा काम नहीं है ...(व्यवधान).. मेरे गुरु भाई हैं या नहीं, यह अलग बात है। आज उधर चले गये, कल इधर आ जायेंगे। यह भी अलग बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है, माननीय सदस्य हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने वहां खड़े होकर कह दिया कल इधर थे, आज उधर गये, वह फिर इधर आ जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : शर्मा साहब, आपको पता है कि नहीं उनके प्रगतिशील विचार हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मेरे ख्याल से मंत्री महोदय, आप अपनी सीट से बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री संयम लोढ़ा : यह वैसा ही सफर है राठौड़ साहब, जैसे आपने चन्द्रशेखरजी, भैरोंसिंहजी और वसुन्धराजी तक का किया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मंत्री महोदय, आज जिस लाइट में बोल रहे हैं अगर मैं उस लाइट में कह दूं – आप भी यही चाहते हैं कि यह इधर आ जाएं।

एक माननीय सदस्य : यह आपस में मित्र हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : आपस में मित्र हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो पेचवर्क और काम बाकी हैं उन्हें पूरा कराया जाये। आप कह रहे हैं, मेरे साथी भी कह रहे हैं, आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 28 फरवरी को इस सदन में अभिभाषण पढ़ा। इस पवित्र सदन में अभिभाषण पढ़ने के प्रति महामहिम का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं आज और कल विधान सभा के संदर्भ के समाचार अखबारों में पढ़ रहा था। एक बात मुझे समाचारों में पढ़ने को मिली कि हम लोगों ने आसन के सामने की हमारी प्रतिबद्धता, वचनबद्धता इस सदन की कार्यवाही में टोकाटोकी नहीं होगी। पहले ही दिन हमने उस वचनबद्धता को तोड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद में टोकाटोकी अब सामान्य बात लगने लगी है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा और सबने देखा 28 तारीख को जब महामहिम राज्यपाल महोदया अभिभाषण पढ़ रही थीं तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने टोकाटोकी का माहौल बनाने की कोशिश की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर सवाल है कि क्या महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को टोकाटोकी का विषय बनाया जाना चाहिये। प्रजातंत्र की व्यवस्था में महामहिम का पद संवैधानिक दृष्टि से प्रमुख पद होता है। प्रदेश का प्रमुख पद है और उसकी गरिमा को बनाये रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उपाध्यक्ष महोदय, हम इस प्रकार की गलत परम्पराएं डालकर लोकतंत्र को उपहास का विषय बनायेंगे और आने वाली पीढ़ी के सामने किस प्रकार का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आदर्श रख पायेंगे ? यह गम्भीर सवाल है जिस पर हमको विचार करना चाहिये। अच्छा हो कि हम नई पीढ़ी के सामने गलत आदर्श नहीं रखें। कई बार बहुत सारी चर्चा होती है और चर्चा में लोग पक्ष-विपक्ष, बहुमत-अल्पमत की बात करते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कहना चाहता हूं कि हम खाली लोकतंत्र को बहुमत का खेल नहीं समझें। एक नैतिक व्यवस्था है और इस नैतिक व्यवस्था को, इसकी मर्यादा को कायम रखना यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और हम लोगों ने इस व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी को नहीं समझा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं यह परम्परा लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया का अभिभाषण हम सबने सुना है। महामहिम का अभिभाषण पिछले दो साल की राजस्थान विकास यात्रा का दर्शन हम सबको करा रहा था । न कोई वाद-विवाद के माध्यम से सदन में समर्थन मिल रहा है, महामहिम के अभिभाषण पर सारा राजस्थान संतोष व्यक्त कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना ज्यादा उचित समझता हूं कि राजस्थान के जनमानस को संतोष व्यक्त करने के पीछे एक बहुत बड़ा मौलिक आधार है। आधार, उसने देखा पिछले पांच साल के शासन को। एक अंधेरी यात्रा, जिसने उसके विश्वास को हिलाकर रख दिया था। हर रोज उसके कान पक गये थे कि राजस्थान का खजाना खाली है, विकास नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, उस निराश भाव में विश्वास की एक किरण लेकर राजस्थान की जनता ने विकास की उम्मीद में अंधेरे के बादल को दूर किया और इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि महामहिम के अभिभाषण से सबको लग रहा है कि राजस्थान की जनता का वह विश्वास अब हकीकत में बदलने लगा है। उसका विश्वास अब पक्का हो गया, जिस विश्वास के साथ मैंने सत्ता का परिवर्तन किया था, आज राजस्थान के परिद्दश्य में वह तस्वीर उसके सामने आने लगी है। और यह कोई मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, यह तथ्य सबके सामने है। माननीय प्रति पक्ष के सदस्य भी इस बात को स्वीकार करेंगे। आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि इन दो सालों में कई सदस्यों ने इस बात को कहा है, बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर के राजस्थान के विकास का रथ दौड़ने लगा है। यह आंकड़े हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आंकड़े यह भी कह रहे हैं कि पिछले पांच साल तक न जाने कितनी बार राजस्थान की पिछली सरकार को इस कामकाज को चलाने के लिए ओवरड्राफ्ट की स्थिति से

(श्री प्रहलाद गुंजल)

गुजरना पड़ा और आंकड़े यह भी कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस दो साल के शासन में राजस्थान की सरकार को राज के काज को चलाने के लिए एक बार भी ओवरड्राफ्ट की स्थिति में नहीं आना पडा, सरप्लस की स्थिति में नहीं रही।

कभी-कभी जब चर्चा होती है, दो-तीन साल से मैं भी देख रहा हूं, बजट का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं होता है लेकिन जब बजट भाषण पर चर्चा होगी तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी उपलब्धि सामने आयेगी कि पिछले पांच साल में सरकार किस मुकाम पर पहुंची है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के इस कुशल वित्तीय प्रबन्धन को न मेरे समर्थन की आवश्यकता है न प्रतिपक्ष के विरोध की आवश्यकता। स्वयं दिल्ली में बैठी हुई संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार ने महसूस किया है और यह भी तथ्य है कि सरकार के कामकाज की सराहना करके सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप दिल्ली की सरकार ने प्रोत्साहन राशि के रूप में 120 करोड़ के लगभग की राशि राजस्थान की सरकार को दी है। योजना के आकार के सन्दर्भ में, उपाध्यक्ष महोदय, विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, आठ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री महोदया बजट पेश करेंगी उसके बाद चर्चा होगी। योजनाओं के आकार पर, योजनाओं के दृष्टिकोण पर, योजनाओं की क्रियान्विति पर तो आज इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों का वार्षिक प्लान और वर्तमान की सरकार का दो साल का वार्षिक प्लान दोनों सरकारों के बीच में विकास की सोच और दूरदर्शिता के अन्तर का जीता-जागता सबूत है और इस सबूत को मिटा नहीं सकते, यह बहीखाते का सबूत है और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान की सरकार ने उल्लेखनीय काम किये हैं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण, रोजगार के क्षेत्र में अनूठे काम हुए हैं, उसकी बहुत चर्चा हुई। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी देने का अवसर हो, चाहे साथिनों को रोजगार का मसला हो, चाहे निजी क्षेत्र में, उद्योग में सेज के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रकट करने का मसला हो, इस पर व्यापक चर्चा हुई है। मैं नहीं जाना चाहता और अन्तर आत्मा से आज इस बात को विरोध के राजनीतिक धर्म का पालन करने वाले प्रतिपक्ष बंधु भी स्वीकार करते हैं कि यह क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्थान में आ रहा है, एक चमत्कार की स्थितियों का निर्माण हुआ है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दूसरा दिन है चर्चा का और मैं इस अवसर पर दो दिन से लगातार चर्चा सुन रहा हूं, कल की चर्चा में टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, डा. नाथूसिंहजी, नाथद्वारा से आने वाले आदरणीय सी.पी. जोशीजी ने विस्तारपूर्वक बात कही। दोनों माननीय सदस्य इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका तजुर्बा और उनका अनुभव हमको सीखने के लिए प्रेरित करता है। उनका दृष्टिकोण भी व्यापक है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य विकास की योजनाओं को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की, विकास के कामों के सन्दर्भ को लेकर केन्द्र की उपलब्धि बता रहे थे लेकिन उनको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, यह परम्परा है, चाहे केन्द्र में उनकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे राज्य में उनकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में धन की राशि मिलती है। केन्द्र राज्य को सहयोग करता है लेकिन केन्द्र के सहयोग के बाद भी उस राज्य में धन का यूटिलाइजेशन राजस्थान के हितों के अनुकूल उनकी प्लानिंग महत्वपूर्ण बात है।

हमने देखा है कि पिछले पांच साल के राज में जब राजस्थान में अकाल पड़ा तब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान के लिए खजाने खोल दिये लेकिन प्रबन्धन ठीक नहीं था, योजना ठीक नहीं थी, भ्रष्टाचार पनपा, गरीब को न्याय नहीं मिला और आज सब को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अब राजस्थान में योजनाबद्ध विकास का दौर प्रारम्भ हुआ है। यह दौर प्रारम्भ हुआ था 1998 में दिल्ली के राज में अटलजी के शासन में। राजस्थान की सरकार ने प्राथमिकताओं के आधार पर विकास का चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चर्चाएं हम रोज इस सदन में करते हैं, आरोप-प्रत्यारोप के आंकड़े पेश करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं लेकिन पहली बार इस राजस्थान की सरकार ने उस आवश्यकता को समझा, भविष्य के गम्भीर संकट को समझा, लगातार सतही जल के उपयोग के बिना जमीन का जल स्तर गिरता जा रहा है, पेयजल के संकट की स्थितियों का निर्माण होता जा रहा है और इस विषय पर जन चेतना की आवश्यकता महसूस करके, सारे राजस्थान में जन आन्दोलन खड़ा करके, राजस्थान की लाखों जनता को उसके साथ जोड़ा। इतना

(श्री प्रहलाद गुंजल)

ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं, इस राजस्थान के विकास के बारे में कितनी चिंता पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने की। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी ने। उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछले पांच साल की सरकार में इस राजस्थान के पेयजल के संदर्भ में जो योजनाएं बनीं उनका विवरण मेरे पास है और उस पांच साल के अन्दर पच्चीस करोड़ की लागत से बड़ी वह पेयजल योजना 2400 करोड़ के आसपास बन पाई और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि राजस्थान के आमजन को पानी पिलाने का वादा पूरा करने वाली यह सरकार चाहे वह फ्लोराइड का मसला हो, चाहे डार्क जोन का मसला हो, इस सरकार ने दो साल के अन्दर 5265 करोड़ रुपए की वृहद् योजनाएं बनाई और न केवल योजनाएं बनाई, योजनाओं पर काम प्रारम्भ हो गया। मैं आपके माध्यम से इस सदन में आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी का। मेरा विधान सभा क्षेत्र जो सम्पूर्ण रूप से डार्क जोन था, महामहिम के अभिभाषण में उल्लेख हुआ 149 करोड़ की पेयजल योजना और उस पर काम प्रारम्भ हो गया और इसके अलावा 23 करोड़ रुपए की एक और परियोजना माननीय मुख्य मंत्री और माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए मंजूर की है। मैं आज इस मंच से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

इर्रिगेशन के बारे में बताना चाहता हूं। इर्रिगेशन के बारे में हमारे सामने जो चिन्ता है कि अगर हमने सतही जल को उपयोग में लिया और हमने इस गिरते हुए भू-जल स्तर के खतरे को नहीं भांपा तो गम्भीर संकट होगा। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल में सतही जल के उपयोग के लिए मात्र 18 लघु सिंचाई परियोजनाएं इस सरकार ने पूरी कीं और जब से राजस्थान में हमारी सरकार आयी, दो साल की अवधि के अन्दर लगभग 100 योजनाएं 31 मार्च, 2006 तक बनकर पूरी हो जाएंगी। अपने आप में कीर्तिमान है। राजस्थान के जन का विश्वास जगने लगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाड़ौती से आता हूं और हाड़ौती के अन्दर जब कालीसिंध का उफान आता है तो महीनों तक रास्ते बन्द हो जाते हैं। कालीसिंध की नदी पर चम्बल के बेसिन में इतने पानी के उपयोग के बारे में कभी कल्पना नहीं की। आज मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय सिंचाई मंत्रीजी का कि चम्बल बेसिन पर योजनाएं बनाने का काम प्रारम्भ हो गया और 655 करोड़

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रुपए की योजना, उसका सर्वे, उसकी क्रियान्विति के प्रयास हाड़ौती की जनता आभार व्यक्त कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की 74 करोड़ की ताखली का वर्णन है। यह आंकड़े सबके सामने हैं। कोई भी इसको पढ़ सकता है। पारदर्शी तरीके से सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। कल माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य शिक्षा पर चर्चा करते हुए चिन्ता व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने एक आंकड़ा दिया था, मैं ठीक से लिख नहीं पाया, जल्दी बोल रहे थे, मैं उनके आंकड़ों को गलत नहीं साबित करना चाहता लेकिन उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति की संख्या के अनुपात में उनके विद्यार्थियों को शिक्षा में स्थान नहीं मिलने का जिक्र किया। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। कालेज एज्यूकेशन में, राजस्थान में तीन लाख चौबीस हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, 48000 एस.सी. के 36000 एस.टी. के आंकड़े उठाकर मंगवा लें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितनी अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या है उसके अनुपात के बराबर पहली बार राजस्थान के इतिहास में कालेज शिक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों की भागीदारी बनी है। एक और मामला उन्होंने उठाया, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान विषय पढ़ाया जाना चाहिए। मैं यहां पर उनसे सहमति मिलाता हूं। मैंने जब पिछली बार डिमाण्ड पर चर्चा हो रही थी अनुदान की मांगों पर तब इस विषय पर कहा था, चर्चा करते हुए। मैंने कहा था कि राजस्थान की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का एक काम किया है लेकिन इस विषय पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि गांव के अधिकांशतः सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में कला के अलावा विज्ञान वाणिज्य की कक्षाएं नहीं चलती और दसवीं के बाद उसके सामने कैरियर च्वाइस ब्रेक होने का एक संकट खड़ा होता है। गांव में रहते हुए यह अवसर सरकार को देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं हमारी राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री और राजस्थान के यशस्वी शिक्षा मंत्री, विद्वान शिक्षा मंत्री निश्चित रूप से इस दिशा में सार्थक कदम उठाने के बारे में प्रयास कर रहे होंगे। यह बात भी ठीक है। टेक्नोलोजी का जमाना है, हम ई-गवर्ननैस की बात कर रहे हैं। विज्ञान के अध्ययन के बिना हमारी पीढ़ी आगे चलकर समर्थ कभी नहीं बन सकती। लेकिन शायद माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य दाबोस की यात्रा पर तो टिप्पणी कर रहे थे लेकिन शायद यह विषय समझने के बाद भी उसको नजरंदाज करने की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कोशिश कर रहे थे कि राजस्थान की मुख्य मंत्री, राजस्थान के मंत्री मण्डल का सदस्य दाबोस की यात्रा कोई विदेश यात्रा के भ्रमण के माध्यम से नहीं गये थे राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन का उद्देश्य सामने खड़ा था, राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर यहां के भविष्य को संवारने का सपना उनकी आंखों में पल रहा था और परस्पर सहयोग की भावना के आधार पर जाकर उन्होंने कुछ नेगोशिएशंस किये। हम इस विषय को नजरंदाज करके नहीं चल सकते। शिक्षा के क्षेत्र में इन दो सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारा राजस्थान जानता है। अब यह जबानी वर्णन का विषय नहीं रहा। राजस्थान के आम आदमी ने देखा कि पचास साल से जब हम लगातार सबको शिक्षा की बात करते चले आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं जब भी गांवों में जन प्रतिनिधि जाता है पचास साल में एक ही बात होती है, मेरे गांव में प्राथमिक विद्यालय चाहिए, मेरे गांव में मिडिल स्कूल चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से विकास के प्रयास नहीं हुए और हम 55 साल में उसकी मांग को पूरी नहीं कर पाए। दो साल में बढ़ते हुए इस दिशा के कदम, माननीय शिक्षा मंत्रीजी का राजस्थान के सन्दर्भ में व्यापक दृष्टिकोण, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं दिसम्बर, 2008 आएगा, राजस्थान के किसी गांव और ढाणी से राजस्थान की मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्रीजी की मंशा को भांपकर कह सकता हूं। 50 साल तक जो आवाजें उठती रहीं विद्यालय चाहिये, राजस्थान के किसी कोने से किसी भी प्रकार की विद्यालय की आवाज बन्द हो जायेगी, यह भी हमको विचार करना चाहिये। सरकार के इन सराहनीय कदमों की प्रशंसा करनी चाहिये। पहली बार राजस्थान के इतिहास में प्राथमिकता के आधार पर किसी ने इस बात को महसूस किया है। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, बहुत दूरस्थ अंचल के गांव से आता था और जब गांव में पढ़ने पढ़ाने की बात चला करती थी तो मेरे गांव के कई गरीब आदिवासी इस बारे में चिन्ता व्यक्त करते थे कि पढ़ाई हम गरीब के बस का काम नहीं है, हम सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। राजस्थान के गरीब जनमानस पर किसी समय जो पढ़ाई बोझ हुआ करती थी आज राजस्थान की सरकार ने उस बोझ को अपने माथे पर ले लिया। एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। राजस्थान का वह गरीब आदमी, राजस्थान का वह आदिवासी, राजस्थान का वह मजदूर आदमी, चाहे वह किसी प्रकार का व्यक्ति हो, सपना देखता है बेटे को पढ़ाने का। सपना देखता है बेटी को पढ़ाने का।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उसका सपना टूट नहीं सकता। उसके सपने को पाला है राजस्थान की मुख्य मंत्री और राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने अपनी आंखों में और तय कर दिया कि भेज दीजिये। राजस्थान के गरीब से लेकर मजदूर का बच्चा बारहवीं क्लास तक की बेटियां और आठवीं तक के बच्चों को पुस्तकें और निशुल्क शिक्षा होगी और यह भी चिन्ता की है कि बालक का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिये। ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य को लेकर केयर नहीं होती। कई बार बच्चा अस्वस्थता का जीवन जीता है और पहली बार उस बालक के भविष्य के बारे में चिन्ता करते हुए इस देश का भविष्य जो स्कूल में पढ़ रहा है, इसके कंधे पर इस देश का भार है, यह स्वस्थ नागरिक बनकर खड़ा होना चाहिये। अगर इसके बचपन में कोई रोग पल रहा है तो राजस्थान की सरकार उसके रोग पर लगने वाले एक एक पैसे का खर्च उठायेगी। इस बात का फैसला राजस्थान की सरकार ने किया और इतना ही नहीं किया उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है मेरे गांव में आदिवासी भील समुदाय के लोग रहते हैं। सवेरे जब भोर निकलती है तब उसके सामने यह उद्देश्य नहीं रहता, वह पढ़े लिखे लोगों ही तरह की मेरे बच्चे को तैयार करके स्कूल के लिये भेजूं। भोर के सार्थ उसके चेहरे पर चिन्ता की लकीरें आती हैं आज मुझे किसके खेत पर काम के लिये जाना है। ऐसे बच्चे का अभिभावक बनकर राजस्थान का शासन गांव-गांव पहुंच गया। मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल महा अभियान के नाम से और दरवाजा जाकर खटखटा दिया कि किसी का अभिभावक गरीब अमीर सो रहा है, उदासीन है, जीवन की चुनौतियों से लड़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में उसके बालक की अभिभावक बनकर राजस्थान की सरकार आपके दरवाजे पर है। मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल महा अभियान हमने देखा पहली बार राजस्थान के एडिशनल डायरेक्टर, जनरल पुलिस, प्रिंसीपल सेक्रेटरीज जाओ, एयर कंडीशंड चैम्बर्स में बैठने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के गरीब बच्चे के घर पर जाओ, जनमानस में चेतना पैदा करो। अपने जीवन को संवारना चाहते हो तो अपने बच्चे को शिक्षा के साथ जोड़ दो और उसका परिणाम आया। उसके नतीजे सामने आये 14 लाख से ज्यादा बच्चों का नामांकन, सरकार समूचे क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, इस पर यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

मिड-डे-मील की भी खूब चर्चा हो गयी, नौकरियों की खूब चर्चा हो गयी, एक और चर्चा की बात आपके बीच में करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जब चर्चा करते हैं तो सदन में विज्ञान की बात

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करते हैं, ई-गवर्नेंस की बात करते हैं, होनी चाहिये सार्थक चर्चा। ई-गवर्नेंस हमारा भविष्य हो सकता है लेकिन हमें आज उस भविष्य के महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार करना पड़ेगा। इस राजस्थान का 77 प्रतिशत जनमानस गांव का किसान है और गांव का किसान जिसकी जिंदगी कृषि पर पशुपालन पर निर्भर करती है। गांव की आबादी का बहुत बड़ा आय का हिस्सा मुझे एग्जक्ट आंकड़े याद नहीं हैं, मैं करेक्ट कर लूंगा माननीय नाथूसिंह जी, सी.पी. जोशीजी से लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमको एग्रीकल्चर और पशुधन से प्राप्त होता है। पिछले 50 सालों में इस दिशा में किसी ने नहीं सोचा। राजस्थान में जितनी जनता की आबादी है उतना पशुधन व्याप्त है लेकिन वह ट्रेडिशनल व्यवसाय गरीब लोगों के हाथों में है। परम्परागत तरीके से उस व्यवसाय को कर रहे हैं। उनकी आर्थिक माली हालत में कभी सुधार के अवसर सरकार ने उपस्थित नहीं किये। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने पहली बार राजस्थान के पशुपालक के बारे में सोचा। गोवंश, गो-पालक जीवन बीमा योजना प्रारम्भ की और राजस्थान के पशुपालक के लिये ट्रेडिशनल तरीके से काम करने वाले उस पशुपालक के लिये, मुनाफे का धंधा करने के लिये नस्ल सुधार का कार्यक्रम प्रारम्भ किया। व्यापक तरीके से इस दिशा में और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कृषि में तो कीर्तिमान हुआ है पिछले पांच सालों के बजट की तुलना में इस बार का बजट, दो साल का बजट छह गुना बढ़ा है और न केवल इतना हुआ सारे संदर्भ साथ जुड़ते हैं किसान की माली हालत को सुधारने के लिये, उसके खेत को हरा भरा करने के लिये सिंचाई की परियोजना का चिंतन प्रारम्भ हुआ। फसल की मार, मौसम की मार उस पर न पड़े मौसम बीमा योजना लागू की और इतना ही नहीं जहां विपणन वहां उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण फैसले किये और इस आधार पर इस प्रान्त में 18 बड़ी मंडियों की स्थापना की। इसमें मैं खुशकिस्मत मानता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कृषि मंत्रीजी का कि धनिये की मंडी मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित की। लहसुन की मंडी हाडौती में स्थापित की छबड़ा के अन्दर। मेड़ता में जीरे, सोजत में मेहंदी, गंगानगर में किन्नु, जोधपुर में जीरा, एक कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया है। अब राजस्थान का किसान यह महसूस करने लगा है कि पहली बार कोई सत्ता में बैठकर उसके उज्जवल भविष्य की योजना बना रहे हैं। कल मैं समझता हूं मुझे ध्यान नहीं रहा, किसी माननीय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सदस्य ने किसान भवन के निर्माण के संदर्भ में चर्चा की थी। किसान भवन के निर्माण के संदर्भ में टिप्पणी करने से पहले किसान भवन के कांसेप्ट को हमें देखना पड़ेगा। एक तरफ हम ई-गवर्नेस की बात कर रहे हैं, हम कल्पना करते हैं कि राजस्थान का किसान खेत पर बैठकर कम्प्यूटर से दुनिया भर की जानकारियां प्राप्त करे घर पर बैठकर। उसको किसान भवन के माध्यम से न केवल उसके लिये सोने की, उठने की, बैठने की सुविधा होगी, इंटरनेशनल मंडियों के बाजार भाव इंटरनेशनल स्क्रीन पर बैठे-बैठे राजस्थान का किसान देखे। राजस्थान का किसान तरक्की की ओर आगे बढ़े इस दिशा में न केवल जयपुर, राजस्थान के प्रत्येक संभाग को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिये राजस्थान की सरकार ने सोचा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : गुंजल साहब, कनक्लूड कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले तमाम लोग एक-एक घंटे बोले हैं और मुझे याद है मुझे बोलते हुए अभी बीस मिनट हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कल नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य सी.पी. जोशीजी ने मेगा हाइवे परियोजना के बारे में चर्चा की थी। मुझे याद है कई बार माननीय सदस्य सी.पी. जोशीजी चर्चा के दौरान हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की पैरवी करते हैं और यह सच भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज अर्थव्यवस्था पर सारा का सारा नियंत्रण सरकार का नहीं है। बाजार में समानांतर अर्थव्यवस्था कायम हो गयी है और बाजार की अर्थव्यवस्था घुमंतु अर्थव्यवस्था है। अर्पोच्युनिटी चाहिए, वातावरण चाहिए, निवेश के अवसर खड़े हो जायेंगे। राजस्थान में सड़क मंत्रीजी ने अवसर पैदा करके सरकार की भागीदारी बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये का मेगा हाइवे प्रोजेक्ट अपने आपमे एक कीर्तिमान है। निजी क्षेत्र की भागीदारी का यह कंसेप्ट आज सारी दुनिया में आने लगा है, क्या तमिलनाडु, क्या कर्नाटक, क्या महाराष्ट्र सारे प्रांतों में आज निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का एक सिलसिला चल पड़ा है और जिस मेगा हाइवे के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे 1100 करोड़ रुपये का मेगा हाइवे से राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूं कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम चहुंमुखी विकास की कल्पना कर रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं कि चहुंमुखी विकास होना चाहिए। सड़क के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में, बिजली के क्षेत्र में और हम इस सपने को सरकार के सीमित संसाधनों के भरोसे पूरा करना चाहते हैं तो हमारे सपने का हस्र क्या होगा यह कल्पना सबके मन में है और इसलिए आज निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की बात बन रही है। ऐसे का ऐसे ही उदाहरण है सेज के संदर्भ में, इस पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता, बहुत चर्चा हो चुकी है। 1400 करोड़ का निवेश, एक लाख लोगों को रोजगार, लेकिन यहां एक बात कहना चाहता हूं सेज की चर्चा करते करते माननीय कालीचरणजी, जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य चर्चा कर रहे थे मुर्गीखाने की जमीन के संदर्भ में, किसी विषय पर पारदर्शिता बरतना शासन की मजबूरी नहीं हो सकती है और ऐसे में उनकी बात का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए। समूचे राजस्थान में पारदर्शी इमेज है इस सरकार की, पारदर्शी इमेज हर फैसले में कायम रहनी चाहिए। कल यह भी विषय आया था कि जे.डी.ए. में कोई विदाउट प्रक्रिया अपनाये शार्ट कट टेंडर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की गयी है। इसकी पारदर्शी परम्परा कायम रखने के लिए इन मामलों की जांच करायी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह तो दिया है ना, कह तो दिया आपने जांच का।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जैसा अभी माननीय जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य भी मुर्गीखाने वाली जमीन का मामला उठा रहे हैं। इसमें कोई लैप्सेज रहा है तो मैंने जिस प्रकार से पहले भी निवेदन किया है कि मैंने पत्रावली मंगाने के आदेश दे दिये हैं। जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उसको करूंगा और जरूरत पड़ी तो उस कार्यवाही को निरस्त भी करूंगा।

श्री प्रहलाद गुंजल : टेंडर में भी अगर कोई अनियमितता हुई तो उस पर भी व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अगर कोई शार्ट टर्म टेंडर किसी भी चीज के लिए निकले हैं और उनमें भी कोई अनियमितता हुई तो उसमें कठोर से कठोर कार्यवाही शीघ्र से शीघ्र करूंगा।

श्री श्रवण कुमार : राजेन्द्रजी बहुत ट्रेंड हैं। सबको यही कहते हैं आपको भी ट्रेंड कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा नाम क्यों बीच में ले रहे हो...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : बिजली के संदर्भ में चर्चा नहीं करना चाहता। कल सरकार ने स्टेटमेंट दिया है और आज भी आंकड़ों के साथ जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से बात को रखा है। मैं इस अवसर पर केवल यही कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के विचार का स्वागत है। सरकार के कदम का स्वागत है और हम सब लोग मिलकर इस प्रांत को आगे बढ़ाने का सपना देखना चाहते हैं। विज्ञान के माध्यम से, ई-गवर्नेंस के माध्यम से तो इसके साथ-साथ हमें इस विचार को मजबूती देनी पड़ेगी कि विज्ञान हमारे लिये नयी चीज नहीं है। विज्ञान दूरस्थ स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिये भी कोई अनूठी चीज नहीं है। बिजली विज्ञान है, टेलीविजन विज्ञान है, टेलीफोन विज्ञान है। वह अपने गांव पर उड़ते हुए हैलीकाप्टर को देखता है तो उसकी समझ बनती है कि यह विज्ञान है। लेकिन उसके सामने से उस विज्ञान के अवसर को शिक्षा और रोजगार के माध्यम से खड़ा करना चाहिये और इस दिशा में पहली बार चाहे वह एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राजस्थान की सरकार राजस्थान के विकास का सपना पालकर आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि महामहिम के अभिभाषण के अनुरूप हम राजस्थान को अपने सपनों का राजस्थान बनाने में सफल होंगे। सरकार के कदम इस दिशा में सराहनीय हैं। यही बात कहते हुए मैं महामहिम के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओ.पी. महेन्द्रा।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति, उनके द्वारा सदन में दिये गये गरिमामय और गौरवशाली अभिभाषण के लिए अपनी कर्तज्ञता प्रकट करता हूं। साथ ही राजस्थान की यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी मुख्य मंत्रीजी के प्रति भी अपने हृदय के अंतकरण से आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिनके नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में राजस्थान चहुंमुखी प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। परमपिता परमेश्वर की उदार कृपा रही है कि पिछले दो वर्ष पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ वह समयबद्व कार्यक्रम के कारण, राजस्थान एक बीमारू, जिसके बारे में अभी चर्चा की जा रही थी, एक पिछड़े हुए राज्य की श्रेणी से निकलकर एक अग्रणी विकासशील राज्य की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले तीन वर्षो में राजस्थान देश का एक सुदृढ़ और मजबूत विकसित राज्य होगा।

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपका मैं प्रोटेक्शन भी चाहता हूं। कल से राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। पक्ष और विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने आंकड़ों के साथ अपनी बातों को यहां पुष्ट किया है।

कल टोडारायसिंह और आज जौहरी बाजार और अभी रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्यों ने आंकड़ों के साथ अपनी बात कही। जितने आंकड़े यहां सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, जिस कदर दो सालों में विकास हुआ है, अगर सभी आंकड़ों को यहां प्रस्तुत किया जाए, सभी आंकड़ों को यहां पढ़ा जाए, सभी आंकड़ों का यहां प्रस्तुतिकरण हो तो एक दिन में दो साल की उपलब्धियां समाप्त नहीं हो पाएंगी आंकड़ों की नजर में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़े कोई झूठ नहीं बोलते, आंकड़े विस्तृत हैं, आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में, राजस्थान उद्योग क्षेत्र में, राजस्थान सड़कों के क्षेत्र में, राजस्थान विकास के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी हाल ही में इण्डिया टुडे को एक इन्टरव्यू दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को आंकड़ों के माध्यम से न बताता हुआ, कहना चाहता हूं कि अपनी बात के पक्ष में राजस्थान ही नहीं राष्ट्रीय स्तर की पत्र-पत्रिकाओं और राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों, स्तम्भकारों द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं वह सरकार के प्रति उनका उदाहरण देकर अपने को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इण्डिया टुडे को दिए गए साक्षात्कार में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि सत्ता सम्भालते वक्त जो सपना मैंने देखा था और जनता के बीच में जाकर जो दावा किया था पिछले दो साल में उनको काफी हद तक ही पूरा किया है, उन्होंने आगे कहा है कि मुझे यकीन है कि मैं नहीं हम आगे चलकर आने वाले तीन वर्षों में प्रदेश की जनता के बाकी सपनों को भी पूरा कर पाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सोच को साकार करने के लिए राज्य के विकास को प्रगति के मार्ग पर तेजी से अग्रसर किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थता प्रकट करते हुए हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कल भी कह रहे

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

थे और आज भी कह रहे हैं कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के धन से वाह-वाही लूटी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं उनसे आदर सहित कहना चाहता हूं कि सरकार पूर्व में भी थी और सरकार आज भी है, केन्द्र से धन पहले भी आता था और केन्द्र से धन आज भी आ रहा है, केन्द्र में पहले भी सरकार थी और आज भी केन्द्र में सरकार है लेकिन सोच-सोच में अन्तर है यह तो सोच का ही अन्तर है कि आप नकारात्मक तरीके से सरकार चला रहे थे और हम सरकार सकारात्मक तरीके से चला रहे हैं।

(समय 15.58 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, जब मैं कालेज में पढ़ा करता था तो वहां गंगानगर में एक बार हरियाणा और राजस्थान के प्रसिद्ध कवि श्री सुरेन्द्र शर्मा वहां पधारे थे, सुरेन्द्र शर्मा की वह दो पंक्तिया उनके जैसे तो नहीं लेकिन जैसी मुझे याद है, मैं आज यहां कहना चाहता हूं,

'एजी, सुण्यो है कि अमरीकाहाळा पाकिस्तान ने हथियार दे दिया है,' फिर वह कहते हैं कि 'हे भगवान सुण्यो तो म भी हूं कि अमरीका पाकिस्तान न हथियार दे रह्यो है पर हथियार चलावण की हिम्मत वांको बाप करगो ?'

यह कथन मुझे इसलिए कहना पड़ा कि सरकार पहले भी थी, सरकार आज भी है, धन पहले भी आता था, धन आज भी आता है। माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिका पायोनियर के सीनियर एडीटर श्री उदयन नम्बूदरी ने लिखा है, "But today there is wide consensus that Vasundhara leads the most responsive government anywhere in India, so much so that INFOSYS Chairman, Narayan-murthi, who is no friend of the NDA in most other ways, had to openly admit this at a conference in Bangalore. He went to the extent of advising the Karnataka Chief Minister ...." कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, अब बदले हैं, वह कहते हैं,

"... to send officials to Rajasthan to find out how the Raje Government had introduced reforms which have already injected qualitative change in people's life there."

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, सारे के सारे ऐसे ही बोले हैं क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अनुवाद करके बताओ ताकि मेरे जैसे व्यक्ति के भी समझ में आए।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अनुवाद मिल जाएगा, मेरे से ले लेना।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि हमारे प्रतिपक्ष के माननीय साथी संभवतः इसलिए चिंतित हैं कि कभी-कभी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंहजी, कभी-कभी वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम साहब तो कभी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे डा. के.सी. पंत और कभी डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया राजस्थान सरकार की पीठ थपथपाते रहते हैं। अन्तर यह है।

आर्गेनाइजर के सब एडिटर डा. दीपक कुमार राठी इस संबंध में लिखते हैं, सरकार के वित्तीय प्रबंधन के बारे में लिखते हैं ''In the field of financial management, Rajasthan is now one of the best managed States. During the regime of the Congress, Rajasthan was afflicted with the problem of overdraft as during the 5 year rule, it had this problem for 702 days." 702 दिन, कांग्रेस के पांच साल के शासनकाल में। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह प्रसिद्ध पत्रकार कह रहे हैं। ''... But under Vasundhara, the State has not faced the problem of overdraft since February, 2004." 2004 के बाद आज तक ओवरड्राफ्ट की कोई प्रोब्लम फेस नहीं हुई। यह है सरकार, यह है सरकार का वित्तीय प्रबंधन। मेरे प्रतिपक्ष के साथी कहेंगे आर्गेनाइजर में लिखा गया है। छोड़िए आर्गेनाइजर में नहीं, हिन्दुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा गया है, श्री के.एस. तोमरजी के द्वारा। हिन्दुस्तान में श्री के.एस. तोमर क्या लिखते हैं- ''Chief Minister, Vasundhra Raje has accorded top priority to agriculture, rural development, social sector and industry which is evident from the enhanced allocation in the Budget. वे आगे लिखते हैं- ''There is every reason for the Chief Minister to be satisfied as the Finance Department did not face overdraft problem even for a single day during the current tenure of 20 months of the government." (व्यवधान) हां जी, राज्यपाल के अभिभाषण के लिए दो साल की उपलब्धियां जो पत्रकारों ने कही हैं, दो साल की उपलब्धियां जो मैग्जींस में कही गई हैं, दो साल की उपलब्धियां जो पत्रकारों की सोच है, यह सरकार का आइना है, माननीय डाक्टर साहब, वो ही पेश कर रहा हूं, सुनने का माद्दा होना चाहिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप हिन्दुस्तान टाइम्स को बांच रहे हो यहां पर।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : यही तथ्य है। यही तथ्य पेश कर रहे हैं (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, पिछले दो सालों में वसुंधराजी के

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

नेतृत्व में राज्य में विनियोजन का विश्वसनीय और सुदृढ़ माहौल बना है जो पूर्व में नहीं था। विनियोजकों, चाहे वे देश के हों, चाहे विदेश के हों या फिर प्रवासी राजस्थानी हों या फिर प्रवासी भारतीय हों सभी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन के लिए तत्पर हैं, लालायित हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्व की सरकार का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों के लिए, प्रवासी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था और उस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आह्वान किया था कि राजस्थान में विनियोजन करें। भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने अपनी टिप्पणी की थी कि राजस्थान जैसे बीमारू और पिछड़े प्रदेश में जहां औद्योगिक वातावरण के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन आज अरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हो रहा है। सरकार वो भी थी, सरकार यह भी है। माननीय सभापति महोदय, एक फ्री लांसर जर्नलिस्ट हैं श्री अतुल कपूर जी, वे इस संबंध में क्या लिखते हैं-''It is evident that the progress and development has not only attracted foreign investment but many big national investors and international trading and industrial houses have shown keen interest in investing in Rajasthan. It is very evident that as a result of bold initiatives taken by the Vasundhara Raje government in the State, Rajasthan is taking long and positive strides towards becoming a prosperous and developed State." यह फ्री लांसर पत्रकार श्री अतुल कपूरजी ने राजस्थान के बारे में कहा है।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन राज्य की धमनियों में दौड़ते हुए लहू के समान है। पिछले दो वर्षों में पर्यटन की दृष्टि से राज्य को सुदृढ़ आधार मिला है। यह मुख्य मंत्रीजी के करिश्माई नेतृत्व का ही परिणाम है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। देशी व विदेशी सैलानियों का उमड़ता जनसमूह मेरे कथन की सहज ही पुष्टि करता है।

इस संबंध में भी पंजाब केसरी में एक लेख लिखा है श्री परविन्दर शारदाजी ने, उसके विषय में उनके कथन को कोट करना चाहता हूं। राज्य के सभी पर्यटक और धार्मिक स्थलों को उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सर्किट में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर, बैराठ, भरतपुर के अलावा गोल्डन ट्रेंगल सर्किट दिल्ली, जयपुर और आगरा को

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

शामिल किया गया है जबकि हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी और झालावाड़ को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से धार्मिक सर्किट में अजमेर, पुष्कर, श्रीनाथजी, श्रीमहावीर जी और नाथद्वारा को शामिल किया गया है। वे आगे लिखते हैं राज्य सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर दे रही है और राजस्थान का पर्यटन के क्षेत्र में आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। यह मैं नहीं पंजाब केसरी में श्री परविन्दर शारदाजी ने लिखा है।

श्रीमती ममता शर्मा : सारे अखबारों की कोटेशन पढ़नी है क्या ?

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अखबारों की कोटेशन मेरे कथन की पुष्टि करती हैं, माननीय सदस्य महोदया। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा एक ऐसा पहलू है जिसके बिना विकास एक कोरी कल्पना से ज्यादा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे मेडिकल शिक्षा हो, चाहे योग शिक्षा हो, चाहे आयुर्वेद शिक्षा हो, राजस्थान में वसुंधराजी के नेतृत्व में राजस्थान ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके संबंध में भी अभी पिछले दिनों विश्व बैंक के प्रतिनिधि डा. एन.के. जगीरा राजस्थान में आये थे, डा. एन.के. जगीरा ने जो टिप्पणियां की हैं उन्होंने कहा है वे विश्व के 60 देशों में गये हैं किन्तु यहां शिक्षा व विद्यालय विकास के प्रति ग्रामीणों में जिस तरह का उल्लास और जन सहभागिता देखने को मिली है ऐसा अन्यत्र नहीं देखा गया। यह विश्व बैंक के प्रतिनिधि डा. एन.के. जगीरा ने माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के बारे में कहा है।

इसी प्रकार से, राजस्थान शिक्षा के मामले में देश का एक आदर्श राज्य बना है। आंकड़े बहुत हमारे साथियों ने बताये हैं, इन आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, मैं बहुत लम्बा नहीं बोलना चाहता, बहुत ही सीमित शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान में प्रकृति की अपार कृपा भी राजस्थान सरकार पर है। हमारे देश के तेल भण्डार के लिए कहा गया है 10 साल बाद जब दुनिया पेट्रोलियम पदार्थों के संकट से जूझ रही होगी तब राजस्थान के तेल भण्डारों से भारतीय अर्थव्यवस्था की रगों में नया लहू दोड़ेगा, राज्य के भू-गर्भ में मौजूद ढाई मिलियन बैरल से ज्यादा के तेल भण्डारों के लिए अब तक एक बिलियन डालर से ज्यादा का निवेश हो चुका है।

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

माननीय सभापति महोदय, पिछले दो सालों में राजस्थान का ग्राफ, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ, राजस्थान सरकार का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री बनने के पूर्व अनेक परिवर्तन यात्राएं की थी, पूरे राजस्थान का दौरा किया था लेकिन अब दो साल पूरे होने पर जिस प्रकार से जन सम्पर्क यात्राओं के माध्यम से पूरे राजस्थान में जन सैलाब उमड़ रहा है, कांग्रेस को इन सब बातों से चिन्ता होने लगी है।

माननीय सभापति महोदय, आज कांग्रेस के पास प्रतिपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। पिछले दिनों आपने भी अनेक आन्दोलन शुरू किये थे लेकिन कहीं भी जन समर्थन नहीं मिला लेकिन मुख्य मंत्रीजी को इतना विशाल जन समर्थन पहले से भी ज्यादा जन समर्थन यह बताता है कि मंजिल पाने के लिए निरन्तर आगे बढने की कल्पना, मंजिल पाने के लिए निरन्तर आगे बढ़ने के लिए वसुंधरा जी बहुत तेजी से राजस्थान को द्रुत गति से विकास की और अग्रसर कर रही हैं।

मैं अटल जी की कविता की दो पंक्तियां कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, माननीय सभापति महोदय!

जब तक ध्येय न पूरा होगा, तब तक पग की गति न रूकेगी,
आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल बिना झुके नहीं रहेगी।

धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री भरतसिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय सभापति जी, 28 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदया ने इस सदन में अभिभाषण पढ़ा उसी दिन दिल्ली में केन्द्र सरकार का बजट भी पेश हुआ। अभिभाषण में 197 बिन्दुओं के ऊपर प्रकाश डाला है और इस सदन में विस्तार से चर्चा हुई है। माननीय राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की सोच का दर्पण है। यह मेरा दायित्व बनता है कि जिन बिन्दुओं से राजस्थान का सीधा विकास का संबंध है, जिस पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं डाला गया है उस पर सदन का ध्यान दिलाऊं ताकि जब बजट पेश हो तो माननीय मुख्य मंत्रीजी उन पर ध्यान देकर पर्याप्त राशि उसके लिए आबंटित करें।

पिछले दो दशक से भारत की अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र है वह पिछड़ रहा है और राजस्थान भी कृषि पर आधारित एक प्रांत है और कृषि में

(श्री भरत सिंह)

जिस प्रकार की तरक्की होनी चाहिए थी वह नहीं हो पा रही और मुख्य रूप से कृषि का उचित बाजार मूल्य किसानों को नहीं मिलने की वजह से किसान परेशान हैं। विकास की दृष्टि से जो अभिभाषण पेश किया गया है उस पर सभी बातों का ध्यान दिलाया गया है मगर उसका फोकस जो कृषि पर होना चाहिए वह कृषि पर नहीं होकर प्रतीत यह होता है कि शहरी विकास और जयपुर के इर्द-गिर्द विकास के ऊपर केन्द्रित है। मैं शहरों के विकास का समर्थन करता हूं कि हमारा क्षेत्र हमारा जयपुर जो हमारी राजधानी है उसका विकास हो, पिछली सरकार ने उसको गति दी थी, इस सरकार ने उसी को आगे बढ़ाया है और आज हिन्दुस्तान में हमारा जयपुर शहर एक अच्छी राजधानी और अच्छे शहरों में गिना जाता है। इसके लिए मैं पिछली सरकार को और अभी जो कार्य किये जा रहे हैं उसकी सराहना करता हूं। मगर जिस क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं, कृषि क्षेत्र के अन्दर उस पर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा।

इसमें तीसरे ही बिन्दु पर जल का उल्लेख किया है और यहां सिंचाई विभाग का नाम जो परिवर्तन करके वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का उल्लेख किया है। एक बहुत अच्छी सोच है मगर नाम पलटने से ही अगर बात बन जाय तो फिर तो बहुत सीधा सा काम है, किसी अंधे का नाम पलट कर नैनसुख अगर आप कर दें तो उसकी दृष्टि नहीं आ जाएगी। जल संसाधन राजस्थान में एक प्रतिशत पानी है सरफेस वाटर और उस एक प्रतिशत पानी का 60 प्रतिशत वर्षा जल व्यर्थ बहकर जा रहा है। मैंने यह बात सदन में पहले भी कहीं और फिर दोहराता हूं इस बात को कि आज भी राजस्थान के झालावाड़ जिले में बहुत अधिक पानी है, 80 प्रतिशत पानी बह कर जा रहा है। हमारे एक भाई ने सौ माइनर इर्रिगेशन का उल्लेख किया, स्वागत है अगर सौ माइनर इर्रिगेशन बने। मगर जब तक आपकी मेजर इर्रिगेशंस उस 80 प्रतिशत पानी को रोकने की व्यवस्था अगर हम 50 साल बाद नहीं कर सके और मुख्य मंत्री क्योंकि झालावाड़ से हैं उसके बाद अगर उनके कार्यकाल के अन्दर वह सिंचाई योजना जो कालीसिंध की है और परवन की है उनको गति नहीं मिली तो वह क्षेत्र आज जहां सबसे अधिक वर्षा होती है हाड़ौती संभाग व उनके सारे जिले प्रोब्लेमेटिक ग्राउण्ड वाटर की प्राब्लम की वजह से वह जिले प्रभावित हो रहे हैं। झालावाड़ जैसे जिले में जहां 1000 एम.एम. वर्षा होती है वहां पर ग्रामों के अन्दर अनेक गांवों के अन्दर टैंकरों की व्यवस्था की जाती है तो जब तक

(श्री भरत सिंह)

सरफेस वाटर को रोक कर और उसको दिशा नहीं मिलेगी तब तक हमारे प्रदेश के साथ न्याय नहीं है चाहे वह शासन में बैठे हैं। मुख्य मंत्रीजी को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मीडियम और मेजर इर्रिगेशन स्कीम के ऊपर काम करें। यह मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि झालावाड़ के अन्दर चम्बल बेसिन में 22 नदियां हैं और 22 नदियों की 1050 किलोमीटर की कुल लैंथ है और चम्बल नदी को छोड़कर वे सब नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं। हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश से चम्बल, कालीसिंध, परवन लिंक की बात कर रहा है, चम्बल, कालीसिंध, परवन लिंक की आवश्यकता नहीं है, अगर वहां पर बांध भी बनाने हैं तो बांध का पानी झालावाड़ जिले की नदियों में आने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि झालावाड़ जिले को पानी मिले। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब सिंचाई विभाग का नाम बदला गया है, जल संसाधन विभाग बनाया गया है तो हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि पानी पर अधिकार किसी एक क्षेत्र का नहीं हो सकता। जहां कोई बांध बन गया और उस क्षेत्र के लोग-बाग कहें कि इस पानी पर अधिकार हमारे लिये ही है, जब हम एक तरफ दूसरे राज्य से पानी लेने की बात करते हैं और वहां से पानी लेने के लिए संकल्प पारित करते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते हैं, आज हमारा जो सरफेस इर्रिगेशन है उसमें सतही जल का जो उपयोग हो रहा है वह बाहर से आने वाली नदियों के पानी का क्षेत्र ज्यादा है और हमारे राजस्थान में जो सरफेस वाटर है उसका उपयोग कम है। हम दूसरे स्टेट से पानी लेने की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं मगर हम हमारे ही एक जिले से दूसरे जिले को पानी देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मैं दो दिन पहले सवाई माधोपुर में था। मैं उस स्थान पर गया था जहां बनास नदी चम्बल नदी में मिलती है। वहां के जिला प्रमुख मुझसे मिले थे, वे यह कह रहे थे कि बीसलपुर बनने के बाद हमारी बनास नदी सूख गई। बीसलपुर की योजना 500 करोड़ रुपये की जयपुर में पानी लाने की व्यवस्था तो है और मैं उसका स्वागत करता हूं। मगर उस बनास के नीचे तक जहां जाकर के चम्बल में मिलता है, क्या उस बीसलपुर के पानी पर, उस बांध के पानी पर उन गांवों के लोगों का हक नहीं है। घना के अन्दर हमारी प्राकृतिक धरोहर बर्ड सेंक्चुअरी सूख गई। नीचे उसके गांव बसते हैं मगर पांचना के पानी की बात होगी तो वहां पर नहीं मिलेगा। झालावाड़ के अन्दर भीमसागर है उजाड़ नदी के ऊपर, उसका पानी खानपुर तहसील को मिलता है मगर उसके

(श्री भरत सिंह)

पानी की नीचे कोटा तहसील के लिए मांग की तो पानी के लिए योजना नहीं है। एक जिले का पानी दूसरे को नहीं मिले, शहर के लिए योजना बने, अगर आपने इसके ऊपर सोच नहीं रखा, डिपार्टमेंट का केवल नाम परिवर्तन से बात नहीं चलेगी, हमें इसके ऊपर बैठकर के चिंतन करना पड़ेगा और इस पानी का अधिकार सबको देना पड़ेगा।

दूसरा जो कृषि का मैंने उल्लेख किया था कि कृषि का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था वह नहीं हुआ। पिछले दो बजट में जो घोषणाएं हुईं, उनमें अनेक घोषणाएं हुईं, कृषि से सम्बन्धित घोषणाएं हुईं। अभी बात की थी अलग-अलग मण्डियों की स्थापना की। धनिया मण्डी, मेहंदी मण्डी, जीरा मण्डी। परिणाम क्या निकले अभी तक ? परिणाम बाजार में क्या निकले उसके अन्दर ? जीरा का जीरो हो गया। धनिया की योजना का उल्लेख किया था कि 1450 रुपये के ऊपर धनिया खरीदा जाएगा, पिछले साल 1200 रुपये क्विंटल धनिया बिका है। अभी पी.डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं उनका उल्लेख करूंगा क्योंकि खेती की बात आई है। आज जो कृषि की लागत है, हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि हमारी 65 से 70 लाख हैक्टर में जो सिंचाई होती है उसमें से आधी से अधिक सिंचाई, बल्कि 60 प्रतिशत सिंचाई ग्राउंड वाटर से लोग-बाग कुओं से, ट्यूबवैल से करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 67 प्रतिशत है।

श्री भरत सिंह : इन्होंने मुझे दुरुस्त किया है कि 67 प्रतिशत सिंचाई लोग-बाग अपने निजी खर्च करके कर रहे हैं। उस सिंचाई की लागत क्या है ? जो सिंचाई विभाग का पूरा महकमा है उस सिंचाई विभाग के महकमे से उन 67 प्रतिशत लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वह पूरा विभाग जो फ्लो इर्रिगेशन है उसके ऊपर उसका रख-रखाव और पूरा बजट है उस सिंचाई पर जिसका खर्चा सरकार देती है, सरकार उस योजना को बनाती है और बहुत सस्ते दाम पर पानी देती है और उसको भी वसूल नहीं करती है तो दोनों ही प्रकार की सिंचाई क्षमता में समानता लानी पड़ेगी। आज 6 घंटे बिजली मिल रही है या 5 घंटे मिल रही है उसमें मैं नहीं पड़ना चाहता, मगर जिसे अपनी गेहूं की फसल जिंदा रखनी है उसको डीजल का उपयोग करना पड़ रहा है। डीजल का भाव 33 रुपये प्रति लीटर है और सरकार कह रही है कि केन्द्र सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी। मैं यह कहता हूं कि राज्य सरकार ने क्या किया ?

(श्री भरत सिंह)

उस डीजल के ऊपर 20 प्रतिशत बिक्री कर, साढ़े छह रुपये लीटर के हिसाब से राज्य सरकार उस पर टैक्स वसूल कर रही है मगर कोई हमारी सड़कें खराब हैं, चलो इस बहाने सड़कें बनती हैं तो उसको भी हम देख रहे हैं।

एक ढोल काश्तकार, ढोल का मतलब काश्तकार खेती का जब एक ड्रम भराकर जाता है तो उसकी जेब से 6700 रुपये खर्च होते हैं और 6700 रुपये का मतलब क्या है, 12 क्विंटल बाजरा बेचो तब जाकर के एक ड्रम डीजल भरेगा। 12 क्विंटल ज्वार बेचोगे तब जाकर के एक ड्रम डीजल भराकर कैसे रहेगा वह काश्तकार जिन्दा ?

श्री मदन दिलावर : दिल्ली वाले बढ़ा रहे हैं।

श्री भरत सिंह : आप क्यों बोलते हो ? क्यों बीच में बोलने की आपकी आदत पड़ गई ?

श्री मदन दिलावर : दिल्ली वालों को रोको।

श्री भरत सिंह : दिल्ली तो छोड़ो। अभी मैं सरसों की बात करता हूं। यह सरसों की उपलब्धि बता रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहता था, व्यक्तिगत नहीं आना चाहता था मगर राजस्थान के काश्तकार ने कम पानी की फसल सरसों को एक विकल्प माना। यह राजस्थान का धर्म है कि जहां ग्राउंड वाटर नहीं है, हम कम पानी की फसल करें। देश का 45 प्रतिशत सरसों का उत्पादन इस राजस्थान में, मस्टर्ड स्टेट है, क्या साल भर में इस पर ध्यान दिया कि हमारी मस्टर्ड है, सोयाबीन से सम्बन्धित प्लांट्स है वो बन्द क्यों है ? सहकारी क्षेत्र के अन्दर हमने क्या किया? क्या तिलम संघ जो सहकारी क्षेत्र में है उसने खरीद करके पिलाई करी ? क्या सहकारी क्षेत्र में जब गोदाम नहीं थे तो एक साल के अन्दर इन्होंने कोई गोदाम बनाये उसका जवाब यह दें। दिल्ली क्यों लाते हैं, अपने दिल की बात करो कि सांगोद के अन्दर जो लोग-बाग मांग कर रहे थे कि गोदाम बनाओ, जहां से आपको जनता ने बार-बार चुनकर भेजा। आपने क्या कांटे भी खोल दिये अपने क्षेत्र के अन्दर जो काश्तकार अपना माल तौलने से वंचित रह गया ? यह दुर्भाग्य है हमारा।

श्री मदन दिलावर : वहां कांटा खुलने के आर्डर हो गये हैं।

श्री भरत सिंह : संवदेनशील प्रशासन, मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि एक सूत्र के अन्दर प्रथम आये हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम में जिसकी बैठकें नहीं हुईं। उसमें जो इन्चार्ज थे बीस सूत्री कार्यक्रम के सिंघवीजी, वो कोटा आये

(श्री भरत सिंह)

तो उन्होंने मीटिंग में अधिकारियों को कहा कि सुन लो, बहुत गम्भीरता से लेना। मैंने कहा कि गम्भीरता से तो आप लीजिये और उनको लिया गम्भीरता से। संवेदनशील प्रशासन एक मुद्दा है उसके अन्दर। वो मोटर में जा रहे थे, बोला कि सिंघवीजी, उतरो मोटर में से। वो कहां गये, मोटर कहां गई, यह संवेदनशील प्रशासन है। आज जो शासन की नब्ज है वह कोई मकान बनाना, विकास यह नहीं है, शासन कितना संवेदनशील है उस पर निर्भर करेगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसका सबसे उदासीन परिचय हम इस सदन में देते हैं।

डा. दिगम्बर सिंह : वो घूम-फिरकर आपके पास ही आ रहे हैं।

श्री भरत सिंह : नहीं, मैं उससे प्रभावित नहीं हूं और ऐसे लोग जो घूमकर उधर गये हैं उनकी तरफ मैं देखना भी उचित नहीं समझता। जो लोग-बाग अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनैतिक व्यवस्था में एक दूषित वातावरण पैदा करते हैं उनसे तो समाज को बचकर रहना चाहिए। संवेदनशील प्रशासन, जिस प्रकार हम सदन में यहां आ जाते हैं, कुछ यहां चुनाव जीतने के बाद आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि कुछ पता नहीं क्या हो गये और आज इसी का परिणाम है कि चुनकर के तो आ जाते हैं लेकिन बहुत कम लोगों का सम्मान जनता के अन्दर है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मुझे आश्चर्य हुआ, सूचना का अधिकार देने की बात की, आज एक एम.एल.ए. को जो इस सदन की सब व्यवस्था की पालना करता है, बोलने तक का अधिकार, खुद के प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिला, इस सदन के अन्दर तो क्या सूचना का अधिकार मिलेगा बाहर बैठे हुए उस आदमी को ? एक नियम के तहत हम चीज ले नहीं पा रहे तो क्या मिसाल पेश करेंगे हम लोगों के सामने ?

मैं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सड़कों का विकास हो रहा है। प्रधान मंत्री योजना जो पिछली सरकार के समय चालू हुई इसलिए मैं उसमें जो चीज अच्छी है, उसका हम स्वागत करते हैं मगर मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, अभी आंकड़े प्रस्तुत हुए, यह बात जब मैं पिछले सदन में था। पिछले यानी जब माननीय चतुर्वेदी साहब यहां पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री थे आपके और वह कोटा संभाग से थे, मैंने उस समय बात कही थी, मैंने कहा था कि आपकी सड़क नीति दोषपूर्ण है। सड़क नीति इसलिए दोषपूर्ण है कि जिस संभाग से आप आते हैं, मैं चतुर्वेदीजी का उल्लेख कर

(श्री भरत सिंह)

रहा हूं और वह चीज प्रकाशित हुई है कि आपकी नीति पापुलेशन बेस्ड है और आज भी मैं आपसे कहता हूं कि कोटा के अन्दर, झालावाड़ के अन्दर क्योंकि गांवों की आबादी बहुत छोटी है, 40 प्रतिशत से ज्यादा गांव इस योजना से अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाये हैं और इसमें जो आंकड़े आये हैं, इसमें मुख्य मंत्रीजी का जो क्षेत्र है, ठीक है, उन्होंने अपने क्षेत्र के अन्दर, चाहे और दूसरे इलाकों को दी है या नहीं दी है और जो मिसिंग लिंक योजना थी, पूरी झालावाड़ में ही रह गई, दूसरी जगह नहीं मिली। कुछ भी दिया हो, लेकिन उसके बाद भी सबसे नीचे वह क्षेत्र है। कोई नीति नहीं है अभी। पुराने रियासत के जमाने में, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी चलने के लिए या घोड़ा निकालने के लिए जो पुलियाएं थीं, जिससे रास्ते अवरूद्ध हो जाते थे बरसात में, 100 साल पहले जो व्यवस्थाएं थीं, आज वहां पर नई लाने की कोई नीति नहीं है। हम प्रश्न करेंगे तो बोलेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था राज्य हित में है, तब बनायेंगे। नीति कहां गई ? 500 की आबादी के गांवों को डेढ़ करोड़ रुपये लगाकर जोड़ देंगे। 10 गांव छोटे-छोटे हैं 300 तक की आबादी वाले, उनके लिए कोई नीति नहीं।

यही बात मैं कृषि उपज मण्डी के बारे में कहना चाहता हूं। आज मंत्रीजी हैं नहीं। मैंने पिछली बार भी सदन में कहा है, यह हम गर्व से कहते हैं कि हम चुनाव करायेंगे। मैं पहले भी बोलता था और आज भी बोलता हूं, चुनाव कराओगे तो करोगे क्या? चाय काफी पीकर और बिस्कुट खाने के अलावा कुछ नहीं है। तुम तो मरे घोड़े पर जीन कस रहे हो। कुछ है ही नहीं उन कृषि उपज मण्डियों में। आज जो सड़कें बना दी, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, आप उनको वापस लीजिये। उनकी मरम्मत के लिए उनके पास पैसा नहीं है, थेपले लगाने के लिए पैसा नहीं है और आप उनका जवाब नहीं देते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन चीजें और निवेदन करना चाहूंगा। जब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, जब हम जल अभियान की बात करते हैं और जंगल का उल्लेख नहीं करें। राजस्थान में जल अभियान चले, कमेटी बने, विभिन्न विभागों के लोग उसमें सम्मिलित करें, गवर्नर के स्तर के द्वारा कमेटी नोमिनेट हो और फोरेस्ट जिसका सीधा सम्बन्ध जंगल से है, उसको सदस्य नहीं बनाया जाये, जिला स्तर के अन्दर फोरेस्ट का इन्वाल्वमेंट नहीं हो। अभी जब अभिभाषण में उल्लेख था पुलिस की

(श्री भरत सिंह)

उपलब्धियों का, उल्लेख यह था कि पुलिस ने बघेरों की खाल और शेरों की खाल बरामद की। मैं बधाई देता हूं पुलिस को और गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मगर जो पुलिस की उपलब्धि है वन विभाग की असफलता भी है, इसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है वन विभाग को स्ट्रेंथन करने के बारे में, उसके बारे में क्या वन विभाग को सुदृढ किया जायेगा? फोरेस्ट के बारे में कुछ उल्लेख इस प्रकार से होना चाहिए था ताकि इस बात का औचित्य होता कि जो एम्पावर्ड कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है, इसमें भी फोरेस्ट को स्ट्रेंथन करने की बात है। फोरेस्ट जब जंगल नहीं रहेंगे, मुझे आश्चर्य हुआ, जब उसमें यह बात कही गई कि आरा मशीनों को लकड़ी काटने की छूट दी है, मैंने देखा है कि आरा मशीनों को परमिशन दी है और वन मंत्रीजी टेबल ठोक रहे हैं। जंगल काटने की बात और वन मंत्रीजी टेबल ठोके। उस नीति में तो यह होना चाहिए था कि वनों की नीति यह होगी कि सड़क के सहारे जितनी जमीन खाली पड़ी है, हम उसको लोगों को पेड़ लगाने के लिए देंगे दूसरों को, तब तो बात समझ में आती।

मैं एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा, सवा दो साल हो गये इस सरकार को, संवेदनशील सरकार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ ही मंत्री हैं, सरकार के, जिन्होंने जाकर के संभाग स्तर के ऊपर समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। जिन्होंने जाकर के प्रजातांत्रिक तरीके से वहां के चुने हुए जन प्रतिनिधियों से बात की है। कुछ दिन पहले काडा (CADA) में बैठक के लिए सिंचाई मंत्रीजी आये थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। गृह मंत्रीजी ने दो बैठकें ली थीं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं लेकिन जब प्रदेश के मंत्री अपने विभाग के संभागीय मुख्यालय तक जाकर भी चर्चा करेंगे तो कैसे तरक्की होगी ? आप कोटा आते हैं और उसको अपनी डायरी में कोटा जाना लिखते हैं और किसी मंत्री की शादी अटेंड कर लें तो उससे कोई राजस्थान का विकास होने वाला नहीं है। आपने मुझे समय प्रदान किया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में अपने विचार

(श्री हीरालाल)

व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने विगत दो वर्षों के तहत जो विकास किये हैं वह सराहनीय हैं और मैं यह भी नहीं कहता कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया है क्योंकि हमारी सरकार ने दो वर्ष में ही इतने काम कर दिये जो पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्षों में नहीं किये। हमारी सरकार ने दो वर्षों में राजस्थान के समग्र विकास के लिए लिये गये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं दूरदृष्टि वाले उचित निर्णय के उत्कृष्ट परिणाम आये हैं जिसमें कुशल वित्तीय प्रबन्धन, जल संचालित अभियान, समग्र ग्रामीण विकास, सड़कों का जाल तथा स्वस्थ हरित क्रांति, विकसित राजस्थान का सपना साकार तथा जन-जन में लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के कुशल नेतृत्व में एवं कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण राजस्थान दिनों दिन प्रगति कर रहा है।

सरकार ने सत्ता सम्भालने के बाद 100 दिवसीय और 365 दिवसीय लक्ष्यों की सर्वहित वाली महत्वाकांक्षी कल्याणकारी और बहुआयामी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर सतत विकास का भविष्योन्मुखी सिलसिला प्रारम्भ किया है, उसकी सफलता के सुखद परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। समाज के वंचित वर्गों हेतु विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत लगभग एक करोड़ बच्चों को गरम खाना उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि पूर्व में घूघरी दी जाती थी। मिड-डे-मील कार्यक्रम को सामाजिक सरोकार से जोड़ा है, वहीं शिक्षा विभाग द्वारा 51201 व्यक्तियों को जोड़ा गया। सबको शिक्षा हेतु एक करोड़ 14 लाख बच्चों को मुफ्त पुस्तकें वितरित की गईं। मात्र दो वर्ष में राज्य में पिछड़ेपन को हटाकर वंचित वर्गों का पूर्ण ख्याल रखकर हमारी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ कर रही है।

राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप फरवरी, 2004 से अब तक ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया है जबकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में राज्य सरकार के खाते में निरन्तर सरप्लस की स्थिति रही है। राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2001 से 2003 में राजस्व घाटा और राजस्व प्राप्तियां क्रमशः 31-30 प्रतिशत थीं जो 2004-2005 में घटकर 12 प्रतिशत रह गई हैं। 11वें वित्त आयोग द्वारा प्रतिपादित फिस्कल रिफोर्म फेसेलिटी के अन्तर्गत 2001-2003 तक राजस्व घाटे में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। प्रोत्साहन राशि जो क्रमशः 59.77 करोड़ और

(श्री हीरालाल)

60.62 करोड़ रुपये है, वह प्राप्त की, बल्कि पूर्व के वर्षों में बकाया राशि 146 करोड़ रुपये भी प्राप्त करने की पात्रता अर्जित की। वर्ष 2004-2005 में राजस्थान के 20 सूत्री कार्यक्रम में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आना गौरव की बात है क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यकों के लिए संचालित कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित किया गया है।

सरकार द्वारा बाढ़ संहिता, भूकम्प आपदा प्रबन्धन नीति तैयार की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पहली बार राजस्थान राहत कोष की स्थापना की है जिसमें आपदाओं से क्षति में सहायता देने का प्रावधान किया गया है। संवत 2061 में राज्य के 18663 गांवों को सूखे से, फसल के खराबे से 1201 गांवों को ओलावृष्टि से अभावग्रस्त घोषित कर दिसम्बर, 2004 से जुलाई, 2005 तक राहत कार्य चलाकर 1686 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। 1756 चारा डिपो स्वीकृत कर 3.59 लाख मैट्रिक टन चारा अनुदानित दरों पर वितरित किया गया और पशु शिविरों एवं गौशालाओं के माध्यम से 4.92 लाख पशुधन को लाभान्वित किया गया। संवत 2062 में प्राप्त खरीफ गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 22 जिलों के 15778 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। इन जिलों में एक जनवरी, 2006 से राहत कार्य चलाये जा रहे हैं। जनवरी, 2006 के लिए 2.23 लाख श्रमिकों को नियोजित किया गया। माह फरवरी, 2006 के लिए 3.50 लाख श्रमिक सीमा निश्चित की गई। विभिन्न विभागों की योजनाओं को अकाल राहत कार्यों से समाहित किया जाकर पहली बार राज्य सरकार द्वारा बजट में 50 करोड़ रुपये सामग्री के पेटे उपलब्ध कराये गये। जिससे स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण कराया जा रहा है। ओलावृष्टि के प्रभावित किसानों को चार माह के बिजली के बिलों की भी छूट...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पढ़ें नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई) : अच्छा। सम्पूर्ण योजनान्तर्गत...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो रेफरेंस के लिए पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : पूरा रेफरेंस नहीं दें, रेफरेंस दे दें, पूरे का पूरा नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई) : शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में, माननीय शिक्षा मंत्रीजी घनश्यामजी तिवाड़ी के नेतृत्व में जो 31 हजार से अधिक...

श्री अशोक : नेतृत्व तो एक ही रहने दो, बार-बार में ऐसे...

श्री हीरालाल (निवाई) : अब आप तो मत बोलो, मैं तो नया-नया हूं, आप तो दूसरी बार आये हो, मैं पहली बार आया हूं। क्षमा करना।

श्री अशोक : नहीं-नहीं, वह तिवाड़ीजी के नेतृत्व में...

श्री सभापति : आप डिस्टर्ब नहीं करें। कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। बोलिये, बोलिये।

श्री हीरालाल (निवाई) : 31 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती निष्पक्ष रूप से लोक सेवा आयोग के माध्यम से की, वैसे तो अब यह भर्ती पूरे साल में एक लाख के करीब पहुंच जायेगी, 51 हजार के करीब हो गई है, लेकिन उस भर्ती के लिए माननीय वसुंधराजी का कुशल नेतृत्व, आर्थिक प्रबंधन और घनश्यामजी तिवाड़ी के कुशल नेतृत्व ने यह जो भर्ती की, हमारी भारत सरकार के प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंहजी ने भी मुक्त कंठ से हमारी राजस्थान सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की है, जो सराहनीय है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय विधायक जो कह रहे हैं, हमारे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी के इण्डियन एयर लाइन्स के एयरपोर्ट पर एक तरह से कपड़े उतार लिये। मनमोहन सिंहजी वहां एयर पोर्ट पर गये, इण्डियन एयर लाइन्स के तो उस पर उनकी चैकिंग की गई, तो इस प्रकार की यह बेहूदा हरकत हुई है जिसके लिए यह कह रहे हैं। दिल्ली में। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह कब की बात है? हमारे प्रधान मंत्री नियमों में बंधे हुए हैं, अगर चैकिंग होती है तो उसका कोई यह तो है नहीं कि वह बुरा मानते। अगर कपड़े की चैकिंग कर रहे हैं तो क्या बुरा मानते। अगर आप कहते...

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय सदस्यजी, मैंने तो मनमोहन सिंहजी की तारीफ की है।

श्री भंवरू खान : कपड़े तो जार्ज फर्नाण्डीज के उतारे थे, मुख्य सचेतक महोदय, आप याद करो, मनमोहन सिंहजी के कहां उतारे थे।

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन।

श्री हीरालाल (निवाई) : मैंने तो माननीय प्रधानमंत्रीजी की तारीफ की है। माननीय हमारे मुख्य मंत्रीजी के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की तारीफ की। (व्यवधान)

श्री भंवरू खान : जार्ज फर्नाण्डीज के कपड़े उतार कर अमेरिका में चैकिंग की, महावीरजी, याद करो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको कपड़े उतारने में कोई एतराज नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा : श्रवणजी, माननीय सदस्य की बात में व्यवधान नहीं।

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन, प्लीज।

श्री श्रवण कुमार : व्यवधान कौन कर रहा है, यह बताओ आप। आप हमें तो कह देते हो।

श्री रामलाल शर्मा : आप ही कर रहे हो, आप ही खड़े हो।

श्री श्रवण कुमार : हम असेप्ट करते हैं आपकी बात को, आपके मुख्य सचेतक महोदय को भी समझाओ, यह टोंक से आये हैं।

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन, प्लीज। नो इन्ट्रप्शन।

श्री हीरालाल (निवाई) : वैसे टोका-टाकी नहीं होनी चाहिए, यह तय हो चुका पहले।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये। आप बोलिये।

श्री हीरालाल (निवाई) : बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत लगातार दो वर्षों में एक लाख हेक्टेयर पानी की सिंचाई की है, जो कि भारत में एक रिकार्ड है। समाज कल्याण के क्षेत्र में पालनहार योजना जो मुख्य मंत्रीजी ने चलाई है और उसमें वित्तीय सहायता भी प्रदान की है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के प्रत्याशियों ने, जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास कर ली, प्राथमिक परीक्षा पास कर ली और मुख्य परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए और साक्षात्कार के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिए एक लाख रुपये और राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए 45 हजार रुपये का जो अनुदान एस.सी. एस.टी. के बच्चों के लिए दिया है, वह हमारे भारत के इतिहास में और राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मैं माननीय कृषि मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिर्च मंडी गई। सोयला जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है उसमें मिर्च मंडी की स्थापना की है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और कृषि मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त

(श्री हीरालाल)

करना चाहूंगा। पुनः मैं, माननीय महामहिम जिन्होंने विकासोन्मुख बजट भाषण दिया, उसका मैं पुरजोर शब्दों में बार-बार समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री सी.एस. बैद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापतिजी, दो मेम्बर इधर से बोलते हैं, एक उधर से बोलते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : क्या हो गया साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूं, और क्या है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बड़ा भाग्य है, इनका सौभाग्य है, आप जैसे महारथी योद्धा इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा सौभाग्य है इनका भाषण और आपको मैं देख रहा हूं। यह टोंक चले गये थे प्रद्युम्न सिंहजी, तो आप इनसे पूछो, किस प्रकार स्वागत किया है टोंक के लोगों ने। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आपकी तो केवल लड़ाई दिखावटी है और सब एक हो जाते हैं। एक बार जैनियों का मामला आया तो उधर तो धारीवाल भी रोने लग गये, बैदजी भी रोने लग गये और गुलाबचन्दजी कटारिया साहब भी रोने लग गये। मैंने जब सोचा कि जैन कितने हैं, हमें मालूम ही नहीं था....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, जाटों की तरह नहीं होता ऐसा।

श्री श्रवण कुमार : मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि जैनी कितने हैं। आपके तो केवल आवरण है, ऊपर का दिखावटी है और सब अन्दर से एक ही हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जाटों की तरह एकता नहीं है हमारे में।

श्री श्रवण कुमार : जाटों की एकता दिखा दी न, सुमित्राजी मेरे को बोलने ही नहीं दे रही हैं, जाटों की दिखावटी थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पर एसषर्शन नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, आन ए प्वाइंट आफ इनफोर्मेशन। आज राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री 'सदन के सितारे' रही हैं तो हमारी ना पक्ष लाबी में लड्डू की व्यवस्था है, और भी सदस्य जो आना चाहें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपको मालूम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभी सदस्यों के लिए कह रहा हूं मैं, सभी सदस्यों के लिए ना पक्ष लाबी में लड्डू की व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संयमजी, पहली बार आपने कोई अच्छी बात कही है।

एक माननीय सदस्य : आपकी तरफ से है क्या ?

श्री संयम लोढ़ा : आप उसका रसास्वादन तो करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलो साहब।

श्री संयम लोढ़ा : आओ।

श्री सभापति : आप तो रसास्वादन करके सन्तुष्ट हो न ?

श्री संयम लोढ़ा : बिलकुल तृप्त हैं हम तो।

श्री सभापति : ठीक है, धन्यवाद। अब बोलने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी तो तृप्त हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आप यह मत मानना कि मेरी तरफ से है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से है।

श्री सभापति : धन्यवाद। सूचना के लिए धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : राजेन्द्रजी को इसलिए खिलाना चाह रहे हैं, खाली पी.डब्लू.डी. मिनिस्टर को। नहीं-नहीं, आपने कहा न, इनवाइट तो उनको कहा, आप चलिये हमारे साथ, वरना वो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, उनकी तरफ इंगित इसलिए किया कि वह आनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, तो उनके माध्यम से सब को आमंत्रित कर दिया है।

श्री नरपत सिंह राजवी : बिलकुल, बिलकुल, आपकी भावनाएं अच्छी तरह समझ रहे हैं, वह भी समझ सकते हैं।

श्री सभापति : बिराजिये।

डा. सी.पी. जोशी : यह काम पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का होना चाहिए था, फेल हो गये, यह काम संयमजी ने किया इसलिए इन्होंने इनवाइट किया है।

श्री सभापति : बैठे-बैठे बातचीत नहीं। प्लीज। बैठे-बैठे बातचीत नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें ही तकलीफ हो गई।

श्री सभापति : नहीं, उधर भी हो रही है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, 28 फरवरी के राज्यपालजी के अभिभाषण के ऊपर मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं और उन्होंने जो यहां वाचन किया उसका कुछ विश्लेषण भी करना चाहूंगा। सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री बहुत बधाई की पात्र हैं कि दो, सवा दो साल के शासन काल के अन्दर कांग्रेस को तो उनका विरोध करना ही था, लेकिन खुद की पार्टी के भीतर भी सारे विरोध के बावजूद वह अभी तक सत्ता पर काबिज हैं और राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्रीमण्डल का जो निर्णय होता है वह सामूहिक नेतृत्व का होता है, सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, राज्य के हित में निर्णय लेते हैं, पहली बार राज्य के दो मंत्रियों ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने सड़क पर आकर सार्वजनिक रूप से, खुले रूप से मुख्य मंत्री की आलोचना की और यह कहा कि सेज के मामले के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री ने पारदर्शिता नहीं बरती। उन्होंने यह कहा कि इसका पुनरावलोकन होना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, उनका सुधार किया जाना चाहिए। एक बार नहीं, अनेक बार सार्वजनिक रूप में इलेक्ट्रानिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उन लोगों ने अपनी यह इच्छा जाहिर की। माननीय मुख्य मंत्री को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली के अन्दर जब उनके आलाकमान के सामने यह मंत्री पेश हुए तो माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि यदि आपको कोई प्रतिरोध करना है तो केबिनेट की मीटिंग में आकर उसका प्रतिरोध करें। यह सारी चीजें मैं वह बता रहा हूं जो सार्वजनिक हो चुकी हैं और पहली बार राज्य के इतिहास के अन्दर ऐसा हुआ कि यह दो सीनियर केबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद में केबिनेट मीटिंग बुलाने के अन्दर उसमें शामिल ही नहीं हुए, इन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। और उसके बाद जिस इश्यु को इन्होंने उठाया था वो इश्यु अपने आप ही डिफ्यूज हो गया। अब यह पूछा जाए कि यह इन्होंने जो प्रतिरोध किया उसके बाद उनके इस प्रतिरोध का क्या हुआ ? या तो ये मंत्री इस्तीफा दें या क्योंकि इन्होंने मुख्य मंत्री के खिलाफ

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कैबिनेट के निर्णय के खिलाफ सार्वजनिक रूप से इस तरह के अपने विचार व्यक्त किये या माननीय मुख्य मंत्री इस्तीफा दें क्योंकि इस तरह की चीज आज तक पहली बार...।

श्री तगाराम चौधरी : पांच साल के आपके कार्यकाल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आपके कितने मंत्रियों ने विरोध किया था मुझे याद है।

श्री सभापति : विराजिये. No interruptions please. तगारामजी, विराज जाएं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि इश्यु से ज्यादा कुर्सी इम्पोर्टेंट हो गयी और वो मंत्री जो थे दोनों सीनियर कैबिनेट मंत्री चूहे कि माफिक अपने बिल के अन्दर वापस जा पड़े और कल मैं जब बोल रहा था तो माननीय नरपतसिंहजी ने यह फरमाया कि आप राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ के साथ मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि उस मामले में आपने माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ किस तरह की मैच फिक्सिंग की कि आज भी आप चुप हैं आज भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? पहले भी उस समय एक बार बोलकर आप शांत हो गये।

श्री तगाराम चौधरी : मैं उस समय की आपको याद दिला दूं कि आपके पिताजी और माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी थे उस समय उन्होंने क्या-क्या टिप्पणियां दी हैं वो भी पढ़िये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : वो याद दिला रहे हैं तगारामजी उसके बाद चंदनमलजी ने त्यागपत्र दे दिया था वो याद दिला रहे हैं। आप भी करिये यह काम। यही वो याद दिला रहे हैं आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितने समय बाद दिया ?

डा. सी.पी. जोशी : अशोक गहलोतजी के मंत्रीमण्डल से बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। आप भी वो ही काम करिये वो याद दिला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप शायद भूल रहे हैं अशोक गहलोतजी ने त्याग लिया था उनके घर जाकर लिया था।

डा. सी.पी. जोशी : आपको बहुत गलतफहमी है, आप गलतफहमी में रह कर नेतागीरी करते हो। ये नरपतसिंहजी राजवी या घनश्यामजी त्यागपत्र नहीं देने वाले हैं आपके कहने से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, गलतफहमी नहीं सही कह रहा हूं त्यागपत्र लिया था।

डा. सी.पी. जोशी : आप उदाहरण देंगे तो वे त्यागपत्र नहीं देंगे गलतफहमी मत पाला करो।

श्री तगाराम चौधरी : नहीं मेरे से कौनसा त्यागपत्र मांग रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आया समझायें मेरे को।

श्री नरपतसिंह राजवी : हमारी मैच फिक्सिंग है कि नहीं है लेकिन आप वाली तो है ही यह तो आप प्रूव कर ही चुके हो।

डा. सी.पी. जोशी : आपका नहीं मांग रहे हैं साहब आप तो आकर कुर्सी पर बैठो मुख्य मंत्री के पास।

श्री सभापति : आप सब लोग एक दूसरे की पोल क्यों खोल रहे हैं?

डा. सी.पी. जोशी : आपकी मदद के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। ये टीवी में इन्टरव्यू आया है उसका ध्यान रखना उसमें दो ही नाम नहीं आये आपका भी इन्टरव्यू आया था उसमें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या सुना आपने उसमें ?

डा. सी.पी. जोशी : वो ही सुना जो आपने भैरोंसिंहजी को जाकर कहा था वहां।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या सुना था उसमें आपने ?

डा. सी.पी. जोशी : वो ही आपने क्या कहा था भैरोंसिंहजी को जाकर दिल्ली में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भैरोंसिंहजी को क्या कहा, वो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनसे क्या कहेंगे वो तो राजनीति से कोई संबंध ही नहीं रखते।

श्री श्रवण कुमार : अशोकजी को एक बात कही थी रामस्वरूपजी को मंत्री बनाओ और बाद में अशोकजी ने आपकी बात मानी। क्या आप हमारी बात मानेंगे? हमारे सदन के हीरो हैं नाथूसिंहजी इनको भी मंत्री बनाओ, खाली बोलने के लिए रख रखा है क्या ?

श्री सभापति : No interruptions, please.

डा. चन्द्रशेखर बैद : ये आप बातों में इस चीज को भूलें नहीं। यह बहुत इम्पोर्टेंट इश्यु है और बहुत रिलेवेंट इश्यु है और यह पहली बार राजस्थन के इतिहास में ऐसा हुआ है, मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। मैं अभी भी यही

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

चाहूंगा कि जिस इश्यु पर आपने अपनी आवाज बुलंद की थी, आप तो उस श्रेणी में आते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए तो वो वचन कहां चला गया आपका? आपने क्यों नहीं मजबूती से अपना कदम कायम रखा और वो इश्यु आज भी जिन्दा है और वो इस चीज का इन्तजार कर रहा है कि आप उस इश्यु को दुबारा रिवाइव करके पुन: मैदान में आये और माननीय मुख्य मंत्री को हमारे साथ मिल कर यह कहें कि सेज के मामले में जितनी भी पारदर्शिता, मुख्य मंत्री कहती हैं कि हमारी सरकार बहुत पारदर्शी है वास्तव में सही कहती हैं, it is totally transparent, अन्दर क्या डीलिंग हो रही है सारा का सारा बाहर दिख रहा है तो ट्रांसपरेंट हुई या नहीं हुई। राज्यपाल के अभिभाषण में नारमल प्रक्रिया यह होती है कि आप पिछले साल का लेखा जोखा उसमें प्रस्तुत करते हैं, आगे आने वाले समय की नीतियां और आगे आने वाले समय की योजनाएं उसमें प्रतिलक्षित करते हैं। इसको पढ़ने के बाद मुझे इतनी निराशा हुई कि इसमें राजस्थान के विकास के लिए भविष्य की किन्हीं योजनाओं को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसमें कुछ ऐसी योजनाएं बताई गयी हैं। इसको पढ़कर तो ऐसा लगता है इसमें जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन गयी है। इसमें अधिकांश योजनाएं ऐसी हैं जिसका शत-प्रतिशत पैसा यूनियन गवर्नमेंट से मिलता है राज्य सरकार को और राज्य सरकार को पैसा मिलने के बावजूद वो पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाती है। 25% योजनाएं ऐसी हैं जिनके अन्दर 70% पैसा केन्द्र सरकार से मिलता है और 30% राज्य सरकार खर्च करती है तो it is a '*pulinda*' stating कि केन्द्र सरकार से जो पैसा मिला उसको पूरी काबलियत के साथ ये अभी तक खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप यह देखिये कि इन्होंने लिखा है कि गरीब को गणेश मान कर इनका पहला राज्यपाल का अभिभाषण जो ...। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराज जाएं, तगारामजी, विराज जाएं। बैठे-बैठे नहीं। बोलने दीजिये। No interruptions, please.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, ओन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन। मुझे करना ही है। आपने यह विषय खतम कर दिया न या बोल रहे हैं ? मेरे संबंध में जो आपने कहा था।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं अभी खतम कहां हुआ। मेरा किसी से कोई

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

संबंध नहीं है साहब। नाम किसी का नहीं लिया आप स्वयं ही कह रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने दो मंत्रियों का यह कह कर कि वो मीटिंग में अनुपस्थित रहे और यह कहा कि सेज के बारे में उन्होंने इलेक्ट्रोनिक मीडिया में और प्रेस में दोनों में अपने स्टेटमेंट दिये हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि मैंने मंत्रीमण्डल के अन्दर जो बात हुई उसके बारे में या सेज के बारे में केवल एक बात को छोड़कर सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के किसानों के हित संरक्षण करने का मेरा काम है इसके अलावा सेज के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया नम्बर-एक, नम्बर-दो मैंने कभी भी केन्द्रीय नेतृत्व को जाकर इसके बारे में शिकायत नहीं की। तीसरी बात जो आपने कहा कि कैबीनेट की मीटिंग में आप अनुपस्थित थे, मैं उस दिन ट्यूनिशिया में राजस्थान सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के रूप में था इसलिए मैं अनुपस्थित था इसलिए यह बात कहना सरासर गलत और फैक्ट्स को तोड़-मरोड़कर रखना है। मेरे सारे स्टेटमेंट्स छपे हुए हैं जिनमें सिर्फ एक बात कही गयी है कि सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के किसानों के हित का संरक्षण मुझे करना है और मुझे खुशी है कि मैंने 15 प्रतिशत से बढ़ाकर किसानों का हिस्सा 25 प्रतिशत करा लिया है।

श्री ओम बिरला : बताओ कोई स्टेटमेंट, कोई वक्तव्य बताओ। कई बार सदन के पटल पर यह बात आती है। एक वक्तव्य, एक स्टेटमेंट बताओ।

श्री सभापति : बोल रहे हैं वो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मेरा स्टेटमेंट और एक वक्तव्य मैं दूं उसके बाद में मैं इतना नैतिक रूप से गिरा हुआ आदमी नहीं हूं कि मैं मंत्रीमण्डल में रहूं। आप समझ लीजिये इसलिए मैं जो यहां कह रहा हूं सदन में वो ही बात है। न मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है सार्वजनिक रूप से एक भी स्टेटमेंट न इलेक्ट्रोनिक मीडिया में न प्रिन्ट मीडिया में केवल जो मैंने कहा है किसानों के हित के सरंक्षण की बात कही है। उसके अलावा और मैंने कोई बात नहीं की और जिस दिन मुझे यह कहने की जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं इतना कमजोर आदमी नहीं हूं कि मैं मंत्रीमण्डल में बैठा रहूं।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। यह सदन

(डा. सी.पी. जोशी)

माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता है कि क्या आप मंत्री के रूप में मुख्य मंत्रीजी की जिस मीटिंग को आपने अटेंड नहीं किया और उसमें जो निर्णय किया उससे सहमत हैं ?

श्री नरपत सिंह राजवी : मंत्रीमण्डल में जो भी बात होती है या कही जाती है वो अपने-आप में...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्रीमण्डल का निर्णय सामूहिक होता है मंत्रीमण्डल का निर्णय सामूहिक है।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छा। बिलकुल मुझे यही बात आपसे सुननी थी कि मंत्रीमण्डल का निर्णय सामूहिक होता है उस निर्णय में दोनों मंत्री सम्मिलित हैं और जो कुछ अख़बार के प्रिन्ट मीडिया में आया उस बात को आप डिनाई कर रहे हैं और आप मानते हैं कि सेज में पारदर्शिता हुई और कोई बेईमानी नहीं हुई?

श्री नरपत सिंह राजवी : Don’t try to put words in our mouths. यह उससे पहले हुई बात है।

डा. सी.पी. जोशी : The Cabinet is not above the House. आप माननीय मंत्रीजी....

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं आपसे यह निवेदन ....।

डा. सी.पी. जोशी : सुन लीजिये। The Cabinet is accountable to the House.

श्री नरपत सिंह राजवी : सारा हम ही सुन रहे हैं आप नहीं सुनेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : डेमोक्रेटिक सेट अप को समझ लीजिये. I am very sorry to say. Hon’ble Chairman, Sir, I have raised a point of order. डेमोक्रेटिक सैट अप को समझ लें। The entire Cabinet is accountable to this House. And this House is accountable to the people. इसको समझने की आवश्यकता है। You cannot hide the fact. … (interruptions) … We want that admission. You owe.

माननीय सभापति महोदय, आई एम ओन ए पाइंट आफ आर्डर ये डेमोक्रेसी सेटअप को समझ लें the entire Cabinet is accountable to the House and this House is accountable to the people. We have owe the explanation.

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय ठेका किसी एक ने नहीं ले रखा है। ये कब प्रेस मीडिया में हुई You owe the explanation.

डा. सी.पी. जोशी : आप इस हाउस को ओन करते हैं, आप इस हाउस को बताने से वंचित नहीं कर सकते। राजस्थान की पूरी जनता जानना चाहती है जिन्होंने सदन में हमको चुनकर भेजा है कि यह सरकार जिसकी कैबिनेट के निर्णय हुये हैं उस निर्णय में यह मंत्री शामिल हैं यह हमें जानकारी जानने का अधिकार है।

श्री नरपत सिंह राजवी : बिलकुल सहमत हैं, क्यों नहीं हैं।

डा. सी.पी. जोशी : यह आपको कहना पड़ेगा कि मुख्य मंत्रीजी ने आपकी अनुपस्थिति में जो निर्णय लिया है उसमें आप शामिल हैं और उस निर्णय का यह पार्ट है कि सेज जो लागू किया गया सही लागू किया गया, राज के हित में लागू किया गया, इससे इतना फायदा होगा इसको कमिटमेंट करना पड़ेगा।

श्री नरपत सिंह राजवी : यह बात तो क्लास 9 में पढा देते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आप यस और नो में कहिये You cann't shirk the responsibility. हमारा यह अधिकार है, मैंने पाइंट आफ आर्डर दिया है यह हमारा अधिकार है कि हम इस सरकार से जानना चाहते हैं इस सरकार का जो सेज के संबंध में निर्णय हुआ है उस निर्णय में जो मंत्री मंत्रीमण्डल में नहीं थे वह इससे सहमत हैं। सेज में बेईमानी नहीं हुई हैं, सेज में सब काम ठीक हुए हैं यह इसको ओन करें जिससे कम से कम राजस्थान की जनता को मालूम होना चाहिये कि दो मंत्रियों ने इस बात के समय यह बात कही है। दोहरी बातें नहीं चल सकती।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो निर्णय होता है उसमें एक-एक से हां कराना अनिवार्य है क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : हम एक तरफ तो यह बात कहें और दूसरी तरफ यह निर्णय लें। हाउस में हमें यह जानने का अधिकार है इसलिए सभापति महोदय आप निर्णय कीजिए कि क्या इस सदन को इस बारे में जानकारी नहीं मिलनी चाहिये। इस सदन को जानकारी नहीं देना चाहते कौनसी सीक्रेसी। केबिनेट के निर्णय की सीक्रेसी हो सकती है, निर्णय लेने के बाद कोई सीक्रेसी नहीं होती। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, पूरी स्पष्टता के साथ शिक्षा मंत्रीजी ने बात कह दी उसके बाद बात बचती कहां है। पूरी स्पष्टता ही नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दृढ़ता के साथ शिक्षा मंत्रीजी ने बात कह दी कि मंत्रीमण्डल का निर्णय सामूहिक निर्णय है।

डा. सी.पी. जोशी : We are not asking the deliberation of the Cabinet. आप पार्लियामेन्ट्री मिनिस्टर हैं यह हाउस आपका घर नहीं है, यह राजा महाराजा का निर्णय नहीं है यह लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है और यह हमारा अधिकार है (व्यवधान) जनता के सामने बोलना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ बातें करना चाहते हैं आप मुख्य मंत्री के साथ सम्मिलित हैं तो उसके निर्णय को ओन करना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल ओन कर रहे हैं बिलकुल ओन कर रहे हैं मुख्य मंत्रीजी के निर्णय को दृढ़ता से ओन कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आज सदन जानना चाहता है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है इस सरकार के 2 मंत्री मुख्य मंत्री के निर्णय से सहमत हैं, सेज में कोई बे-ईमानी नहीं हुई है, ट्रांसपेरेंसी हुई है यह बात राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि क्या यह निर्णय जो राजस्थान सरकार ने लिया है यह संयुक्त निर्णय है या इस निर्णय में यह भागीदार नहीं हैं। यह बताये, क्या डिबेट करेंगे। यह डिबेट कर रहे हैं गवर्नर के ऊपर, डिबेट में यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि जो निर्णय लिया है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह काहे की बहस चल रही है (व्यवधान) शिक्षा मंत्रीजी ने बात दृढ़ता से कही है ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बहस करना चाहते हैं इस बात पर राज्यपाल का अभिभाषण कैबिनेट से अप्रूव होता है और इस अभिभाषण में सेज के बारे में लिखा हुआ है। मंत्रीजी यह कहें कि सेज के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो खडे होकर बोलें, काहे को कहते हो कि सेज में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बेईमानी है, ओन करे इस बात को।

श्री नरपत सिंह राजवी : आप कोई बात सुनना ही नहीं चाहते और सिर्फ आप ही बात करते जाओ तो हम बैठे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : हां बोलिये आप काहे को बोल रहे हो आप तो चाहते हैं कि यह बोले। हर काम में आपका तरीका उल्टा है, आप तो अपना काम ठीक कर रहे हो।

श्री नरपत सिंह राजवी : अभी क्या चाहते हैं और पिछली बार क्या चाहते थे ? कैबिनेट का निर्णय हमेशा सामूहिक होता है यह पाठ क्लास 9 में पढ़ा हुआ है और किसी कारण से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं आ सके थे और किस कारण से मैं नहीं आ पाया वह भी सबको पता है। मैं पिताजी के देहावसान के कारण से नहीं आ सका था।

डा. सी.पी. जोशी : हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं आये, यह हमारा काम नहीं है, हमारा बिलकुल काम नहीं है आप क्यों नहीं आये हम तो सिर्फ सिम्पल पूछ रहे हैं कि कैबिनेट का जो निर्णय हुआ ....(व्यवधान) We are not asking anything. यह आये या नहीं आये यह हमारा काम नहीं है। सभापति महोदय, हमने पहले भी कहा है हिडन एजेंडा से यह सरकार नहीं चल सकती, यह संविधान के गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम नहीं कर सकती ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) कोई हिडन एजेंडा नहीं है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ...(व्यवधान) आप बिना मतलब बात कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : काहे की जिम्मेदारी है। राजस्थान की जनता ने यह फोटो देखें हैं आपके कि आपके मंत्रियों ने सेज के बारे में क्या कहा, अखबार में क्या कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा है, आपकी पार्टी के महामंत्री ने क्या कहा है यह रिकार्ड में है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो कहना था वह कह दिया।

डा. सी.पी. जोशी : अपनी जिम्मेदारी से यह बात कहकर नहीं बच सकते। यदि आपने किसानों की जमीनें ली हैं तो कहना पड़ेगा कि सांगानेर के किसानों की जमीनें टूट गई, मंत्रीजी ने जो बात कही कि किसानों के हितों की रक्षा करूंगा तो क्या रक्षा हो गई। मंत्रीजी बता दो आप अगर आप सेज के निर्णय से सहमत हैं..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डवलप लैंड का 25 परसेंट मुआवजा मिला है तो शिक्षा मंत्रीजी की बात पर मिला है। 25 परसेंट डवलप लैंड का मुआवजा राजस्थान में पहली बार किसानों को मिला है वह शिक्षा मंत्रीजी की पहल पर मिला है।

डा. सी.पी. जोशी : आपको 100 प्रतिशत मिला होगा यह मंत्रीजी खडे होकर बोल दें कि सांगानेर के किसानों का हित हो गया है, हम मान जायेंगे। बतायें इस बात को, आपने खुद ने कहा है कि मैंने केवल मात्र यह कहा है सांगानेर के किसानों के हित की बात करूंगा। आप खड़े होकर बता दीजिए इस

(डा. सी.पी. जोशी)

कैबिनेट के निर्णय से सांगानेर के किसानों का हित हो गया, बात खतम हो गई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कोई मुल्ला हैं या काजी हैं जो आपको बतायें।

डा. सी.पी. जोशी : लडडू भी खाये और राज भी नहीं करें ऐसा नहीं हो सकता, दोनो बात कहनी पड़ेगी। ऐसे बात नहीं हो सकती। मुख्य मंत्रीजी को अगर आपको मानना है तो जनता के सामने कहना पड़ेगा कि यह हमारा डिसीजन है। ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो आपने और अशोक गहलोत ने मिलकर लूट की है..(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : सभापति महोदय, राजस्थान की जनता ने फैसले का स्वागत किया है, किसानों ने स्वागत किया है ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपका नहीं किया है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है बिना बात की नेतागिरी कर रहे हो, आप कैबिनेट के मेम्बर ही नहीं हैं। (व्यवधान) आपका काम है खाली फोटो छपाओ, प्रचार कराओ। कैबिनेट के निर्णय से आपका कोई लेना-देना नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं आपको कैबिनेट का निर्णय ही नहीं मालूम है।

श्री भवानी सिंह राजावत : कैबिनेट के निर्णय से सबको सरोकार होता है, कैबिनेट के निर्णय राजस्थान की जनता के हित में होते हैं केवल कैबिनेट के लिये नहीं होते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : कैबिनेट में नहीं आते हैं, एजेंडा था उस दिन, जिस दिन पास कराया था। 6 आदमी मौजूद थे आपको मालूम है क्या।

श्री भवानी सिंह राजावत : आप तो सेज के बारे में हरियाणा के हुडा जी से पूछ लें अभी 25 हजार करोड का एग्रीमेंट किया है रिलायंस से... (व्यवधान) कटौती हो रही है सेज से, अब राजस्थान का विकास आप रोकना चाहते हैं ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सदस्य दो आदमियों ने पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर क्या पूरी कैबिनेट को रोक रखा है नहीं तो न कैबिनेट मिनिस्टर है, न पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, कम से कम अपने आपको मुक्त करो जो राजस्थान ठीक हो जाये।

श्री सभापति : श्री सी. एस. बैद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपसे मुक्त होने पर सारे मुक्त होंगे पहले आपसे पिंड छुड़ाये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : सभापति महोदय, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी ने अभी जो कहा कि मैंने सिर्फ एक यह बात कही थी मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि मेरे पास सारी इलेक्ट्रोनिक मीडिया की रिकार्डेड कैसेट हैं और जितना भी प्रिंट मीडिया में आया है, उसका भी है। आप स्वयं उसका अवलोकन कर लें कि आपने क्या-क्या कहा है। नम्बर दो, उसका अवलोकन करने के बाद 7 से 10 दिन में दोनों मंत्रियों का कोई कंट्राडिक्शन किसी अखबार में या किसी इलेक्ट्रोनिक मीडिया में नहीं आया इसका मतलब उसमें जो छपा है या दिखाया गया है वह सही है।

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड करें नो इन्ट्रेप्शन प्लीज। बैठे-बैठे बातचीत नहीं उनको बोलने दीजिए, बोलिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा पैरा नम्बर 178 में राजस्थान अब बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं रहा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में राजस्थान राज्य को किसने डाला और मेरे को यह कहते हुए दु:ख हो रहा है। मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन तीन मंत्रियों से जब मैंने यह पूछा कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में से कैसे बाहर आ गया तो उन्होंने कहा कि अब राजस्थान सिक स्टेट नहीं रहा। उनको यह जानकारी नहीं है कि बीमारू राज्य क्या होते हैं, उनको बीमारू राज्यों की श्रेणी में क्यों रखा गया ? ऐसे कौनसे मापदंड हैं जिनका अवलोकन करने के बाद इनको बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन चार स्टेट को इन करके बीमारू शब्द बना है और इनको बीमारू क्यों कहा गया इसके अपने अलग मापदण्ड बने हुए हैं और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम दावोस में जाकर माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, यह भी मुख्य मंत्रीजी के साथ पधारे थे, पिछली बार भी गये इस बार भी गये। भाषण भी दिया उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू में जो उन्होंने बात कही वह मैं आपको कोट करना चाहता हूं ''We are determined to bring the Rajasthan out of BIMARU States. यह बात उन्होंने 3 तारीख को कही है और 28 तारीख को राज्यपाल जी के अभिभाषण के अन्दर उन्होंने बीमारू राज्यों की श्रेणी में

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

से इसको बाहर निकाल दिया, अब यह पूछा जाये कि बीमारू राज्यों को निर्धारित करने का मापदण्ड क्या है और वह मापदण्ड, मैं आपको बताना चाहूंगा....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : कोई भी इसमें जो उपयोग होंगे उसमें मेडीसिन कहीं नहीं आती है।

श्री सभापति : उसके बाद इन्होंने आकर यहां जब सारी डिपार्टमेंट्स की मोनीटरिंग की तो यह बात सामने आई इसलिए इसमें लिखा है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : देखिये, ऐसे बीमारू राज्यों की श्रेणी में से राजस्थान को बाहर निकालने का यह मतलब नहीं होता कि एक दिन सुबह उठकर आपका मूड आ गया कि आज राजस्थान राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं रहा और आपने घोषणा कर दी कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं रहा। (व्यवधान) ऐसा नहीं होता है, खाली मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाली अपने आस-पास के मुख्य मंत्री निवास में लाखों रुपये खर्च कर दो, मुख्य मंत्री का जो राजपथ है उसके ऊपर लाखों रुपये खर्च कर दो, सुनामी के पैसे से हैलीकाप्टर खरीद लो और बड़े-बड़े....(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सभापति महोदय, माननीय सदस्य गलत आरोप लगा रहे हैं। सदन के पटल पर या तो साबित करें, सदन के पटल पर कि सुनामी का पैसा हैलीकाप्टर खरीदने में लगाया गया है या अपना वक्तव्य वापस लें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : कहां गया ?

श्री ओम बिरला : वो पैसा जाकर देखो कहां गया, जाकर देखो वहां पर, टीम गठित हो जाए, जाकर फैसला कर लें। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : देखकर आये, अफसरों से बात करके आये, कालेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : विधान सभा की कमेटी जाकर जांच कर ले।

श्री जोगेश्वर गर्ग : प्रमाण प्रस्तुत करें आप, नहीं तो वापस लीजिये, यह गैर जिम्मेदाराना नहीं चलेगा, आप जैसे सदस्य से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : संसदीय सचिव जी ने उसका जवाब दे दिया, बैठ जाइये आप लोग, प्लीज सिटडाउन।

श्री जोगेश्वर गर्ग : संसदीय सचिव जी ने जवाब नहीं दिया, संसदीय सचिव जी ने मांग की है कि वक्तव्य वापिस लें, वक्तव्य वापिस लेना चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, प्लीज आप बैठ जाइये, बिराजिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखने के लिये जो मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें से ऐसे कौनसे मापदण्ड हैं जिनको आपने हासिल कर लिया है, इनफेंट मोर्टेलिटी रेट को आपने हासिल कर लिया है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को आपने हासिल कर लिया, एजुकेशन के अन्दर पर्टिक्यूलर लेवल के बाद में जो सिगनीफिकेंट अचीवमेंट है वह आपने हासिल कर लिया या बीपीएल की श्रेणी में से लोगों की संख्या कम हो गई, बीपीएल परिवार के लोगों का रहन-सहन बढ़ गया, आपका जीडीपी बढ़ गया, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो गया ? कौनसे मापदण्डों के आधार पर यह कह रहे हैं कि बीमारू स्टेट की, बस आपका एक दिन ऐसे ही चलते ही मूड आ गया कि राजस्थान को बीमारू राज्यों से बाहर निकालना है, राजस्थान बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं रहा।

श्री सभापति : जैसे आप बाडी की जांच करके फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हो ना ऐसे ही प्रत्येक विभाग की मोनीटरिंग करने के बाद बोला है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि यह जो बीमारू राज्यों की श्रेणी का डिस्प्यूट है इसको अच्छी तरह समझें, इसके मापदण्डों को क्लियरकट राजस्थान की जनता के सामने रखें तो सही कि हमने यह एचीवमेंट इतने-इतने साल में कर लिये हैं और हम गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में से राजस्थान बाहर आ गया लेकिन यह क्या-क्या, कब-कब, कैसे-कैसे हुये यह स्पष्ट करना जरूरी है। आप यह नहीं कह सकते अपनी मनमर्जी से कि आज बीमारू राज्य है और कल बीमारू राज्यों की श्रेणी में से बाहर आ गया। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार परिवर्तन यात्रा के बाद जब माननीय मुख्य मंत्री पदासीन हुई तो राज्यपाल के अभिभाषण में 19 जनवरी, 2004 को उन्होंने यह कहा था कि गरीब को गणेश मानते हुय, पैरा नम्बर 98, जन-जन का सपना....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य वह बोल रहे हैं, बीच में से नहीं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : गरीब को गणेश मानकर जन-जन का सपना पूरा करेंगे, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हुये यह बताना चाहता हूं कि गरीब को गणेश इन्होंने कैसे माना है। गरीब को माना ही नहीं इन्होंने, क्योंकि राजस्थान का सबसे गरीब आदमी कौन है, राजस्थान का सबसे गरीब आदमी वह है जिसको अन्नपूर्णा का निःशुल्क गेहूं मिलता है। उसके बाद गरीब कौन आता है, जिसको अन्त्योदय योजना का दो रुपये किलो का गेहूं मिलता है, उसके बाद गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले बीपीएल के परिवार। विधान सभा के पहले सत्र में बीपीएल के बारे में जब यह आवाज उठाई गई, माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी यहां विराजमान है इन्होंने ही उसका जवाब दिया था कि बीपीएल परिवारों की संख्या को घटने नहीं दिया जाएगा। आज तक बीपीएल कितने परिवार हैं राजस्थान के अन्दर इसका निर्धारण आज तक नहीं हुआ है। उन परिवारों को जो बेवजह बीपीएल केटेगिरी में आ गये हैं उनको बाहर नहीं निकाला गया और जो वाजिब परिवार हैं बीपीएल, जो वास्तव में गरीब हैं उनको बीपीएल की केटेगिरी में शामिल नहीं किया गया। मुझे यह कहते हुये बड़ा दुःख होता है कि अभी अन्त्योदय अन्न योजना 100% sponsored by the Central Government. अन्नपूर्णा योजना 100% sponsored by the Central Government. बड़े गर्व के साथ इसमें लिखा हुआ है कि हमने यह लक्ष्य हासिल कर लिये और उन लक्ष्यों के अन्दर भी इन्होंने 82-85 परसेंट लक्ष्य हासिल किये। आज देखिये कि आज गेहूं का भाव क्या है, 1100 रुपये, 1200 रुपये एपीएल का गेंहू, यह कहते हैं कि एपीएल का गेहूं, आज मैं चेलेंज के साथ कहता हूं कि आज 200 विधायकों में एक विधायक भी यह कह दें कि एपीएल का गेहूं उसकी कांस्टीटयूएंसी के अन्दर राशन की दुकान पर वितरित किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा,क्यों नहीं किया जा रहा कि 6 रुपये.....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : भारत सरकार उसको नहीं दे रही। कुल मात्र एक कारण है कि भारत सरकार से गेहूं का आबंटन नहीं हो रहा है। भारत सरकार की उपलब्धियों पर सेंटर स्पोन्सर्ड स्कीम के बारे में आप अपनी क्रेडिट लेना चाहते हैं तो साथ में कृपा करके मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एपीएल के गेहूं को दिलाने में राजस्थान की मदद करें ताकि उस गरीब को गेहूं मिल सकें।

श्री श्रवण कुमार : एक बात मोदीजी जो मैं कहना चाहता हूं आपको नहीं

(श्री श्रवण कुमार)

मालूम हो तो 12 महीने से, मैंने पहले भी कहा था कि बीपीएल के परिवारों को राशन के गेहूं डीलरों ने नहीं दिये, मैंने राशनकार्ड पेश किये....(व्यवधान)

श्री सभापति : Sit down please. Donn't disturb. उनको बोलने दीजिये, बीच में बोल रहे हैं, इन्ट्रप्ट कर रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : यह आपने जो प्रश्न उठाया मैं इसको बताना ही चाह रहा था, बीच में इन्होंने बोल दिया। आप कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार से आबंटन नहीं हुआ, मैं यह जो सूची लेकर आया हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ज्यादा माननीय सदस्य बोले इस प्रकार का इन्तजाम करें तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हमारे जितने घंटे हैं उसमें से काट देंगे आप क्यों चिंता कर रहे हो ?

श्री सभापति : बोलिये, कैरी ओन।

डा. चन्द्रशेखर बैद : सभापति महोदय, इन्होंने जो सवाल पूछा उसके बारे में बताना चाहता हूं, मैं यह सूची लेकर आया हूं, इस सूची में साफ-साफ लिखा हुआ है 'Allotment and obtained from 2004-05.' जब अलाटमेंट कर दिया तो आपने वहां से गेहूं लिफ्ट ही नहीं किया क्योंकि यह तो डिस्ट्रिब्यूशन एजेंसी है। आपको पैसे देकर केन्द्र से गेहूं लेना है और आगे आबंटन करना है। आप गेहूं उठाएंगे ही नहीं.....

डा. किरोड़ीलाल मीणा : सभापति महोदय, मैंने शरद पवारजी को पत्र लिखा। मैं और मुख्य मंत्रीजी, शरद पवारजी से हम मिले थे और बार-बार लिखने के बाद में, सम्पर्क करने के बाद में भारत सरकार हमको गेहूं नहीं दे रही है और बीपीएल का सिटी में एडिशनल टारगेट आया है उसका गेहूं भी नहीं दे रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : केरी ओन, आप बोलते जाइये, आप बार-बार इन्ट्रप्शन ले रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मंत्रीजी स्वयं खड़े हो गये मैं कैसे बोलूं ? मैं यह कहना चाह रहा हूं कि केन्द्र सरकार से आपने आवेदन किया बीपीएल का गेहूं अन्नपूर्णा का 100 प्रतिशत गेहूं आपको मिल रहा है, अन्त्योदय अन्न योजना का मिल रहा है, बीपीएल का गेहूं मिल रहा है। एपीएल के गेहूं का आबंटन का चार्ट, यह आपकी सरकार के द्वारा दिया गया चार्ट मेरे पास है, इसके अन्दर

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

साफ तौर पर लिखा गया है Food and Civil Supply Consumer Affairs Department, Jaipur. Allotment and obtained 2005-06.

आप चाहेंगे तो इसकी एक प्रति दे दूंगा। इसके अन्दर जितना गेहूं इनको आबंटित किया गया उसका 10 परसेंट भी गेहूं आपने लिफ्ट नहीं किया यह इसमें लिखा हुआ है।

डा. किरोड़ीलाल मीणा : कल आपको बता दूंगा, भारत सरकार यह कह रही है कि गोडाउंस में गेहूं नहीं है, प्रक्योरमेंट नहीं किया, हरियाणा, पंजाब में गेहूं पैदा होगा तब जाकर यह गेहूं दिया जाएगा, अभी गेहूं बिलकुल नहीं है इसलिए गेहूं देने की स्थिति में भारत सरकार नहीं है और गेहूं देने की स्थिति में भारत सरकार नहीं है इसलिए हम नहीं दे पा रहे।

डा. चन्द्रशेखर बैद : गेहूं केन्द्र सरकार के...(व्यवधान) गेहूं केन्द्र सरकार के...

डा. किरोड़ीलाल मीणा : आपके पास गेहूं थे तो इसका जवाब दे दो।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, मैं केन्द्र सरकार के बिहाफ पर कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं तो यह कहना चाह रहा हूं कि इस चार्ट में जो राज्य सरकार ने दर्शाया है वही बताउंगा मैं। इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा हूं। इसमें यह बताया गया है कि आपको अलाटमेंट कितना हुआ है और टेक आफ कितना हुआ गेहूं का। और पिछले एक साल से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप 2003-04 के आंकड़े 2005-06 में कैसे बता रहे हैं। (व्यवधान) गलत बता रहे हैं आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद : 2005-06, आपके गलत कहने से तो गलत होगा नहीं। आप मंत्रीजी को गलत बता रहे हो।

श्री विष्णु मोदी : उसका सोर्स क्या है मतलब आप कहीं से कोई कागज लाओ और उसको पढ़ दो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप जो कागज बता रहे हैं उसका सोर्स एफ.सी.आई. है।

डा. सी.पी. जोशी : विष्णु मोदी ने जो कागज दिया है, वह है।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, मैं तो सभी कुछ करता हूं, मेरी तो चिन्ता नहीं करें आप। लेकिन कोई भी कागज लाकर यहां पढ़ देना, वर्ष 2005-06, यह सर्वविदित है कि भारत सरकार के पास गेहूं नहीं है, गेहूं मिल नहीं रहा है और उसके कारण यह बंट नहीं रहा है।

डा. किरोड़ीलाल मीणा : जिन आंकड़ों के आधार पर ये बोल रहे हैं इनके पास एफ.सी.आई. के आंकड़े हैं। एफ.सी.आई. ने कागजों में गेहूं दे दिया है, प्रेक्टिकली एफ.सी.आई. ने गेहूं हमको दिया नहीं है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : यह डिस्ट्रिक्टवाइज आपके यहां से निकला हुआ आंकड़ा है, सारे के सारे 32 जिलों का इसके अन्दर लिखा हुआ है, कितना तो अलाटमेंट हुआ, कितना आफ-टेक हुआ, कितना बी.पी.एल. का गेहूं था, कितना अन्त्योदय अन्न योजना का था, कितना राइस था, राइस तो आपने लिफ्ट किया ही नहीं है, बहुत सारा राइस आपने लिफ्ट नहीं किया है, सिर्फ। प्रतिशत राइस लिफ्ट किया है आपने और कितना आपका राइस बी.पी.एल. का था। बी.पी.एल. के राइस में तो देखिये आपने 53127 मीट्रिक टन।

डा. किरोड़ीलाल मीणा : पत्र लिखा है राइस में, राजस्थान में चावल खाने का ट्रेण्ड नहीं है। हमने भारत सरकार को लिखा है। उन्होंने हमको 22 प्रतिशत चावल दिया है, हमने कहा, हमारे यहां हम चावल नहीं खाते हैं, न मक्का खाते हैं, हमको जितना 22 प्रतिशत चावल दिया है उसके बजाय हमको गेहूं दिया जाए ताकि हम लोगों को गेहूं दे सकें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज आप तो फेल हो गये, डाक्टर साहब।

डा. चन्द्रशेखर बैद : इसका मतलब मैं सफल हो गया। सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ए.पी.एल. और बी.पी.एल. का गेहूं जो आज पिछले एक साल से वितरित नहीं हो रहा है, राज्य सरकार इसमें कठघरे में खड़ी होती है। इसलिये खड़ी होती है कि केन्द्र सरकार के देने के बावजूद इन्होंने गेहूं वहां से लिफ्ट नहीं किया और किसी भी जिले के अन्दर आज तक ए.पी.एल. का गेहूं नहीं मिल रहा है, ए.पी.एल. के गेहूं के दाम हैं 640 रुपये और वैसे बाजार में गेहूं मिल रहा है 11-12 सौ रुपये, कारण साफ समझ में आता है कि गेहूं लिफ्ट क्यों नहीं किया गया और किन लोगों को ये लाभान्वित करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : खाली पड़े हैं गोदाम।

श्री सभापति : प्लीज, नो इंटरप्शन, बोलने दीजिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : सभापति महोदय, मैं आपसे वह गरीब को गणेश मानकर ...

डा. किरोड़ी लाल मीणा : बार-बार कहना गलत है कि हम गेहूं नहीं उठा रहे हैं। हम बार-बार शरद पवारजी को कह रहे हैं, भारत सरकार को लिख रहे हैं। मैंने भी कहा है, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, पत्र तो अनेकों लिख दिये, कल मैं, आप चाहें तो सदन के पटल पर सारे पेपर रख दूं। ये हमको गेहूं दे ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं आप गेहूं नहीं उठा रहे हैं। सब जिलों से ए.पी.एल. के गेहूं की मांग आ रही है। वह इसलिये आ रही है कि पहले गेहूं आज से 6 महीने, पहले 6-7 पर था अब मार्केट में 11-12 रुपये किलो हो गया इसलिये गेहूं की मांग बढ़ गयी। अब मांग बढ़ गयी तो अब जगह-जगह हर जिले से मांग आ रही है कि हमारे ए.पी.एल. का गेहूं लाओ। अब भारत सरकार से गेहूं मांग रहे हैं। अब हमको गेहूं नहीं दे रहे हैं तो हम लिफ्ट कहां से करें। एफ.सी.आई. ने पेपर्स पर बता दिये और साथ ही उन्हीं एफ.सी.आई. के आंकड़ों के आधार पर यहां पर बोल रहे हैं। एफ.सी.आई. ने जो पेपर्स पर अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने इतना गेहूं राजस्थान सरकार को दे दिया उतना गेहूं हमको दिया नहीं है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप यह चाहो तो मैं टेबल कर सकता हूं, यह जो पेपर मेरे पास है इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कितने का आपने आफ-टेक किया और कितना आपको अलाटमेंट हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपनी जिम्मेदारी से बोलता है यहां विधायक। स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर बोलता है, कागज नहीं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : कागज में ही ताकत और जिम्मेदारी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जिम्मेदारी लें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : ले ली जिम्मेदारी, यह कागज सही है, यह जिम्मेदारी लेता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कागज नहीं, आपकी जानकारी के आधार पर है यह। यहां जानकारी के आधार पर कहा जाता है। कागज, अख़बार इसके आधार पर नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो कागज सरकार देगी, सरकार का कागज है जो हमको मिलेगा, वही तो समझना पड़ेगा। हां, यह जिम्मेदारी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, यह सरकार का कागज नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिम्मेदारी है, हम कह रहे हैं कि कागज है, किसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप, बैठ जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, धमकाने की बात नहीं है, आप तो बड़े-बड़े लोगों से उठे हुए हो, आपको क्या धमकाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं, नये मेम्बर हैं, आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो बड़े-बड़े वह किये हुए हैं, आपको क्या धमकाएंगे, धौलपुर के सब लोग जानते हैं आपको कौन धमकाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बेकार की बात करते हैं आप, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सभापति : बैठे-बैठे नहीं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : गरीब को गणेश मानने का सपना पूरा करेंगे, इसका एक उदाहरण और दूसरा उदाहरण यह है कि पिछले साल इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में जो कहा था पैरा नम्बर 15, राज्य के गरीब नागरिकों के लिये घरोंदा की एक अनुपम योजना का शुभारम्भ किया गया है जिसमें 13 शहर और अनेक कस्बों के अन्दर गरीबों को सिर्फ 18 रुपये प्रतिदिन, 20 साल तक देने के बाद में 75 हजार रुपये में मकान उपलब्ध कराये जाएंगे। बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, चूरू से आने वाले माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, चूरू भी उस योजना में शामिल था, मैंने जानकारी चूरू से भी की, दूसरे जिलों से भी की, घरोंदा योजना का आफ-टेक अभी तक हुआ ही नहीं है। एक भी जगह मकान अभी किसी को अलाट किया ही नहीं गया है। साल भर हो गया, साल भर के अन्दर आपने एक भी मकान किसी को अलाट नहीं किया। चूरू में कोई मकान अलाट किया हो तो आप बता दो, मैं अभी मानने को तैयार हूं। एक भी मकान किसी को अलाट किया हो तो, इस योजना का आरम्भ ही नहीं हुआ। इसके पेपर ही नहीं बने। इसका अलाटमेंट ही नहीं हुआ, घरोंदा नाम की योजना का और पुनः इस बार राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर इस योजना को शामिल किया गया है। यह जो कहते हैं ना कथनी और करनी, आप अपने भाषणों में कहते हैं जो हम कहते हैं वही करते हैं, यह चीज अब तय हो गयी जो आप कहते हो, वह आप कभी नहीं करते हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण समस्या अभी सर्दी गयी, गर्मी आयेगी। गर्मी आते ही फिर पानी की समस्या उठ खड़ी होगी।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सरकार ने अभी भी यह तय नहीं किया है। अभी तक तय नहीं किया है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पानी का निस्तारण, फैज-1 में, फैज-2 में और पेयजल योजनाओं के लिये किस प्रकार किया जाएगा। और आज भी राजस्थान जिस 8.6 एम.ए.एफ. पानी का हकदार है, अभी तक सारे सदन का समर्थन मिलने के बावजूद, सारे प्रयासों के बावजूद अभी तक 8 एम.ए.एफ. के हिसाब से मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपना पानी का हक बनता है 52.69 प्रतिशत, आपको पानी मिल रहा है 49 प्रतिशत। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू से आते हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी चूरू से आते हैं और जो इन्दिरा नहर परियोजना का फैज-2 है, चूरू में सबसे पहले आयेगा। चूरू के अन्दर यह परियोजना शुरू होने वाली है और इस परियोजना के कम्पलीट होने से अब और योजना के कम्पलीट होने तक ढाई से तीन लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। जितना पानी आपके पास उपलब्ध है, आपने एक समझौता करके यह तय कर लिया कि फेज-1 में 5.23 क्यूसेक प्रति हैक्टेयर देंगे और फेज-2 के अन्दर 3 क्यूसेक देंगे, अब आप सारे के सारे पानी का हिसाब लगायें तो आपको, सरकार को भविष्य के लिये, राजस्थान की जनता के भले के लिये किसानों की भलाई के लिये यह आज तय करना जरुरी होगा कि यह कल समस्या फिर उठ खड़ी होगी, गर्मियों के अन्दर फिर किसान गोली से मारे जाएंगे, आपको यह तय करना होगा कि फैज-1 में आप कैसे पानी देंगे, फैज-2 की योजनाओं को कब तक क्रियान्वित कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शायद आपको याद नहीं आपने घड़साना में क्या भाषण दिया था, घड़साना में क्या कहकर आये थे आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप विराजिये, मैं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा था, 5.23 क्यूसेक के हिसाब से एक वर्ष में पानी मिले, अब चूरू की बात कर रहे हो, चूरू का गला काटने का काम पहले आपके पिताजी ने किया, अब आप कर रहे हो।

डा. चन्द्रशेखर बैद : चूरू के अन्दर मेरे को मंत्रीजी, यहां पर विराजमान हैं, मेरे को यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि चूरू बिसाऊ योजना, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सरकार में इतने बड़े मंत्री हैं, चूरू बिसाऊ योजना के अन्दर पानी जाता है तारानगर विधान सभा क्षेत्र के भालेरी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

गांव से और पूरे चूरू का सीना चीरते हुए बिसाऊ तक जाता है, आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि चूरू तहसील के लोगों को पानी मिल सके। आप बताइये चूरू तहसील के कितने लोगों को..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको मालूम ही नहीं है किसी चीज का। अगर चूरू बिसाऊ योजना में चूरू शहर शामिल नहीं हो तो मैं इस्तीफा दे दूं। बात क्या करते हैं, बिना मतलब आकर 2003-04 के कागज लेकर पढ़ना शुरू कर दिया, गेहूं दिया था, इतना दिया था, इतना दिया था, आप तो बड़े लिटरेट आदमी हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : 2003-04 के नहीं बताये, 2005-06 के बताये हैं। मेरी आदत आप जैसी नहीं है कि कोई भी कागज हवा में फहरा कर कुछ भी बोल जाऊं। यह बिलकुल कंसोलिडेट तथ्य है।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

माननीय सभापति महोदय, अभी तारागनर से आने वाले माननीय सदस्य ने फेज-1 और फेज-2 के लोकेशन की बात की। तत्कालीन पूर्व सरकार ने ...(व्यवधान) I am on a point of order. तो जिस तरह से इस सदन ने पाइंट सिक्स एम.ए.एफ. पानी लेने के लिए एकजुटता दिखाई, जिस तरह से इस सदन ने जो पंजाब की सरकार ने हमारे समझौते रद्द कर दिये, उसमें एकजुटता दिखायी तो मैं आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के भविष्य के लिए यह सदन एकजुट होकर यह निर्णय करे, यह राजनीतिक गोटियां सेंकना अलग बात है कि कहीं आन्दोलन हो तो आप भाषण कुछ करें और फिर विधान सभा में आकर कुछ बोलें।

अगर राजस्थान के भविष्य की चिन्ता है, पानी हमारी लाइफ लाइन है तो यह सदन यह निर्धारित करे कि इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के अन्दर फेज-1 और 2 में किस तरह से होगा । बल्कि मैं तो आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने नर्बदा का जो पानी आ रहा है, उसमें नीतिगत फैसला किया है कि हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे। अगर हमें आज राजस्थान की चिन्ता है तो यह फ्लो वाटर से इर्रिगेशन, जब तक हम एकजुट होकर बन्द नहीं करेंगे तब तक राजस्थान की समस्या का अन्त नहीं होगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद : एकजुट होने के लिए मना कौन कर रहा है ? सारे विधायकों ने मिलकर मुख्य मंत्रीजी को सदन की तरफ से यह आश्वासन

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

दे दिया कि आप राजस्थान की लड़ाई लड़ो, हम सब आपके साथ हैं और आज जो...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : वाटर यूटिलाइजेशन। वाटर यूटिलाइजेशन। जब आन्दोलन हो रहे थे तो किसने क्या-क्या भाषण दिये वह सब रिकार्ड पर है What I am asking ki राजस्थान के आपने अधिकार तो दे दिये कि वहां से पानी लेकर आएंगे लेकिन उस पानी का यूटिलाइजेशन कैसे हो, उस पर एकजुटता दिखानी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंट सिक्स एम.ए.एफ. पानी छोड़कर कौन आया, उस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। शिवचरणजी माथुर के समय में। ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : राजस्थान को मिलने वाले पानी का आबंटन किस तरीके से होगा ? राज्य सरकार को चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर सारे लोगों को साथ लेकर यह तय करे कि फेज-1 में हम इतना पानी देंगे और फेज-2 के अन्दर इतना पानी देंगे और यह योजना कौन से साल तक पूरी हो जाएगी, यह महत्वपूर्ण चीज है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति : बार-बार इण्टरप्ट नहीं करें। जवाब दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तब बोल दीजिए। ...(व्यवधान) हर मामले में इण्टरप्शन होता है। ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि आज अन्तरराज्यीय जल विवादों के अन्दर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ रहा है। उसका एक उदाहरण तो यह है। दूसरा उदाहरण यह है कि चम्बल के अन्दर, मैं आपसे भी यह जानना चाहता हूं कि चम्बल के अन्दर जो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ, उसके अन्दर हण्ड्रेड एण्ड फिफ्टी टू एनीकट्स बनाये हुए हैं, जिससे चम्बल का पानी मध्य प्रदेश के अन्दर रोक लिया गया। उसके लिए राजस्थान ने मध्य प्रदेश को कितनी बार पत्र लिखा ? कितनी बार उन्होंने यह कोशिश की कि वह एनीकट मिट जाए क्योंकि यह पानी जो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से को और पूर्वी हिस्से को मिलता है, इस पानी को वापस लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई प्रयास किये गये हैं या नहीं किये गये हैं ?

तीसरी बात, आपने नर्बदा का कहा। नर्बदा के अन्दर इन्होंने कहा कि

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

नर्बदा का काम हम तेजी से शुरू करेंगे। नर्बदा का काम शुरू कर रहे हैं लेकिन अभी भी जो माही का पानी वापस लौट कर जाता है गुजरात के अन्दर, उसका कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। जल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाली है, आगे आने वाले समय में, माननीय मुख्य मंत्रीजी डावोस के अन्दर बोलकर आयीं...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : To keep the record straight ki माही का कोई पानी नहीं जा रहा है। माही का हमारा गुजरात गवर्नमेंट के साथ करार है। उस करार में कुछ परसेटज आफ वाटर माही का गुजरात जाता है। माही के पानी के बारे में यह सरकार सजग है। अभी मैंने पानी की यूटिलाइजेशन की बात की। आप चम्बल के एनीकट, अखबारों में या नैनवा से आने वाले विधायक के भाषणों के ऊपर आप कह रहे हो। सिंध, परवल, कालीसिंध और चम्बल का मध्य प्रदेश से जो हमारी बातचीत चल रही है, उसमें परसेंटेज आफ वाटर के ऊपर बात अटकी हुई है और उसके अन्दर यह जो एनीकट्स हैं, उनके बारे में भी जिक्र है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इण्टर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है, यह बहुत सेंसेटिव मैटर्स हैं और इसमें जब तक आपको विस्तृत जानकारी नहीं हो तो न ही यहां के, उनके भाषण को कल को वह वहां पर कोट करके फिर आगे जो वार्ता हो रही है उसमें परेशानी खड़ी हो जाएगी। ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : क्या विश्लेषण, नहीं मैं बात कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप उस कमेटी के चेयरमैन बना दिये गये हैं तो आपकी जानकारी ज्यादा हो सकती है। वह जानकारी के आधार के ऊपर आप यह कहें, उनका एक एप्रिहेन्सन है, जिसको कि वे यहां अपनी बात कह रहे हैं और इसके अन्दर आप यह कह दें कि वह आपके कोट करेंगे Is this a government version ? सिंचाई मंत्री यहां पर कोई बात कह रहे हैं ? यह नहीं कह रहे वह। आपने माही की बात कर दी। माही का आपका डिस्प्यूट है, वह कड़ाणा की हाइट बढ़ाना चाहते हैं। कहते हैं माही का पानी लेंगे। कड़ाणा की हमको हाइट बढ़ाने दीजिए। कड़ाणा की हाइट बढ़ायी जाएगी तो आपका इलाका सबमरजेंस में आएगा इसलिए हम कड़ाणा की हाइट बढ़ाने की बात नहीं करते। हो सकता है कि आपकी जानकारी ज्यादा हो। आपके पास रिकार्ड ज्यादा हो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लेकिन आप इस तरह से टोकाटाकी करके कह दें कि गवर्नमेंट के, इस रिकार्ड का इस्तेमाल हो जाएगा और उसके दूसरे नतीजे निकलेंगे, यह उचित नहीं है आपके पार्ट के ऊपर। यह कहना चाहता हूं मैं आपसे।

श्री सभापति : केरी आन।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का कितना टाइम माननीय चीफ व्हिप ने गड़बड़ किया है। कितने दूसरे माननीय सदस्यों ने किया है। यह टाइम आपके कोटे में कटेगा। इनके कोटे से। हिसाब लगा लो सारा और सत्ता पक्ष का समय काटे। इनको दिया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा है और उसमें चीफ-व्हिप का कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है। उसके बावजूद भी अपने यहां यह परम्परा है कि ऐसा भाषण जो लोगों को गलत जानकारी, गलत तथ्य हो, जिसमें लोगों को बोलना पड़े बीच में, ऐसे तथ्यों के आधार पर यहां पर बोलना...(व्यवधान) समय बरबाद इसलिए हुआ क्योंकि तथ्यों के विपरीत पहली बार डाक्टर साहब ने, मतलब, ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह निर्णय आप नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह निर्णय हाउस करता है। आप बोलते हो तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। अब डाक्टर साहब पहले बोलते थे तो हम ताली बजाते थे। अब यह बिना मतलब, पता नहीं कहां से बोल रहे हैं, पता ही नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप बोल रहे हैं तो यह कैसे बोलेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : रिकार्ड के आधार पर बोलें। आप चाहे जो भी बोले पर रिकार्ड के आधार पर बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपकी गाथा कोई नहीं गायेगा। आपकी सारी उल्टी गाथा गायी जाएगी। जितनी है उससे उल्टी। वह भी आपको सुननी पड़ेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम तो इसके लिए ही बैठे हैं। आप गाओ तो सही। इस प्रकार गाओ आप, अंकुश का काम करो हमारे ऊपर, हम तो चाहते हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, इनको बुलवाओ साहब, ऐसे मत करो आप, प्रोटेक्शन दो।

श्री सभापति : बोलिये-बोलिये। आप लगातार बोलते जाइये। आप बैठिये मत।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, इतनी जल्दी आप इनके सामने यील्ड मत हों, आप बहुत सक्षम हैं। ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं-नहीं, सवाल ही नहीं है, साहब।

श्री सभापति : वह यील्ड हो जाते हैं, मैं क्या करूं ?

श्री रामनारायण चौधरी : You please don't yield. You continue. If you, once, are dis-possessed means you are dis-possessed forever.

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो भी चीजें यहां पर बोली हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोली हैं। जो फीगर मैंने यहां पर प्रस्तुत किये हैं, जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किये हैं और वह फिगर सरकारी आकड़ों से ही मैंने निकाले हैं या विधान सभा में पूछे गये सवालों के आधार पर वह फिगर निकाले हैं तो यह कहना कि मैं अपनी मनमर्जी से बोल रहा हूं वह उचित नहीं है। मैं अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं बोल रहा। जो सरकार ने मुझे सूचना उपलब्ध करायी है, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर इन्होंने केपिटल आउट-ले के बारे में एक सेंटेंस मेंशन किया है कि केपिटल आउट-ले इन्होंने सिग्निफिकेंटली इन्क्रीज कर दिया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2003-04 के अन्दर केपिटल आउट-ले जो 3444 था। उसका जो बजट एस्टीमेट था उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ 3176, वह उस समय के अन्दर जो केपिटल आउट-ले था उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर था 93 परसेंट। 93 परसेंट था और अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार इन्होंने बड़े शान के साथ यह तो कह दिया कि हमने केपिटल आउट-ले बहुत बढ़ा दिया है। केपिटल आउट-ले इन्होंने कर दिया 5161 और 5161 के अन्दर 30 दिसम्बर, 2005 तक इन्होंने सिर्फ लेस देन 50 परसेंट खर्च किया है। 2500 खर्च किया है। तो खाली केपिटल आउट-ले बढ़ाने से कुछ नहीं हो जाता। केपिटल आउट-ले बढ़ाकर राज्य का विकास तो तभी हो सकता है जब...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप आज थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाइये। फास्ट बोलिये। बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : तो इन्होंने यह जो केपिटल आउट-ले है, इन्होंने यह ठीक है बढ़ाया केपिटल आउट-ले, लेकिन केपिटल आउट-ले बढ़ाने के बाद में उसका सदुपयोग कितनी बार किया ? सिर्फ 50 परसेंट दिसम्बर तक, अब दो महीनों के अन्दर बाकी बचा हुआ 50 परसेंट पैसा खर्च कर पाएंगे ? वैसे ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केपिटल आउट-ले के साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी के अन्दर इन्होंने सिर्फ 62 परसेंट खर्च किया है। ग्रामीण विकास के अन्दर इन्होंने सिर्फ 58 परसेंट खर्च किया है। ड्रिंकिंग वाटर के अन्दर इन्होंने सिर्फ 35 प्रतिशत खर्च किया है। यह दिसम्बर तक के आंकड़े हैं और सबसे दु:खदायी बात यह है कि एस.सी., एस.टी. वेलफेयर स्कीम के अन्दर जहां इनका बजट एस्टीमेट था 69.17, खर्च किया इन्होंने, आपको जानकर बड़ा दु:ख होगा कि यह सिर्फ 16.9 खर्च किया है। इससे यह जाहिर होता है कि एस.सी., एस.टी. के प्रति सरकार की संवेदनशीलता कितनी है। (व्यवधान) आप कागज देख लीजिये।

श्री सभापति : इन्टरप्शन नहीं, प्लीज आप बैठ जाइये। नो इन्टरप्शन प्लीज। आप बोलिये। उधर नहीं इधर देखकर बोलिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गरीब को गणेश मानने वाली सरकार ने यह घोषणा की थी कि विधवाओं और विकलांगों को कार्ड बनाकर 10 किलो गेहूं नि:शुल्क वितरित किया जायेगा परन्तु आज तक उनके कार्ड भी नहीं बने हैं, वितरण की बात तो छोड़िये। उनके कार्ड भी नहीं बनाये हैं। मेरे कहने का अभिप्राय इतना है कि राजस्थान की जो गरीब जनता है, जो दलित जनता है, जो पिछड़ी हुई है, जो अनु. जाति है, अनु. जनजाति है उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। बजट के सारे फीगर आप उठाकर देख लें, समाज के इस वर्ग के लिये जितना पैसा इस सरकार को खर्च करना चाहिये था उसका बहुत कम प्रतिशत इन्होंने खर्च किया है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको और दूसरी बात एक और है कि इन्होंने जो अपना प्लान इसके अन्दर डिस्क्राइब किया है उसके अन्दर फीगर इन्होंने भी गलत मेंशन किये हैं। राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के अन्दर इस तरह की बात कहलवाना सर्वथा गलत है। आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोविन्द राम मेघवाल।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : आदरणीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कल से बहस चल रही है। मैं कुछ मुद्दे रिपीट न करते हुए कुछ ऐसी बातें रखना चाहूंगा जिसका मैं कम से कम रिपीटेशन करूं। सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के कांग्रेस के जो साथी हैं सी.पी. जोशीजी, जिन्होंने कल अपनी स्पीच में यह बात कही कि यह सरकार जुगाड़ से बनी हुई सरकार है। मैं जोशीजी का बड़ा आदर करता हूं वे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, तर्क शक्ति भी उनकी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं कि एक स्पष्ट बहुमत से बनी हुई सरकार जिसको आप जुगाड़ की सरकार कहते हैं। आपकी जो पार्टी चल रही है, सोनिया गांधी को नेता बनाकर, उसको कौनसी परिभाषा में डालोगे? जिनको इस देश की सभ्यता-संस्कृति का पता नहीं, वह आपकी नेता हैं। दिल्ली में आप और सी.पी.एम. साथ में बैठे हैं और बंगाल में जाते हैं तो आप आमने-सामने लड़ते हैं। बिहार में जब आप जाते हैं तो पासवानजी और लालूजी आमने-सामने लड़ते हैं और दिल्ली में आते हैं तो आप गवर्नमेंट में बैठे हैं। जुगाड़ की सरकार आप कहोगे या जो स्टेट के अन्दर बिलकुल बहुमत से बनी हुई सरकार है, उसको आप जुगाड़ की सरकार कहना अपने आप में एकदम उचित नहीं है।

एक मुद्दा उन्होंने अपने भाषण में उठाया था कि 47 हजार स्टूडेंट्स के अन्दर मात्र 5 हजार एस.सी., एस.टी. के हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के साथियों को पिछले 55 साल की आजादी में राज आपने किया और आज वह आंकड़े दिखा रहे हैं कि 47 हजार में 5 हजार एस.सी., एस.टी. के स्टूडेंट्स हैं। इसके लिये सीधे-सीधे जिम्मेवार आप लोग हैं। अगर आज इस देश में गरीब हैं, अगर इस देश के अन्दर दलित बैठा हैं, अगर हम लोग बी.पी.एल. और ए.पी.एल. की बात करते हैं इसके लिये जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद में यदि सबसे ज्यादा राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है और 55 साल की आजादी के बाद भी आज बीजेपी की सरकार को यह कह रहे हो कि आप लोग गरीब को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, गरीब को आप सहायता नहीं दे रहे हैं। मेरा आरोप है आपके ऊपर इस देश को गरीब रखने के अन्दर कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश थी जो अंग्रेज राज करके गये डिवाइड एण्ड रूल, आपने भी 55 साल वही राज किया। चौधरी चरण सिंहजी ने कहा था पांव खेत

186]

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

में, नजर दिल्ली और स्टेट की गवर्नमेंट पर होनी चाहिये। पांव खेत में होना इसलिए जरूरी है कि अन्न वहां से उपजाऊ होगा। हमारी यहां नजर इसलिये जरूरी है कि चुनकर जाने वाले साथियों की सोच क्या है ? इस देश में नेता बहुत हुए, नीति बहुत हुई, कमी रही तो आपकी नीयत में कमी रही अन्यथा इस देश का विकास आज यह नहीं होता। आज आप गांधीजी की वाहवाही लेना चाहते हैं। आज आप गरीब के प्रति बहुत सिम्पैथी दिखाना चाहते हैं लेकिन राज अधिकतर आपने किया है। अब कल बड़ी बात कह रहे थे सी.पी. जोशी कि घनश्यामजी ने तो पीछे योजना बनाई, अशोक गहलोतजी ने उसको लागू किया। सड़क मंत्री को भी कह रहे थे कि पीछे योजना बनी, उनको लागू किया। आप इसके साथ-साथ यह भी कहें कि इस देश के अन्दर जो भ्रष्टाचार पनपा है, कमीशनखोरी पनपी है, आज इस देश में गरीबी है, आज इस देश में दलित हैं, आज इस देश के अन्दर जिस तरह से छुआछूत की भावना है उसके जनक भी आप ही हो। यदि आप लोग छुआछूत विरोधी आन्दोलन चलाते, गरीबी हटाने का आन्दोलन चलाते तो इस देश का नक्शा यह नहीं होता इसलिये आप अधूरी बात नहीं कहें। आप साथ-साथ यह भी कहें कि किसान के प्रति आपने बड़ी चिन्ता व्यक्त की, लेकिन आप याद करो 1989 में बीजेपी और संयुक्त दल की सरकार बनी तो चौधरी देवीलाल ने घोषणा की थी कि 10 हजार का कर्जा माफ करेंगे। आप लोगों ने कहा था कि पूरा देश कंगाल हो जाएगा। देश कंगाल तो नहीं हुआ पहली बार किसान के प्रति चिन्ता की थी। 1989 के अन्दर पहला जो बजट बना उसके अन्दर गांवों में सबसे ज्यादा खर्च करने की योजना बनी थी। लेकिन आप लोगों ने उससे पहले गांव की चिन्ता नहीं की। इस बार जरूर आपने दिल्ली में जो बजट पेश हुआ उसमें लिखा है कि किसानों को 7 प्रतिशत पर ऋण दिया जायेगा। लेकिन यह शुरूआत जनता दल के द्वारा हुई थी। वी.पी. सिंहजी ने जब मण्डल आयोग लागू किया तो आप लोग ही थे जिन्होंने पूरे देश के अन्दर आन्दोलन किया और कहा कि पिछड़ों को आरक्षण मत दो। पहले भी आरक्षण में अयोग्य लोग बैठे हैं। कोई डाक्टर बना बैठा है, उससे पेशेंट मर जायेंगे। लेकिन बड़ी सौभाग्य की बात है माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो आरक्षण का विरोध करने वाले थे वह आज आरक्षण के समर्थन में आकर खड़े हो गये। जब बाजपेयीजी ने आरक्षण दिया जो लोग वंचित थे, तो आप लोग भी खुश हैं कि आज अगड़ी जातियों के समर्थन में खड़े हो गये। आज सारे के सारे आरक्षण मांगने लग गये हैं।

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि डा. भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान के साथ सबसे ज्यादा षड्यन्त्र किया तो आप लोगों ने किया। नीतियां तो बहुत बना दीं, लेकिन आप लोगों ने चिन्ता उस तरह की नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अभी वैदजी आंकड़े बड़े पेश कर रहे थे, हमने तो राज कितना सा किया है। हम लोग तो विपक्ष में रहे। चाहे जनता दल रहा, लोकदल रहा, सारे के सारे विपक्ष में रहे। सबसे ज्यादा तो राज आपने किया है। सबसे ज्यादा भागीदार हैं तो आप हैं। जिस तरह से आपका सदन में सफाया हो रहा है, उसी प्रकार आपका पूरे देश के अन्दर सफाया हो रहा है। आप देख लीजिये यू.पी. में चौथे नम्बर की पार्टी खड़ी है, आप देख लें बिहार के अन्दर आपके क्या हालात हैं? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग बार-बार एक नारा लगा रहे हैं गरीब को गणेश मानकर सरकार चलायें। जब से वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनी हैं उन्होंने एक शुरूआत की है कि आदिवासी पढ़ने वाली छात्राओं को 12 हजार साइकिलें दीं। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं घनश्यामजी तिवाड़ी और वसुन्धराजी को, कि आज मेरे नोखा क्षेत्र में, बीकानेर जिले में 300 नई स्कूलें खोलीं। 20 करोड़ रूपया दिया गया स्कूलों के लिये। आप कह रहे हैं यह कर्जा कैसे बढ़ा ? 53 हजार तो आप छोड़कर गये थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बीकानेर जिले में आज आप जाइये जिन गांवों में खारा पानी था, बी.ए.डी.पी. योजना के तहत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सांवरलालजी को, कि जिस गांव में हमने ट्यूबवैल मांगा, जिस गांव में हमने पेयजल की स्कीम मांगी, वहां योजना देकर पानी देने का काम किया है। हम खाली आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको जो प्रैक्टिकल बात है वह कहना चाहेंगे। जिस गांव में स्कूल क्रमोन्नत मांगा गया वहां क्रमोन्नत किया गया। आप बड़ी-बड़ी बातें करने वाले, अशोक गहलोतजी की तारीफ करने वाले क्यों आपने स्कूल क्रमोन्नत नहीं किये, क्यों आपने लोगों को नौकरियां नहीं दीं, क्यों आपने स्कूलों में मास्टर नहीं भरे ? कौन आपको रोक रहा था ? मैंने पहले भी कहा कि आपकी नीयत में खोट है। आप गरीब को गरीब रखकर हमेशा जब गांवों में जाओगे, गरीब की झोंपड़ी आयेगी तो बड़े-बड़े भाषण देंगे। गरीब की झोंपड़ी आ गयी, हमारा असली मतदाता आ गया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि यह गरीब जब तक इस कांग्रेस को नहीं समझेगा उसको गरीब रहना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। आज भी इस राजस्थान में सबसे ज्यादा गरीब और किसान का वोट आपको मिल रहा है और सबसे

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

ज्यादा दु:खी वही है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग देश को ज्यादा दिन गुमराह नहीं कर सकते। हम लोग आंकड़ों के आधार पर खाली तर्क-वितर्क कर सकते हैं लेकिन सदन में बैठकर हम ईमानदारी से बात करें तो मैं कहना चाहता हूं सदन से कि हम राजनीति से ऊपर उठकर जब गांवों में जाते हैं जब चौपाल पर हम अपनी स्पीच करते हैं तो आप लोग गरीब और दलित की कितनी सी बात करते हैं। क्या आपमें क्षमता है कि वहां जाकर आप कह सको कि इस देश के अन्दर जातिवाद का खात्मा होना चाहिये, क्या आपमें क्षमता है कि आप जाकर कह सको कि हम लोग को सब को साथ में बैठकर हमारे देश का विकास करना है। आप लोग जातिवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। क्योंकि यह आपका एक शुरू से 40 साल से जो राजनीति का षड्यंत्र आपने किया है, इस पूरे देश में वातावरण ऐसा बनाया जिसके कारण से आज देश पिछड़ा हुआ है इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ कर के इस बारे में सोचें।

आज इस सरकार के बारे में आप बात कह रहे हैं, मैं दावा कर रहा हूं पेयजल के सम्बन्ध में बीकानेर में कम से कम 50 करोड़ का काम हुआ है इस सरकार के अन्दर। स्कूलों का मैंने बताया पहले। इससे पहले भी हमारे साथियों ने काफी बातें आपको बताने का काम किया है।

अनुसूचित जाति के लिए पांच हजार रुपये गरीब के लिए आज शादी में दिये जा रहे हैं। एक शुरूआत तो हुई, आपको कौन रोक रहा था ? आपको कौन रोक रहा था दलितों के काम करने के लिए ? आज इधर आप गिना रहे हैं 44 एम.एल.ए. आये, आपको मौका नहीं मिला, मैं तो कह रहा हूं वसुन्धराजी ने शुरूआत की कि दलित के प्रति उन्होंने बच्चियों को साइकिलें देकर एक नया संकेत दिया। हमारा शिक्षकों में जो बैकलाग था, घनश्यामजी ने भर कर आपको नया संकेत दिया। आपके पास में राज तो है नहीं लेकिन आपके पास एक बात है, दो चीजें आप कर सकते हो, आप लोग केन्द्र सरकार को कहो ना कि सेना के अन्दर जो दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा है वहां आरक्षण देने की व्यवस्था करो, आनन्द आयेगा। आप काम कर के दिखायें। ज्यूडीशियरी में आरक्षण नहीं है अनुसूचित जाति को, वहां आरक्षण देने का काम करें। इसके अलावा आप अगर कर सकते हो तो एक काम और कर लो, आप कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाओ शिड्यूल्ड कास्ट को और कह दो अगली बार शिड्यूल्ड कास्ट को बनायेंगे मुख्य मंत्री, मान जायेंगे आपको। आप

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

लोग खाली जो बी.जे.पी. की तरफ आंख उठाते हैं न उससे काम चलने वाला नहीं है।

श्री जुबेर खान : यह हम कर देंगे तो आप इधर आ जायेंगे क्या ? अगर हम बना देंगे दलित को तो आप इधर आ जायेंगे क्या ?

श्री गोविन्द राम मेघवाल : ऐसा है, साथियों, मैं आऊं या नहीं आऊं, मेरे आने से क्या फर्क पड़ने वाला है किन्तु यह डेमोक्रेसी है, जैसे कल हमारे जोशाजी कह रहे थे कि डेमोक्रेसी को आपने खोखला कर दिया है, अगर खोखलापन है तो सबसे ज्यादा जिम्मेवार इसके लिए आपकी पार्टी है क्योंकि सबसे ज्यादा राज आपने किया है। मेरे आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन मैं तो कहता हूं आप अच्छी नीति लगायें, गरीब के प्रति सोच रहे। जिस तरह से आप सदन में बोल रहे हैं वैसे ही आप पब्लिक में जाकर बोलें ताकि आनन्द आयेगा।

जैसे हमें सुझाव दे रहे हो तो हमने आपको एक सुझाव दिया है कि आप लोग पहल करें गरीब के लिए, गरीब को आगे रख कर काम करने का काम करें ताकि अपने आप हो सकता है आपका समय बदल जाए।

अभी जिस तरह से कुछ साथी यहां कह रहे हैं कि आपके तो तीन साल बाकी हैं, देखिये अभी आपका नम्बर आने वाला नहीं है क्योंकि अभी पंजाब केसरी में मैंने एक रिपोर्टिंग पढ़ी थी, जोशीजी भी बोले थे, जोशीजी ने कहा कि, कल्लाजी, मुख्य मंत्री के ख्वाब लेना छोड़ दें। वह उनका कोट कर रहा हूं मैं। इसलिए हमारे शुभचिंतक बैठे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमारे इस तरह का माहौल नहीं है तो हम भी सोच रहे हैं कि अभी सरकार बनने वाली नहीं है और ना आपकी ऐसी नीयत इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का सोच है वह एकदम क्लियर है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी अभी नहीं हैं लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहला स्वास्थ्य मंत्री है जिन्होंने घोषणा की कि निजी हास्पिटल का लाइसेंस अगर वहां पर गरीब को नि:शुल्क नहीं देखा जायेगा तो वह लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा। आप लोग गरीब की सोच रखने वाले कभी बोले थे क्या यह सब? कभी नहीं बोल पाये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी नीति में गरीब के प्रति सोच लाइये। आप अगर प्रैक्टिकल में कोई बात लायेंगे जब उस चीज का इलाज होगा। मात्र जिस तरह

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

से मच्छर खतम करने के लिए आप ऊपर यों डी.डी.टी. छिड़कें, उससे काम काम चलने वाला नहीं है जहां से मच्छर पैदा हो रहा है वहां से आपको समाप्ति करनी पड़ेगी।

इसलिए हमारा आग्रह है, आप लोग अपराध की बात कर रहे हैं, आपके राज में मुकदमें इतने लोगों पर झूठे किये गये, झूठे चालान किये गये, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुलाबचन्दजी कटारिया को कि हम उस पार्टी के हैं फिर भी वह जांच बदलने से पहले हम लोगों को कहते हैं कि मैं निरीक्षण कराऊंगा। आज हमारे गृह मंत्रीजी पर आप एक भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वह कोई भी अपराधी को संरक्षण देते हैं परन्तु एक तो दुर्भाग्य है कि राज बनता है तो अपराधी जो हैं वह उसके साथ में लगना चाहते हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्रीजी पर आप यह आरोप नहीं लगा सकते। हम लोग भी दस-दस बार जाते हैं जब कोई फाइल चेन्ज होती है अन्यथा वह सीधे यों नहीं है कि सीधे हम लोगों ने लैटरपैड दिया और हमारी फाइल चेन्ज हो गयी और मर्जी आयी उसमें चालान कर दिया। पहले वहां के जिला एस.पी. से पूछेंगे, आई.जी. से पूछेंगे, उस केस में अगर जरूरत है तो ही केस बदला जाता है अन्यथा हमारे समय में आप याद करो और शायद हम लोग व्यक्तिगत मुद्दे उठाने लग जायेंगे तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जायेगा। आपके राज में तो यह था कि यह कौन है, यह कांग्रेस विरोधी है, इस पर टाडा कर दो, इसको जेल भेज दो। यह एक आम बात थी।

मैं बीकानेर जिले की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। बी.ए.डी.पी. योजना जब कांग्रेस का राज था, अभी कल्लाजी नहीं हैं, पूरा का पूरा पैसा शहर में लगता था। बोर्डर डवलपमेंट एरिया का पैसा लगना चाहिए हमारा खाजूवाला, पूगल, कोलायत के एरिया में और पूरा पैसा शहर के अन्दर लगता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को, हमने जब उनसे आग्रह किया उन्होंने प्रशासन को कहा कि जब बार्डर एरिया का पैसा है गांवों में लगना चाहिए। अभी जब हमारी चार तारीख को मीटिंग थी तो दस करोड़ में से कम से कम सात करोड़ हमारा खाजूवाला, पूगल, कोलायत जो हमारे गांव हैं, जो इस देश की बिलकुल रीढ़ की हड्डी हैं गांव, वहां बिलकुल पैसा जा रहा है।

आप बात कर रहे हैं विकास की, विकास आपकी नीयत में नहीं है, जब आपके हाथ में कोई माल आता है तो आप अन्दर ही अन्दर बांटते हैं

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप आंकड़े उठा कर देखें कि इस कांग्रेस के राज में बी.ए.डी.पी. का पैसा पूरा बीकानेर शहर में लगा और अभी वही बी.ए.डी.पी. का पैसा पूरा गांव में जा रहा है। उस बी.ए.डी.पी. की मीटिंग में हम लोग भी बैठते हैं इसलिए हमने कहा कि हम लोग देहात से आने वाले लोग हैं, बोर्डर डवलपमेंट एरिया का पैसा है, शहर में हजार तरह की योजनाएं होती हैं, यह पैसा गांव में लगना चाहिए।

इसलिए मेरा आग्रह है, साथियों कि आप लोग कम से कम सदन को गुमराह नहीं करें, जो भी बात कहें उसके पीछे दम होना चाहिए।

आज हम लोग नहर की बात कर रहे हैं। हमारे साथी ने अभी बात कही थी, नहर का मुद्दा है, कौन नहीं जानता कि पंजाब कितना अड़ा हुआ है। सदन ने भी बराबर चिंता प्रकट की है, में भी इस बात से सहमत हूं कि 8.6 पानी मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने बहुत गम्भीरता से पहली बार आप चले जाइये खाजूवाला में, वहां आपको सरसों की फसल मिलेगी। वहां का किसान बहुत खुश है। बीस करोड़ रुपये खाळे कवरिंग के लगाये गये हैं। क्यों लगाये गये हैं, कि हमारी सरकार की सोच थी, जो रेतीले खाळे थे, जब बरसात के समय नहर का पानी आता था तो किसान थक जाता था उसमें पानी करते करते इसलिए उन लोगों को हमने वहां बीस करोड़ रुपये लगा कर डाट कवरिंग की। डाट कवरिंग की वजह से आज वहां का किसान बिलकुल खुश है।

इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी नीयत है वह बिलकुल साफ होनी चाहिए जिससे हमारे देश की प्रगति होने वाली है। हम लोग खाली यहां बैठे रहें, तर्क-वितर्क करते रहें, होशियार बन कर बीच-बीच में टोकाटाकी करते रहें तो ठीक है, हम लोग तो नये हैं लेकिन हम लोग पुराने साथियों से कहना चाहते हैं कि हमने जो इस सदन में देखा है, सबसे ज्यादा नियम यहां के वरिष्ठ लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। यह हमारा चौथा-पाचवां सदन है, हम लोग बैठे-बैठे देखते हैं, वही लोग नियम की बात करते हैं और जब चर्चा चालू होती है तो कोई नया सदस्य खड़ा होता है तो हम उसके बीच में टोकाटाकी करते हैं तो आखिर हम लोग क्या आदर्श लेंगे आप लोगों से। या तो वो ही काम हम लोग चालू कर दें। इसलिए हमारा आग्रह है कि हम लोगों को, जो नये लोग हैं उनको आपको संरक्षण देना चाहिए। हम लोगों को बोलने के लिए हौसला बढ़ाना चाहिए...(समय समाप्ति सूचक घंटी)...बाकी बीच-बीच में आप

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

लोग बोलते हो, हमारी तो 15 मिनट के बाद में घंटी बज गयी और यदि मैं पुराना सदस्य होता तो शायद घंटाभर में ही घंटी नहीं बजती।

श्री सभापति : समाप्त करिये, प्लीज।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : सभापति महोदय, इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मैं दो-तीन मिनट में बात पूरी कर दूंगा लेकिन आप घंटी इतनी ज्यादा जल्दी मत बजाओ।

यह संस्कारित नेता की बात कर रहे थे कांग्रेस के लोग, आप कह रहे थे कि कुछ संस्कारिता हैं, मदन दिलावरजी की तरफ इशारा कर रहे थे, हम यह पूछना चाहते हैं कि सोनिया गांधी संस्कारित हैं क्या इस देश के प्रति ? इसलिए आप लोग पता नहीं किस तरह के संस्कारित, यह इस तरह की भाषा बोलते हैं हमें तो आश्चर्य होता है कि आपको इस देश के अन्दर एक नेता नहीं मिला जो इस देश की संस्कृति जानने वाला हो, जिसको आप अपना अध्यक्ष बना सको। इसलिए संस्कारित, असंस्कारित जो है, निश्चित रूप से बी.जे.पी. के पीछे जो आर.एस.एस. खड़ा है वह निश्चित रूप से आर.एस.एस. संस्कारित है, वह सुबह-सुबह व्यायाम सिखाता है। आज रामदेवजी के योग को पूरा देश लाइक कर रहा है, इसलिए अच्छी चीज कहीं भी दुश्मन से भी मिलती है हमें लेनी चाहिए।

हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीयत बिलकुल साफ है और इस पार्टी का बिलकुल लक्ष्य है, जो पार्टी 1984 में दो-तीन एम.पीज. थे आज वह सबसे बड़ी पार्टी बन कर आ रही है। आपकी सबसे बड़ी पार्टी थी पूरे देश में आज आप देखो कि आपके क्या हालात हैं। यू.पी. में अब वापस सपने लेने लगे हो आप सरकार बनाने के लिए लेकिन आपके हालात क्या हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप वहां पर चौथे नम्बर पर खड़े हैं। वहां का दलित बी.एस.पी. में जा चुका है, ओ.बी.सी. वहां मुलायम सिंहजी के साथ खड़ी है और अपर क्लास, यह शिड्यूल्ड कास्ट यह सारे मिल कर के बी.जे.पी. के साथ हैं, आप लोग वहां चौथे-पांचवे नम्बर पर खड़े हैं। यह सारा इसलिए होगा कि आपकी नीयत में कहीं न कहीं खोट रही, आपकी सोच सही नहीं रही किसान के प्रति, दलित के प्रति, ओ.बी.सी. के प्रति इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी की साफ सोच है 'कमाने वाला खायेगा लूटने वाला जायेगा और नया जमाना आयेगा', यह भारतीय जनता पार्टी का सोच है।

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

हम लोग गरीब को गणेश मान कर चल रहे हैं। हमारे आपस में बिलकुल ऐसी बात होती है तो आपस में कहते भी हैं लेकिन आप लोग अपना चिन्तन पैदा करें और जिस तरह से सदन में बोलते हैं वही बात जाकर गांवों में बोलें। ताकि जो हमारे गांवों में जातिवाद है, जो छूआछूत आज हमारे देश में समाप्त नहीं हो पायी है, पूरे विश्व में हमारे लिए कलंक है, इसको समाप्त किया जा सके, हम सब साथी बन कर काम करें।

सभापति महोदय, इसी के साथ आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सदन को भी धन्यवाद कि आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में बोलना चाहूंगी।

हमारी सरकार द्वारा माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में गत दो वर्षों में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये जिससे यह राजस्थान समग्र विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी का कुशल वित्तीय प्रबन्धन, जिसकी दो दिन से मैं चर्चा सुन रही हूं, सभी ने इसको सराहा है। विपक्षी जो सदस्य हैं, उन्होंने तो एक ही काम सीखा है कि कोई अच्छी बात होगी हमारी तब भी उनको तो विरोध करना है। मगर वास्तव में जो कुशल वित्तीय प्रबन्धन हुआ है उसकी आज पूरे राजस्थान में सराहना की जा रही है।

पिछले दो वर्ष से राजस्थान को ओवर ड्राफ्ट की स्थिति को भी नहीं झेलना पड़ा है। जैसाकि आपने भी फरमाया, और सदस्यों ने भी फरमाया। समग्र ग्रामीण विकास के लिए गांवों में सड़कें बनें इसके लिए हमारी सरकार ने मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का, आज गांवों में जिस प्रकार से सड़कें बन रही हैं, जिस प्रकार सड़क मार्ग से गांव जुड़ रहे हैं उससे वहां का ग्रामीण जन हमको यह कहता है कि एम.एल.ए. साहब देश आजाद हुए कितने साल हो गये मगर अब ये गांव आजाद हुए हैं। यह वास्तविक स्थिति है इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, मैं खुद ग्रामीण अंचल से आयी हूं और ग्रामीण अंचल से आने वाली कोई भी महिला या कोई भी माननीय सदस्य होगा वह गांव की जरूर बात करेगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समग्र ग्रामीण विकास के लिए जो सड़कों

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

का जाल बिछाया है उसकी वास्तव में मैं आज यहां इस सदन में मुक्त कंठ से जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। इसमें दो महत्वपूर्ण सड़क योजना लागू की है डब्ल्यू.बी.एम.टी. और बी.टी. रोड और मुख्य मंत्री सड़क योजना पहले डब्ल्यू.बी.एम. करके छोड़ दिया जाता था और कई बार सड़कें कागजों में बन जाती थीं और कागजों में टूट जाती थीं और कागजों में ही रिपेयर हो जाती थीं मगर हमारी सरकार ने इस प्रकार की पालिसी बनायी है कि 250 की आबादी वाले अगर कोई भी गांव हैं तो वह सड़क मार्ग से जुड़ेगा और जुड़ रहा है।

इसी प्रकार मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं कहते हुए सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 43 करोड़ की सड़कों के काम हुए हैं जिससे 70 गांव जुड़े हैं। मुख्य मंत्री सड़क योजना जिसके तहत धार्मिक पयर्टन स्थलों को डामर से जोड़ने के लिए एक हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण, आदर्श सड़क का निर्माण, मैटल सड़कों का डामरीकरण, आबादी क्षेत्र में सीमेंट, कंकरीट की सड़कों का निर्माण जब यह सब हुआ तब वास्तविक रूप से गांव का व्यक्ति अपने आपको महसूस करेगा ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं बात करती हूं। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सादड़ी नगरपालिका क्षेत्र है वहां बिलकुल नई टेक्नोलोजी से 21 लाख की आटोमेटिक मशीन से बाम्बे स्टाइल में सड़क का निर्माण किया जा रहा है इसके लिए मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने नई टेक्नोलोजी को प्रोवाइड किया। उस आटोमैटिक मशीन से मात्र तीन मिनट में 1100 किलो मेटेरियल तैयार होगा और जो सड़क बनेगी 1150 किलोमीटर की सड़क बनेगी। दो से ढ़ाई करोड़ की सड़क है वह निश्चित रूप से मैं इस सदन में आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने इस नई टेक्नोलोजी को प्रोवाइड करके जहां पर सादड़ी के पास रणकपुर जो दर्शनीय पर्यटन स्थल है वास्तव में वहां से देशी और विदेशी पर्यटक जिस प्रकार से आते हैं और नई टेक्नोलोजी के द्वारा जो सड़क का निर्माण हो रहा है और आज मुझे वहां पर खबर मिली है कि उस मशीन को देखने के लिए उस सड़क को देखने के लिए सिर्फ नई टेक्नोलोजी से यह सड़क बन रही है, ग्रामीण उमड़ रहे हैं और इसको सराह रहे हैं। इसलिए मैं इस सदन में आपको धन्यवाद देना चाहूंगी।

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना जिसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य देश में प्रथम है। कल विपक्ष के माननीय सदस्य अपने विपक्षी भाषण में कह रहे थे कि केन्द्र सरकार यह कर रही है, केन्द्र सरकार वह कर रही है, हां केन्द्र सरकार ने किया है, कांग्रेस समर्थित केन्द्र सरकार ने किया है तो हमारे अटल बिहारीजी के नेतृत्व में चलने वाली पूर्व की केन्द्र

(समय : 18.05 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार ने किया है। अगर उनके द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना को लागू नहीं किया जाता तो क्या इतनी सड़कें बन सकती थीं। इस चीज को आप भी स्वीकार करते हैं, आपके भी क्षेत्र में काम चल रहा होगा और जिसके अन्तर्गत 500 की आबादी से भी अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है और 250 की आबादी को जोड़ने का चल रहा है। इसमें कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने आते ही स्वर्णिम चतुर्भज योजना से अटलजी के चित्र हटा लिए और माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य कल अपने विपक्षी भाषण में कह रहे थे कि शिक्षा संकुल का नाम राजीव गांधी शिक्षा संकुल क्यों हटा दिया गया। आप करें तो सही और हम करें तो गलत। अन्य विभागों शिक्षा विभाग के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के शिक्षा मंत्री और वसुन्धराजी मुख्य मंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूं। जिस प्रकार से स्कूलें क्रमोन्नत करने का काम चलाया, स्कूल क्रमोन्नत करने के साथ प्रत्येक स्कूल में सवा चार-चार लाख रुपए दिए हैं। कक्षा कक्ष और प्रधानाध्यापक कक्ष बनाने के लिए। वही तो हम चाहते हैं शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षकों को वैसे भी बहुत से काम बढ़ा दिए गए हैं और एक और यह कमी थी कि क्रमोन्नत होने के साथ किसी दानदाता को संभलाते फिरते कि उसमें भवन और कक्षा कक्ष बनाएं। मगर हमारी सरकार ने प्रथम बार स्कूल क्रमोन्नत करने के साथ में प्रत्येक स्कूल में सवा चार-चार लाख रुपए दिए इससे तीन कक्षा कक्ष बन सके और एक प्रधानाध्यापक का कक्ष बन सके और चार शिक्षक जो वास्तव में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं वह सही तरीके से अपना समय बच्चों को पढ़ाने में लगाएं। इसके अलावा पचास हजार शिक्षकों को नियुक्ति देने का काम किया

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

हमारी सरकार ने, 948 लोक जुम्बिश 2137 डी.पी.ई.पी. 8532 शिक्षा कर्मी के कुल 11617 कार्मिक विभाग में समायोजित किया और 1705 राजीव गांधी स्कूलों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 891 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 1565 प्राथमिक को उच्च प्राथमिक में और 500 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में व 249 माध्यमिक को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है और क्रमोन्नति के साथ में विद्यालयों में पेयजल सुविधा, शौचालय सुविधा और अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण में डी.पी.ई.पी. और सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना के तहत जो कार्य करवाया जा रहा है वह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है।

मुख्य मंत्री शिक्षा संबल अभियान के तहत 14.55 लाख बालक बालिकाओं का नामांकन व 65 लाख विद्यार्थियों के स्वास्थ्य कार्ड, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की ग्रामीण छात्राओं को नि:शुल्क बस पास उपलब्ध करवाये गये हैं। कल हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य ने अपने विपक्षी भाषण में कहा कि माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों को कम्प्यूटर और गणित का ज्ञान नहीं है। मान सकते हैं जब उन्होंने आठवीं पास पैराटीचर्स को लगाया था तब उनको ग्रामीण बच्चों की एजूकेशन की कोई चिन्ता नहीं थी। हमारी सरकार ने तो प्रत्येक वर्ग में एक से बारहवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की हैं और विधवा परित्यक्ताओं को भी नौकरी दी है। आपने क्या किया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में एक लाख के करीब कृषि कनेक्शन दिए हैं और भी देने की तैयारी है। पिछली सरकार ने तो अपने कार्यकाल में एक भी, जितने दो साल में हमने कनेक्शन दिए उतने वह पांच साल में भी नहीं दे सके।

इसके अलावा हमारी सरकार ने स्टाम्प शुल्क की दर ग्यारह प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए ग्यारह प्रतिशत से साढे पांच प्रतिशत करने की जो कवायद की है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। पहली बार राजस्थान राहत कोष की स्थापना किया जाना, पहली बार विभिन्न विभागों की योजनाओं को अकाल राहत कार्य में समाहित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा बजट मद से पचास करोड़ रुपए की सामग्री के पेटे उपलब्ध कराये गये जिससे स्थायी परिसम्पत्तियों का भी निर्माण किया गया। कल टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 1990 में जब

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

इनकी सरकार गयी तो इतना कर्जा छोड़ गयी मगर हम जायेंगे ही नहीं और परिसम्पत्तियों का निर्माण कराकर जायेंगे। हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए पब्लिक में हम लोगों की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और वसुन्धराजी की सरकार की अच्छी इमेज है इससे आप पता लगा सकते हैं पिछले समय में आपने भी कोशिश की, वसुन्धराजी ने भी वापस जनता से मिलने का प्लान बनाया उनकी सभाओं में जो जन समूह उमड़ा, सोजत की बात कर रही हूं, पचास हजार के करीब वहां पर जन समूह उमड़ा छबड़ा में हुआ और जहां-जहां वह गयीं उनके प्रति जनता का विश्वास है। जनता का विश्वास उनके ऊपर अभी कायम है, आप चिन्ता मत करो और वह जिस प्रकार से काम कर रही हैं मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकती हूं कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और रहेगा। पहली बार हमारी सरकार ने काश्तकारों को सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिये राजफेड और तिलम संघ के माध्यम से 261 खरीद केन्द्र स्थापित किये जाकर 2400 करोड़ का 14 लाख टन सरसों की खरीद का ऐतिहासिक फैसला कर कीर्तिमान स्थापित किया। नर्बदा नहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान में 74 किलोमीटर लम्बी नहर का कार्य पूर्ण किया गया है। राज्य के ऐसे काश्तकारों को जो अपने पशुओं को चराने के लिये अन्य राज्यों में पलायन कर जाते थे उनके बच्चों के शैक्षिक उत्थान के लिये आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिये भूमि का आबंटन कर भवन निर्माण हेतु वांछित बजट का भी प्रावधान किया गया है। पशुपालकों वाला जो निर्णय हुआ है इसके लिये पूरे राजस्थान के पशुपालक वसुन्धराजी को बहुत-बहुत आभार देते हैं क्योंकि जो पशुपालक वर्ग शिक्षा की कमी के कारण कहीं न कहीं समाज से पिछड़ जाता था आज उसने समझ लिया है कि हम शिक्षित होंगे तब ही कुछ होगा और उनके इस दर्द को वसुन्धराजी ने समझा है और उसके अनुरूप सुविधाएं मुहैया करवायी हैं।

एस.सी. और एस.टी. के बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों की शादी पर जो आप लोग कांग्रेसी, पिछली गवर्नमेंट ने बन्द कर दिया था, शादी पर पांच हजार की अनुग्रह राशि और विधवा महिलाओं की पुत्रियों की शादी पर दस हजार की अनुग्रह राशि का दिया जाना। पालनहार योजना के तहत समाज के सभी वर्गों के अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया जाना, यह इस प्रकार के

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिससे मैं यह कह सकती हूं कि आने वाले समय में जनता का विश्वास इस सरकार पर, वसुन्धराजी पर प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जायेगा। जयपुर शहर, जहां पर हालांकि हम जयपुर से चुनकर नहीं आये हैं मगर हम सब लोग जयपुर तो आते हैं। जयपुर आते हैं तो क्वार्टर में आते हैं, पानी की समस्या रहती है तो परेशानी होती है। जयपुर शहर के लिये बढ़ते यातायात के दवाब को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर फ्लाई ओवर और पार्किंग स्थल बनाये जा रहे हैं और जयपुर शहर में सबसे महत्वपूर्ण पेयजल समस्या के निवारण हेतु 556 करोड़ की लागत से बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना और पाली के लिये जवाई बांध से पाइप लाइन की 354.73 करोड़ की योजना यह एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, इस सदन में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांवरलालजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने पिछले दो साल के अपने कार्यकाल में जो भी उनसे योजना, जैसा नोखा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि जहां भी हमने हैण्ड पम्प मांगे, नलकूप मांगे, पानी से संबंधित जो भी योजना हमारे जिले से बनकर गयी है निश्चित रूप से उन्होंने, इस सरकार ने किया है और इस सदन में मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। अंत में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने हमारे कर्मचारियों का भी बहुत ध्यान रखा है। कर्मचारियों को समय-समय पर बोनस तो दिया ही है, महंगाई भत्ते का भुगतान भी समय-समय पर होता रहा है। मगर अब की बार तो उन्होंने कमाल किया है महंगाई भत्ते का भुगतान नकद दिया है और उसको भी जी.पी.एफ. में न डालकर नकद भुगतान किया है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। इससे पूरे राजस्थान के जो कर्मचारी हैं वह भी इससे खुश हैं और उनके साथ हैं।

अन्त में मैं एक कोटेशन कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी, हालांकि यह तो भगवान के लिए कहा जाता है मगर राजस्थान की जनता माननीय वसुन्धराजी जो कि भगवान में भी आस्था रखती हैं, भगवान मानती हैं उन्हें, जिस प्रकार के अच्छे-अच्छे निर्णय हुए हैं, इसलिए सात समन्दर की मथि बना दो और सारा वनराही धरती आकाश कागज बना दो फिर भी वसुन्धरा सरकार के हरि गुण लिखे न जाएं, फिर भी वसुन्धरा सरकार के गुण लिखे ही न जाएं। यह गांव की गरीब जनता, गांव का रहने वाला गरीब निवासी यह बात अच्छी तरह से समझता है और मैं आज यह कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टोका नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जुबेर खान : देसूरी से आने वाली माननीय सदस्या, बड़ा भाषण दिया पर यह तो बता दो कि आपने जो वसुन्धराजी के लिए कहा है वह हनुमान चालीसा से तो नीचे है या उससे भी ऊपर है ? ऊपर तो कोई है ही नहीं । हनुमान चालीसा से तो ऊपर रखोगे कि नीचे रखोगे ?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : आत्मा से परमात्मा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल जाट (अनुपस्थित) श्री अर्जुन लाल बामनवास

श्री अर्जुनसिंह बामनिया (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज और कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ......

श्री उपाध्यक्ष : संक्षिप्त में।

श्री अर्जुनसिंह बामनिया (दानपुर) : टाइम तो लगेगा साहब। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। सत्ता पक्ष ने समर्थन में कई ऐसे वक्तव्य दिये। प्रतिपक्ष ने भी अपने विरोधी वक्तव्य दिये। मैं भी अभिभाषण पर विरोध दर्ज कर अपनी बात शुरू करता हूं। पर उसके पहले मैं यह भी कहना चाहूं सदन में कि मुझे लग रहा है कि सत्ता पक्ष भी मन ही मन विरोध कह नहीं पाया पर मन ही मन उन्होंने विरोध दर्ज करवाया। ऐसा महसूस होता है क्योंकि जितने भी वक्ता जैसे- टोडारायसिंह से लगाकर जितने भी वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे हैं सबके रिकार्ड उठाकर देख लें। सभी ने माननीय वसुन्धराजी, सदन की नेता को देना चाहा है धन्यवाद। पर दिया किसी ने भी नहीं है इसलिए हो सकता है, मुझे भी लग रहा है कि उनके मन में कहीं थोड़ी बहुत पीड़ाएं हैं इसलिए यह इस बात का प्रतीक है।... (व्यवधान)

मैं इस मौके पर राज्य सरकार की विभिन्न आकड़ों की स्थितियों को देखते हुए और इन्होंने अपनी सरकार के पिछले दो साल के कार्यकाल में जो आंकड़े बताये हैं, विशेषकर इस सदन में सत्ता पक्ष द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बारे में छाती ठोककर कहते हैं कि हम उनके

(श्री अर्जुनसिंह बामनिया)

कल्याण कार्य की योजनाएं यह-यह कर रहे हैं और यह बता रहे हैं। यह सारे आंकडे बताये हैं।

यहां तक कि सत्ता पक्ष ने सभी राजीव गांधी पाठशालाओं को क्रमोन्नत कर प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत के आंकड़े दिखाये हैं और करीब चालीस हजार अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में भी बताया है। मैं इस मौके पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा शिक्षा के मामले में कि सरकार सदन में आदिवासियों के हित की बात कर रही है और पीछे से आदिवासियों का गला घोट रही है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह आंकड़े हैं मेरे पास।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ब्लाक शिक्षा अधिकारी यह लिखता है कि ब्लाक में 16 स्कूलें हैं जो कि शिक्षक विहीन हैं और बाकी 21 स्कूलें हैं जो एकल शिक्षक से चल रही है तो क्या यह आदिवासियों का कौनसा हित हो रहा है ? आदिवासियों की कौनसी भलाई के काम कर रहे हैं ? स्कूलों में सिर्फ नाम दर्ज है, पुस्तकें देने से कोई भी आदिवासी छात्र पढ़ नहीं जाता है। यह आपको रिकार्ड में दर्शा रहा है। मैंने इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्रीजी को चिट्ठी भी लिखी है, आपका आदेश हो तो मैं सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने ही नहीं जिला प्रशासन द्वारा भी लैटर लिखे गये हैं और उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि बांसवाड़ा जिले में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में दूरदराज के स्कूलों में अध्यापक नहीं होने की वजह से और वहां पर स्कूलें बन्द होने की वजह से आदिवासी बालक-बालिकाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है। यह शब्द भी प्रशासन के द्वारा लिखा गया है और आज सरकार में बैठे सभी नुमाइंदे यह कह रहे हैं कि हम आदिवासियों का भला कर रहे हैं। मैं इस मौके पर साफ तौर पर यह आकड़े दिखाते हुए कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वसुन्धराजी की सरकार बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों का गला दबा रही है, गला घोट रही है, उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं आपसे दूसरा निवेदन कर रहा हूं कि मैंने स्टार क्वेश्चन लगाया था।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस उत्तर के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की जो स्ट्रेंथ बतायी गयी है, मिडिल स्कूलों

(श्री अर्जुनसिंह बामनिया)

में एक-एक, दो-दो अध्यापक हैं और 350-400 बच्चे हैं वह नाइन्थ और दसवी में पढ़ने वाले बच्चे कहां जायेंगे। जहां तक कालेजों में एडमिशन की बात है अगर सरकार चाहती है तो जो 37 हजार एस.टी. के स्टूडेंटों का रोल बताया है वह उससे दुगुना भी बढ़ सकता है। लेकिन सरकार की नीयत में नहीं है कि जो स्कूलें खोल दे और यहां तक कि शिक्षा मंत्रीजी इतने विद्वान होते हुए भी नीचे के अधिकारी इनको इतना गुमराह कर रहे हैं कि जहां इन्होंने स्कूलें क्रमोन्नत की हैं और सीनियर सैकण्डरी स्कूल लिस्ट में नहीं है। जहां तक उसमें स्ट्रेन्थ और अध्यापकों की कमी के बारे में तो कुछ नहीं लेकिन स्कूल का नाम ही उड़ गया है। इससे शर्मनाक बात क्या है और माननीय शिक्षा मंत्री को निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें कि जिन्होंने आपको गलत सूचना दी है जिसमें स्कूलों का नाम ही नहीं है और आपने स्कूल क्रमोन्नत की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके आधार पर यह साफ जाहिर है कि बांसवाड़ा जिले में राजस्थान सरकार आदिवासियों के हित में नहीं है। आदिवासियों के प्रति राजस्थान सरकार संवेदनहीन है यह मेरा आरोप है। उसके साथ मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि जब वसुंधराजी की सरकार आयी और उन्होंने आदिवासियों के हित में कई ऊंची-नीची बात कही और आबकारी नीति 2005 अप्रैल से लेकर के 2006 तक जो आबकारी नीति लगायी। बांसवाड़ा जिला एम.पी. और गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र है, बांसवाड़ा के आदिवासी लोग एम.पी. गुजरात में भी अपने रिश्ते करते हैं और साथ में ही आदिवासी परम्परा के अन्तर्गत बांसवाडा जिले में चाहे कोई आदमी मर जाये उसका बारहवां हो, चाहे किसी बहन-बेटी की शादी हो वहां के कल्चर के अनुसार वहां देशी शराब का उपयोग किया जाता है। लेकिन आबकारी नीति के अनुसार यदि महुए का उपयोग करते हुए वहां की रीति के अनुसार व्यक्ति दारू बनाना चाहता है और वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर है कि मार्केट की देशी मदिरा, मार्केट की अंग्रेजी शराब लाकर के अपने फंक्शन में उसका उपयोग नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में वहां के कल्चर के अनुसार 5 किलो महुए की प्रत्येक घर में या प्रत्येक फंक्शन में उपलब्ध करायी जाये। इसके एगेंस्ट में नवम्बर, 2005 तक 240 आदिवासियों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति के तहत मुकदमें बनाये हैं। क्या यह आदिवासियों का भला है। क्या आदिवासियों का गला दबाया जा रहा है। आपके सामने स्पष्ट हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री अर्जुनसिंह बामनिया)

ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्वास्थ्य के बारे में यह कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिला बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है।

श्री उपाध्यक्ष : नशा मुक्ति अभियान चलाओ।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : शिक्षा मित्र अभियान से क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : नशा मुक्ति अभियान चलाओ।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि मैं कहना नहीं चाहूंगा आजकल फिल्मी दुनिया की स्टाइल में कौनसे समाज में दारू नहीं चलती है। यह मुझे सदन में बता दें। हम तो अभियान भी चला लेंगे और चला भी रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के बारे में बांसवाड़ा जिला पिछड़ा हुआ इलाका है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में न बोलें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : माननीय सदस्य और कोई कहना हो तो कह दें। जवाब दे दूंगा। तैयारी के साथ में आया हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में काफी गरीबी की रेखा के नीचे के स्तर के लोग रहते हैं। वहां महात्मा गांधी अस्पताल में एक्सरे मशीन है, सी.टी. स्केन की मशीन है, सारी हैं लेकिन वहां टेक्निकल स्टाफ और डाक्टर नहीं होने के कारण वहां समय पर उपचार नहीं हो पाता है। इवन कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी कहना हो कहें लेकिन वहां आई.सी.यू. के वार्ड में 15 खाट हैं और 15 खाट में 3 डाक्टरों को इंचार्ज बनाया गया है। कौनसी खाट पर आदमी जायेगा, कहां सोयेगा और कौन डाक्टर देखेगा । इसका कोई मालिक नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी आया है रिजल्ट...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय नोट किया जाये, मैं बोलूंगा...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जानना चाह रहा

(डा. दिगम्बर सिंह)

हूं कि क्या बांसवाड़ा में सी.टी. स्कैन हो रही है कि नहीं, माननीय सदस्य बता दें, क्या बांसवाड़ा के अस्पताल में एक्सरे हो रहा है कि नहीं हो रहा और आपकी सूचना यह भी गलत है कि 15 बैड का आई.सी.यू., 15 बैड का आई.सी.यू. बहुत बड़ी चीज होती है माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : जो कमी है उसकी पूर्ति करवा दें।

डा. दिगम्बर सिंह : ठीक है, करवा देंगे, आपका आदेश सिर माथे पर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है करवा देंगे, शिरोधार्य है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी मांग बिलकुल जायज है। नये डाक्टरों की भर्ती हो रही है, ठीक है, धन्यवाद।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : माननीय मंत्री महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां जितनी भी खाट हैं उन खाट पर तीन डाक्टर इंचार्ज हैं, मेहरबानी करके एक ही डाक्टर आई.सी.यू. का इंचार्ज होगा, उसकी ड्यूटी का टाइम होगा तो उसको देखने में सुविधा रहेगी। एक डाक्टर एक खाट पर देख रहा है दूसरी खाट वाला आदमी मुंह ताक रहा है।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य आपकी नालेज के लिए बता दूं कि आई.सी.यू में जिस यूनिट का पेशेंट एडमिट रहता है बेसिकली उस यूनिट के डाक्टर्स देखते हैं। आई.सी.यू. में इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए वहां डाक्टर्स की ड्यूटी रहती है वह अलग बात है। अगर सर्जिकल है उसका पेशेंट एडमिट है तो उस संबंधित यूनिट के डाक्टर्स देखते हैं। इसलिए डाक्टर्स का वहां रहना, एक साथ तीन डाक्टर्स बैठते हैं ऐसा नहीं है उनकी ड्यूटीज रहती हैं राउंड द क्लाक क्योंकि आई.सी.यू. को कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है और मेरे ख्याल से यह समस्या, आप अगर डाक्टर्स कम करना चाह रहे हैं तो उससे समस्या बढ़ेगी उससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : मेरे कहने का मतलब यह है कि संबंधित डाक्टर जो भी आई.सी.यू. में है वह आने वाले पेशेंट की केयर करे। मैं फार एग्जाम्पल बता रहा हूं एक दिन हार्ट अटैक के हिसाब से हम एक परिचित को अस्पताल लेकर गये तो अब आपको कहना तो नहीं चाहिए लेकिन संबंधित डाक्टर ने कहा कि यह मेरा खाट नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, हमने स्टाफ नर्स के माध्यम से उस आदमी की जांच करायी तो उसने भी

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

बताया कि बैटरी बैठ गयी है (व्यवधान) यह आई.सी.यू. की स्थिति है। उससे ज्यादा और उदाहरण दिलाना चाहते हो तो पूरा बांसवाड़ा जिला था और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर की डैथ होने के दिन हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी भी थे।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत गम्भीरता से लिया है आपने।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : सम्माननीय कटारियाजी भी थे। अंतिम संस्कार के दिन बातें चली और कुछ कहने का मौका भी मिला और कई लोगो ने कहा जिसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया और रोकर बैठ गये। सम्मानीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि मैं उदयपुर से आता था, मेरे संरक्षक थे जो दुनिया में नहीं रहे और उनके बेटे ने उठकर कहा कि मेरे बाप का हत्यारा फलां डाक्टर व्यास, उसके नाम से कहा। और वही डाक्टर वापिस आया और आज की तारीख में वह किसी को देखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि कुछ भी हुआ हो वह रिस्क लेने को तैयार ही नहीं हैं, रैफर कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समुदाय का ध्यान रखें। वहां बहुत सारी गरीब जनता है और इसके साथ में दूरदराज के जो पी.एच.सी. और सी.एच.सी. हैं उसमें मात्र एक डाक्टर है। छोटी बदरैल में पी.एच.सी. में एक डाक्टर है और वह सुबह आठ बजे आते हैं तो पिये हुए, दस बजे मिलते हैं तो पिये हुए, बारह बजे बैठता है तो पिये हुए... (व्यवधान) आप नोट कर लें।

डा. दिगम्बर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सारी चीज मैंने नोट कर ली हैं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : नोट कर लें और जांच करा लें। मैं कभी गलत नहीं बोलता।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं जिस पी.एच.सी. में स्वीकृत पोस्ट एक डाक्टर की है तो वहां तीन डाक्टर नहीं लगाये जा सकते हैं। पी.एच.सी. में ज्यादातर एक ही डाक्टर की पोस्ट है, नम्बर एक। दूसरा, मेरे को तो आप मोटा सा जवाब दे दीजिये।

इन दो साल के अन्दर आपके बांसवाड़ा में हैल्थ सर्विसेज में गिरावट आई है या कुछ सुधार हुआ है इतना सा मोटा सा बता दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : मैं आपसे इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

(व्यवधान) मैं बिलकुल स्पष्ट कहूंगा। एम जी हास्पिटल को छोड़कर बाकी पीएचसी, सी एचसी में गिरावट आई है। एम जी हास्पिटल में जरूर इम्प्रूवमेण्ट हुआ है पर उसमें भी काफी डाक्टरों की कमी की वजह से दिक्कत आ रही है। जहां पीएचसी, सीएचसी हैं मैं वहां की बात कर रहा हूं, छीछ में दो पोस्ट, सिंगल डाक्टर है, बागीडोरा में 4 पोस्ट हैं, सिंगल डाक्टर है, आभापुरा में एक डाक्टर है, वह सुबह से शाम तक दारू पीता है, वहां पर एक स्टाफ नर्स हास्पिटल चलाती है। मैं पूरे बांसवाड़ा का नाम बता दूं। कुशलगढ़ में स्थिति देख लीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य, आपके बांसवाड़ा जिले में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर काम चल रहा है यह शायद आपके नालेज में नहीं है। आप केवल बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अस्पतालों की बात न करके, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करो।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की 4 पीएचसी की बात कर रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह : बांसवाड़ा के अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, आप कहें तो मैं सुबह लाकर दे दूंगा कि कितने पैसे इस सरकार ने बांसवाड़ा की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में इम्प्रूवमेण्ट करने के लिए मंजूर किए हैं और काम चल रहा है और प्रोग्रेस पर है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : बिल्डिंग के लिए मैं नहीं कहता लेकिन जो स्थिति है, कुशलगढ़ जो कितना बड़ा नगरपालिका कस्बा है, वहां मात्र एक डाक्टर है, थोड़ा डूंगरा में, सरवन में, मैं कहां-कहां के नाम गिनाऊं, श्रीमान् ?

मैं दूसरी बात और कह रहा हूं कि जिला परिषद्, बांसवाड़ा का आप रिकार्ड उठा कर देखें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में बंगाल से आए हुए बंगाली डाक्टर बहुत हैं जिनके द्वारा किए गए इलाज से 3-4 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी के जिला परिषद् सदस्य ने वहां यह बात रखी है ओन रिकार्ड, आप जिला परिषद्, बांसवाड़ा का रिकार्ड उठा कर देख लें। माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों के ऊपर भी रोक लगाएं जो दवाई नहीं करना जानते हैं, डिलीवरी नहीं कराना जानते हैं, ऐसी स्थिति में कई औरतों की मौत हुई है इवन एक 12 साल का बच्चा भी उनके पास आया था जिसके गलत इन्जेक्शन लगाने से वह लंगड़ा हो गया, ऐसी स्थिति भी है।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप केस बनाकर उन पर रोक लगाएं और वहां की गरीब जनता को ध्यान में रखकर उनका भला करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया और मेरी बात को सुना, बीच में मंत्रीजी का भी जवाब आया इसलिए मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह गोदारा।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है। बहुत से माननीय सदस्य, दोनों तरफ के बोल चुके हैं और जो इस अभिभाषण में दर्शाया है कि सरकार क्या-क्या विकास कार्य करना चाहती है और क्या-क्या विकास कार्य किए हैं और आगे क्या विकास कार्य करने का इरादा है, यह करीबन सभी सदस्य बोल चुके हैं। मैं इन बातों को दोहराने के बजाय 2-3 नई बातों की तरफ सरकार का ध्यान आपके मार्फत आकर्षित करना चाहता हूं।

इसमें बहुत जोर शोर से फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह से यह फसल बीमा योजना लागू की गई है कि किसान को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है बल्कि किसान को इससे नुकसान हो रहा है क्योंकि किसान इण्डिजुअल तौर पर तो इन्श्योरेन्स की किश्त भरता है और सामूहिक तौर पर एक तहसील को यूनिट मानकर उसे नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि उसका नुकसान का आंकलन नहीं किया जाता। बाकी जहां भी इण्डिजुअल प्रीमियम दिया जाता है तो उस इण्डिजुअल आदमी को उसके नुकसान का मुआवजा दिया जाता है, भरपाई की जाती है लेकिन किसान के मामले में यह उसके साथ ज्यादती है। मेरा सरकार को सुझाव है कि किसान से यदि इण्डिजुअल रूप से किश्त ली जा रही है तो किसान को उसके नुकसान का असेस इण्डिजुअल रूप से करके ही मुआवजा दिया जाए।

दूसरा मेरा बड़ा अनुरोध है कि किसान के प्रति सहानुभूति तो सारे ही दिखाते हैं, सारी पार्टियां दिखाती हैं लेकिन किसान को सही कीमत दिलाने की कहीं आज तक चर्चा नहीं हुई। कोस्ट आफ प्रोडक्शन निकलवाने के लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं किसी भी सरकार ने प्रयास नहीं किया। जब किसान की

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

अच्छी फसल होती है भाव नीचे चले जाते हैं और किसान की फसल नहीं होती तब उसे कुछ मिलता नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसान की फसल का कोस्ट आफ प्रोडक्शन निकलवाकर मूल्य तय किया जाए और उसे सपोर्ट प्राइस उस आधार पर दी जाए। मनमाने ढंग से नहीं। सदन में यह बात कहना कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं, अगर आप लाभकारी मूल्य दे रहे हैं तो किसान कर्ज में क्यों दबता जा रहा है। अगर आप किसान को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं तो किसान क्यों सुसाइड करता जा रहा है। किसान को अगर लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है तो किसान सबसे गरीब क्यों हो रहा है। आज भिखारी भी किसान से गरीब नहीं मिलेगा, आप कहीं भी सर्वे करवाकर देख लें, यह हालत किसान की है। मेरा अनुरोध है कि किसान के ऊपर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए।

तीसरा मेरा अनुरोध है कि किसान के प्रति प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए, प्रशासन उतना संवेदनशील नहीं है। किसान गांव से चलकर आता है, बार-बार सरकारी कर्मचारियों के दफ्तरों में चक्कर काटता है, कर्मचारी उसकी बात नहीं सुनते या फिर वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है या जनप्रतिनिधि को साथ लेकर मंत्रियों के पास जाता है। साधारण, छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी कर्मचारी किसान को टरका देते हैं और किसान बार-बार आकर इतनी दूर से अपना समय बरबाद करके खर्चा लगाकर वापस जाता है तो परेशान हो उठता है, उसकी बहुत सी समस्याएं बकाया पड़ी रहती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित करे। आज एक फर्द खाता लेने के लिए, एक साधारण सी नकल लेने के लिए एक साधारण से काम के लिए, अपनी बाराबन्द लेने के लिए अगर सरकारी कर्मचारी के पास किसान जाता है तो किसान की बात नहीं सुनी जाती है, किसान के प्रति सरकारी कर्मचारी की लाइबिलिटी निश्चित करें कि आपके दफ्तर में होने वाला किसान का काम बाकी नहीं रहना चाहिए।

मेरा चौथा सुझाव है कि सरकार ने इसमें अकाल सहायता की बात की है। अकाल सहायता के रूप में मेरा सरकार को सुझाव है कि आज किसान धीरे धीरे घाटे में चलता हुआ खेत छोड़ता जा रहा है। आप साथ में वाटर हार्वेस्टिंग की बात भी कर रहे हैं। मैं बारानी एरिया के लिए कह रहा हूं कि किसान को बड़े कुण्ड बनाने के लिए या डिग्गियां बनवाने के लिए आप सब्सिडी दीजिए,

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

लोन आसान किस्तों पर कम ब्याज पर दिलवाइए ताकि किसान पानी का प्रबन्ध कर सके और अपने खेत से जुड़ सके।

मेरा सरकार को सुझाव है कि अगर सरकार वास्तव में राजस्थान को अकाल से दूर करना चाहती है तो किसान को इनिशिएटिव देकर खेजड़ी के पेड़ खेत में रो से लगवाने की प्रवृति डाले। आजकल वह रखने तो लगा है, खेत में वृक्ष लगे हुए हैं लेकिन वह रो में नहीं होने की वजह से रेत को आगे चलने से रोक नहीं रहे हैं अगर आप काश्तकार को खेत में रो से खेजड़ी लगाने के लिए प्रेरित कर देंगे तो बढ़ते हुए रेगिस्तान का मामला रुक जाएगा। आपका पर्यावरण का मामला रुक जाएगा और खेजड़ी केवल एक पेड़ ही नहीं है, यह एक फसल भी है। माननीय राजेन्द्रजी बैठे हैं, राजेन्द्रजी जब चूरू से तारानगर जाते हैं कम से कम 200 गाडे मिलते हैं जो खेजड़ी की लूंग से भरे होते हैं। वे चूरू लाकर 4-5 रुपये किलो बेचकर जाते हैं उससे अपने खर्च की, अनाज व दूसरी जरूरत की चीजें ले जाते हैं। यह वृक्ष बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकेगा, हरा चारा केवल खेजड़ी 12 महीने देती है। कितना ही भयंकर अकाल हो, कितना ही पानी का अभाव हो, लेकिन खेजड़ी कभी सूखती नहीं, हमेशा हरी रहती है और हमेशा हरा चारा देती है। खेजड़ी से पौष्टिक कोई चारा होता ही नहीं। हमारी खेती के अन्दर खेजड़ी से पौष्टिक कोई चारा ही नहीं है किसी भी पशु के लिए चाहे वह दुधारू हो, चाहे वह दूसरा काम लेने वाला हो, लेकिन उसके लिए यह सबसे बढ़िया और पौष्टिक चारा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि यह बढ़ता हुआ रेगिस्तान रुके, खेतों में हरियाली रहे, पर्यावरण सुधरे, पशुओं को 12 महीने हरा चारा मिले और किसान को वक्त-जरूरत अगर उस पर पाबन्द नहीं लगायी जाए तो इस खेजड़ी के द्वारा अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति कर सकता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार को किसानों के साथ संवेदनशील होना चाहिए और फसल बीमा को इंडीविजुअल तौर पर लागू करना चाहिए। अगर इंडीविजुअल तौर पर लागू नहीं करते हैं तो किसान का फायदा नहीं है, किसान का शोषण है। आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बत्तीलाल मीणा। थोड़े में।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी

(श्री बत्तीलाल मीणा)

सरकार के कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और सरकार को प्रोत्साहित किया। पूरे हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में यह बताया कि यदि कोई हिन्दुस्तान में है तो सर्वश्रेष्ठ सरकार राजस्थान में है।

हम बहुत सौभाग्यशाली हैं ऐसे महान व्यक्तित्व का नेतृत्व हमें मिला जिनका व्यक्तित्व राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरा हिन्दुस्तान यह आशा रखता है कि ऐसा नेतृत्व हमें प्राप्त हो। हमारी मुख्य मंत्री महोदया मानवीय नहीं बल्कि दैवीय शक्तियों से युक्त है। उनके बारे में कहां तक बखान किया जाए। लोग अतिशयोक्तिपूर्ण समझ रहे थे, देसूरी की माननीय सदस्या कह रही थीं उनके जो परोपकारी कार्य हैं उनका जो मानवता के प्रति संवेदनशील हृदय है उसका बखान करना या लेखनी के द्वारा कलमबन्द करना असम्भव है। इनके व्यक्तित्व का इतने से टाइम में मैं क्या बखान करूंगा, सात बजे आप घंटी बजा देंगे, लेकिन फिर भी मान्यवर, दो ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रजातंत्र के सर्वश्रेष्ठ मुख्य मंत्रियों की श्रेणी में हमारी मुख्य मंत्री साहिबा को लाकर खड़ा करती हैं। एक तो कभी यह नहीं कहा कि खजाना खाली है, कभी यह नहीं कहा, यह शिकायत नहीं की दो साल के शासन के अन्दर कि केन्द्रीय सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। हमारी मुख्य मंत्री महोदया हमेशा यही कहती रही खजाना बेशुमार है, कोई खर्च करने वाला चाहिए। देने को बहुत कुछ है, लेने वाले चाहिए। पहले हमेशा यह कहा जाता था कि खजाना खाली है, काम कैसे करें।

माननीय सदस्य डा. चन्द्रशेखर बैद नहीं हैं, वे पूछ रहे थे कि यह पैमाना क्या है कि बीमारू राज्य क्या होते हैं, विकसित राज्य क्या होते हैं। अब वे चले गए नहीं तो हम उनको सब बताते कि आप डाक्टर हैं आप जानते हैं कि तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है। आप जानते हैं कि हृदय की गति, धड़कन स्टेथोस्कोप से नापी जाती है। हम आपको बताते हैं कि बीमारू राज्य क्या होते हैं और विकसित राज्य क्या होते हैं। पिछले पांच साल में हमारे राज्य को बीमारू राज्य बना दिया था। वसुन्धराजी ने किस प्रकार इसको विकसित राज्य की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है, यह हम आपको बताना चाहते हैं।

आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर जी.डी.पी. की दर कम हो जाती है, सकल घरेलू उत्पाद की दर कम हो जाती है, प्रति व्यक्ति

(श्री बत्तीलाल मीणा)

आय कम हो जाती है, जहां का आधारभूत ढांचा कमजोर पड़ जाता है और विकास की दर अवरुद्ध हो जाती है उन राज्यों को बीमारू राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद दर से नापा जाता है कि कौन राज्य किस श्रेणी में है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय गहलोतजी ने पिछले पांच साल में यह घोषणा की कि हमारी सरकार का दिवाला निकल गया है तो सरकार की साख गिर गई।

मान्यवर, तीन तरह की आय से राज्य की आय होती है, रेवेन्यू से, उद्योगों से और सेवाओं से। अब बाहर से कोई इकाई, पूंजी निवेश करने के लिए उद्योगपति नहीं आये। आप आंकड़े देख रहे हैं, पहले माननीय सदस्य बता चुके हैं केवल पांच साल में 5 हजार औद्योगिक इकाइयों का रजिस्ट्रेशन हुआ। सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सेवाओं पर ताला लगा दिया गया। सेवाओं से जो सरकार की आय होती है, जो क्रयशक्ति बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वो खतम हो गई। जब सारी आय बन्द हो गई, सरकार के आय के स्रोत बन्द हो गये तो विकास कहां से होगा। यही कारण था कि सड़क, बिजली, पानी सारे मामलों में हमारा राज्य बिलकुल ठप्प हो गया, विकास की दर बिलकुल ठप्प हो गई। मान्यवर, जब हम नौवें स्थान पर शेखावत साहब के टाइम में थे तेरहवें स्थान पर पहुंच गये और बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गये। माननीय वसुन्धराजी ने अपने स्व प्रयास से, स्व प्रयत्न से प्रदेश को आगे बढ़ाया। उनका कुशल वित्तीय प्रबन्धन देखिए कि योजनाओं का आकार दुगुना किया। 2002-03 में हमारी वार्षिक योजना 4258 करोड़ रुपये थी उसको हमारी मुख्य मंत्री महोदय ने दो साल में 8350 करोड़ रुपये किया। योजना का आकार बढ़ाया, लेकिन यह नहीं कि कोई वित्तीय व्यवस्था खराब कर दी हो। वित्तीय व्यवस्था में सुधार किया। हमारा जो राजस्व घाटा था उसको 30 परसेंट से 12 परसेंट पर ले आयीं। मान्यवर, ऋणों का भार कम किया। इसलिए हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी और हमारी जो विकास की ग़ाड़ी थी वह विकास की ओर अग्रसर हुई।

हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने हमारे जो प्राकृतिक साधन हैं उनका दोहन इस प्रकार विवेकपूर्ण तरीके से किया कि उससे हमारा हर क्षेत्र में विकास होना शुरू हुआ। मान्यवर, ये कहते हैं कि कोई भी राज्य, कोई देश आज अपनी आर्थिक नीतियों का निर्धारण केवल अपने आप नहीं कर सकता उसके

(श्री बत्तीलाल मीणा)

लिए सारे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है, अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और प्रान्तीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। मान्यवर, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के कर्ता-धर्ताओं ने हमारे देश की आर्थिक नीतियों का इस प्रकार निर्धारण किया कि जो हमारे औद्योगिक विकास के कार्यक्रम थे उनको पंचवर्षीय योजना का नाम दिया और इस योजना का नाम सोवियत रूस से लिया गया। मान्यवर, हमारे जो सार्वजनिक विकास के क्षेत्र थे, उनका जो संभावित लाभ था उस लाभ का निजीकरण करके जो हमारा सार्वजनिक राजस्व कोष था उसकी लागत पर निजी हाथों में औद्योगिक इकाइयों का विकास किया गया और उसके कारण हमारे देश में 70 हजार करोड़पति, 311 अरबपति खड़े हो गये। गरीबी का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। गरीब-गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। जब प्रारम्भ में ही विषबेल बो दी जाती है तो उसमें हम अमृत के फल की आशा नहीं कर सकते। उनका यह इरादा था कि हम पूंजीपतियों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दें कि हम स्थायी रूप से इस हिन्दुस्तान पर राज करें और हमारे देश की जनता गरीबी और निरक्षरता के अंधकार में रखी गयी। यह बिलकुल सोची-समझी चाल थी उसके तहत उन्होंने काम प्रारम्भ किया।

अब आप अपने राजस्थान को ही देख लीजिए। पश्चिमी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान जहां पर उदयपुर, बांसवाड़ा आते हैं वहीं से ज्यादा मुख्य मंत्री क्यों हुए ? क्योंकि मान्यवर, गरीबी में ही अमीरी पलती है, यह एक अर्थशास्त्र का नियम है। जहां गरीबी होती है वहां से अमीरी विकसित होती है। जहां अशिक्षित लोग होते हैं वहीं पर आराम से राज किया जा सकता है वरना 15-15 साल तक माननीय सुखाडियाजी साहब और हरिदेव जोशीजी वहां के मुख्य मंत्री थे लेकिन वहां के आदिवासी कह रहे हैं कि हम तो अनाज के मारे भूखे मर रहे हैं, छाल खानी पड़ रही है।

ये केन्द्रीय सरकार की नीतियों का नतीजा है, गरीब-गरीब होता गया। ये कहते हैं कि हमारी जो योजना केन्द्र से आपके माध्यम से रही है उन पर हमारा नामकरण नहीं किया जाता हम कहते हैं कि नामकरण का टोकन लटकाइए न उनके, क्या आखिर में 40 साल राज करने के बाद आज हिन्दुस्तान के आदमी को रहने को झोंपड़ी नहीं, आज बिचारे गरीब के पास में कोई खाने को अनाज ना हीं, पहनने को कपड़ा नहीं, ये स्थिति किसने पैदा

(श्री बत्तीलाल मीणा)

की ? इन लोगों ने सोची समझी साजिश के अन्दर की, कि गरीब जब तक नहीं रहेगा, इन्होंने तीन बातों पर राज किया, ये कहते थे कि एस.सी., एस.टी., अल्पसंख्यक, विशेषकर देखना है हमको महिलाओं की तरफ ये चारों के चारों यदि हिन्दुस्तान में गये बीते हैं तो ये लोग हैं क्योंकि गरीब के प्रति सहानुभूति की इनकी यह नीति है कि आग लगाओ और फिर उसको बुझाने का प्रयास करो। जैसे माननीय चौहान साहब कह रहे थे कि ये लोग किसी गांव में जाते हैं और झोंपड़ी को देखकर कहते हैं कि ओहो, भगवान की क्या मरजी है कि ये कैसी झोंपड़ी है और ये कैसे गरीब लोग रहते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि ये गरीब लोग पढ़ गये, ये लोग शिक्षित हो गये तो हमारा राज तो छीन लेंगे। यही कारण था कि हिन्दुस्तान की जनता को इन लोगों ने 30 साल तक अंधेरे में रख कर राज किया और तो और सन् 1975 में एक ऐसी नीति बना दी, मान्यवर, कि परमानेंट राज किया जाए हिन्दुस्तान के अन्दर, इमरजेंसी लगा दी गई और इमरजेंसी लगा दी गई तो हम जैसे लोगों को जयप्रकाश नारायण के...

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप बत्तीलालजी का भाषण तो सुना... (व्यवधान) हां, सुनो तो सही, आपने देश की हालत क्या कर दी है। उसका थोड़ा चित्रण कर रहे हैं वे।

श्री बत्तीलाल मीणा : ये बिलकुल हकीकत बात है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है .. (व्यवधान) पूंजीपतियों की सरकार पूंजीपतियों के लिए और पूंजीपतियों के द्वारा थी।

श्री श्रवण कुमार : ये रामस्वरूपजी को हराकर आए हैं न ?

श्री बत्तीलाल मीणा : पण्डित जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए ये गरीबी के इस तरह से हालात देश में पैदा किए। और मान्यवर, ये बहुत इकानामिक्स की बात है और ये बहुत बड़ी थ्योरी है जो आम आदमी नहीं समझ सकता लेकिन जो इकानामिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, इकानामिक्स के लोग हैं और बहुत से लोग समझते हैं वे जानबूझकर कह नहीं सकते, समझते हैं वे जानबूझकर इसलिए नहीं कह सकते कि हम सच्ची बात को कह जाएंगे तो हमारे टिकट कट जाएंगे, हमको कौन दुबारा टिकट देगा, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, मान्यवर, कांग्रेस नीतियों के आधार पर भी अब राज नहीं कर रही है, केन्द्रीय सरकार

(श्री बत्तीलाल मीणा)

की नीतियों का पता लग गया है यू.पी. में, कांग्रेस की नीतियों का पता लग गया है बिहार में, वहां लोग इनसे पल्ला झाड़ बैठे, जहां पर इनकी 85-85 सीट आती थी, जहां से इनके साढ़े चार सौ एम.एल.ए. आते थे, अरे यादव साहब, आप तो मेरे दोस्त हैं, आप तो बैठ जाइए।

श्री महीपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम और माननीय सदस्य काफी लम्बे समय तक साथ रहे हैं। तो आप पूरा समय इनको दिला दो, 28 साल बाद आए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बत्तीलाल जी, समाप्त कीजिए।

श्री बत्तीलाल मीणा : मान्यवर, 28 साल, मैं चाहे कितने ही साल बाद में आऊं लेकिन मैं इमरजेंसी का हमारी पार्टी का सिपाही हूं, मेरा टिकट मिला जब, मेरी सारी बात हुई जब, मेरी सेवाओं का मेरी पार्टी ने मूल्यांकन किया, जो हिमालय पर चढ़ते हैं उनको सफलता कम और असफलता ज्यादा मिलती है, मैं जहां जिस इलाके से आता हूं, वहां यह कह कर वोट लिए जाते रहे हैं कि यदि आपने कांग्रेस को हरा दिया तो राजाओं का राज आपके माध्यम से जाएगा, यदि आपने कांग्रेस को हरा दिया तो फिर अंग्रेस वापस आपके माध्यम से जाएंगे, अब जहां अशिक्षित लोग हों, आदिवासी भला वो क्या समझें, वो भी यही समझते रहे कि हमको रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया है, जब उनको पता पड़ा कि कांग्रेस नहीं संविधान की व्यवस्था अम्बेडकर ने कही है तो उनकी धज्जियां उड़ गई, राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से हम जीत कर आए 42 हजार वोटों से। इसका क्या कारण है कि हमने जन जागृति की लोगों में कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि हिन्दुस्तान की गरीबी का कोई कारण है यदि मुख्य जिम्मेदार कौन हैं ऐसे, इन कांग्रेस के कारण ..

डा. किरोड़ी लाल मीणा : उस ठेठ आदिवासी इलाके से सर्वाधिक मतों से जीतकर आए हैं।

श्री बत्तीलाल मीणा : हां, ठेठ आदिवासी इलाके से। हमको उन लोगों को जागृत करने के लिए इतना लम्बा समय लगा, उनको बताना पड़ा कि देश का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है जिसकी नीति करना क्या, कथनी क्या, इनके ऊपर रामायण के अन्दर है न वह मारीच, ये लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं वास्तव में जो कहने और देखने को, इनके भस्म बड़े अच्छे हैं, कथनी तो इनकी बहुत अच्छी है लेकिन करनी इनकी बड़ी भारी वह है, ये ऐसे लोग हैं

(श्री बत्तीलाल मीणा)

जो वास्तव में बिलकुल इनके बाप-दादा, ये अंग्रेजों की संतान हैं, अब अंग्रेज धोखा देकर राज करते थे, अब कांग्रेस की स्थापना किसने की ? हम बिलकुल हिन्दुस्ताना हमारी पार्टी, हम भगवान राम के भक्त हैं और आप रावण के वंशज हो, आप विदेशी हो और क्या है ? अब रावण क्या करता था वह आपकी नीति है। रावण मुनि महात्माओं से टैक्स लेता था, रावण बिलकुल शोषण करता था, आपने गरीबों का शोषण किया है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि हमने गरीबों को लेकर और इस शासन को सन् 1975 में बदला, हम लोगों को 19-19 महीने जेल में रहना पडा। यह क्या था ? यदि हम लोग नहीं होते तो आप पाकिस्तान की तरह स्थायी रूप से राज करते, जयपुर में भवानी सिंह राज करता, भार्गव नहीं राज करता जयपुर में, वहां दिल्ली में बिलकुल स्थायी बैठे रहते थे। मुझे जय प्रकाश नारायण के सानिध्य में रहने का मौका मिला है। जब मैं वाइस प्रेसीडेंट था अलवर में तो उनके द्वारा हमको बताया गया कि इस देश की आजादी में नेहरू का कोई लेना देना नहीं था, वह हमारा साथी था लेकिन उन्होंने चालाक होने की वजह से हम लोगों को कह दिया कि हम दूर रहेंगे, गांधीजी दूर रहेंगे, जय प्रकाशजी दूर रहेंगे, विनाबीजी दूर रहेंगे, और उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर के...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा राष्ट्रीय चिंतन है।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए ध्यान से सुनो, मनन कीजिए।

श्री बत्तीलाल मीणा : वह प्रधानमंत्री बन गये थे, उन्होंने पूंजीपतियों का एक नेटवर्क कायम किया और उन पूंजीपतियों ने क्या किया ? कि केवल देश में ऐसे नागरिक पैदा करो जिनको पेट से फुर्सत नहीं मिले, यदि पेट से फुर्सत मिलेगी तो राजनीति सीखने लग जाएंगे, हमारी कुर्सी पर आ जाएंगे, नंगे भूखे के सामने तो राजनीति की बात करना महामूर्खता की बात है, उन लोगों को पेटों से ही फुर्सत नहीं तो फिर राजनीति के बारे में क्या सोचेंगे ? आज बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के आदिवासी से हम कहें कि आपको झुग्गी-झोंपड़ी देंगे, आपको खाने को अनाज हम देंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, तो वह समझेगा कि सरकार ने बहुत कुछ दे दिया। यदि कोई हमसे कहे, हम भी आदिवासी हैं कि आपको झुग्गी-झोंपड़ी देंगे वहां देंगे तो हम उनसे कहेंगे ये तो हमसे ही ले जा, राजनीति की बात करो हमसे, ये बातें क्या करते हो खाने पीने की ? जो राष्ट्र

(श्री बत्तीलाल मीणा)

हमारे साथ में आजाद हुए थे आज वे कहां हैं ? भारत की क्या दशा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? कांग्रेस जिम्मेदार है, हमने भी मुश्किल से जेलों में जा जाकर सरकार बनाई, हम लोग जेल में गये, सरकार बनी 1980 में पूंजीपतियों की सहायता से हमारे लोगों को तोड़ कर उस सरकार को तोड़ दिया, अब यह किसका नेटवर्क था, उन पूंजीपतियों का नेटवर्क था सरकार के प्रति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका एक नेटवर्क है जिससे गरीब अब इनके जाल में ना हीं फंसता। अब तीन लाख 64 करोड़ रुपये की पूंजी बैंकों में बेकार पड़ी हुई है और आज गरीब से हम खाने की बात कर रहे हैं ? आज गरीब से हम अनाज की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं उस पर धावा बोला जाए, नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी गारंटी देने के लिए सरकार है, उनकी सरकार ही है, उन पूंजीपतियों की सरकार ही है। अब मनमोहनजी बात कर रहे हैं राजस्थान में कहां से विकास करें, कहां से पैसे लाएं।

श्री उपाध्यक्ष : बत्तीलाल जी, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बत्तीलाल मीणा : ये बिलकुल हकीकत बात है, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं। ये दैनिक पत्र में से सार बात लिखी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो आखिरी बात कह दो।

श्री बत्तीलाल मीणा : मैं कोई मेरी तरफ से थोड़े ही कह रहा हूं ? मैं एक एम.एल.ए. की हैसियत से कह रहा हूं, एक इकानामिक्स का विद्यार्थी कह रहा है, एक राजनीति का आदमी कह रहा है, जिसको 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, वह व्यक्ति कह रहा है, अब आप बताइए कि बहुत से भाई लोगों को समझ में नाहीं आए तो मैं क्या करूं इस बात के लिए ? कोई मैं तो इस बात का जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे तो इकानामिक्स की बात, इकानामिक्स की भाषा पता नहीं पड़ेगी।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1980 में पूंजीपतियों ने सरकार गिराई, अब ये बरदाश्त नहीं कर रहे हैं।

श्री बत्तीलाल मीणा : अब टाइम कम रह गया, आप सात बजे ही घंटी बजा दोगे। मैं इस पर आता हूं कि हमारी सरकार ने दो साल में जो काम किया है वह आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और अन्य प्रांतों के लिए वह अनुकरणीय है, उदाहरण है, अब बताइए शिक्षा के क्षेत्र में,

(श्री बत्तीलाल मीणा)

इन्होंने खोले 7 हजार स्कूल पांच साल में, हमने 12 हजार स्कूल खोल दिये, इन्होंने बिलकुल शिक्षा की यह हालत बना दी थी कि आठवीं पास लड़का दसवीं पास को पढ़ा रहा है और इनकी शिक्षा नीति दोहरी थी, कांग्रेस की शिक्षा नीति दोहरी थी कि सेठों के, बड़े-बड़े लोगों के बच्चों के पढ़ने के स्कूल अलग, गरीबों के लिए स्कूल अलग, जब पढ़ने की नीति में पक्षपात होगा तो हिन्दुस्तान की गरीबी कैसे मिट सकती है ? माननीय, हमारी सरकार ने जो राजीव गांधी पाठशाला स्कूल थी उनको वास्तविक दर्जा दिया और 54 हजार आदमियों को नौकरी दी। अब ये एक अनुपम उदाहरण है। आज गांव-गांव में तरह-तरह के आन्दोलन चालू किये, आन्दोलन चालू किये तो इन्होंने कहा कि ये इनकी जन सम्पर्क यात्रा है तो हमारी भी कोई जन जागरण यात्रा पैदा करो, तो गांवों में लोग लट्ठ लेकर खड़े हो गये कि आपकी शर्म निकल गई, एक आदमी को नौकरी नहीं दी और कि फिर हमको बहकाने आये हो ? पांच साल में गलतियां की, हम अपना फैसला कर लेंगे, क्या अब भी हमको बेवकूफ समझते हो ? ये बिचारे अपने तम्बू डेरा लेकर वापस गांव से आपके माध्यम से गए, इनकी टांय टांय फिस्स हो गई और इनके आका दिल्ली में पूछते हैं कि आप विपक्ष में बैठते हो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो विरोध में किया करो, वह करें क्या जनता सुनने को तैयार नहीं। जनता को तो इन्होंने इस तरह से मोहित कर दिया, काम के द्वारा इस तरह कर दिया, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया, नौकरी दे दी, हर तरह का मामला कर दिया, अब हम क्या करें ? अब, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा विपक्ष जो ठाले बैठा है उन पर भी थोड़ी दया करें।

श्री श्रवण कुमार : 1980 में पूंजीपतियों ने सरकार गिराई, यह कह रहे हैं न आप ?

श्री बत्तीलाल मीणा : कोई काम इनको दें ताकि वे ठाले न रहें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : 1980 में पूंजीपतियों ने सरकार गिराई थी ये कह रहे हो न आप ? 1980 में चौधरी चरण सिंह की सरकार को बी.जे.पी. ने गिराई थी, ये कह रहे हो न ये बात ? (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल मीणा : पूंजीपतियों ने गिराई। (व्यवधान) चौधरी चरणसिंह की सरकार पूंजीपतियों ने गिराई और कांग्रेस ने गिरवाई। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आप ही तो कह रहे हो यह बात।

श्री बत्तीलाल मीणा : पूंजीपतियों ने गिराई और कांग्रेस ने गिरवाई। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : वह मंत्रीजी कह रहे हैं आपको। पूरा समझकर बोलने दो। (व्यवधान) मीणाजी, बात पर बात कहो। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल मीणा : अब मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे साथ में इतना अन्याय हुआ कि 40 साल के अन्दर पूर्वी राजस्थान में टोडाभीम ही ऐसी नगरपालिका है जहां पर कालेज नहीं है। मान्यवर, मेरे साथ ही इतना अन्याय हुआ कि क्योंकि नाठ तहसील में लोग मुझे वोट देते हैं। क्योंकि नादौती तहसील के लोग मुझे वोट देते हैं लगातार और तब से देते रहे हैं, हमारी दो पीढ़ियों तक वोट दिया उन्होंने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री बत्तीलाल मीणा : अब वो एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर नहीं खोल सके। अब बताइये मकान जैसे छोटे....

श्री उपाध्यक्ष : बत्तीलालजी, धन्यवाद।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 03 मार्च, 2006 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे शुक्रवार, 03 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जयपुर मैटल्स उद्योग का पुनर्संचालन

25. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर मैटल्स उद्योग कब से बन्द है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर मैटल्स फैक्ट्री को चलाने के लिये पूर्व में सरकार ने 20 करोड़ रुपये मंजूर करके साढ़े चार करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी थी ? यदि हां, तो शेष राशि कब दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि कर्मचारियों को वेतन भुगतान किये बिना ही फैक्ट्री की तालाबन्दी का नोटिस चस्पा कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस फैक्ट्री को चलाने की दिशा में कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर मैटल्स में उत्पादन माह फरवरी, 1999 से बन्द है।

(2) जी हां। वर्ष 1998 में 20 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था। साढ़े चार करोड़ रुपये का भुगतान दो किस्तों में किया गया। शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। धन की उपलब्धता के आधार पर ले आफ से पूर्व सभी नियोजितों को माह अगस्त, 1999 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका था। तत्पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सितम्बर, 1999 से नवम्बर, 1999 की अवधि का वेतन भुगतान कर दिया गया है।

(4) भारतीय मजदूर संघ के प्रतिवेदन को देखते हुये जयपुर मैटल्स के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में राज्य सरकार स्तर पर चर्चा हुई है। इसका रिवाइव होना वित्तीय संस्थानों, श्रमिक संघ एवं अन्य सम्बद्ध पक्षों पर निर्भर करता है। सभी सम्बद्ध पक्षों के स्तर पर इसको वायबिलिटी के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है। बीआईएफआर द्वारा कम्पनी के अवसायन की अभिशंसा एवं इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण

(उद्योग मंत्री)

विचाराधीन होने की स्थिति में कानूनी पक्ष का आंकलन भी किया जाना आवश्यक होगा। जयपुर मैटल्स सरकारी क्षेत्र की अथवा पीएसयू कम्पनी नहीं है। सरकार की भागीदारी इसकी पूंजी में मात्र 20 प्रतिशत के करीब है।

नोहर विधान सभा क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़कें

26. **श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोहर में मिसिंग लिंक्स सड़कें, जिनको बनाने से आर-पार की सड़कें बन जाती हैं, को बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि उपज मण्डी एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के सामंजस्य से उक्त क्षेत्र की सड़कें बनाने एवं उनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार रावतसर-थालड़का सड़क जो गंगानगर-दिल्ली, बीकानेर सड़क का हिस्सा हैं एवं जो चलने लायक नहीं हैं तथा आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं, की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने का कार्य राज्य के उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर है।

(2) जी हां। टूटी सड़कों की मरम्मत आवश्यकतानुसार व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर करवाई जाती है।

(3) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग व कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सड़कें बनाने का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है। इस विभाग द्वारा निर्मित नई सड़कों पर 5 वर्ष तक एवं डामरीकरण के कार्यों पर 3 वर्ष तक मरम्मत सम्बन्धित संवेदक द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना

के आधार पर 500 तक की जनसंख्या के गांवों को बारहमासी सड़क से वर्ष 2007 तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है। मरू क्षेत्र होने के कारण यह लक्ष्य 250 व इससे अधिक आबादी तक के गांवों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत 5 वर्ष तक मरम्मत का कार्य सम्बन्धित संवेदक द्वारा एवं उसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा करवाया जावेगा।

(4) जी नहीं। उक्त सड़क ग्रेफ के क्षेत्राधिकार में आती है। अतः इसकी मरम्मत का कार्य ग्रेफ के द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। इस सड़क की मरम्मत हेतु विभाग ग्रेफ से लगातार प्रयत्न कर रहा है।

यूनानी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

27. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में यूनानी एवं आयुर्वेद चिकित्सकों के पद काफी समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब से व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार प्रदेश में नये यूनानी व आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आयुर्वेद विभागान्तर्गत दिनांक 31-1-2006 को आयुर्वेद चिकित्सकों के 448 पद तथा यूनानी चिकित्सकों के 30 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-"क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आयुर्वेद चिकित्सकों के 109 रिक्त पद व यूनानी चिकित्सकों के 14 रिक्त पद भरने हेतु अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति द्वारा पद भरे जा सकेंगे।

(3) विभागीय बजट में वित्तीय प्रावधान अनुसार नवीन खोले जाने वाले औषधालयों की संख्या व स्थानों का निर्धारण किया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना विधान सभा क्षेत्र की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

28. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान जिला नागौर में कुल कितनी पेयजल योजनायें कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत की गई ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में इस वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी पेयजल योजनायें विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2005-06 में माह जनवरी, 2006 तक जिला नागौर में विभिन्न मदों में कुल 564 योजनाएं राशि रुपये 1377.71 लाख की स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वृहद् योजना के प्रथम चरण की माह जून, 2005 में राशि रुपये 738.53 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई।

564 योजनाओं का योजनावार स्वीकृति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पेयजल आवश्यकता वाले गांव/ढाणियों में वर्तमान आवश्यकता अनुरूप माह फरवरी, 2006 में स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(अ) 6 गांवों में प्रत्येक में 1 नलकूप का निर्माण कार्य-

1. बिखरनिया, 2. डोडियाना, 3. थांवला, 4. मोडीकलां, 5. माण्डल जोधा, 6. बुटाटी

(ब) 4 गांवों में प्रत्येक में 1 नये हैण्ड पम्प का निर्माण कार्य-

1. सूदवाड़, 2. भेरून्दा, 3. हरसोर, 4. थांवला

(स) 9 गांवों में प्रत्येक में 1 स्त्रोत (खुले कुएं) का विकास कार्य-

1. सुदरी, 2. सांवलियावास, 3. मिठड़िया, 4. जगड़वास, 5. सोवा की ढाणी, 6. डबोरी खारी, 7. जसवन्तपुरा, 8. शाहपुरा व 9. हरसोर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र की 17 पेयजल योजनायें वर्तमान में स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। उक्त वर्णित 17 जल योजनाओं के प्राथमिक प्रारूप स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में हैं। जांच उपरान्त इन योजनाओं की स्वीकृति पर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सादुलपुर (चूरू) विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

29. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने के मानदण्ड क्या हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर तहसील राजगढ़ (चूरू) में जनसंख्या एवं नजदीक की दूरी के आधार पर कितने गांव प्राथमिक शाला से उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत होने से वंचित हैं ?

(3) क्या सरकार जनसंख्या एवं नजदीक के प्राथमिक शाला की दूरी के आधार पर प्राथमिक शाला इन्द्रासर, जणाऊ मिठी, राउ टीबा को प्राथमिक शाला से उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय क्रमोन्नति के निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-'क' संलग्न है।

(2) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय क्रमोन्नति पर परिशिष्ट-'क' में संलग्न मानदण्डानुसार ही विचार किया जाता है। केवल जनसंख्या एवं दूरी के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नति हेतु कोई विचार नहीं किया जाता है। विभाग के निर्धारित मानदण्डान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के तहसील राजगढ़ का कोई भी पात्रता रखने वाला प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति से शेष नहीं है।

(3) जी नहीं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय इन्दासर को वर्ष 2005-06

(शिक्षा मंत्री)

में तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय राउ टीबा को वर्ष 2003-04 में उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जा चुका है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जणाउ मीठी क्रमोन्नति के निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं करता है।

परिशिष्ट-'क'

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड

1. प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड :-

क्र. सं.	मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र/जनजाति क्षेत्र/मेवात क्षेत्र
1.	ग्रामों की जनसंख्या	1000	500
2.	कक्षा-5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3.	कक्षा-1 से 5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4.	फीडर प्राथमिक विद्यालय	02	02
5.	2 कि.मी. परिधि में अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा का नहीं होना।		

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कृषकों को मुआवजा प्रक्रिया का सरलीकरण

30. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषक या उसके परिवार के सदस्य की कृषि कार्य करते समय मृत्यु हो जाए या विकलांग हो जाने पर

(श्री जुबेर खान)

सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रभावित कृषक परिवार को क्या-क्या ओपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना की प्रक्रिया जटिल होने के कारण पीड़ित परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में कितने प्रकरण लम्बित है ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषक या उसके परिवार के सदस्य की कृषि कार्य करते समय मृत्यु होने अथवा अंग-भंग होने पर किसान जीवन कल्याण योजनान्तर्गत योजना के आदेश क्रमांक प.4(78)कृषि/ग्रुप-2/2002 दिनांक 22-12-2004 परिशिष्ट 'अ' के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित परिस्थितियों में कवर होने पर सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी समिति को उक्त सहायता राशि का पुनर्भरण किया जाता है।

(2) किसान जीवन कल्याण योजनान्तर्गत सहायता राशि हेतु प्रभावित कृषक को निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'ब'-1 से 7 में दुर्घटना तिथि के छः माह के भीतर सम्बन्धित मण्डी समिति में दावा प्रस्तुत करना होता है।

(3) जी नहीं। प्रक्रिया सरल है।

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में 845 प्रकरण लम्बित हैं। कुछ मण्डियों का क्षेत्र एक से अधिक जिलों में होने के कारण लम्बित प्रकरणों की संख्या का मण्डीवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण/प्रपत्र विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी जिले की काबिल काश्त दर्डा, बर्डा एवं पठारी भूमि की किस्म परिवर्तन

31. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि तहसील हिण्डौली जिला बूंदी की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खाल, दर्डा, बर्डा एवं पठारी किस्म की सिवायचक भूमि है ? यदि हां, तो प्रत्येक पटवार सर्किल अथवा पंचायत में इस प्रकार की कितनी-कितनी भूमि रेकार्ड में दर्ज है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि से किसान फसल पैदा कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त किस्म की भूमि से कितनी काबिल काश्त भूमि पर फसल बोई जा रही है और कितनी भूमि पर फसल बोई जा सकती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार की भूमि जिस पर किसान वर्षों से काश्त कर रहे हैं और काश्त की जा सकती है, की भूमि किस्म परिवर्तन के बिना आबंटन किये जाने में कानूनी बाधा है ? यदि हां, तो क्या उस बाधा को दूर करने हेतु सरकार ऐसी भूमि की किस्म परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या समय-समय पर जन प्रतिनिधियों एवं किसानों तथा राजनितिक दलों ने पत्रों एवं ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ? यदि हां, तो कब-कब ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील हिण्डौली जिला बून्दी में गै.मु. खाल, दर्डा, बर्डा, पठार एवं अन्य किस्म की कुल 100231 बीघा 15 बिस्वा भूमि है। पंचायतवार, पटवार मण्डलवार एवं किस्मवार विवरण परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त में से 8138 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की जा रही है।

(3) जी हां। नियमों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित भूमि के अतिरिक्त भूमि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमान्तर्गत आबंटन हेतु विचार किया जा सकेगा।

(4) जी हां। श्री हरिमोहन शर्मा, विधायक ने दिनांक 7-4-2005 एवं दिनांक 8-1-2006 तथा श्री शोकिन चन्द राठौर, मण्डल अध्यक्ष, भाजपा हिण्डौली के दिनांक 26-9-2005 को पत्र प्राप्त हुए हैं।

परिशिष्ट-'अ'

ओस भूमि की सूचना तहसील हिण्डौली

रकबा बीघा में

क्र. सं.	नाम पंचायत	नाम मण्डल	कुल गेम भूमि		खाल	दर्डा	बर्डा	पठार	अन्य
			किता	रकबा					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हिण्डौली	हिण्डौली	146	1735.13	-	-	1735.13	-	
2.		अमरल्या	113	1158.19	-	-	1158.19	-	
3.	पेच की बावडी	पेच की बावडी	108	2070.10	-	-	2070.10	-	
4.		देवा का खेडा	172	811.05	-	-	811.05	-	
5.	टोकडा	टोकडा	172	1894.13	1.00	-	1893.13	-	
6.	उभर	उभर	421	5275.14	-	-	5211.03	-	64.11
7.	रोशन्दा	रोशन्दा	203	3157.15	-	-	3157.15	-	
8.	पगारा	पगारा	300	6666.05	-	-	6666.05	-	
9.	बसोली	बसोली	280	2590.19	-	-	337.13	-	2253.06
10.	अविन	अविन	8	960.12	-	-	205.09	-	755.03
11.	नेगढ़	नेगढ़	53	159.01	-	-	14.10	-	144.11
12.	खैरखटा	खैरखटा	49	139.13	-	-	4.03	-	135.10
13.	डादून्दा	डादून्दा	271	4156.10	17.13	-	273.09	-	3865.08
14.	खीन्या	खीन्या	293	694.13	-	-		-	694.13
15.	विजयगढ़	विजयगढ़	148	2549.13	-	-	239.07	15.00	2295.12
16.	थाना	थाना	363	5347.19	37.05	-	434.19	163.07	4712.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	गोकलपुरा	गोकलपुरा	204	2315.19	0.08	0.09	106.05	-	2208.17
18.	दबलाना	दबलाना	267	3053.05	469.02	30.00	2235.04	-	318.19
19.	भवानीपुरा	भवानीपुरा	136	1623.18	-	-	1623.18	-	
20.		रेण	-	-	-	-	-	-	-
21.	रानीपुरा	रानीपुरा	-	-	-	-	-	-	-
22.	सावेतगढ़	सावेतगढ़	-	-	-	-	-	-	-
23.		सोरण	13	133.13	-	-	133.13	-	-
			3620	**46496-09**	**525-08**	**30-09**	**28313.07**	**178.07**	**17448-18**
24.	बडगावे	बडगावे	44	1872.12	-	-	1872.12	-	
25.	डाबेरा	डाबेरा	65	4860.06	-	2230.00	2636.06	-	
26.	बडानयागो	बडानयागो	58	314.14	32.07	-	275.16	-	6.11
27.		मांगलीखुर्द	32	303.07	-	-	303.07	-	
28.	बडोदिया	बडोदिया	94	525.17	-	-	525.17	-	
29.	सथूर	सथूर	283	2927.15	-	-	2502.17	-	424.18
30.		तालाबगोर	272	2803.05	-		2803.05	-	
31.	मांगलीकला	मांगलीकला	109	764.03	44.16	-	496.18	-	222.09
32.	गुढा	गुढा	132	3380.08			1677.19	-	1702.09
33.	सहसपुरिया	सहसपुरिया	157	2257.06	103.11	-	2093.16		59.19
34.	गोठड़ा	गोठड़ा	247	1139.17			20.03	428.15	690.19
35.	रोणीजा	रोणीजा	252	1340.19	13.14		267.10	214.06	845.09
36.	छाका नयागोद	छाका नयागोद	-	-	-	-	-		-
37.	गोठण	दुर्गापुरा	105	2341.11			1483.13	724	133.01
38.	मेण्डी	मेण्डी	546	5160.19			3173.15	1236.17	750.07
39.	धीवडा	धोवडा	165	1560.12	84.09	-	1142.16	-	333.07
40.		नेल	373	2468.05			1416.11	98.05	953.09
41.	काछोला	काछोला	109	1542.05	30.06	-	1511.19	-	-
42.		ओधन्धा	103	1102.17	44.02	27.03	777.03	254.09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	अलोद	अलोद	407	1171.19	-	-	596.12	105.00	470.07
44.	टीकरश	टीकरश	463	3691.16		0.19	1200.00	2012.08	478.15
45.	अनन्तगंज	अनन्तगंज	178	1330.10		13.04	591.13	184.08	541.05
46.	धान्का नयागोद	धान्का नयागोद	-	-	-	-	-	-	-
47.	राम का खेड़ा	राम का खेड़ा	-	-	-	-	-	-	-
48.	चेता	चेता	230	1725.02	143.17			988.02	593.03
49.	आकोरा	आकोरा	531	6770.15	34.06	1611.04	2205.16	1566.09	1353.00
50.	चतरगंज	चतरगंज	327	2378.06				1874.06	504.00
			5282	**53735.06**	**531.08**	**3882.10**	**29570.04**	**9687.16**	**10063.08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			**3620**	**46496-09**	**525-08**	**30-09**	**28313.07**	**178.07**	**17448-18**
2.			**5282**	**53735.06**	**531.08**	**3882.10**	**29570.04**	**9687.16**	**10063.08**
3.			**8902**	**100231.15**	**1056.16**	**3912.19**	**57883.11**	**9866.03**	**27512.06**

तहसीलदार (भू.अ.)

हिण्डौली

तारांकित प्रश्न संख्या-32

(स्थगित)

महुआ तहसील जिला दौसा के विश्राम गृहों का रखरखाव

33. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील महुआ जिला दौसा में कितने विश्राम गृह कहां-कहां हैं ? ये विश्राम गृह किसके नियन्त्रण में हैं एवं इनके रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की जा रही है ? वर्षवार गत 5 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के विश्राम गृहों में आवारा पशु/

(श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर)

सूअरों ने अपना आवास बना रखा है और असामाजिक तत्व इसके परिसर में बैठकर शराब पीते हैं/सट्टा खेलते हैं इनकी चारदीवारी/मेन गेट/दरवाजे जगह-जगह से तोड़ दिये हैं व इसमें कोई भी चौकीदार आदि की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार विश्राम गृहों में उक्त अव्यवस्था के लिये जिम्मेदारी नियत कर उनके विरुद्ध कार्यवाही एवं चारदीवारी/गेट तोड़ने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील महुवा जिला दौसा में महुवा एवं मण्डावर में विश्राम गृह है। ये विश्राम गृह सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियंत्रण में है।

वर्षवार गत पांच वर्षों में उक्त विश्राम गृहों पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	वर्ष	महुवा विश्राम गृह (व्यय राशि)	मण्डावर विश्राम गृह (व्यय राशि)	कुल (व्यय राशि)
1.	2000-01	58870.00	57802.00	116672.00
2.	2001-02	59290.00	59192.00	118482.00
3.	2002-03	60973.00	60667.00	121640.00
4.	2003-04	68679.00	68542.00	137221.00
5.	2004-05	73106.00	72982.00	146088.00
		320918.00	**319185.00**	**640103.00**

(2) जी नहीं। चौकीदारों की व्यवस्था है। महुवा विश्राम गृह के लिये श्री रमेश चन्द एवं मण्डावर विश्राम गृह के लिये श्री हिम्मत सिंह चौकीदार कार्यरत है।

सिरोही जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

34. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

230]

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) सिरोही जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2004 को चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत थे एवं कितने चिकित्सक कार्यरत थे ? अभी दिनांक 1 मार्च, 2006 को कितने पद स्वीकृत एवं कितने पद रिक्त हैं ?

(2) जिला सिरोही में ऐसे कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं, जहां स्थाई रूप से एक भी चिकित्सक कार्यरत नहीं है तथा वहां कितने चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला सिरोही के कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में 1 जनवरी, 2004 को चिकित्सकों के कुल 93 पद स्वीकृत थे, जिनमें से 71 पद भरे हुए थे। वर्तमान में सिरोही जिले के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के कुल 87 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 35 पद रिक्त हैं।

(2) जिला सिरोही में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तंवरी, नादिया एवं पाडीव पर वर्तमान में एक भी चिकित्सक स्थायी रूप से कार्यरत नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तंवरी एवं पाडीव पर एक-एक चिकित्सा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लगाए हुए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

मूल पदस्थापन स्थान	चिकित्सा अधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्ति स्थान
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आबूपर्वत	डा. दिनेश कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तंवरी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्द्री	डा. राजेश शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाडीव

(3) जिला सिरोही में 13 उप स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिन पर वर्तमान में एक भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) पदस्थापित नहीं है जिनके नाम निम्न प्रकार है :- 1. हालीवाड़ा, 2. आमलारी, 3. नारादरा, 4. उथमन,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

5. खाण, 6. भैरूगढ़, 7. मैथीपुरा, 8. बड़ेची, 9. मगरीवाड़ा, 10. भटाना, 11. सेलवाड़ा, 12. जायदरा, 13. डेरी

चूरू-बिसाऊ पेयजल योजना से लाभान्वित ग्राम/ढाणियां

35. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा चूरू-बिसाऊ योजना के अन्तर्गत तहसील चूरू के किन-किन गांवों/कस्बों/ढाणियों को शामिल किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजना का कार्य कब प्रारम्भ हुआ व अब तक कितने कस्बों/गांवों/ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2006-07 में कितने और कस्बों/शहर/ढाणियों को लाभान्वित किया जायेगा ? जनवरी, 2004 से अब तक उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम व कस्बों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) चूरू-बिसाऊ परियोजना की स्वीकृति मई, 1998 में हुई। तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ कर अब तक इस परियोजना में शामिल कुल 169 गांवों व तीन कस्बों में से 52 गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है। चूरू शहर के प्रतिभा नगर को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिसाऊ कस्बे को जल की मांग उपलब्ध करवाई जा रही है। ग्रामों की सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2006-07 में चूरू-बिसाऊ परियोजना के शेष बचे 117 गांवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जनवरी, 2004 से अब तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 14.72 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

परिशिष्ट-'अ'

ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील
1.	आसलखेड़ी	चूरू	22.	धीरासर चारणान	चूरू
2.	आसलू	चूरू	23.	धीरासर शेखावतान	चूरू
3.	बालरासर आथूणा	चूरू	24.	धोधलियां	चूरू
4.	तवरान	चूरू	25.	दूदवाखारा	चूरू
5.	बरडादास	चूरू	26.	दूदवामीठा	चूरू
6.	बाढकी	चूरू	27.	गाजसर	चूरू
7.	बीकासी	चूरू	28.	घांघू	चूरू
8.	बीनासर	चूरू	29.	घण्टेल	चूरू
9.	भामासी	चूरू	30.	लोहसना	चूरू
10.	बूटियां	चूरू	31.	राजपूरा	चूरू
11.	चारणवासी	चूरू	32.	हनुतपूरा	चूरू
12.	छाजूसर	चूरू	33.	इन्द्रपूरा	चूरू
13.	धान्दू	चूरू	34.	जासास	चूरू
14.	देपालसर	चूरू	35.	जसरासर	चूरू
15.	ढाढर	चूरू	36.	झारिया	चूरू
16.	बनीरोतान	चूरू	37.	कडवासर	चूरू
17.	चारणान	चूरू	38.	करणपूरा	चूरू
18.	ढाणी चारण	चूरू	39.	करणीसर	चूरू
19.	ढाणी लालसिंह पूरा	चूरू	40.	खण्डवा पट्टा चूरू	चूरू
20.	ढाणी लक्ष्मणसिंह	चूरू	41.	खण्डवा पट्टा झारिया	चूरू
21.	धीरासर बीकान	चूरू	42.	खण्डवा पट्टा पीथीसर	चूरू

1	2	3	1	2	3
		चूरू	61.	जसरासर	चूरू
43.	खारिया	चूरू	62.	रामसरा	चूरू
44.	खासोली	चूरू	63.	राणासर	चूरू
45.	कुनसीसर	चूरू	64.	रीबिया	चूरू
46.	लादड़िया	चूरू	65.	रिडखला	चूरू
47.	लाखाउ	चूरू	66.	सातड़ा	चूरू
48.	राजपूरा	चूरू	67.	सहनाली बड़ी	चूरू
49.	बनीरोतान	चूरू	68.	सहनाली छोटी	चूरू
50.	लोहसना बड़ा	चूरू	69.	सहजूसर	चूरू
51.	लोहसना छोटा	चूरू	70.	श्यामपूरा	चूरू
52.	मैहरावन सर	चूरू	71.	श्योदानपूरा	चूरू
53.	मेघसर	चूरू	72.	सिरसला	चूरू
54.	मोलीसर बड़ा	चूरू	73.	सिरसली	चूरू
55.	नाकरासर	चूरू	74.	सोमासी	चूरू
56.	पीथीसर	चूरू	75.	सूरतपूरा	चूरू
57.	पोटी	चूरू	76.	थालोड़ी	चूरू
58.	रायपुरिया	चूरू	77.	थेलासर	चूरू
59.	रामदेवरा	चूरू	78.	ऊंटवालिया	चूरू
60.	रामपूरा पट्टा झारिया	चूरू			

कस्बों की सूची

1.	चूरू	चूरू	पेयजल की मात्रा एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रावधान
2.	रतननगर	चूरू	

परिशिष्ट-'ब'

चूरू-बिसाउ परियोजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 2006 तक लाभान्वित गांवों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील
1.	कोहिना	तारानगर	22.	पोटी	चूरू
2.	मादावास	तारानगर	23.	रामदेवरा	चूरू
3.	गलघटी	तारानगर	24.	दूदवा मीठा	चूरू
4.	भालेरी	तारानगर	25.	खण्डवा पट्टा चूरू	चूरू
5.	तोगावास	तारानगर	26.	करणपुरा	चूरू
6.	लाखनवास	तारानगर	27.	लादड़िया	चूरू
7.	रामपुरा	चूरू	28.	रामसरा	चूरू
8.	चारणवासी	चूरू	29.	पन्नेसिंह की ढाणी	चूरू
9.	बीकासी	चूरू	30.	बीनासर	चूरू
10.	करणीसर	चूरू	31.	ढाणी लालसिंहपुरा	चूरू
11.	रीबिया	चूरू	32.	ढाणी लक्ष्मणसिंह	चूरू
12.	रिड़खला	चूरू	33.	बाडकी	चूरू
13.	खण्डवा पट्टा झारिया	चूरू	34.	थालोडी	चूरू
14.	खण्डवा पट्टा पीथिसर	चूरू	35.	लालसर पट्टा बणीरोतान	चूरू
15.	आसलखेड़ी	चूरू	36.	लालसर पट्टा राजपुरा	चूरू
16.	खारिया	चूरू	37.	इन्द्रपूरा	चूरू
17.	रामपुरा बास जसरासर	चूरू	38.	न्योला	झुन्झुनूं
18.	भामासी	चूरू	39.	रामपूरा	झुन्झुनूं
19.	बरड़ादास	चूरू	40.	बिरमी	झुन्झुनूं
20.	कुनसीसर	चूरू	41.	ढाणी चारण	झुन्झुनूं
21.	ढाढरिया चारणान	चूरू	42.	मरोदा	झुन्झुनूं

1	2	3	1	2	3
43.	मैहरादास	झुन्झुनूं	48.	श्योदलपूरा	झुन्झुनूं
44.	ढाणी चारणान	झुन्झुनूं	49.	नाथासर	झुन्झुनूं
45.	जाबासर	झुन्झुनूं	50.	लोहसना बड़ा	चूरू
46.	लोहसना छोटा	झुन्झुनूं	51.	बालरासर आथूणा	चूरू
47.	जटावा कल्लान	झुन्झुनूं	52.	ख्याली	झुन्झुनूं

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में विधवा महिलाओं की नियुक्ति

36. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गत व चालू वर्ष में की गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में विधवा महिलाओं के लिये किस-किस वर्ग के कितने पद निर्धारित किये गये थे ? इन पदों के विरुद्ध किस-किस वर्ग की कितनी विधवा महिलाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पद इन वर्गों की महिला अभ्यार्थियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्धारित संख्या में नहीं भरे जा सके ? यदि हां, तो विधवा महिलाओं के कितने पद नहीं भरे जा सके ?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की विधवा महिलाओं के स्थान पर सामान्य श्रेणी की विधवा महिलाओं को उक्त पदों पर नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर विधवा महिलाओं के लिए निर्धारित पद एवं दी गई नियुक्तियों का विवरण इस प्रकार से है :-

	सामा.	**ओबीसी**	**एससी**	**एसटी**	**योग**
निर्धारित पद	1537	574	451	456	3018
नियुक्ति दी गई	2076	246	033	016	2317

(2) जी हां। अनुसूचित जाति विधवा महिलाओं के 418 एवं अनुसूचित जनजाति विधवा महिलाओं के 440 पद नहीं भरे जा सके।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। कुल 37,709 रिक्तियों के 10 प्रतिशत पद विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गये थे, जो 3773 थे, इनमें से 80 प्रतिशत विधवा एवं 20 प्रतिशत परित्यक्ता महिलाओं हेतु थे।

सामान्य विधवा महिलाओं हेतु 1537 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग की विधवा महिलाओं हेतु 574 पद, अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं हेतु 451 पद तथा अनुसूचित जनजाति की विधवा महिलाओं हेतु 456 पद कुल योग 3018 इनमें से एस.सी./एस.टी. में पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर कार्मिक विभाग की आईडी क्रमांक : 694 दिनांक 22-12-2005 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं को राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात् 211 विधवा महिलाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। इन 211 पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आगे होने वाली भर्ती में भरने के आदेश दिये गये हैं जिससे किसी भी वर्ग पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

साउथ घग्घर कैनाल को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति

37. **श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत साउथ घग्घर कैनाल (एस.जी.सी.) को पूर्व में हरियाणा से पानी उपलब्ध करवाया जाता था जबकि वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि पानी 2.40 क्यूसेक दिया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त कैनाल को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में शामिल करने के पश्चात् 3.50 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत साउथ घग्घर कैनाल (एस.जी.सी.) को पूर्व में हरियाणा की नहरों से सतलुज का पानी उपलब्ध करवाया जाता था, जबकि वर्तमान में साउथ घग्घर कैनाल (एस.जी.सी.) को इन्दिरा गांधी फीडर से सतलुज का ही पानी 2.4 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ जलांक के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) सरकार द्वारा उक्त कैनाल को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। साउथ घग्घर कैनाल (एस.जी.सी.) भाखड़ा नहर प्रणाली का ही सिंचित क्षेत्र है जिसका जलांक 2.40 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ निर्धारित है जिसके अनुरूप इस क्षेत्र को सिंचाई हेतु सतलुज का पानी इन्दिरा गांधी फीडर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। चूंकि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एक स्वतन्त्र सिंचाई नहर प्रणाली है जिसका अपना सिंचित क्षेत्र एवं जलांक अलग से निर्धारित है। अतः दोनों सिंचाई परियोजनाओं के लिए अलग-अलग सिंचित क्षेत्र होने तथा अलग-अलग पानी की मात्रा एवं जलांक निर्धारित होने के कारण साउथ घग्घर कैनाल (एस.जी.सी.) को 3.50 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ के हिसाब से पानी दिया जाना सम्भव नहीं है।

बांसवाड़ा जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

38. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में उच्च माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नये क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में अभी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार नव क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कब तक नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाडा में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों के विवरण का परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(2) जी हां। नव क्रमोन्नत विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डानुसार प्रथम वर्ष में एक प्रधानाध्यापक, दो वरिष्ठ अध्यापक एवं द्वितीय वर्ष में दो वरिष्ठ अध्यापक के पदों की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण शैक्षिक व्यवस्था बनाये रखने हेतु जब तक नये पदों का आबंटन नहीं हो जाता, पूर्व से कार्यरत शिक्षक कार्यरत रहते हैं। क्रमोन्नत विद्यालयों के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पदों की स्वीकृति जारी हो चुकी है। इन पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर लगाया जाना सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर के औद्योगिक क्षेत्र में आरक्षित वर्ग द्वारा संचालित उद्योग

24. श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने उद्योग औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित हैं ?

(2) उक्त में से कितने उद्योग अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा संचालित हैं ?

(3) जिला बीकानेर के औद्योगिक क्षेत्र में कितने उद्योग हैं तथा इनमें से अनुसूचित जाति के व्यक्त‍ियों द्वारा कितने उद्योग लगाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 19919 इकाइयां (उद्योग) उत्पादनरत है।

(2) उक्त इकाइयों में से अनुसूचित जाति उद्यमियों द्वारा कुल 447 इकाइयां (उद्योग) लगाई गई है।

(3) जिला बीकानेर में रीको औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 713 इकाइयां (उद्योग) उत्पादनरत है जिनमें से अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा 9 इकाइयां (उद्योग) लगाई गई है। विवरण संलग्न है।

जिला-बीकानेर

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	उत्पादनरत इकाईयों की संख्या	उत्पादनरत इकाइयों में सम्मिलित अनुसूचित जाति उद्यमियों की इकाइयों की संख्या
1.	बीछवाल	221	03
2.	लूणकरणसर	54	-
3.	नापासर	17	01
4.	खाजूवाला (बेरीनवाल)	07	01

1	2	3	4
5.	नोखा	22	-
6.	खारा (आईजीसी)	79	04
7.	करणी फैज-प्रथम, द्वितीय और जी.सी.	90	-
8.	रानी बाजारी (हस्ता.)	176	-
9.	नोखा (अविकसित)	25	-
10.	डूंगरगढ़	22	-
	कुल	**713**	**09**

अनुसूचित जाति के उद्यमियों को आबंटित एवं उत्पादनरत इकाइयों की सूची
जिला-बीकानेर

क्र. सं.	**उद्यमी का नाम व पता**	**प्लाट नम्बर**	**आबंटन की दिनांक**	**श्रेणी**	**वर्तमान स्थिति**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल					
1.	करोल इण्ड, श्रीमती सरस्वति देवी पत्नी श्री गहीराम, कोठी नं. 27, क्वार्टर नं. 116, सिविल लाइन, बीकानेर	एफ-174, 2000 वर्गमीटर	31.12.88	अनु. जाति	इाकई उत्पादनरत हस्तान्तरण मैसर्स रंजीत इण्ड.

1	2	3	4	5	6
2.	बीकानेर इन्टरप्राइजेज, श्री ओमप्रकाश मेघवाल पुत्र श्री हर्जीराम मेघवाल, जसोलाईतसाई, बीकानेर	एफ-96 1950 वर्गमीटर	25.09.90	अनु. जाति	इकाई उत्पादनरत हस्तान्तरण श्री पवन अरोडा इण्ड.
3.	मंगल फिनिसिंग एण्ड रंगाई बुनाई उद्योग, श्री मगनलाल पुत्र श्री श्रवणराम मेघवाल, कमला कालोनी, गजनेर रोड, बीकानेर	एफ-153 1950 वर्गमीटर	18.12.85	अनु. जाति	इकाई उत्पादनरत हस्तान्तरण मैसर्स हनुमान इण्ड.
औद्योगिक क्षेत्र नापासर					
1.	मैसर्स करणी इण्डस्ट्रीज, श्री सुरताराम पुत्र श्री गोधाराम, वार्ड नं. 9, देशनोक, बीकानेर	एच-20 500 वर्गमीटर	26.06.94	अनु. जाति	आर.एफ.सी. द्वारा कब्जे में लेकर नीलामी कर दी गई।
औद्योगिक क्षेत्र खाजुवाला					
1.	श्री गुरूनानक ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, श्री अनूप	जी-15 1500 वर्गमीटर	9.06.82	अनु. जाति	इकाई उत्पादनरत है।

1	2	3	4	5	6
	सिंह, पुत्र श्री वीर सिंह, चक-4 पोस्ट खाजुवाला, बीकानेर				
औद्योगिक विकास केन्द्र खारा					
1.	मै. करणी जगदम्बा इण्ड. श्री प्रकाश चन्द देवड़ा पुत्र श्री चन्द्रकान्त देवड़ा, 3-ग-16, पवनपुरी, बीकानेर।	एफ-177 1950 वर्गमीटर	25.02.02	अनु. जाति	उत्पादनरत है।
2.	मै. कंचन उद्योग, श्रीमति शान्ति पत्नी श्री विजय कुमार, 1-ई-55, जे.एन.वी., बीकानेर	जी-60ए	29.08.01	अनु. जाति	उत्पादनरत है।
3.	मै. बालाजी इण्ड. श्री गुजन असवानी पुत्र श्री किशनदास, 6-बी-41, जे.एन.बी., बीकानेर	जी-28 1500 वर्गमीटर	11.07.02	अनु. जाति	उत्पादनरत है।
4.	मै. किशन उद्योग, श्री विजय कुमार पुत्र श्री रामधन, 1-बी-25, जे.एन.बी., बीकानेर	जी-4 1500 वर्गमीटर	30.03.94	अनु. जाति	उत्पादनरत है।

हनुमानगढ़ विभागीय मुख्यालय में रिक्त पद

25. चौ. विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ स्थित विभाग में कर्मचारियों, अधिकारियों की कमी है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी श्रेणी के कितने-कितने ? क्या सरकार उस कमी को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। स्वीकृत पदों के सन्दर्भ में 2 पद कनिष्ठ अभियन्ता, 1 पद कार्यालय सहायक, 2 पद फिटर-II, 2 पद पम्प चालक-I, 3 पद पम्प चालक-II व 3 पद सहायक के रिक्त हैं। इस प्रकार कुल 104 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 13 रिक्तियां हैं। जी हां, उपलब्ध कर्मचारी, आवश्यकता तथा प्राथमिकता के आधार पर इनकी पूर्ति करना प्रस्तावित है।

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में सूखे/पानी रहित हैण्ड पम्प/ नलकूपों का भुगतान

26. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत दो वर्षों में किस-किस योजनान्तर्गत कहां-कहां पर हैण्ड पम्प व नलकूप लगवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा सूखे हैण्ड पम्पों व नलकूपों का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों व सूखे (पानी रहित) हैण्ड पम्पों व नलकूपों का भुगतान करने पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत 2 वित्तीय वर्षों में स्वीकृत हैण्ड पम्प एवं नलकूपों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	हैण्ड पम्प			नलकूप		
	स्वीकृत	लगाये गये	शेष	स्वीकृत	लगाये गये	शेष
2003-04	214	214	0	7	7	0
2004-05	202	190	12	0	0	0

वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सेवदड़ा ग्राम (सीकर) के उच्च जलाशय से जलापूर्ति

27. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के ग्राम सेवदड़ा में एक उच्च जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत करवाया गया ? यदि हां, तो उक्त जलाशय का निर्माण कब एवं कितनी लागत से करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जलाशय की स्थिति कैसी है एवं क्या इससे पानी की सप्लाई नियमित रूप से की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्राम सेवदड़ा के उच्च जलाशय की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवदड़ा में एक उच्च जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय जल योजना सेवदड़ा-किरडोली के अन्तर्गत कराया गया था। उच्च जलाशय का निर्माण सन् 1982 में लागत रु. 1.20 लाख में कराया गया था।

(2) वर्तमान में जल योजना सेवदड़ा-किरडोली के उच्च जलाशय की बालकनी व सीढ़ी के सरियों में जंग आने के कारण बालकनी व सीढ़ी गिरना शुरू हो गई है तथा भूतल के पास स्तम्भों की कंकरीट में दरारें आने शुरू हो गई हैं। इस उच्च जलाशय से जलापूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् उनकी राय के अनुसार जलाशय की मरम्मत कराने की कार्यवाही करायी जावेगी।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैण्ड पम्प

28. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में सरकार द्वारा हैण्ड पम्प खोदने की जो ड्रिलिंग मशीन अधिकृत की है वह अत्यन्त पुराना माडल है तथा समय पर हैण्ड पम्प खोदने में सक्षम नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

जिले में नई ड्रिलिंग मशीन आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कुल कितने हैण्ड पम्प वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान स्वीकृत किये गये ? विवरण ग्रामवार व योजनावार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्पों में से कितने खोदे जा चुके हैं एवं कितने खोदना बाकी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बकाया स्वीकृत हैण्ड पम्प शीघ्र खोदने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर के डेगाना क्षेत्र में वर्तमान में भू-जल विभाग की एक रिग मशीन (माडल वर्ष 1975) हैण्ड पम्प वेधन कार्य हेतु कार्यरत है। डेगाना क्षेत्र में ओवर बर्डन फार्मेशन की ज्यादा गहराई होने एवं बोल्डर फॉर्मेशन आने के कारण हैण्ड पम्प निर्माण में अधिक समय लगता है। इस इकाई द्वारा पिछले एक माह में 9 हैण्ड पम्प निर्मित गये हैं। वर्तमान कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय/प्राइवेट रिग मशीन को लगाया जावेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में क्रमश: 31 एवं 34 हैण्ड पम्प (कुल 65) विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये गये हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-'क' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्पों में से वर्ष 2004-05 के 30 एवं 2005-06 के 9 सफल हैण्ड पम्प वेधित किये गये हैं। शेष 26 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(4) जी हां। शेष रहे 26 हैण्ड पम्पों को माह अप्रैल, 2006 तक चालू करना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-'क'

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान स्वीकृत हैण्ड पम्प का विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष	ग्राम का नाम	स्थान का नाम	स्वी. हैण्ड पम्पों की संख्या	खोदा गया हां/नहीं	वर्तमान स्थिति	विवरण
1.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	रातातुण्डा	आसन	1	हां	चालू	-
2.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	मुण्डेलपुरा	स्कूल	1	हां	चालू	-
3.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	लाखिना	स्कूल	1	हां	चालू	-
4.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	हरसौर	ईदगाह के पास	1	हां	चालू	-
5.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	हरसौर	शषि कालोनी	1	हां	चालू	-
6.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	हरसौर	बावरियों का बास	1	हां	चालू	-
7.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	हरसौर	मिज बावड़ी	1	हां	चालू	-
8.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	मुण्डेलपुरा	हथाई	1	हां	चालू	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	शाहपुरा	डेर नाडी	1	हां	चालू	-
10.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	थांवला	मस्जिद के पास	1	हां	चालू	-
11.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	ढाणीपुरा	जस्सू खां की ढाणी	1	हां	चालू	-
12.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	निम्बोला बिस्वा	लाल की ढाणी	1	हां	चालू	-
13.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	निम्बोला बिस्वा	चौहानों की ढाणी	1	हां	चालू	-
14.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	ढाणीपुरा	आसन फान्टा	1	हां	चालू	-
15.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	रातातुण्डा	कागंटों की ढाणी	1	हां	चालू	-
16.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	रातातुण्डा	बड़लों की ढाणी	1	हां	चालू	-
17.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	शेखपुरा	चौकीदारों का मौहल्ला	1	हां	चालू	-
18.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	शेखपुरा	थांवला रोड पर	1	हां	चालू	-
19.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	शेखपुरा	पंचारो की ढाणी	1	हां	चालू	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	कालनी	शिवकरण चौपड़ा के मकान के पास	1	हां	चालू	-
21.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	कालनी	मैरासी की ढाणी	1	हां	चालू	-
22.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	कालनी	डुंगजी कुमावत कुएं के पास	1	हां	चालू	-
23.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	थांवला	गणेशजी लाभूजी डोडा बेरा	1	हां	चालू	-
24.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	थांवला	लादू खां सिपाही की ढाणी	1	हां	चालू	-
25.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	बाडी घाटी	माताजी मन्दिर के पास	1	हां	चालू	-
26.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	कालनी	गिवारियां की ढाणी	1	हां	चालू	-
27.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	कालनी	अमरदास बाड़ के पास	1	हां	-	असफल
28.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	थांवला	गेदरों की ढाणी	1	हां	चालू	-
29.	पी.एम.जी.वाई.	2004-05	भैरून्दा	भैरून्दा	2	हां	चालू	-
30.	पी.एम.जी.वाई.	2004-05	सनेड़ियां	सनेड़ियां	1	हां	चालू	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	पी.एम.जी.वाई.	2005-06	राकियासनी	राकियासनी	1	हां	चालू	-
32.	पी.एम.जी.वाई.	2005-06	जसवन्तपुरा	जसवन्तपुरा	1	हां	चालू	-
35.	विधायक मद	2005-06	ढाणीपुरा	हरसुखराम मेघवाल की ढाणी	1	नहीं	-	-
36.	एम.एन.पी.	2005-06	कालनी	कुड़ियों की ढाणी	1	नहीं	-	-
37.	एम.एन.पी.	2005-06	ढाणीपुरा	सोहनलाल गोरा की ढाणी	2	नहीं	-	-
38.	एम.एन.पी.	2005-06	डोडियाना	गठशाला एवं चोयलों की ढाणी	2	नहीं	-	-
39.	एम.एन.पी.	2005-06	कोड	पुनियों की ढाणी	1	नहीं	-	-
40.	एम.एन.पी.	2005-06	मोड़ीकलां	बस स्टेण्ड, रामरतन प्रजापत के मकान के पास	2	नहीं	-	-
41.	एम.एन.पी.	2005-06	थाटा	मेघवालों का मोहल्ला, हनुमान सागर की ढाणी, थाटा	2	1/हां	चालू	1 नग हैण्डपम्प खुदना बाकी
42.	एम.एन.पी.	2005-06	थांवला	संगत की ढाणी	1	नहीं	-	-
43.	एम.एन.पी.	2005-06	किला	रेगरों का बास, नाइयों का मोहल्ला	2	नहीं	-	-
44.	एम.एन.पी.	2005-06	सनेड़ियां	प्रभु बेनीवाल की ढाणी	1	नहीं	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	एम.एन.पी.	2005-06	थांवला	संस्कृत स्कूल	1	नहीं	-	-
46.	एम.एन.पी.	2005-06	आलनियावास	श्यामपुरा, मालियों का बास	2	नहीं	-	-
47.	एम.एन.पी.	2005-06	राकियासनी	आम रास्ता	1	नहीं	-	-
48.	एम.एन.पी.	2005-06	भैरून्दा	कड़वो की ढाणी	1	नहीं	-	-
49.	एम.एन.पी.	2005-06	सूदवाड़	ब्राहम्णों का मोहल्ला	1	नहीं	-	-
50.	एम.एन.पी.	2005-06	राताटुण्डा	हरिजन, मेघवाल एवं मण्डा की ढाणी	3	नहीं	-	-
51.	एम.एन.पी.	2005-06	बाडी घाटी	रेवतों का ढाणी	1	नहीं	-	-
52.	एम.एन.पी.	2005-06	थांवला	बेनीवालों की ढाणी	1	नहीं	-	-
53.	एम.एन.पी.	2005-06	मुण्डेलपुरा	बुगाजी का स्थान	1	नहीं	-	-
54.	एम.एन.पी.	2005-06	कोड	कोड	4	हां	चालू	-
55.	एम.एन.पी.	2005-06	दौलतपुरा	दौलतपुरा	1	हां	चालू	-

राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति

29. **श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के ग्राम मछरया व पहाड़ी की जल प्रदाय योजना पूरी की जाकर पानी की व्यवस्था हो रही है तथा क्या उक्त योजना के सभी ग्रामों में भूमिगत जलाशय (जी.एल.आर.) के माध्यम से पानी पहुंच रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत मरैना व दान की जल प्रदाय सप्लाई पूरी हो जाने के उपरान्त भी अब तक ग्रामवासियों को पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम बाजना, हथवारी की जल प्रदाय योजना से ग्रामवासियों को जी.एल.आर. के माध्यम से पानी मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के ग्राम मछरिया एवं पहाड़ी हेतु स्वीकृत जनता जल योजनाएं ग्राम पंचायत, मछरिया को मार्च, 2005 में संचालन एवं संधारण हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी हैं एवं वर्तमान में दोनों गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

ग्राम मछरिया में निर्मित 3 भू-तल जलाशयों में से एक भू-तल जलाशय को स्रोत से जोड़ने वाली पाइप लाइन के स्थान पर स्थानीय ग्रामवासियों के विवाद के कारण अभी जोड़ा नहीं जा सका है। इस ग्राम में 15 हैण्ड पम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।

(2) जी नहीं। ग्राम मरैना एवं दान हेतु स्वीकृत जनता जल योजनाएं ग्राम पंचायत, मरैना को माह अक्टूबर, 2004 में संचालन एवं संधारण हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी हैं एवं वर्तमान में दोनों गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

ग्राम दान की ढाणी नगरघटा एवं रामसिंह का पुरा अन्तिम छोर पर होने एवं योजना हेतु निर्मित 2 नलकूपों में से 1 नलकूप की पेयजल आवक क्षमता कम होने के कारण इस योजना से पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इन ढाणियों में वर्तमान में क्रमश: 5 एवं 2 हैण्ड पम्प क्रियाशील हैं। स्रोत विकास

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

का कार्य माह मार्च, 2006 तक पूर्ण कर इन ढाणियों को उक्त योजना से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

(3) विवरण निम्न प्रकार है-

ग्राम बाजना:- इस ग्राम हेतु स्वीकृत जनता जल योजना में प्रावधान अनुरूप समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। योजना पर विद्युत सम्बन्ध लेकर इसे मार्च, 2006 तक चालू करना प्रस्तावित है। ग्राम बाजना एवं इसके मजरों में वर्तमान में 36 हैण्ड पम्प क्रियाशील हैं।

ग्राम हथवारी:- ग्राम हथवारी की स्वीकृत जनता जल योजना ग्राम पंचायत, हथवारी को संचालन एवं संधारण हेतु माह अप्रैल, 2001 में हस्तान्तरित की जा चुकी है। वर्तमान में ग्राम में इस योजना से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त 10 हैण्ड पम्प भी क्रियाशील हैं।

भूतपूर्व जागीरदारों के भू-आबंटन प्रकरणों का निस्तारण

30. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भूतपूर्व जागीरदारों को भूमि आबंटन/आबंटित भूमि का कब्जा दिये जाने से सम्बन्धित सभी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु जागीर आयुक्त को निर्दिष्ट किया गया है ? यदि हां, तो राज्य में वर्तमान में विचाराधीन प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में अब तक किन-किन भूतपूर्व जागीरदारों को भूमि आबंटित की जाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया ? विवरण मय भू. पू. जागीरदारों के नाम, आबंटित भूमि का रकबा/खसरा नं. गांव, तहसील व जिला के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई प्रकरण ऐसे हैं जिनमें भूतपूर्व जागीरदारों को पूर्व में खुदकाश्त हेतु आबंटित भूमि में से शेष रही भूमि का कब्जा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन भूतपूर्व जागीरदारों को कितनी कितनी शेष रही भूमि का कब्जा दिया जाना शेष है ? सूची मय नाम/ तहसील/जिला/रकबा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भूतपूर्व जागीरदारों को पूर्व में आबंटित भूमि में से

(श्री भंवरू खान)

शेष रह रही भूमि का कब्जा दिये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले के पूर्व जागीरदारों को भूमि आबंटन से सम्बन्धित विचाराधीन प्रकरणों की सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) जयपुर जिले के उपलब्ध अभिलेख के अनुसार भूतपूर्व जागीरदारों को भूमि का आबंटन किया जाकर निस्तारण किये गये प्रकरणों की सूची परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(3) जी हां। जिन भूतपूर्व जागीरदारों को कब्जा नहीं दिया गया है की सूची परिशिष्ट 'स' संलग्न है।

(4) जी हां। न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में निर्णय होने पर तदनुसार नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के घोषित अभावग्रस्त गांव

31. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) की खरीफ की फसल वर्ष 2005-06 के दौरान गिरदावरी कब कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गिरदावरी के आधार पर उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुछ ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों को कितने-कितने प्रतिशत खराब के आधार पर घोषित किया गया ? विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुछ अन्य गांव अकालग्रस्त होते हुये भी अकालग्रस्त घोषित नहीं किये गये ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों द्वारा पुनः गिरदावरी कराने की मांग की गई ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2005-06 की खरीफ गिरदावरी 16-9-2005 से 15-10-2005 के मध्य कराई गई।

(2) जी हां। गिरदावरी के आधार पर विधान सभा क्षेत्र डेगाना के 17 ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र डेगाना में अकालग्रस्त उन्हीं ग्रामों को घोषित किया गया है जो गिरदावरी रिपोर्ट में अकालग्रस्त थे। गिरदावरी मौके के अनुसार सही की गई है।

ग्राम पंचायत बंरवरला के ग्राम मोडरिया, सुंदरी, चांचियास, ग्राम पंचायत आन्तरोलीकलां, आन्तरोली खुर्द, सारसण्डा एवं ग्राम पंचायत मोगास के ग्राम करतासर गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित करने की मांग की गई लेकिन गिरदावरी पुनरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उक्त ग्रामों में अभावग्रस्त घोषित योग्य फसल खराबा नहीं था।

परिशिष्ट-"क"

तहसील क्षेत्र डेगाना के अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की सूची मय खराबा प्रतिशत में

क्र. सं.	नाम अभावग्रस्त ग्राम	खराबा प्रतिशत में	विशेष विवरण
1.	जालसु नानक	58 %	
2.	जालसू कला	63 %	
3.	चक जालसु कला	59 %	
4.	बंवरला	53 %	
5.	चिकनास	58 %	
6.	सिरासना	54 %	
7.	चम्पाखेड़ी	55 %	
8.	देवलामादा	58 %	
9.	राणास	55 %	
10.	उदिपास	53 %	

क्र. सं.	नाम अभावग्रस्त ग्राम	खराबा प्रतिशत में	विशेष विवरण
11.	खुड़ीखुर्द	54 %	
12.	पण्डवाला	55 %	
13.	मोगास	53 %	
14.	सुखबासनी	52 %	
15.	खिन्दास	54 %	
16.	खातोलाई	52 %	
17.	देवलाकला	61 %	

तहसीलदार (भू.अ.) डेगाना,
जिला नागौर

जालसू ग्राम पंचायत (जयपुर) में भूदान बोर्ड द्वारा कृषि कार्यों हेतु आबंटित भूमि

32. **श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जालसू, पंचायत समिति आमेर, जिला जयपुर में भूदान बोर्ड द्वारा खसरा नं. 224 व 226 की भूमि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ? आबंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूदान बोर्ड द्वारा ग्राम जालसू के खसरा नं. 224 व 226 के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि कार्य की भूमि को अकृषि में नियमों में बिना संशोधन के ही परिवर्तित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि भूदान बोर्ड द्वारा की गई इस कार्यवाही के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम जालसू की भूमि खसरा नं. 224 रकबा 8.68 हैक्टर एवं खसरा नं. 226 रकबा 0.33 हैक्टर का आबंटन श्री गुल्ला पुत्र काना बलाई के नाम स्वीकृत हुआ था, बाद में आबंटी का देहावसान हो जाने के कारण सुन्दरी बेवा गुल्ला, रमेश, राधेश्याम, सीताराम, किशना, रामचन्द्र, राजेन्द्र, पिसरान गुल्ला बलाई साकिन देह उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हुआ है।

(2) जी हां। अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है।

दूरभाष : अध्यक्ष 2607949
2608472 (का.)

राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड

धाभाईजी की हवेली, हवामहल बाजार, जयपुर-302002

क्रमांक : 851 दिनांक : 9-2-2005

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जयपुर जिले की आमेर तहसील के ग्राम जालसू की खसरा नं. 224, 226 रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूदान भूमि जो तहसील की जमाबन्दी सम्वत् 2056-59 के खाता सं. 127 पर भूदान होल्डर्स सुन्दरी बेवा गुल्ला, रमेश, राधेश्याम, सीताराम, किसन, रामचन्द्र, राजेन्द्र पिता गुल्ला बलाई सा. देह के नाम दर्ज है, यदि नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा आबादी में परिवर्तन योग्य हो और की जा सकती हो तो इसमें भूदान बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है।

नित्यानन्द शर्मा
निदेशक

प्रतिलिपि :

श्री तहसीलदार,
तहसील आमेर,
जिला जयपुर

जगरामपुरा, महुवा ग्राम की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

33. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जगरामपुरा, तहसील महुवा (दौसा) में काफी बड़ा भाग चरागाह भूमि का है ? यदि हां, तो इसका क्षेत्रफल कितना है ? रकबा एवं खसरा नम्बर, जमाबन्दी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चरागाह भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस ने ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम जगरामपुरा, तहसील महुवा, जिला दौसा में चरागाह भूमि कुल किता खसरा नम्बरान 64 कुल रकबा 87.11 हैक्टर दर्ज रेकार्ड है। रकबा एवं खसरा नम्बर जमाबन्दी सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां। अतिक्रमियों का विवरण नाम, रकबे सहित सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के लिए 21 प्रकरण दर्ज हुए थे। जिनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ठ 'ब' संलग्न है। एक प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर केम्प दौसा का स्थगन आदेश होने के कारण बेदखली की कार्यवाही नहीं की गयी है। शेष अतिक्रमण हटाया जा चुका है।

परिशिष्ट-"अ"

जमाबन्दी

जमाबन्दी : जगरामपुरा — पटवार क्षेत्र : गाजीपुर — भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, गाजीपुर — प्रपत्र पी : 26

तहसील : महुवा — जिला : दौसा — दिनांक : 23-4-2005 — पृष्ठ नं. : नमा. 4

सम्वत : 2060-2063 — वास्तविक सम्वत : 2060

क्षेत्रफल : क्षेत्रफल हैक्टेयर में

खेवट (खतोनी)		भूमि धार कों का नाम	काश्तकार का नाम, पिता जाति तथा निवास स्थान के पता सहित तथा कृषि काल	खसरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	देय लगान		नामान्तर करण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्योरा विशिष्टियां जिस के पक्ष भूमि अन्तरित हो	टिप्पणियां
नया	पुराना							दर	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	राज. सर कार	चारागाह अन्य सामान्य काम हेतु	32	1.8600		1.8600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				36	0.4400	गै.मु.रास्ता	0.4400					
				75	20.3900	चारागाह	20.3900					
				87	2.0600	चारागाह	2.0600					
				88	0.0100	गै.मु.कुई	0.0100					
				89	0.1000	चारागाह	0.1000					
				90	28.3100	चारागाह	28.3100					
				263	0.3300	गै.मु.रास्ता	0.3300					
				109	0.2600	तालाबी प्रथम	0.2600	बोरिंग नं 6	23			
				110	0.2700	तालाबी प्रथम	0.2700		23			
				114	0.5000	तालाबी प्रथम	0.5000		23			
				115	0.1500	तालाबी प्रथम	0.1500		23			
				147	0.0200	तालाबी प्रथम	0.0200		23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				148	0.0400	तालाबी प्रथम	0.0400		23			
				149	0.0400	तालाबी प्रथम	0.0400		23			
				150	0.0400	तालाबी प्रथम	0.0400		23			
				151	0.0100	तालाबी प्रथम	0.0100		23			
						तालाबी प्रथम			23			
				153	0.0100	तालाबी प्रथम	0.0100		23			
				214	0.1200	तालाबी प्रथम	0.1200	बोरिंग नं 6	23			
				215	0.1700	तालाबी प्रथम	0.1700		23			
				23	1.5300	बारानी 1	1.5300	बोरिंग नं 6	9.50			
				24	1.5800	बारानी 1	1.5800		9.50			
				243	0.2400	तालाबी प्रथम	0.2400		23			
				244	0.1200	तालाबी प्रथम	0.1200		23			
				25	1.2000	चारागाह	1.2000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				250	0.2000	तालाबी प्रथम	0.2000		23			
				251	0.2000	तालाबी प्रथम	0.2000		23			
				262	0.0900	तालाबी प्रथम	0.0900		23			
				264	2.1900	तालाबी द्वितीय	2.1900		14			
				265	0.6400	तालाबी द्वितीय	0.6400		14			
				266	0.0100	तालाबी द्वितीय	0.0100		14			
				267	0.3700	तालाबी द्वितीय	0.3700		14			
				268	1.3000	तालाबी द्वितीय	1.3000		14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				34	1.5700	चाही 3	1.2600	बोरिंग नं 6 से मांग कर	16			
						जाव 3	0.3100		8			
				35	1.3800	चाही 3	1.9700	बोरिंग नं 6 से मांग कर	16			
						जाव 3	0.4100		8			
				37	1.5500	बारानी 1	1.5500		9.50			
				38	0.9900	बारानी 1	0.9900		9.50			
				39	0.9700	चाही 3	0.4800	चाह बोरिंग मोसमपुर पटी	16			
						जाव 3	0.4900		8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				40	0.8300	चाही 3	0.4200	चाह बोरिंग मोसमपुर पटी	16			
						जाव 3	0.4100		8			
				44	0.6900	तालाबी द्वितीय	0.6900		14			
				45	0.2700	तालाबी द्वितीय	0.2700		14			
				46	0.1500	तालाबी द्वितीय	0.1500		14			
				47	0.0400	तालाबी द्वितीय	0.0400		14			
				48	0.0400	तालाबी द्वितीय	0.0400		14			
				65	0.0100	तालाबी द्वितीय	0.0100		14			
				66	0.0200	तालाबी द्वितीय	0.0200		14			
				67	0.0500	तालाबी द्वितीय	0.0500		14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				68	0.0500	तालाबी द्वितीय	0.0500		14			
				69	0.0900	तालाबी द्वितीय	0.0900		14			
				70	0.1200	तालाबी द्वितीय	0.1200		14			
				71	0.0600	तालाबी द्वितीय	0.0600		14			
				72	0.0800	तालाबी द्वितीय	0.0800		14			
				73	0.0100	तालाबी द्वितीय	0.0100		14			
				74	0.0200	तालाबी द्वितीय	0.0200		14			
				86	2.6900	बारानी 1	2.6900		9.50			
				91	0.1600	तालाबी प्रथम	0.1600		23			
				92	2.6300	तालाबी प्रथम	2.6300		23			
				93	4.2400	तालाबी प्रथम	4.2400		23			
				95	0.3200	तालाबी प्रथम	0.3200		23			
				96	0.3700	तालाबी प्रथम	0.3700		23			
				97	1.3800	तालाबी प्रथम	1.3800		23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				98	0.9800	तालाबी प्रथम	0.9800		23			
				99	0.5300	तालाबी प्रथम	0.5300		23			
कुल			कुल खसरा = 64	कुल क्षेत्रफल	87.1100	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल						
						चारागाह	53.9200					
						गै.मु. रास्ता	0.7700					
						गै.मु. कुई	0.100					
						तालाबी प्रथम	13.1100					
						बारानी 1	8.3400					
						तालाबी द्वितीय	6.2100					
						चाही 3	3.1300					
						जाव 3	1.6200					

जिला कलेक्टर

परिशिष्ट-"ब"

ग्राम जगरामपुरा तहसील महुआ में स्थित चारागाह भूमि पर सम्वत 2062 फसल रबी में जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनके विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	अतिक्रमी का नाम मय पता	अतिक्रमित भूमि का विवरण		की गई कार्यवाही		फसल नीलामी की राशि	सिविल कारावास	वि.वि.
		ख.नं.	रकबा है. में	ता. निर्णय	पेनल्टी			
1.	रामसिंह, हरके पि. जोहरी गुर्जर नि. भोपुर शाहपुर	2324	3.03	-	-	-	-	स्थगन आदेश न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर
2.	अमर सिंह, लाखन सिंह पि. केसर सिंह राजपूत नि. जगरामपुरा	34, 25	2.70	4.1.06	1890	2500	1 माह	
3.	जुम्मा पुत्र सरफू लुहार नि. महुआ	35	1.38	4.1.06	966	900	1 माह	
4.	रामसिंह, भगवान सिंह, रत्तीराम बच्चू रमेश ठण्डी पि. जगन	44, 45	0.89	4.1.06	623	890	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	रामसिंह पुत्र नन्नू, भरतू पुत्र पुरण गुर्जर नि. मौसमपुर पट्टी	37, 38, 39	2.00	12.1.06	1400	2000		
6.	हरिओम पुत्र बंशी गुर्जर नि. मौसमपुर पट्टी	40	0.50	4.1.06	350	400		
7.	महाराज सिंह पुत्र नानगा गुर्जर नि. गहनोली	86, 90	2.50	4.1.06	1750	1500	1 माह	पत्रावली न्यायालय जिला कलेक्टर के यहां प्रेषित।
8.	राजूलाल, मोहन लाल पि. नारायण गुर्जर नि. भोपर शाहपुर	86, 90	2.25	4.1.06	1575	फसल कब्जे राज ली गई।	1 माह	पत्रावली न्यायालय जिला कलेक्टर के यहां प्रेषित।
9.	सियाराम, रामनिवास पि. श्योदान, हेमराज, दयाराम पि. रामकुमार, मानसिंह बिसराम पि. सरदार गुजर नि. भोपर शाहपुर	90	1.00	12.1.06	700	फसल कब्जे राज ली गई।	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	नारायण पुत्र सुगन गुर्जर नि. समसपुर	90	1.50	4.1.06	1050	800	1 माह	-
11.	सुग्रीव पुत्र श्रीचन्द गुर्जर नि. बिराना	92	1.50	4.1.06	1050	1250	-	-
12.	भूरसिंह पुत्र कुन्दन, घनश्याम पुत्र रामजीलाल, रामसिंह पुत्र कुन्दन गुर्जर नि. समसपुर	92	1.13	4.1.06	791	950	1 माह	-
13.	हंसराम, श्योरतन पि. गोकल गुर्जर नि. गहनोली	93, 95	4.56	4.1.06	3192	फसल कब्जे राज ली गई।	1 माह	-
14.	जनक सिंह, सुग्रीव, साहब सिंह, शिवसिंह पि. हरिगुर्जर नि. भोपर शाहपुर	98	0.98	4.1.06	686	फसल कब्जे राज ली गई।	-	-
15.	रामजीलाल, चरण पि. कुन्दन गुर्जर नि. महुआ	99	0.53	4.1.06	371	फसल कब्जे राज ली गई।	-	-
16.	निहाल सिंह पुत्र मोना, गिर्राज	109, 110	0.53	4.1.06	371	530	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पुत्र श्योसिंह जाति गुर्जर नि. भोपर शाहपुर							
17.	रामजीलाल पुत्र हंसे गुर्जर नि. बेडा जगरामपुरा	90, 115	0.75	4.1.06	525	500	-	-
18.	जगदीश पुत्र परसादी गुर्जर बेडा जगरामपुरा	87, 250	0.50	4.1.06	350	500	-	-
19.	प्रेम, राधे पि. नत्थू, जतीराम हरिराम, पि. बिरजू भरोसी शिवराम पि. रंगलाल आराम पुत्र रघुवर गुर्जर नि. भोपर शाहपुर	268	1.30	4.1.06	910	फसल कब्जे राज ली गई।	-	-
20.	हरकेश पुत्र भूरसिंह, बाबू पुत्र अमर सिंह गुर्जर नि. बेडा	243	0.24	4.1.06	168	240	-	-
21.	अतर सिंह पुत्र रामजीत रामरतन पि. रामफल गुर्जर नि. भोपर शाहपुर	264, 265	2.50	12.1.06	1750	फसल कब्जे राज ली गई।	1 माह	-

जिला कलेक्टर,
दौसा

कृषकों को फसल बीमा योजनान्तर्गत मुआवजा का भुगतान

34. श्री अमराराम (धोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में गत दो वर्षों में कितने किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया गया तथा उनके द्वारा कितनी राशि प्रीमियम की दी गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खरीफ 2003, रबी 2003-04 एवं खरीफ-2004 तथा रबी 2004-05 में फसल बीमा योजना के तहत कृषकों को दिया जाने वाला मुआवजा एवं कृषकों द्वारा दी गई प्रीमियम राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	जिले का नाम	खरीफ 2003			
		बीमित कृषक संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्रीमियम प्राप्ती (रुपये में)	मुआवजा (रुपये में)
1.	अजमेर	257	0	81743.38	0
2.	अलवर	11	0	1489.62	0
3.	बांसवाड़ा	4271	120	274550.49	147145.57
4.	बारां	55	0	3690.00	0
5.	बाड़मेर	1503	0	457750.54	0
6.	भरतपुर	913	0	355623.38	0
7.	भीलवाड़ा	402	0	162902.58	0
8.	बीकानेर	1282	13	1015974.42	4179.81

1	2	3	4	5	6
9.	बून्दी	55	0	15665.00	0
10.	चित्तौड़गढ़	1197	0	389158.96	0
11.	चूरू	719	0	121839.34	0
12.	दौसा	191	0	42348.33	0
13.	धौलपुर	64	0	23952.67	0
14.	डूंगरपुर	338	0	82353.38	0
15.	हनुमानगढ़	2232	0	1497984.92	0
16.	जयपुर	1202	0	438826.00	0
17.	जैसलमेर	520	0	162866.58	0
18.	जालौर	61	0	8878.58	0
19.	झालावाड़	3	0	103.13	0
20.	झुन्झुनूं	8	0	4106.55	0
21.	जोधपुर	628	103	187471.22	54844.86
22.	करौली	96	10	37029.27	1042.05
23.	कोटा	5	0	700.00	0
24.	नागौर	1479	0	555860.26	0
25.	पाली	133	0	46858.19	0
26.	रामसमन्द	118	0	42175.70	0
27.	सीकर	46	0	23564.50	0
28.	सिरोही	34	0	5414.53	0
29.	श्रीगंगानगर	2743	0	3228660.92	0

1	2	3	4	5	6
30.	स. माधोपुर	60	13	28571.55	40093.66
31.	टोंक	466	0	105052.09	0
32.	उदयपुर	79	0	15787.50	0
	योग :	**21171**	**259**	**9418953.58**	**247305.95**

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**रबी 2003-04**			
		बीमित कृषक संख्या	**लाभान्वित कृषक संख्या**	**प्रीमियम प्राप्ती (रुपये में)**	**मुआवजा (रुपये में)**
1.	अजमेर	3	0	1275.00	0
2.	अलवर	1030	0	305836.26	0
3.	बांसवाड़ा	180	5	40521.38	8659.44
4.	बारां	0	0	0.00	0
5.	बाड़मेर	432	0	87700.19	0
6.	भरतपुर	604	0	265450.00	0
7.	भीलवाड़ा	324	0	68636.69	0
8.	बीकानेर	1672	156	598353.31	393834.19
9.	बून्दी	43	0	15694.05	0
10.	चित्तौड़गढ़	31047	0	96334.20	0
11.	चूरू	218	45	104679.90	108518.73
12.	दौसा	223	11	72885.63	463.92

1	2	3	4	5	6
13.	धौलपुर	0	0	0.00	0
14.	डूंगरपुर	990	410	120604.35	232755.83
15.	हनुमानगढ़	57	15	24078.00	186211.6
16.	जयपुर	1469	55	350608.28	196329.07
17.	जैसलमेर	18	0	1971.60	0
18.	जालौर	24	0	16413.00	0
19.	झालावाड़	0	0	0.00	0
20.	झुन्झुनूं	120	0	13545.55	0
21.	जोधपुर	0	0	0.00	0
22.	करौली	38	0	6453.61	0
23.	कोटा	0	0	0.00	0
24.	नागौर	398	0	131436.78	0
25.	पाली	88	0	26557.00	0
26.	रामसमन्द	7	0	1050.00	0
27.	सीकर	347	38	63298.81	44213.47
28.	सिरोही	130	0	29963.00	0
29.	श्रीगंगानगर	50	0	27125.90	0
30.	स. माधोपुर	59	0	11401.20	0
31.	टोंक	33	3	16173.71	1431.82
32.	उदयपुर	131	0	16570.50	0
	योग :	**39735**	**738**	**2514617.90**	**1172418.07**

परिशिष्ट-3

क्र. सं.	जिले का नाम	खरीफ 2004			
		बीमित कृषक संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्रीमियम प्राप्ती (रुपये में)	मुआवजा (रुपये में)
1.	अजमेर	70950	24729	10241231.00	53748114.40
2.	अलवर	88991	19060	14620806.90	31368406.70
3.	बांसवाड़ा	36706	7087	6908202.84	6958029.88
4.	बारां	27028	0	20937771.50	0.00
5.	बाड़मेर	66368	64995	26158540.60	479102281.00
6.	भरतपुर	103464	28150	26854982.90	53902568.40
7.	भीलवाड़ा	48206	87	8428173.10	201618.47
8.	बीकानेर	26334	8968	17487757.10	63341230.10
9.	बून्दी	17051	1130	7877437.30	34148.67
10.	चित्तौड़गढ़	58415	10188	16114533.90	7253521.70
11.	चूरू	63744	35437	9742358.10	80682011.60
12.	दौसा	35304	0	11272984.80	0.00
13.	धौलपुर	19090	0	3933428.76	0.00
14.	डूंगरपुर	15440	1428	3624032.93	15547409.80
15.	हनुमानगढ़	32122	6733	9046399.42	14926839.80
16.	जयपुर	91929	11466	30793210.00	41330502.70
17.	जैसलमेर	8499	7558	3152270.57	77009522.70
18.	जालौर	36647	15346	15374425.20	105176047.00
19.	झालावाड़	43617	61	18616403.60	29145.23

1	2	3	4	5	6
20.	झुन्झुनूं	36475	6396	18883686.00	29477389.20
21.	जोधपुर	76061	29835	20120332.90	148476673.00
22.	करौली	26866	3536	8593647.23	16443791.10
23.	कोटा	27896	0	18527446.60	0.00
24.	नागौर	86844	8560	25006796.40	27389155.50
25.	पाली	49987	4512	13395261.60	5246567.29
26.	रामसमन्द	19422	2138	2056785.97	2735542.58
27.	सीकर	118284	11079	30080337.00	2890171.41
28.	सिरोही	12297	6726	5696409.48	28016720.60
29.	श्रीगंगानगर	11437	1506	3242908.79	4919901.84
30.	स. माधोपुर	37603	0	11904847.90	0.00
31.	टोंक	79939	10282	11985850.10	33520121.20
32.	उदयपुर	24822	3107	3808778.33	690034.36
	योग :	**1497838**	**330100**	**434488038.82**	**1330417466.23**

परिशिष्ट-4

क्र. सं.	जिले का नाम	रबी 2004-05			
		बीमित कृषक संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्रीमियम प्राप्ती (रुपये में)	मुआवजा (रुपये में)
1.	अजमेर	5401	134	1128447.64	673067.69
2.	अलवर	67537	8056	8483384.65	2706034.49
3.	बांसवाड़ा	2007	321	384818.19	20627.59
4.	बारां	15009	1374	6442158.7	3061377.18

1	2	3	4	5	6
5.	बाड़मेर	10887	7357	5902748.8	19803032.4
6.	भरतपुर	46835	14	9573224.88	27983.54
7.	भीलवाड़ा	3463	2	732081.45	657.53
8.	बीकानेर	6642	540	2841300.93	2185293.44
9.	बून्दी	4508	0	1915767.49	0
10.	चित्तौड़गढ़	6744	0	1770708.97	0
11.	चूरू	11672	1285	3162002.21	9254016.97
12.	दौसा	8789	1977	2126704.67	4388497.39
13.	धौलपुर	5331	713	1239046.8	517661
14.	डूंगरपुर	3363	402	355960.72	1350142.12
15.	हनुमानगढ़	8116	98	4435538.5	173431.89
16.	जयपुर	22296	1748	4421582.88	3917278.31
17.	जैसलमेर	3652	701	1742632.38	2396261.99
18.	जालौर	31175	225	13804838	882206.29
19.	झालावाड़	9534	0	3135399.43	0
20.	झुन्झुनूं	21908	6656	5527345.14	29159194.4
21.	जोधपुर	15132	351	5328958.67	393836.81
22.	करौली	11222	402	1925805.51	54978.44
23.	कोटा	7142	0	2965778.98	0
24.	नागौर	14413	3050	5214041.34	4213839.95

1	2	3	4	5	6
25.	पाली	19075	1371	4870204.8	4739464.54
26.	रामसमन्द	59	0	9369	0
27.	सीकर	16421	966	3989636.96	568986.39
28.	सिरोही	7054	4227	1639453.62	5472583.71
29.	श्रीगंगानगर	11060	317	4561169.99	242821.6
30.	स. माधोपुर	31239	284	3897688.83	678627.06
31.	टोंक	16656	3457	2851148.25	5973473.85
32.	उदयपुर	850	256	140950.25	106320.53
	योग :	**445192**	**46284**	**116519898.6**	**102961697.1**

अतारांकित प्रश्न संख्या-35

(स्थगित)

राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद

36. **श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा शहर के चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या उक्त सभी पद भरे हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार अब उक्त चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजाखेड़ा में 4 कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं 1 पद चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. निश्चेतन) का स्वीकृत है।

(2) जी नहीं। चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों के अनुरूप विशेषज्ञों की कमी होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजाखेड़ा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

में विशेषज्ञों के पद नहीं भरे जा सके।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त तथा चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. निश्चेतन) के रिक्त पद को चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. निश्चेतन) उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

राजकीय चिकित्सालय, नाथद्वारा में चिकित्सा सुविधाएं

37. डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न संख्या की शैय्याओं (बैड्स) के चिकित्सालयों के लिये आधारभूत सुविधाओं एवं विभिन्न श्रेणी के पदों के लिये मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नाथद्वारा नगर का चिकित्सालय सरकार द्वारा 200 शैय्याओं का स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या वहां मानदण्डों के आधार पर आधारभूत सुविधाएं तथा विभिन्न पदों की स्वीकृति है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा विभिन्न पदों की स्वीकृति तथा आधारभुती सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा 30, 50, 100, 150 एवं 300 शैय्याओं के चिकित्सालयों के लिए स्टाफ के पद स्वीकृत किए जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। 200 शैय्याओं के चिकित्सालय के लिए अलग से स्टाफ स्वीकृत करने के मापदण्ड निर्धारित नहीं है परन्तु कस्बा नाथद्वारा में 200 शैय्याऐं स्वीकृत की गई थी तब विभागीय स्तर पर स्टाफ स्वीकृत करने के लिए आवश्यकता के अनुसार अलग से मापदण्ड निर्धारित किए गए। निर्धारित किए गए मापदण्ड के अनुसार स्टाफ के पद स्वीकृत नहीं है। अतिरिक्त पद स्वीकृत करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में नाथद्वारा चिकित्सालय में एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र आदि की जांचें एवं रोगीवाहन की सुविधा उपलब्ध है। ब्लड बैंक के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं सोनोग्राफी मशीन भी उपलब्ध हो गई है।

परिशिष्ट-"अ"

Table A8

Staffing Pattern for Hospitals (30 Beds and above)

Cadre	**30 Bedded Hospital**	**50 Bedded Hospital**	**100 Bedded Hospital**	**150 Bedded Hospital**	**300 Bedded Hospital**
Senior Specialists					
Medicine	-	-	1	1	1
Surgery	-	-	1	1	1
Gynae	-	-	-	1	1
Pediatries	-	-	-	1	1
Ophthalmology	-	-	-	1	1
Radiology	-	-	-	-	1
Anesthesia	-	-	-	-	1

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Microbiology Pathology	-	-	-	-	1
Dentistry	-	-	-	-	1
Skin VD	-	-	-	-	1
Psychiatry	-	-	-	-	-
Forensic Med.	-	-	-	-	1
Orthopedies	-	-	-	1	1
ENT	-	-	-	-	1
Junior Specialist	-	-			
Medicine	1	1	1	1	2
Surgery	1	1	1	1	2

1	2	3	4	5	6
Gynae	-	1	1	1	2
Pediatries	-	1	1	1	2
Ophthalmology	-	1	1	1	1
Radiology	-	-	1	1	1
Anesthesia	-	-	1	1	1
Microbiolology/Pathology	-	-	-	2 (1+1 MB)	1
Dentistry	-	-	1	1	-
ENT	-	-	1	1	1
Skin VD	-	-	-	1	1
Psychiatry	-	-	-	1	1
Forensic Med.	-	-	-	1	-
Orthopedics	-	-	1	1	2

1	2	3	4	5	6
TB	-	-	-	1	1
Medical Officers					
Senior Medical Officer	1	1	3	4 (3+1*)	5 (4+1*)
Medical Officer	5 (2+3#)	5	8	12	30
Nursing Staff					
Nursing Supdt. Gr. I/II	-	-	1	1	2 (1+1)
Nurse Gr. I	1	2 (1F+1M)	8	10 (3F+7M)	20 (5F+15M)
Nurse Gr. II	9 (6+3#)	14 (4F+10M)	28	30 (10F+30M)	60 (20F+40M)
Technical Staff					
Radiographer/Assistant Radiographer	1	1	2 (1+1)	4 (2+2)	4 (2+2)
Lab. Technician	1	1	2	4 (3+1**)	5
Dental Technician	-	1	1	1	2 (1J+1S)
Physiotherapist	-	-	-	1J	1S

1	2	3	4	5	6
Pharmacist	1	1	1	1J	1S
Ophthalmic Assist	-	1	1	2	2
Administrative Staff					
Office Superintendent	-	-	-	-	1
Office Assistant	-	-	-	1	-
Accountant	-	-	-	1	1
Junior Accountant	-	-	1	1	2
UDC	1	1	2	2	3
LDC	1	1	4	4	5
Support Staff					
Driver (Contract Services)	-	-	-	-	-
Ward Boy	9	10	15	33	66
Sweeper	1	2	5	8	10

* Deputy Controller (SMO Cadre),

** Senior Technician, J Junior, S Senior, MB Microbiologist,

Round the clock,

F Female,

M Male

राजगढ़ (चूरू) के सड़क विहीन राजस्व ग्राम

38. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में कितने राजस्व ग्राम, ढाणी एवं मजरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने ग्राम सड़कों से जोड़ दिये गये तथा कितने शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष रहे ग्रामों को सरकार कब तक सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 2001 की जनगणना के अनुसार तहसील राजगढ़ (चूरू) में 215 राजस्व ग्राम है। सूची प्रपत्र "अ" संलग्न है। जिसमें दो गांव भाटावास एवं करौली गैर आबाद है।

(2) 2001 की जनगणना के अनुसार उक्त 215 गांवों में से 157 गांव सड़कों से जोड़ दिये गये हैं। जोड़े गये गांवों की सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) शेष 58 गांवों में से 9 गांव स्वीकृत है। शेष गावों को जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पैट्रोल पम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

39. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किसी स्थान पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के नियम क्या हैं एवं यह कितनी अवधि में जारी किया जाना चाहिए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कौन-कौन अधिकारी अधिकृत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु भारत

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सरकार के पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 17-10-2003 एवं 31-03-2005 द्वारा विस्तृत मापदण्ड बनाये हुए हैं। (परिशिष्ट-I) उपरोक्तानुसार मापदण्डों के अन्तर्गत यदि प्रकरण प्राप्त होता है तो प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

राज्य में किसी स्थान पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अलावा पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात जारी किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु जारी किये गये नोर्म्स की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-II)

(2) पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट अधिकृत है। विवरण (परिशिष्ट-I) पर उपलब्ध है।

(मापदण्ड/प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के सड़क विहीन पंचायत मुख्यालय

40. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में कुल कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो अभी तक डामर की सड़क से नहीं जोड़े गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वंचित पंचायतों को डामरीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में कुल तीन ग्राम पंचायत मुख्यालय अभी तक डामर सड़क से नहीं जुड़े हैं।

1. खैरवा (739)

2. गोनरडा (606)

3. चौलियास (592)

(2) जी हां। ग्राम पंचायत मुख्यालय गोनरडा एवं चौलियास को डामर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क से जोड़ने का कार्य डब्ल्यू.बी.एम. टू बी.टी. फेज द्वितीय में प्रगति पर है एवं कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 26-5-2006 है। ग्राम पंचायत खैरवा (739) का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (भारत निर्माण) के तहत केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

बारां जिले में सड़क मरम्मत पर व्यय राशि

41. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बारां में सड़क मरम्मत हेतु वर्ष 2005-06 में 265.44 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो मरम्मत कार्य की निविदायें कब ली गई व इनकी मरम्मत किन-किन ठेकेदारों द्वारा करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जो राशि मरम्मत कार्य के लिये आबंटित की गई थी उसमें राशि बची हुई है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी जगह की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकरण योजना के फेज द्वितीय के तहत 265.44 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इन कार्यों की निविदाऐं दिनांक 16-6-2005 को आमंत्रित की गई एवं दिनांक 5-8-2005 को प्राप्त की गई किन्तु दरें अधिक होने के कारण निरस्त कर दी गई। पुनः दूसरी बार दिनांक 17-12-2005 को प्राप्त की जानी थी किन्तु किसी भी संवेदक के द्वारा उक्त निविदाओं में भाग नहीं लिया गया।

तीसरी बार उक्त कार्यों की निविदाऐं दिनांक 23-12-2005 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 16-1-2006 को प्राप्त की गई एवं दिनांक 13-2-2006 को स्वीकृत की जा चुकी हैं। जिन संवेदकों को कार्य आबंटित किये गये हैं उनकी सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त मरम्मत कार्यों हेतु वर्ष 2005-06 में रुपये 133.65 लाख की राशि आबंटित की गई है। संवेदकों को कार्य आदेश माह फरवरी, 2006 में जारी किये गये हैं।

प्रपत्र-"अ"

आर.एम.यू.पी. योजना के तहत संवेदकों को आबंटित किये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (किमी.)	संवेदक का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मोठपुर से केरवालिया किमी. 5/0 से 10/500 (वी आर)	19.57	3.50	मै. विजय गालव, कोटा	02-03-2006	01-09-2006	मरम्मत कार्यों हेतु वर्ष 2005-06 में रु. 133.65 लाख की राशि आबंटित की गई थी। चूंकि संवेदकों को कार्य आदेश माह फरवरी, 2006 में जारी किये गये हैं, अतः पूर्ण राशि व्यय होना शेष है।
2.	लाम्बाखेडा से झनझनी किमी. 0/0 से 4/0 (वी आर)	15.68	4.00	----"----	----"----	----"----	
3.	छबड़ा-गुगोर रोड किमी. 0/0 से 3/0 एवं 7/0 से 8/0 (वी आर)	15.68	4.00	----"----	----"----	----"----	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	छबडा-कुम्भराज रोड किमी. 0/0 से 1/0 एवं 4/0 से 6/0, 8/0 से 12/0 (ओ.डी. आर.)	27.44	7.00	----"----	----"----	----"----	
5.	सम्पर्क सड़क रीछन्दा किमी. 0/0 से 5/0 (वी आर)	15.68	4.00	----"----	----"----	----"----	
6.	गउघाट-बडोरा रोड 0/0 से 2/0, 4/0 से 5/0, 13/0 से 16/0 (ओडीआर)	19.14	6.00	----"----	----"----	----"----	
7.	बराना-सहरोद रोड से गोरधनपुरा 0/0 से 1/200 (वी आर)	4.70	1.20	----"----	----"----	----"----	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	बराना-जलवाडा-नाहरगढ़ रोड 10/0 से 12/0 (वी आर)	6.38	2.00	मै. द्वारका कन्स. प्रा. लि., जयपुर	----"----	----"----	
9.	सम्पर्क सड़क बांसथूनी 0/0 से 0/500 (वी आर)	1.60	0.50	----"----	----"----	----"----	
10.	समरानियां से नाटई सड़क 0/0 से 3/200 (वी आर)	10.21	3.20	----"----	----"----	----"----	
11.	रामगढ़ स्टेट बार्डर वाया काला पट्टा 0/0 से 5/500 (वी आर)	21.56	5.50	----"----	----"----	----"----	
12.	सम्पर्क सड़क देवरी से भोयल 0/0 से 2/500 (वी आर)	9.80	2.50	----"----	----"----	----"----	
13.	सम्पर्क सड़क करवरीकलां 0/0 से 3/0 (वी आर)	7.84	2.00	----"----	----"----	----"----	

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	सम्पर्क सड़क सोरसन माताजी 0/0 से 2/0 (वी आर)	7.84	2.00	----"----	----"----	----"----	
15.	सम्पर्क सड़क नागदा शिव मन्दिर 1/600 से 3/600 (वी आर)	7.84	2.00	----"----	----"----	----"----	
16.	अन्ता-सांगोद रोड 3/0 से 5/0, 15/0 से 20/0 (वी आर)	27.44	7.00	----"----	----"----	----"----	
17.	अन्ता-सीसवाली रोड 5/0 से 7/0, 8/0 से 10/0 (वी आर)	15.68	4.00	----"----	----"----	----"----	
18.	सीसवाली-मांगरोल रोड 0/0 से 8/0 (वी आर)	31.36	8.00	----"----	----"----	----"----	
	योग	**265.44**	**68.40**				

बाप (जोधपुर) पंचायत समिति द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों का भुगतान

42. श्री बनेसिंह राठौड़ (औसियां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बाप द्वारा ग्राम पंचायत चाम्पासर में भवन विहीन विद्यालयों में शाला भवन निर्माण की स्वीकृति ग्राम पंचायत को जारी की गई थी ? यदि हां, तो क्या ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) जारी करने के पश्चात् भी उसका पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2001-02 की वित्तीय किश्त की राशि 19.21 लाख रुपये एवं वर्ष 2002-03 की द्वितीय किश्त की राशि 29.826 लाख रुपये कुल राशि 49.036 लाख रुपये की राशि सम्बन्धित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के निजी निक्षेप खाते में अभी तक भी जमा नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो समय पर निजी निक्षेप खाते में राशि जमा न हो पाने की सूचना नहीं देने के कारण सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं नहीं तो क्यों ? सरकार अब कब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण ग्राम पंचायतों पंचायत समिति बाप (जोधपुर) द्वारा कार्य समय पर करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी को दिये जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाना न्यायसंगत है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा पंचायत समिति बाप (जोधपुर) का बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सम्बन्धित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के निजी निक्षेप खाते में राशि जमा नहीं होने के कारण बकाया भुगतान नहीं हो सका। बकाया राशि का भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। वर्ष 2001-02 की द्वितीय किश्त की राशि 12.43 लाख

(शिक्षा मंत्री)

रुपये तथा वर्ष 2002-03 की द्वितीय किश्त की राशि 29.826 लाख रुपये सम्बन्धित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के निजी निक्षेप खाते में जमा नहीं होने की सूचना नहीं दिये जाने के कारण सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17/18 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। बकाया राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बीकानेर सम्भागीय मुख्यालय पर मण्डल कार्यालय की स्थापना

43. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर को सम्भागीय मुख्यालय बनाये जाने के समय शिक्षा विभाग के मण्डल कार्यालय की स्थापना बीकानेर में की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ समय पश्चात् शिक्षा विभाग के मण्डल कार्यालय को चूरू स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो कब व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि मण्डल कार्यालय मण्डल मुख्यालय पर स्थापित न होने के कारण विभागीय नियमानुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बीकानेर द्वारा ब्लाक कार्यालयों से प्राप्त प्रकरण उपनिदेशक कार्यालय चूरू के द्वारा निदेशालय एवं आयुक्तालय शिक्षा विभाग, बीकानेर को भेजे जाते हैं, जिसके कारण न सिर्फ राजकीय धन का अपव्यय होता है बल्कि प्रकरण से सम्बन्धित व्यक्तियों एवं कार्यालय कार्मिकों को भी अनावश्यक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें संशोधन करते हुये उक्त कार्यालय को पुन: मण्डल मुख्यालय बीकानेर पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश दिनांक 23-1-1978 द्वारा शिक्षा विभाग के बीकानेर में मण्डल कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।

(2) जी हां। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : एफ 9(49)शिक्षा/ग्रुप-1/76 दिनांक 27-7-1978 के द्वारा इस परिक्षेत्र के जिलों की सुविधाओं को

(शिक्षा मंत्री)

मध्यनजर रखते हुए बीकानेर में मण्डल कार्यालय चूरू में स्थानान्तरित किया गया था।

(3) विभाग का मण्डल कार्यालय चूरू में होने से किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होता है, क्योंकि विभागीय प्रक्रियानुसार विभाग के समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तथा जिला शिक्षा अधिकारी उपनिदेशक के माध्यम से ही निदेशक/आयुक्त कार्यालय से पत्र व्यवहार कर सकते हैं। अतः यह प्रक्रिया समान रूप से सभी मण्डल कार्यालयों पर लागू है। ऐसी स्थिति में कुछ जिलों के कर्मचारियों एवं जिला कार्यालयों को असुविधा होना स्वाभाविक है। मण्डल कार्यालय, चूरू को बीकानेर स्थानान्तरित करने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

हनुमानगढ़ जिले के विद्यालयों में हड़ताल प्रकरण

44. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ के विद्यालयों में इस वर्ष हड़ताल हुई है ? यदि हां, तो किन कारणों से व किन-किन विद्यालयों में कब-कब ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार को हड़ताल एवं स्कूल बन्द कराने की पूर्व में सूचना थी ?

(3) हड़ताल को समाप्त कराने में शिक्षा विभाग की क्या भूमिका रही ?

(4) हड़ताल किन-किन मांगों को मानकर समाप्त करवायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले के वियालयों में इस वर्ष हुई हड़ताल का विवरण निम्न प्रकार से है :-

विद्यालय का नाम	**हड़ताल अवधि**	**हड़ताल का कारण**
1. रामावि., रामगढ़	3-8-2005 से 9-8-2005	संस्था प्रधान एवं अध्यापकों के रिक्त पद भरने हेतु।

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3
2. रामावि., थालडका	9-9-2005 से 10-9-2005 22-9-2005 से 26-9-2005	संस्था प्रधान एवं अध्यापकों के रिक्त पद भरने हेतु।
3. राबामावि. चोहिलावाली	12-11-2005 से 14-11-2005	संस्था प्रधान एवं अध्यापकों के रिक्त पद भरने हेतु।

(2) जी नहीं।

(3) छात्रों एवं अभिभावकों की मांग की आंशिक मांग पूर्ति कर अध्यापकों की अस्थाई रूप से शैक्षणिक व्यवस्था की जाकर हड़ताल समाप्त करवाने में अहम भूमिका निभाई गई।

(4) हड़ताल की मुख्य मांग संस्था प्रधान एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की थी। मांग की आंशिक मांग पूर्ति के क्रम में शैक्षणिक व्यवस्था के तहत अध्यापकों को लगाया जाकर हड़ताल समाप्त कराई गई।

सिरोही जिले में संचालित राजीव गांधी पाठशालाएं

45. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सिरोही जिले में किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राजीव गांधी पाठशालाऐं खोली गई ? उक्त में से कितनी पाठशालाएं प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित कर दी गई ? अभी कितनी राजीव गांधी पाठशालाएं चल रही हैं, कितने उक्त नए प्राथमिक विद्यालयों में भवन नहीं है ? कितनी राजीव गांधी पाठशालाओं में भवन/शिक्षा सहयोगी नहीं है ? कितनी राजीव गांधी पाठशालाएं बन्द हैं ? सरकार भवन विहीन राजीव गांधी पाठशालाओं में भवन कब तक बनवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जिला सिरोही में वर्ष 1999-2000 में 199, 2000-01 में 172, 2001-02 में 33, कुल 404 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालायें खोली गई। 135 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया गया। शेष 269 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालायें वर्तमान में संचालित है। उक्त समस्त परिवर्तित प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी भवन

(शिक्षा मंत्री)

विहीन नहीं है। 113 राजीव गांधी पाठशाला भवन विहीन हैं। समस्त पाठशालाओं में शिक्षा सहयोगी कार्यरत है। कोई भी राजीव गांधी पाठशाला बन्द नहीं है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत राजीव गांधी पाठशाला के भवनों का निर्माण करवाया जाता है। राजीव गांधी पाठशालाओं के प्राथमिक शाला में परिवर्तन के बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन प्राथमिक शालाओं के लिए भवन निर्माण कराया जाता है।

सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र

46. **चौधरी विनोद कुमार** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सिद्धमुख नहर परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत सिद्धमुख माइनर को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

(2) उक्त नहर से कितने गांवों का रकबा सिंचित होता था ? सरकार द्वारा नहर बन्द कर दिये जाने के उपरान्त काश्तकारों को सिंचाई हेतु पानी देने की क्या व्यवस्था की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सिद्धमुख माईनर नवनिर्मित नहर है इससे पहले कोई रकबा सिंचित नहीं होता था। उक्त नहर से राजगढ़ तहसील के चार गांवों में 1675 हैक्टेयर रकबा सिंचित होगा।

सिकराय (दौसा) में सिंचाई उपखण्ड कार्यालय का सृजन

47. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिंचाई उप खण्ड कार्यालय स्थापित करने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) दौसा जिले में सिंचाई विभाग के कितने उपखण्ड हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई उपखण्ड खोलने की सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद अभी तक सिकराय उपखण्ड में उपखण्ड कार्यालय नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सिकराय में इसी सत्र में सिंचाई उपखण्ड कार्यालय सृजित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड कार्यालय स्थापित करने बाबत कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये हैं। परन्तु कार्यों की मात्रा एवं महत्वता को देखते हुए राज्य सरकार उचित निर्णय लेती है।

(2) दौसा जिले में सिंचाई विभाग के चार उपखण्ड कार्यरत हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड कार्यालय स्थापित करने बाबत कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये हैं। परन्तु कार्यों की मात्रा एवं महत्वता को देखते हुए राज्य सरकार उचित निर्णय लेती है। चूंकि सिकराय तहसील के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के मात्र 3 बांध आते हैं जिनका सी.सी.ए. 4293 हैक्टेयर है जिसके लिए अलग से उपखण्ड खोलने का औचित्य नहीं है।

राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजनान्तर्गत जवाई बांध की नहरों का पुनरूद्धार

48. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना में जवाई बांध की नहरों के पुनरूद्धार का कार्य मुम्बई की एक मास्टर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से वापिस ले लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी को काम पूरा किये बिना ही कुछ काम का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कितना व क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा करार की पालना नहीं की गई ? यदि हां, तो उक्त कम्पनी से जुर्माना वसूलने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त कम्पनी की गारन्टी राशि जप्त की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना में जवाई बांध की विभिन्न नहर प्रणालियों के पुनरूद्धार के पांच कार्य (जवाई मुख्य नहर, गोगरा नहर प्रणाली, बिठिया नहर प्रणाली व तखतगढ़ और सांडेराव नहर प्रणाली) मुम्बई की फर्म मैसर्स मास्टर

(सिंचाई मंत्री)

कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को आबंटित किये गये थे। इन पांच आबंटित कार्यों में से दो कार्य (1) गोगरा वितरिका गोगरा माइनर एवं (2) तखतगढ़ वितरिका एवं तखतगढ़ माइनर का पुनःसंरचना (रिहेबिलीटेशन) कार्य अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण उक्त फर्म से वापस ले लिये गये हैं।

(2) जी नहीं। उक्त फर्म को कार्य किये बिना कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(3) जी हां। फर्म के साथ गठित अनुबन्ध की शर्तों की पालना फर्म द्वारा पूर्ण रूप से नहीं की गई थी जिसके कारण (1) फर्म से उपरोक्त दो कार्य वापस ले लिये गये एवं इन कार्यों की लागत का 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आरोपित की गई है। आरोपित क्षतिपूर्ति का लगभग 19.76 प्रतिशत वसूल किया जा चुका है एवं शेष वसूली के प्रयास भी किये जा रहे हैं। (2) एक कार्य पर निर्धारित प्रगति से कम प्रगति होने के कारण क्षतिपूर्ति (लिक्वीडेटेड डेमेजेज) की भी वसूली की जा रही है।

(4) जी हां। जिन दो कार्यों को फर्म से वापस ले लिया गया है उन कार्यों से सम्बन्धित उपकरण अग्रिम (इक्विपमेंट एडवांस) के एवज में फर्म द्वारा दी गई बैंक गारंटियों में अंकित राशि की वसूली विभाग द्वारा कर ली गई है। इन कार्यों से सम्बन्धित प्रतिभूति (परफोरमेन्स गारंटियों) की राशि दिनांक 11-2-2006 तक न्यायालय की रोक के कारण वसूल नहीं की गई थी। उन गारंटियों की राशि वसूल करने हेतु दिनांक 14-2-2006 को सम्बन्धित बैंकों को डिमाण्ड भेज दी गई है। परन्तु राशि अभी तक प्राप्त होनी शेष है।

श्री स्वरूप गोविन्द पारीक कालेज की प्रबन्धकारिणी के चुनाव

49. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री स्वरूप गोविन्द पारीक कालेज एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं जयपुर की प्रबन्ध समिति के चुनाव राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम, 1993 के अनुरूप नहीं कराये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था को अप्रैल, 2002 से अनुदान जारी किया गया है ? यदि हां, तो वर्षवार अनुदान की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्था की प्रबन्ध समिति के चुनाव 3 वर्ष के अन्तराल में कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या एवं उसके क्या परिणाम रहे ?

(4) पारीक कालेज की प्रबन्ध समिति के चुनाव सम्बन्धी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई एवं उस जांच के क्या परिणाम रहे ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2002 से काबिज प्रबन्ध कार्यकारिणी के कार्यों की पूर्ण रूप से जांच की गई है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) श्री स्वरूप गोविन्द पारीक कालेज को संचालित करने वाली संस्था 'श्री स्वरूप गोविन्द पारीक स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं सम्बन्ध शिक्षण संस्थायें' द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के चुनाव नियम 23 के अन्तर्गत दिनांक 21-7-2005 को Due हो गये थे जो दिनांक 24-9-2005 को कराये गये हैं। चुनाव के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई है। जांच अधिकारी द्वारा चुनाव में अनियमितता होने के कारण अवैधानिक बताया गया है। संस्था द्वारा गठित प्रबन्ध समिति को रजिस्ट्रार सहकारी समिति के यहां अभी तक लेखबद्ध भी नहीं कराया गया है।

(2) संस्था को अप्रैल, 2002 से मार्च, 2003 तक की अनुदान सहायता राशि प्रबन्ध समिति को रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें के द्वारा दिनांक 28-3-2003 को पंजीकृत कर दिये जाने पर दिनांक 29-3-2003 को निर्मुक्त की गई। संस्था को वर्षवार दी गई सहायता राशि निम्न प्रकार है :-

वर्ष	राशि
2002-03	20.56 लाख अन्तिम
2003-04	32.52 लाख प्रोविजनल
2004-05	36.30 लाख प्रोविजनल
2005-06	37.20 लाख प्रोविजनल स्वीकृत, परन्तु प्रबन्ध समिति की वैधानिकता के परिप्रेक्ष्य में माह दिसम्बर, 2005 से राशि नहीं दी गई है।

(3) राज. गै. सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के नियम 23 के

(उच्च शिक्षा मंत्री)

अन्तर्गत हर तीसरे वर्ष प्रबन्ध समिति के गठन का दायित्व संस्था का है तथा सरकार द्वारा प्रबन्ध समिति के गठन को सुनिश्चित कर लिया जाता है। उक्त कालेज की नवीनतम प्रबन्ध समिति का गठन हेतु चुनाव दिनांक 24-9-2005 को कराये गये हैं, जिसकी वैधानिकता सुनिश्चित नहीं हो पाई है। विभाग के पत्र दिनांक 1-2-2006 द्वारा संस्था को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु संस्था का कोई प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) प्रबन्ध समिति के चुनाव सम्बन्धी जांच आयुक्त कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी (अंकेक्षण) से कराई गई है। जांच रिपोर्ट दिनांक 23-1-2006 को प्राप्त होने पर जांच के निष्कर्ष वाले बिन्दुओं पर संस्था को सुनवाई का अवसर देते हुए स्थिति स्पष्ट करने हेतु विभाग के पत्र दिनांक 1-2-2006 द्वारा संस्था को निर्दिष्ट किया गया है।

(5) जी नहीं।

सिकराय विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालय

50. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कुल कितने औषधालय हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन औषधालयों में औषधियों की पर्याप्त व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कुल 21 विभागीय औषधालय हैं, उनमें से 20 आयुर्वेद पद्वति के "ब" श्रेणी के तथा 1 होम्योपैथिक पद्वति का "ब" श्रेणी का औषधालय है, जिसकी सूची परिशिष्ट-''क'' पर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां।

परिशिष्ट-"क"

दौसा जिले के विधान सभा क्षेत्र सिकराय के अन्तर्गत आने वाले विभागीय "ब" श्रेणी के औषधालयों की सूची :-

1	2		
आयुर्वेद औषधालय (20)			
1.	सिकराय	12.	ठिकरिया
2.	दुब्बी	13.	निहालपुरा
3.	गिजगढ़	14.	भण्डारी
4.	करौडी	15.	सिकन्दरा
5.	कालवना	16.	गुमानपुरा
6.	कालाखौ अम्बाडी	17.	बेरावण्डा
7.	गुण्डरावा	18.	मानपुर
8.	घूमणा	19.	जौपाडा
9.	चांदेरा	20.	भांडारैज
10.	छौकरवाड़ा	**होम्योपैथिक औषधालय (1)**	
11.	टौरडा	1.	सिकराय

मत्स्य विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी

51. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मत्स्य विभाग के स्वीकृत तकनीकी पदों में कोई अनुपात नहीं है, जहां प्रदेश में सहायक मत्स्य विकास के पद कम हैं वहीं सहायक निदेशक के पद अधिक हैं व इसी प्रकार मत्स्य निरीक्षक के पदों व सहायक मत्स्य विकास अधिकारियों का भी कोई अनुपात नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा सम्भाग के बारां व सवाईमाधोपुर जिलों में कोई जलाशय नहीं होने पर भी वहां कार्यालय है तथा कर्मचारी नियुक्त है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(3) क्या सरकार मत्स्य पालन में वृद्धि को ध्यान में रखकर विभाग के पुनर्गठन की योजना रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मत्स्य विभाग में स्वीकृत तकनीकी पद आवश्यकतानुसार ही हैं। प्रदेश में सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के 39 पद हैं जबकि सहायक निदेशक स्तर के केवल 15 पद हैं। इसी प्रकार मत्स्य निरीक्षक के 42 पद हैं जबकि सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के 39 पद हैं। पद अनुपात से नहीं, आवश्यकतानुसार सृजित किए जाते हैं।

(मत्स्य पालन मंत्री)

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि कोटा सम्भाग के बारां व सवाई माधोपुर जिले में कोई जलाशय नहीं हैं। कोटा सम्भाग के बारां जिले में ख श्रेणी के 7, ग श्रेणी के 10 व घ श्रेणी के 19 जलाशय हैं। इसी प्रकार सवाई माधोपुर जिले में ख श्रेणी के 5, ग श्रेणी के 11 व घ श्रेणी के 9 जलाशय हैं। इसके अतिरिक्त एक मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र व मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यरत है।

(3) जी हां।

संस्कृत शिक्षा विभाग के अधिकारी/शिक्षकों का पदोन्नति प्रकरण

52. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जुलाई, 2004 से अब तक कितने अधिकारियों एवं शिक्षकों को पदोन्नति दी गई ? सूची संवर्ग वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों एवं शिक्षकों को पदोन्नति दी गई उन अधिकारियों एवं शिक्षकों से कार्मिक विभाग के आदेशानुसार दिनांक 1 जून, 2002 के पश्चात् जन्में सन्तान के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्राप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दो से अधिक संतान पर पदोन्नति दी गई हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में जुलाई, 2004 से अब तक 10 अधिकारियों एवं 84 शिक्षकों को पदोन्नति दी गई। सूची संवर्गवार निम्नानुसार है :-

1.	प्राचार्य, आचार्य	6
2.	सहायक निदेशक	1
3.	प्रोफेसर	3
4.	व्याख्याता	11
5.	प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका)	15

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

6. वरिष्ठ अध्यापक-II ग्रेड 58

(2) जी हां। सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं शिक्षकों से कार्मिक विभाग के आदेशानुसार 1-6-2002 के पश्चात् जन्में संतान के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किए गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प.16(7)शिक्षा-6/93 पार्ट जयपुर, दिनांक :

राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम, 1977 के नियम 23(ए) सपठित नियम 6(बी) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनोपरान्त निम्नांकित प्रोफेसरों, सहायक निदेशक एवं प्राचार्य, आचार्यों का पदस्थापन वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर पदोन्नति पर किया गया :-

प्राचार्य/आचार्य

1. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
2. डा. मंडन शर्मा
3. डा. विशम्भर दयाल जोशी
4. श्री लक्ष्मीनारायण आसोपा
5. डा. ईश्वर प्रसाद चतुर्वेदी
6. श्री शंकर प्रसाद शुक्ल

प्रोफेसर

7. श्री सत्य नारायण शर्मा
8. श्री मामराज शर्मा
9. श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा

सहायक निदेशक

10. श्री अशोक कुमार योगी।

जुलाई, 2004 से अब तक विभागीय स्तर पर दी गई पदोन्नति शिक्षकों की सूची

राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के नियम 24 (10) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनोपरान्त निम्नलिखित व.अ. ग्रेड/प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका) को व्याख्याता पद पर, व.अ. II ग्रेड को प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका) पद पर, तृतीय श्रेणी अध्यापक को व.अ. II ग्रेड पद पर पदस्थापन/वरिष्ठता योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गई। सूची निम्नलिखितानुसार है :-

व्याख्याता

1. बद्रीनारायण जाट
2. महेशचन्द्र शर्मा
3. श्री सन्तोष कुमार दुबे
4. श्री भागीरथ ओझा
5. श्री सीताराम शर्मा
6. श्रीमती शिल्पी गुप्ता
7. श्रीमती ऋचा शर्मा
8. श्री अनिलकुमार सिंह
9. श्री रामेदव दीक्षित
10. श्री द्विजेन्द्रनाथ मिश्र
11. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा

प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका)

12. श्री चिरंजीलाल शर्मा
13. श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा
14. श्री शिवकुमार मिश्र
15. श्री राधेश्याम गौतम
16. श्री नन्दलाल गुप्ता
17. श्री महादेव प्रसाद यादव
18. श्री स्वरूपनारायण शुक्ल
19. श्री रमाकान्त शर्मा
20. श्री ओमप्रकाश शर्मा
21. श्री रमेश चन्द्र शर्मा
22. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा
23. श्री धोलाराम यादव
24. श्री घासीराम सामरिया
25. श्री कजोड़ मल मीणा
26. श्री रतीराम मीणा

व.अ. II ग्रेड

27. श्री महेशचन्द शर्मा
28. श्री जुगलकिशोर शर्मा
29. श्री पदम सिंह दरिया
30. श्री शर्मा
31. श्री गुलाबचन्द बैरवा
32. श्री रामकरण बैरवा
33. श्री बाबूलाल बलाई
34. श्री रतनलाल मुण्डोलिया
35. श्री रविकुमार दरिया
36. श्री हरिराम मईड़ा
37. श्री जगदीश प्रसाद रैगर
38. श्री मुरारीलाल मीणा
39. श्री कल्लाराम मीणा
40. श्री सीताराम मीणा
41. श्री रामचन्द्र बैरवा
42. श्री गंगाराम मीणा
43. श्री अम्बालाल मीणा
44. श्री ओमप्रकाश शर्मा
45. श्री मुरारीलाल शर्मा
46. श्री विरेन्द्र कुमार जैन
47. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
48. श्री अनिल कुमार राजोरिया
49. श्री शिवकुमार शर्मा
50. श्री बाबूलाल शर्मा
51. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह
52. श्री ओमप्रकाश शर्मा
53. श्री मुरारीलाल शर्मा

54. श्री स्वयंभू आचार्य
55. श्री राजकुमार शर्मा
56. श्री बालकृष्ण शर्मा
57. श्री लीलाधर शर्मा
58. श्री रामस्वरूप शर्मा
59. श्री गिरिजाशंकर शर्मा
60. श्री दिनेश चन्द्र शर्मा
61. श्री सीताराम शर्मा
62. श्री दाऊदयाल शर्मा
63. श्री ऋषिराज शर्मा
64. श्री जगदीशकुमार शर्मा
65. श्री कमलकिशोर कुमार शर्मा
66. श्री मदनमोहन मिश्र
67. श्री जितेन्द्र कुमार गौड़
68. श्री राजेन्द्र कुमार धोबी
69. श्री भगवानाराम मेहरा
70. श्री लक्ष्मणलाल पाण्डोर
71. श्री दिनेश पाण्डोर
72. श्री हरिप्रसाद
73. श्री भगवानसहाय रोहलन
74. श्री रामजीलाल
75. श्री जतनलाल बुनकर
76. श्री कजोड़मल रैगर
77. श्री सुशीलकुमार शर्मा
78. श्रीमती मधुबाला सक्सैना
79. श्रीमती सरोज सहगल
70. श्री लक्ष्मणलाल पाण्डोर
71. श्री दिनेश पाण्डोर
72. श्री हरिप्रसाद
73. श्री भगवानसहाय रोहलन
74. श्री रामजीलाल
75. श्री जतनलाल बुनकर
76. श्री कजोड़मल रैगर
77. श्री सुशीलकुमार शर्मा
78. श्रीमती मधुबाला सक्सैना
79. श्रीमती सरोज सहगल
80. श्री राजेन्द्र पालीवाल
81. श्री खेमराज मीणा
82. श्री अनिल कुमार व्यास
83. हेमनत दवे
84. श्री फैलीराम मीणा

कृषि उपज मण्डी, नगर में आवश्यक सुविधाएं

53. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य की कृषि उपज मण्डियों का नये सिरे से श्रेणीकरण कराकर चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार जिला भरतपुर के कस्बा सीकरी एवं पहाड़ी में कृषि

उपज मण्डी स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी, नगर में कृषकों, दुकानदारों व पल्लेदारों (मजदूरों) को निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पर्याप्त सुविधायें सुलभ कराई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों में चुनाव कराये जाने की प्रक्रिया, मण्डियों के नये सिरे से श्रेणीकरण किये जाने के पश्चात् ही प्रारम्भ की गई है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति नगर के अन्तर्गत सीकरी एवं पहाड़ी दोनों ही गौण मण्डी के रूप में स्थापित हैं। मुख्य मण्डी बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(3) मण्डी समितियों के अन्तर्गत सुविधाएं सुलभ कराये जाने हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। कृषि उपज मण्डी समिति नगर द्वारा परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न विवरण के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

परिशिष्ट-"अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, नगर द्वारा सुलभ कराई जा रही सुविधाओं का विवरण

मुख्यमण्डी - नगर	
1. दुकान मय गोदाम मय प्लेटफार्म	13
2. फुटकर दुकानें	10
3. कामन नीलामी चबूतरे	2
4. क्योस्क	2
5. प्याऊ	1
गौण मण्डी यार्ड - सीकरी	
1. प्याऊ	1
2. कामन नीलामी चबूतरा	1
गौण मण्डी यार्ड - पहाड़ी	
1. प्याऊ	1

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-21 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत 2 वर्षों में स्वीकृत कार्य एवं इनकी वर्तमान स्थिति का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	तहसील	राशि रुपये में	प्रगति	व्यय रुपये में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2003-04						
1.	ग्रीष्म संवर्धन योजना, भंवरगढ़ (1 नलकूप)	किशनगंज	1.55 लाख	कार्य पूर्ण	1.55 लाख	
2.	ग्राम राजपुरा में पुरानी पाइप लाइन बदलने का कार्य	शाहबाद	1.70 लाख	कार्य पूर्ण	1.70 लाख	
3.	ग्रीष्म संवर्धन-2004 के नलकूप-03 नग (किशनगंज, मामोनी व केदारकुई)	शाहबाद/ किशनगंज	12.00 लाख	कार्य पूर्ण	12.00 लाख	
4.	समाज कल्याण छात्रावास में नलकूप-03 नग (किशनगंज, नाहरगढ़ व केलवाड़ा)	शाहबाद/ किशनगंज	2.85 लाख	कार्य पूर्ण	2.85 लाख	

1	2	3	4	5	6	7
5.	संशोधित पुनर्गठित जल योजना, शाहबाद	शाहबाद	116.08 लाख	कार्य प्रगति पर	80.42 लाख	पाइप लाइन एवं कुएं का कार्य प्रगति पर है। योजना अप्रैल, 2006 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।
6.	हैण्ड पम्प-214 नग	शाहबाद/ किशनगंज /मांगरोल	107.00 लाख	214 पूर्ण	107.00 लाख	

वर्ष 2004-05

1.	ग्रामीण जल योजना भंवरगढ़ में पुरानी पाइप लाइन बदलने का कार्य	किशनगंज	0.48 लाख	पूर्ण	0.48 लाख	
2.	ग्रामीण जल योजना भंवरगढ़ में उच्च जलाशय की मरम्मत का कार्य	किशनगंज	1.17 लाख	पूर्ण	1.17 लाख	

1	2	3	4	5	6	7
3.	ग्रामीण जल योजना नाहरगढ़ में उच्च जलाशय की मरम्मत का कार्य	किशनगंज	1.37 लाख	पूर्ण	1.37 लाख	
4.	ग्रामीण जल योजना राजपुरा में भू-तल जलाशय की मरम्मत का कार्य	शाहबाद	1.00 लाख	पूर्ण	1.00 लाख	
5.	हैण्ड पम्प-202 नग	शाहबाद/ किशनंगज /मांगरोल	101.00 लाख	190 पूर्ण	95.00 लाख	शेष कार्य प्रगति पर